सप्तम माला, खण्ड 29, अंक 5, गुरुवार, 15 जुलाई, 1982/24 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(नौंवा सत्र)

(खण्ड 29 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 15 जुलाई, 1982/24 आषाढ़, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 21, अंतिम पंक्ति, सदस्य के नाम से पूर्व प्रश्न संख्या "114" के स्थान पर "x113" पढ़िये ।

पृष्ठ 26, पंक्ति 12, सदस्यों के नामों से पूर्व प्रश्न संख्या "1120" के स्थान पर "x120" पढ़िये ।

पृष्ठ 27, पंक्ति 15, सदस्यों के नामों से पूर्व प्रश्न संख्या "1122" के स्थान पर "x122" पढ़िये ।

पृष्ठ 103, पंक्ति 28, शीर्षक "शिव सिख सम्मेलन" के स्थान पर "विश्व सिख सम्मेलन" पढ़िये ।

पृष्ठ 140, पंक्ति 22, सदस्य के नाम से पूर्व प्रश्न संख्या "123" के स्थान पर "1293" पढ़िये ।

पृष्ठ 144, पंक्ति 17, सदस्य के नाम से पूर्व प्रश्न संख्या "129" के स्थान पर "1294" पढ़िये ।

पृष्ठ 177, पंक्ति 12, 17, 24, 26 तथा 28 में सदस्य का नाम "जनल बशर" के स्थान पर "जैनल बशर" पढ़िये ।

पृष्ठ 196, पंक्ति 15-"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय/कोर्ट" के स्थान पर "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट" पढ़िये ।

पृष्ठ 201, पहली दो पंक्तियों में दिये शीर्षक का लोप किया जाये ।

पृष्ठ 201, पंक्ति 19 का लोप कीजिये और उसके स्थान पर "(सात)" भूतपूर्व सैनिकों के लिये नौकरियों में आरक्षण के लिए निश्चित कोटे की प्रगति पर निगरानी रखने की आवश्यकता" पढ़िये ।

पृष्ठ 233, पंक्ति 27, "देहेज" के स्थान पर "दहेज" पढ़िये ।

पृष्ठ 303, पंक्ति 5 -

"21-12" के स्थान पर "21-12बजे" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 5, गुरुवार, 15 जुलाई, 1982/ 24 आषाढ़, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—19
*तारांकित प्रश्न संख्या 103 से 109,	2—10
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—155
*तारांकित प्रश्न संख्या 110 से 122	19—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 1138 से 1151, और 1153 से 1313	28—155
विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में	155
सभा पटल पर रखे गये पत्र	160
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	174
रेल दुर्घटनाओं, रेलों में डकैती और लूट से उत्पन्न स्थिति	
श्री जैनुल बशर	174
श्री पी० सी० सेठी	178
श्री संतोष मोहन देव	179
श्री राम विलास पासवान	183
डा० कृपा सिन्धु भोई	190
श्री हरीश रावत	193
समिति के लिये निर्वाचन	196
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट	196
नियम 377 के अधीन मामले	197
(एक) महात्मा गांधी और सरदार भगतसिंह की प्रतिमाओं की स्थापना	197
श्री मनीराम बागड़ी	197
(दो) उड़ीसा के तूफान पीड़ित लोगों को राहत के लिए वस्तुओं के वितरण में हुई कथित अनियमितताऐं	197
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	197

* किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(तीन) "जन्म दिन वृक्ष ,, योजना का नारा देकर देश की बन सम्पदा में वृद्धि करना	198
श्री भीखा भाई	198
(चार) पश्चिम महाराष्ट्र और अहमदाबाद में रंग आदि बनाने के बहुत से कारखानों के बंद होने का समाचार	198
श्रीमती संयोगिता राणे	199
(पांच) मनमाड-मुडखेड रेल लाइन को बड़ी लाईन में बदलने के लिए उपलब्ध कराये गये सामान को अन्यत्र भेजे जाने का समाचार	199
श्री उत्तम राठौर	
(छः) रत्नगिरि जिले में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि के लिए प्रतिभूति जमा करने सम्बन्धी आदेशों को वापस लेने की मांग	199
श्री बापूसाहिब परुलेकर	200
(सात) भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण के लिए निश्चित कोटे की प्रगति पर निगरानी रखने की आवश्यकता	200
श्री राजेश पायलट	202
(आठ) पूर्वोत्तर रेल सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता	201
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	202
(नौ) उज्जैन की विनोद और विमल कपड़ा मिलों का प्रबन्ध-ग्रहण करने की आवश्यकता	202
श्री सत्यानारायण जटिया	202
कर्णपटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्रधिकार) विधेयक	202
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री कमला मिश्र मधुकर	203
श्री चतुर्भज	205
श्री हरीश कुमार गगवार	206
डा० वसंत कुमार पंडित	208
श्री जी० एम० बनातवाला	210
श्री बी० शंकरानन्द	212
खंड	
2 से 10 और ।	

विषय	पृष्ठ
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री बी० शंकरानन्द	218
चिट फंड विधेयक	225
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	225
श्री सोमनाथ चटर्जी	229
महिलाओं पर किये गये बलात्कार तथा अत्याचारों, जिनमें दहेज के कारण होने वाली मृत्यु भी शामिल हैं, की घटनाओं के बारे में चर्चा	236
श्री मती प्रमिला दण्डवते	236
श्री एच० के० एल० भगत	243
श्रीमती गीता मुखर्जी	248
श्री काजी जलील अब्बासी	252
श्री रशीद मसूद	257
डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी	262
श्री मती सुशीला गोपालन	266
श्री केयूर भूषण	270
श्री बापूसाहेब परूलेकर	273
श्री राजेश पायलट	277
श्री सी० टी० दण्डपाणि	282
श्री एस० बी० सिदनाल	286
श्री सत्यनारायण जटिया	288
श्री राम लाल राही	293
श्री सुन्दर सिंह	295
श्री आर० वेंकटरामन	297 —303

लोक सभा

गुरुवार, 15 जुलाई 1982/24 आषाढ़ 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, क्या आप रात्रि-भोजन के लिए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : न्यायालय जा रहा हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह मातम लिबास भी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : यह संकट की निशानी भी है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न लेने से पूर्व मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की कल जो बैठक हुई थी उसमें यह बात महसूस की गई कि प्रश्न काल के दौरान अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाये । उसे ध्यान में रखते हुए मैं यह दोहराना चाहूंगा कि एक मौखिक प्रश्न के लिए आठ मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाएगा तथा सदस्य अपने पूरक प्रश्न सीधे और संगत रूप से पूछें और मंत्री भी उनके उत्तर उसी प्रकार दें ।

मैं सदस्यों और मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में पूरा सहयोग दें ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानंद) कई प्रश्नों का उत्तर पहले दिया जा चुका है । अन्य प्रश्न जिनका विषय अधिकांशतः वही है उन्हें स्वीकृत न किया जाए ।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें स्वीकृत नहीं किया जा रहा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न काल का समय दो घंटे क्यों नहीं कर दिया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : तीन घंटे क्यों नहीं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : सप्ताह में एक दिन आप केवल प्रश्न ही रख सकते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पुलों की मरम्मत और उनका पुनर्निर्माण

*103. **श्री पी० के० कोडियन**
श्री के० ए० राजन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग सत्तर प्रतिशत रेलवे पुल 70 से 100 वर्ष की निर्धारित कालावधि से ऊपर के हो गये हैं और उनकी शीघ्र मरम्मत और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है,

(ख) क्या पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण हेतु छठी योजना में किया गया 90 करोड़ रुपये का प्रावधान इस कार्य के लिए एकदम अपर्याप्त है, और

(ग) यदि हां तो क्या इन पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हाँ, यह सही है कि अधिकांश पुल 70 से 100 वर्ष पुराने हैं, लेकिन यह सही नहीं है कि इन सभी की तत्काल मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

(ख) जी नहीं। योजना शीर्ष 'पुल' के लिए 90 करोड़ का आबंटन पर्याप्त है, यद्यपि योजना आबंटन में मामूली वृद्धि वांछनीय है।

(ग) यह रेलों के लिए विभिन्न 'योजना शीर्षों' अर्थात रेलपथ, चल स्टाक आदि तथा मध्यावधि योजना मूल्यांकन की सरकारी पारस्परिक वरीयता के अर्थोपायों पर निर्भर करेगा।

श्री पी० के० कोडियन—मंत्री महोदय कह रहे हैं कि बहुत से रेलवे पुल अपनी निर्धारित कालावधि से अधिक पुराने हो गए हैं। ऐसे अधिकाँश रेलवे पुलों की संख्या क्या है जो अपनी 70 से 100 वर्ष की निर्धारित कालावधि को पार कर चुके हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने रेलवे पुल ऐसे हैं जो अपनी अधिकतम निर्धारित कालावधि 100 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं। उदाहरण के लिए उत्तर रेलवे के मुरादाबाद बरेली सैक्शन पर रामगंगा पर जो पुल है वह 1872 में बनाया गया था। अतः अब यह 115 वर्ष पुराना हो चुका है। ऐसे कितने पुल और हैं जिनको पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता है ? क्योंकि यह प्रश्न रेलवे सुरक्षा से भी सम्बद्ध हैं। समाचार पत्रों में कुछ ऐसे समाचार प्रकाशित हो रहे हैं जिनसे जनता के बीच रेलवे सुरक्षा के बारे में चिन्ता पैदा हो गई है। कृपया हमें पूरे तथ्य बताइये और कोई भी बात छिपाइए नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 8 मिनट पूरे हो चुके हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : सबसे पहले मैं मुरादाबाद के रामगंगा पुल के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। 1970 में इसे नए पुल के रूप में पुनर्निर्मित कर दिया गया है। उनका प्रश्न पुलों की संख्या के बारे में है। समाचार पत्रों में, जैसे ब्लिटज में, करीब 6000 पुलों के ढह जाने की जो आशंका प्रकट की गई है उसके आँकड़े एकदम बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। 1978

में दुर्घटना जांच समिति विभिन्न तकनीकी और इंजीनियरिंग पहलुओं पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि 3,553 पुल ऐसे हैं जिन्हें खतरनाक पुल कहा जा सकता है। मार्च 1978 में यह स्थिति थी। मार्च 1982 में ऐसे खतरनाक पुलों की संख्या कम होकर 2,240 रह गई है। इनमें से 200 पुल ऐसे हैं जिन पर इस समय गाड़ी चलाते वक्त कुछ गीत-सीमा निश्चित की गयी है। स्वभावत: ऐसे पुलों पर गाड़ी की रफ्तार धीमे करनी पड़ती है क्योंकि उन की मरम्मत की जा रही है, जिस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह मात्र पुलों के पुनर्निर्माण का ही प्रश्न नहीं है। पटरियों का बदलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसमें समन्वय होना चाहिए। उस ओर ध्यान दिया जा है तथा सिविल इंजीनियरिंग सम्बन्धी रख रखाव किया जा रहा है .

श्री पी० के० कोडियन : उपमन्त्री महोदय ने बताया है कि यह प्रश्न भाग रेलवे पुलों का ही नहीं है बल्कि पटरियों के नवीनीकरण का भी है क्योंकि रेल यात्रा की सुरक्षा के लिए दोनों का ही एक समान महत्व है। मुझे कुछ समाचारों से पता चला है कि रेल-पटरियों के नवीकरण के कार्य में धन की कमी केकारण प्रगति नहीं हो रही है यह भी देखा गया है कि खराब पटरियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, 1980-81 में खराब पटरियों के कारण 20 दुर्घटनाएं हुई थीं, जबकि 1981-82 में यह संख्या दुगुनी अर्थात 40 से अधिक हो गई। धन की अप्र्याप्तता के कारण रेल की पटरियों के नवीकरण तथा पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य बहुत धीमा चल रहा है, और जहाँ तक रेल-सुरक्षा का सम्बन्ध है इसके कारण बहुत गंभीर समस्या पैदा हो रही है . यदि अतिरिक्त धन की आवश्यता है, तो मुझे विश्वास हैं कि सदन के सभी पथ धन के अतिरिक्त आबंटन के लिए रेलवे मंत्रालय का समर्थन करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : वह प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं .

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने धन के अधिक आबंटन के लिए हमारा समर्थन करने का आश्वासन दिया है। मैं उनका ध्यान केवल इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हुं कि 1,12,000 पुलों में से केवल 202 पुलों की स्थिति ऐसी है कि जहाँ गति सीमा लगाई गई हैं और प्रति वर्ष हम 500 से 600 पुलों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हालाँकि हमें अधिक धन की आवश्यकता है किन्तु योजना के लिए आवंटित 90 करोड़ रुपये से ही हम यह कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। खतरनाक पुलों का अर्थ यह नहीं कि वे अपनी निर्धारित कालावधि पूरी कर चुके हैं और इसलिए उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। निर्धारित कालावधि केवल मूल्य ह्रास जानने के लिए रखी जाती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके बाद पुल पर निरन्तर निगरानी रखी जाए और जहाँ कहीं इसकी आवश्यकता हैं, मरम्मत की जा रही है।

जहाँ तक पटरियों के नवीकरण का सम्बन्ध है, मेरे सहयोगी ने पटरियों के नवीकरण के प्रश्न का उल्लेख पुल के निर्माण के प्रश्न के साथ किया है। जब कभी भी हम पुल का निर्माण कार्य अपने हाथ में लेते है तो पुल पर तथा आसपास के क्षेत्रों की पटरियों का भी नवीकरण भीकिया जाता है, और इसलिए पटरियों के समग्र नवीकरण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। योजना

आयोग ने हाल ही में पटरियों के नवीकरण के लिये राशि बढ़ा दी है और हम अधिक पटरियों का नवीकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री के० ए० राजन : क्या यह सत्य नही है कि रेल विभाग इस समय ठीक से कार्य नहीं कर रहा।

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी : विपक्ष भी पटरी से उतर गया है।

(व्यवधान)

श्री के० ए० राजन : अध्यक्ष महोदय, पटरियां, सिगनल, यातायात कुछ भी सुरक्षित नहीं है और इसी कारण जीवन भी सुरक्षित नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं नहीं जानता (व्यवधान) क्या चीज सुरक्षित है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी प्रश्न क्या है ? मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि रेलवे विभाग पटरी से नहीं उतरा है। हम उसे पटरी पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

पनीर बनाने में पशुओं के रैनेट का उपयोग

*104. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मन्त्रालय देश में व्याप्त धार्मिक भावनाओं के संदर्भ में पनीर बनाने में पशुओं के रैनेट लगातार प्रयोग के बारे में स्वास्थ्य मन्त्रालय की चिन्ता से सहमत है :

(ख) क्या मन्त्रालय ने यह सुझाव दिया है कि पनीर के पैकेटों और डिब्बों पर उन तत्वों को दर्शाया जाये जो पनीर के बनाने में प्रयुक्त हुए हैं और इस सम्बन्ध में उपयुक्त नियम बनाकर उन्हें लागू किया जाये ; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) स्वास्थ्य और कृषि मन्त्रालयों का यह विचार है कि जैसे ही पनीर के निर्माण में माइक्रोबिअल रैनेट का उपयोग वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहारिक हो जाएगा, तो पशु के रैनेट के स्थान पर धीरे-धीरे उसका प्रयोग होने लगेगा।

(ख) और (ग) कृषि मन्त्रालय ने सुझाव दिया है कि तैयार पनीर में जिन चीजों का प्रयोग किया गया है वे सब उसके पैकेटों पर लिख दी जानी चाहिए। केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की डेरी उप-समिति अपनी अगली बैठक में इस मामले पर विचार करेगी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के कुछ अंश के बारे से मैं ने कृषि विभाग से पूछा था और अब स्वास्थ्य विभाग से पूछ रहा हुं क्योंकि यह दोनों से ही संबन्धित है। दोनों ने इस स्थिति को मान लिया है कि चीज के जो इंग्रीडिएन्ट्स होते हैं उसमें एनिमल रैनेट का एक महत्वपूर्ण इंग्रीडिन्ट है। हाउस की जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि एनिमल रैनेट क्या होता है।

इसको "पनीर बनाने को मुख्य घटक गायों के बछड़े के आमाशय से प्राप्त किया जाता है। दो सप्ताह से कम का बछड़ा दुधमुँहा होता है और उसका दूध विशेषकर इसी उद्देश्य से किया जाता हैं। एनिमल रेनेट कहते हैं। जनता को इस बात का पता नहीं है और बराबर हिन्दुस्तान की जनता चीज को यूज कर रही है। यह प्रश्न पुछने का मेरा तात्पर्य यह है कि अमूल या दूसरे कम्पनियाँ जो चीज बनाती है वे अपने कन्टेनर्स पर और पैकेट्स पर यह डिसप्ले करे कि उसमें यह इंग्रीडिएन्ट्स हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वह पहले ही दे चुके हैं।

श्री वृद्धि चन्द जैन : मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि आपके विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? जब कि कृषि विभाग दस महीने पहले ही आपके ध्यान में यह बात ले आया था तब तक आपने क्या कार्यवाही की है ? केवल डेरी सब कमेटी की एक बैठक बुलाने से पपर्ज सर्व नहीं होता है।

जनता अब एक दिन के लिए भी नहीं ठहर सकती है। इसलिए आप इन्ग्रेडियेन्ट्स डिसप्ले करने के लिए जल्दी क्या स्टैप्स उठा रहे हैं और कब तक आप अमूल व दूसरी कम्पनियों को डायरेक्शन और इन्स्ट्रक्शन्स दे देंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : माननीय सदस्य ने कहा है कि लोगों को नहीं पता है कि पनीर में क्या-क्या मिला हुआ है लेकिन उन्होंने स्वयं बताया है कि रेनेट क्या होता।

श्री मूल चन्द डागा : पनीर में रैनेट का प्रयोग किया जाता है, आम लोग नहीं जानते हैं। आप जो लोग विश्वास करते हैं, उनको धोखा देते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं श्री डागा की बात का उत्तर देना चाहता, क्योंकि ये बातें प्रश्न से एकदम असम्बद्ध है।

लेबल पर घटक लिखने के सम्बन्ध में, जैसा कि मेरे सहयोगी द्वारा बताया जा चुका है, बोर्ड का यह मत है कि ऐसे अन्य बहुत सी वस्तुएँ जैसे —आइसक्रीम, पुडिंग इत्यादी हैं, जिनमें पशुओं का जैलाटिन नामक पदार्थ मिला होता है। यहां तक कि चीनी और वनस्पति तेल को शुद्ध करते समय भी हड्डियों के चूरे का प्रयोग किया जाता है और इसलिए शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों के बीच विभाजक रेखा खींचना कठिन है। पनीर बनाते समय 0.002% से 0.004%तक रेनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका 50%के बीच में ही नष्ट हो जाता है और इस रेनेट को पशु से अलग करने का और कोई संतोषजनक तरीका नहीं है। इन सूक्ष्म पदार्थ को पनीर में डाल दिया जाता है और उसे लम्बे समय तक एक विशेष ताप पर रखा जाता है। अतः इस मामले की जाँच की जानी चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समिति इस पहलू की जांच करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं वृद्धि चन्द्र जैन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज से क्या आप चीनी खाना बन्द कर देंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप के पास उन पदार्थों की सूची होनी चाहिए जिन्हें शाकाहारी और मांसाहारी लोग प्रयोग में ला सकते हैं। यदि ऐसा किया जाये तो वस्तुओ के भाव गिर जाएंगे।

श्री वृद्धि चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि केवल "चीज में" में ही नहीं बल्कि वनस्पति घी, आईस-क्रीम और अन्य चीजों भी एनिमल रैनेट और एन्जाइम प्रोर्शन का प्रयोग किया जाता है। जब तक की जानकारी नहीं थी, तो नहीं थी, लेकिन अब देश की सारी जनता को जानकारी हो गई है। हिन्दुस्तान की सारी जनता को इस बारे में जानकारी होगी, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। एक तरफ काउ-स्लाउटर बैन का नारा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ गाय के बच्चों का स्लाउटर करके खिलाया जा रहा है। जो लोग इसको यूज नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने सुझाव दिया है कि इंग्रेडिऐंट डिसप्ले करने के लिए आप कितना समय लेगें ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं समझता इसका धार्मिक भावनाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका है कि यहाँ तक कि जैली में, विभिन्न औषिधयों के कैपसूलों में और गोंदों में भी यह होता है या वे इसके बने होते हैं। मैं नहीं समझता इसका धार्मिक भावनाओं पर कोई प्रभाव पड़ता है। इसकी समिति द्वारा वैज्ञानिक आधार पर जाँच की जानी चाहिए।

माल डिब्बा निर्माण उद्योग का विकास

105. **श्री अजीत बाग** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी क्षेत्र से बाहर जहाँ माल डिब्बों का निर्माण करने वाले 4 बड़े कारखाने हैं, माल डिब्बों का निर्माण करने वाले उद्योगों का विकास करने की योजना बना रही रही है जिसमें आगामी वर्षों में रेलवें की माल डिब्बों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके,

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितना धन आबंटित किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। किसी नई यूनिट का विकास नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजीत बाग : शुरू ही में जो कुछ आपने कहा उसके प्रत्येक उत्तर में मैं सीधे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान बैगनों की कुल कितनी जरूरत थी और वास्तव में कितने बैगनों का निर्माण हुआ और कितने बैगन रद्द घोषित किये गये ;

(ख) हमारें देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के बैगन बनाने वाले उद्योगों की

किननी प्रतिशतक्षमता का उद्योग किया गया ?

श्री मल्लिकार्जुन : सबसे पहले मैं कहूँगा कि 1981-82 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में 16,284 बैगनों तथा सरकारी क्षेत्र अर्थात हमारी अपनी रेलवे वर्कशापों में 1078 बैगनों का निर्माण हुआ। जहाँ तक क्षमता का सम्बन्ध है, हमारे पास बैगन निर्माण उद्योग के 10 एकक हैं जिनमें से 4 गैर-सरकारी और 6 सरकारी क्षेत्र में है। इन 10 उत्पादन एककों की क्षमता का उपयोग 1982-83 में 14540 बैगनों के निर्माण के लिए किया जायेगा और रेलवे की क्षमता अर्थात अमृतसर, समस्तोपुर तथा गोलडनराक स्थित तीन वर्कशाप एककों की क्षमता 1200 है। अत: 1982-83 में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल 15740 बैगनों का निर्माण होगा।

तथापि, अविलम्बनीय आवश्यकता के कारण योजना आयोग से अनुरोध किया गया और 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का नियतन किया गया और 1982-83 के दौरान 2000 और बैगनों की व्यवस्था की जायेगी।

श्री अजीत बाग : समाचार पत्र में एक समाचार छपा है कि सरकार ने बी० आई० एफ० पी० के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त मन्त्रालय समिति के गठन का निर्णय लिया है जो घरलू बैगन निर्माण उद्योग के मूल्य ढाँचे की समीक्षा उनके मूल्य की विषमता को दूर करने के उद्देश्य से करेगी।

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि विभिन्न बैगन एककों के मूल्य ढाँचे की समीक्षा करने के अलावा इस अन्तर्मन्त्रालीय समिति का विशेष उद्देश्य क्या है ? क्या समिति विभिन्न बैगन निर्माण एककों की मजूरी समता के प्रश्न पर भी विचार करेगी और क्या सरकार बैगनों की तुरन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान एककों के विस्तार कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र में बैगन निर्माण एकक स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : कोई नई निर्माण एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जहाँ तक अन्तर्मन्त्रालीय समिति तथा मूल्य ढांचे के बारे में निर्णय लेने का सम्बंध है, जैसे कि आप जानते हैं, मूल्य वृद्धि के कारण ऐसी समितियों का गठन करना ही पड़ता है। वर्तमान स्थिति की सिफारिशों पर रेल मन्त्रालय बाद में विचार करेगा।

श्री एम० एम० लारेंस : केचीन शिपर्कड में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने हेतु केरल राज्य में बैगन परियोजना स्थापित करने का विचार था ताकि हम बैगनों का निर्माण आसानी से कर सके। क्या वह प्रस्ताव अब भी सरकार के पास है या नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन : रेलवे वर्कशापों को छोड़कर वर्तमान निर्माण एककों की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष 26000 है। इस समय हम लगभग 17000 बैगनों का निर्माण कर रहे हैं और अगले वर्ष हम 18000 बैगनों का निर्माण करेगे अथवा योजना अवधि के अन्त तक हम इतने बैगनों का निर्माण करेगे। चूंकि अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग पहले ही कम हो रहा है, इसलिये देश में इस समय किसी भी स्थान पर नए उप्पादन एककों पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : मन्त्री महोदय ने कहा है कि पिछले वर्ष 1981-82 में गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 14000 तथा सरकारी क्षेत्र में 1200 बैगन का निर्माण किया गया। क्या इसका अर्थ यह है कि रेलवे मन्त्रालय के कारखानों को छोड़कर बैगन निर्माण के जैसा तथा ब्रैथावैटा जैसे मुख्य कारखाने गैर सरकारी क्षेत्र में है ?

श्री मल्लिकार्जुन : हमारे अपने तीन एककों को छोड़कर जैसस तथा ब्रैथावैटा गैर सरकारी बैगन निर्माण उद्योग के अन्तर्गत आते है···

श्री बीजू पटनायक : ये गैर सरकारी क्षेत्र में कैसे हो सकते हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : यदि यह बात ठीक है तो इन 10 उत्पादन एककों में से 4 एकक गैर सरकारी क्षेत्र तथा 6 सरकारी क्षेत्र में हैं···

श्री बीजू पटनायक : मैं नहीं समझता कि गैर सरकारी क्षेत्र क्या है।

श्री मल्लिकार्जुन : गैर सरकारी क्षेत्र का अर्थ यह हैं कि यह गैर सरकारी निर्माताओं के हाथ में होता है और सरकारी क्षेत्र का यह अर्थ है कि इसमें सरकार का हिस्सा होता है।

श्री बीजू पटनायक : क्या आप हमें उन ? गैर सरकारी एककों के नाम दे सकते हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध हैं, जैसस और ब्रैथावैटा और बर्न स्टेन्डर्ड ओर भारत बैगन के दो एकक सरकारीं क्षेत्र में हैं···

श्री बीजू पटनायक : आप के अनुसार अब ये सरकारी क्षेत्र में है। सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्मित बैगनों की कुल संख्या क्या है ?

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय मैं माननीय सदस्य को इसका उत्तर नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ?

अधिक माल भरने के कारण माल गाड़ियों का पटरी से उतरना

106. **श्री सूरज भान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा आयोग के अनुसार कुछ माल गाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण उनमें अधिक माल का भरा जाना है और 1978 में इस सम्बन्ध में चेतावनी दिए जाने के बावजूद अधिकांश माल डिब्बों में रिकार्ड में दर्ज मात्रा से अधिक माल भरा जाता रहा है जिससे राजस्व में भी भारीं हानि होती है ;

(ख) इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है, और

(ग) क्या यह भी सच है कि कंटेनर सेवाओं में माल को रेलवे द्वारा आमतौर पर तौला नहीं जाता है और यह नमूना जांच से पता चला है कि उनमें बहुत मात्रा में माल भरा जाता है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : आशय 1980-81 के दौरान रेल संरक्षा के आयोग के कार्य-संचालन पर, रेल संरक्षा के मुख्य आयुक्त की रिपोर्ट से है, जिसमें उन्होंने इस विषय पर टिप्पणी की थी कि कुछ माल गाड़ियां रोलर बेयरिंगों को झटका लगने तथा अधिक लादान के कारण स्प्रिंगों के टूट जाने के परिणामस्वरूप पटरी से उतर गयी। गत तीन वर्षों, अर्थात् 1979-80 से 1981-82 तक के दौरान, भारतीय रेलों पर कुल 1,786 माल पटरी जिनमें से केवल 9 माल गाड़िया अधिक लदान के कारण पटरी से उतरे थी।

रेलवे के माल डिब्बों प्रेषणों का लदान करते समय परेषणों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे माल डिब्बे की अनुमत वहन क्षमता से अधिक लदान न करें। लेकिन कभी-कभी परेषकों द्वारा गये अनुमानित वजन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। बीजकों में कम माल लिखने और माल डिब्बों में अधिक लदान करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिये, जब तक संभव होता हैं, रेलें माल डिब्बों को स्वयं तौलने का और जहाँ कहीं अवप्रभार लगाये गये हों, उनकी वसूली के लिए प्रयास करती है। अधिक लदान पर दंड-स्वरूप माल भाड़ा भी लिया जाता है।

(ग) : आम तोर पर कंटेनरों में ढोई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का तौल जांच के आधार पर किये गये तौलों द्वारा निर्धारित किया जाता है। कंटेनरों में वास्तव में लादे गये भार का पता लगाने के लिये कुछ यदा-कदा जाँच की जाती है। इन जाचों से क्षमता से अधिक लदान करने के कुछ मामलों का पता चला है। बहरहाल, इस प्रकार के अधिक लदान से कंटेनर माल डिब्बों में अतिभार नहीं होता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य सभापटल पर रखा गया है, वह बड़ा ज्ञानलर्द्धक है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, उत्साहवर्द्धक तो नहीं है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी तक तो हम लोग समझते थे कि सवारी गाड़ियाँ ही दुर्घटनाग्रस्त होती हैं लेकिन आज के वक्तव्य से पता लगा हैं कि माल-गाड़ियाँ भी दुर्घटनाओं में फंसती हैं। गत तीन वर्षों में, अर्थात्, 1979-80 से 1981-82 के दौरान भारतीय रेलों पर कुल 1,786 माल गाड़ियाँ पटरी से उतरी, जिनमें से केवल 9 माल गाड़ियाँ अधिक लदान के कारण पटरी से उतरी थी, यह इनका कहना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन मामलों में क्या किसी के खिलाफ कार्यवाही की गई और यदि कार्यवाही की गई, तो उसका विवरण क्या है और कर्मचारियों के साथ-साथ क्या उन व्यापारियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई, जो अधिक माल लादने के लिए दोषी हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य के ये आँकड़े ठीक ही हैं कि तीन वर्षों के अन्दर 1786

गाड़ियाँ पटरी से उतरीं और इनमें से 9 गाडियाँ अत्याधिक भार के कारण पटरी से उतरी। मैं इस सभा को सूचित करता करता हूँ कि जहाँ तक अत्याधिक भार का सम्बन्ध है आज से नहीं बल्कि जब से परिवहन प्रणाली शुरू की गई यहाँ तक कि अंग्रेजों के समय से भी हर ब्राड गेड बैगन में दो टन की गुजांयश रखी जाती है। यह कोई नई बात नहीं है चूंकि रेलवे को कोयया तथा अयस्क जैसे माल का परिवहन करना पड़ता है जहां किनारों पर बैंगन का लदान बेलचों के साथ किया जायेगा यद्यपि हमारे पास तोलखेतु है, फिर भी बैगन में कुछ अधिक भरने की सम्भावना रहती ही है। फिर जहाँ तक सजा देने तथा अत्याधिक भार के कारण इन 9 गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं सम्बन्थी बातों का सम्बन्ध है, इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

एक माननीय सदस्य : ये जानना चाहते हैं कि इन लोगों विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं इसे बाद में देने की कोशिश करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं अध्यक्ष महोदय, आज रेल मंत्री तैयार होकर नहीं आये हैं।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहाँ तक अधिक भार लादने का सम्बन्ध है, शुरू से ही दो टन की अनुमति दी जाती आ रही है। श्री दंडवते के समय में भी दो टन की अनुमति थी। 1980 में कुछ समय के लिए अतिरिक्त पाँच टन की अनुमति दी गयी थी लेकिन कुछ महीनों के बाद इसे वापिस लिया गया और उस समय से जहां कहीं भी अधिक भार के मामलों का पता चले तो अतिरिक्त भार के लिए जुर्माने का भाड़ा वसूल किया जाता है और जुर्माने का भाडा काफी अधिक होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे सवाल का जवाब कहाँ है ?

अध्यक्ष महोदय : ये विशष्ट उत्तर चाहते हैं। ये 9 नए मामले हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नौ मामलों में ओवर लोडिए हुआ, गाड़ियाँ पटरी से उतरीं, कोई कार्यवाही की गई है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है। लेकिन यदि आप तैयार नहीं, तो आप इसकी सूचना माननीय सदस्यों को दें।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक अधिक भार का सम्बम्ध है, हम बिजली के पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अधिक भार के लदान की सम्भावनाओं को टालने की भी कोशिश कर रहे है। तथापि कुछ मामलों में अधिक भार का लदान हो रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप इनको फटकार लगाइए, ये तैयार हो कर नहीं आय हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको यह जवाब भेज दीजिए। 9 केसों के मुतल्लिक किस-किस को सजा मिली और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझ को शक है कि कोई सजा नही दी गई। यह मिली-भगत से ओवरलोडिंग होता है। अब ये सरक्षण कर रहे हैं। मुझे आपका संरक्षणा चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल पक्का।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इनको फटकार लगाइए।

अध्यक्ष महोदय : इनको यह बताइये। आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, वरना फिर फटकार लगाऊंगा।

श्री जो० नरसिम्हा रेड्डी : जैसा कि कहा गया कि 9 गाडियाँ अधिक भार के कारण रेल की पटरियों से उतरी हैं, तो क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या अधिक भार लादना रेलवे में एक अपराध है या नहीं ? यदि हाँ, तो किस सीमा तक ? चूंकि रेल मन्त्री ने कहा है कि 2 टन की अनुमति है, तो सवारी गाड़ी के लिए क्षमता से अधिक कितने टनों की अनुमति है ? यदि अधिक है तो उसकी दशा में जांच की सम्भावना हो सकती है। यदि अधिक भार अनुमेय भार से अधिक है तो कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जैसा कि कहा जा चुका है कि रेल पटरी से नीचे उतरी है तो क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि भविष्य के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट है।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि उचित ढंग से देखा जाए तो इसे हमेशा ही गंभीर बात माना जाता है। उदाहरण के लिए 500 किलोमीटर तक एक टन के लिए हम 76 रु० लेते हैं। लेकिन जब अधिक भार सिद्ध हो जाए तो भाड़ा कई गुना अधिक होगा। छोटी खेप के लिए भी हम अतिरिक्त पैसा लेते हैं। उदाहरण के लिए 500 किलोमीटर के अन्दर हम 10 प्रतिशत से अधिक लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि एक डिब्बे में आपने दो टन अधिक कर दिया तो सवारी ट्रेन में आप कितना बढ़ा देंगे ?

सवारी ट्रेन के लिए यह कितना अधिक होगा। ट्रेन में कितना अधिक भार होता है।

श्री मल्लिकार्जुन : 50 बाक्स की रेक में, यदि हम मानें कि हर बाक्स में अधिक भार है, तो यह लगभग 100 टन बनता है। अत: इनका वजन करना पड़ता है हम तोलने की बात को नहीं टालते और इसे ठीक ही मान रहे हैं। हम चलती गाड़ी में इलैक्ट्रोनिक औटोमेटिक सिस्टम भी लागू कर रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के (क) में दिया है कि अधिकांश माल डिब्बों में रिकार्ड में दर्ज मात्रा से अधिक भरा जाता रहा है जिससे राजस्व में भारी हानि होती है। (क) में अन्तिम वाक्य है कि "डिब्बों में रिकार्ड में दर्ज मात्रा से अधिक माल भरा जाता रहा है, जिससे राजस्व में भी भारी हानि होती है।"

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मालगाड़ियों के डिब्बों में जो पार्सल आते हैं और जो बहुत कीमती पार्सल होते हैं, लिक्वड के होते हैं, उनके नीचे छेद करके सामान निकालकर उनमें कोलतार वगैरह मिला दिया जाता है। अभी कलकत्ता से डी एल डब्ल्यू में एक 11 लाख रुपये का पार्सल चला, उसमें से सामान निकालकर उसमें ईंट-पत्थर भर दिये गए। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी घटनाओं की जानकारी सरकार को है और क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री मल्लिकार्जुन : सरकार को चोरी तथा उठाई गिरि की जानकारी है और इसलिए रेलवे आवश्यक बचाव तथा सुरक्षा कार्यवाही कर रही है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं हिन्दी में पूछ रहा हूं और हिन्दी में जवाब चाहता हूं। यह बड़ा गंभीर मामला है और मैं माननीय सेठी जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे स्थिति को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : सेठी जी आप जवाब दे दीजिए। माननीय शास्त्री जी को सुसंस्कृत भाषा में उत्तर दे दीजिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह सवाल ओवरलोडिंग का है और जो रेवेन्यु के लास का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है तो कैरिंग कैपेसिटी दो टन ज्यादा अलाउ करते हैं, इसलिए चार्जेज दो टन ज्यादा के लिए जाते हैं। इसलिए रेवेन्यु लास का सवाल नहीं है। लेकिन कालरीजमें ज्यादातर ऐसी घटनाएं होती हैं। वे ब्रिजेज खराब रहते हैं। जहाँ कहीं संभव होता है, वे ब्रिजेज के जरिए चैकिंग की जाती है।

जहाँ तक पिलफ्रेंज का सवाल है उसके लिए आर० पी० एफ० को हिदायत दी गई है कि चोरी करने वालों पर सख्त निगाह रखी जाए और कार्यवाही करे। हाल ही में ऐसे लोगों के साथ आर० पी० एफ० की कई जगह मुठभेड़ भी हुई है और उन्होंने गोली भी चलाई है।

मारीशश को डिएगो गार्शिया वापस दिया जाना

* 107. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारीशश की नई निर्वाचित सरकार ने भारत सरकार के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) क्या भारत सरकार मारीशश की इस माँग का समर्थन करती है कि उसे उसका क्षेत्र डिएगो गार्शिया जिसे ब्रिटेन ने अवैध रूप से अपने कब्जे में लेकर अमरीका को दे दिया है, वापस दिया जाए ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) :

(क) : जी हाँ। मारीशश की वर्तमान सरकार ने भी प्रधान मन्त्री से अतिशीघ्र यात्रा

करने का अनुरोध किया है।

(ख) : भारत सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि चागोस आर्चिपेलागो मारीशस का हिस्सा है और सरकार डिएगो गार्शिया मारीशस को लौटाए जाने की माँग का समर्थन करती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रश्न का उत्तर उचित तथा औपचारिक ढंग से दिया गया है और में इसका स्वागत करता हूँ।

मारीशस सरकार अभी हाल में बदली है और समाचार है 90 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया है और सिर्फ 62 सीटें इन दोनों दलों के गठबंधन ने जीती हैं वास्तव, में यह एक है —एक पार्टी ने 60 सीटें तथा दूसरी ने 2 सीटें जीती हैं और उन दोनों दलों ने सारी सीटें जीती हैं। जैसोर्क चुनाव परिणाम से पता चला है मारीशस की सरकार पहली सरकार की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व वाली सरकार है और यह सभी स्थानिक ग्रुपों जिनमें मारीशस की सारी जनसंख्या आती है, का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार की सरकार डाईगो गार्शिया के वापिस लेने के प्रश्न पर दृढ़ रवैया अपना रही है। शिवसागर रामगुलाम की पहली सरकार ने भी डाईगो गार्शिया की वापसी की मांग का समर्थन किया था लेकिन बहुत ही कमजोर तथा दबे हुए तरीके से क्योंकि वे पश्चिम पर बहुत निर्भर करते थे और वे जोर से न बोल सके।

इसे ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार इस नई घटना से प्रोत्साहन लेगी और अपनी इस मांग का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य मंचों पर अपनी आवाज कुछ अधिक ताकत के साथ उठायेगी क्योंकि हिंदमहासागर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम इससे सम्बन्धित हैं।

श्री के० शिवशंकर : जहां तक डाईगो गार्शिया का सम्बन्ध है, हमारी स्थिति बहुत सुसंगत रही है। वास्तव में, नवम्बर 1980 में इस साथ से पहले मेरे सहयोगी विदेश मन्त्री ने कहा था कि भारत सरकार ने शुरू ही से डाईगो गार्शिया, चागोस आर्चीपालागो के मारीशस में विलीन होने का विरोध किया है। भारत सरकार डाईगो गार्शिया द्वीप समूह को वापिस करने सम्बन्धी सरकार के प्रयत्नों का समर्थन करती है। माननीय सदस्य ने केवल इसी प्रश्न पर जोर दिया हैं कि क्या हम पहले की अपेक्षा कुछ अधिक उत्साह दिखाने की स्थिति में होंगे। हमारा उत्साह सुसंगत होगा और इस बात से, हमारे उत्साह जो आगे भी रहेगा का पता चलता है कि हम यह रवैया अपनाते आये हैं कि चाग्येस आर्चीपेलागो हमेशा मारीशस का भाग रहा है और हम अन्तराष्ट्रीय मंत्री तथा अन्य स्थानों पर भी यह आवाज उठाते रहे हैं कि डाईगो गार्शिया मारीशस को वापिस किया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हिंद महासागर के कुछ इन छोटे देशों को पश्चिमी शक्तियाँ विघटित करती आयी हैं जो यह नहीं चाहती कि हिंद महासागर के शान्ति का क्षेत्र बनाया जाये उदाहरण के लिए साईशल्ज द्वीप समूह य हाल के विद्रोह प्रयास के बारे में हम बहुत कम बोले हैं, मैं कहता हूं कि भारत सरकार से इस बारे में कुछ भी नहीं सुना गया, मुझे खेद है कि उत्साह न होने के

बराबर था। वास्तव में विद्रोह हुआ ही नहीं था। यदि विद्रोह होता तो दक्षिण अफरीका के एजेण्ट के नेतृत्व वाली सरकार साईशल्ज में बन जाती जो एक दूसरा डाईगो गार्शिया बन जाता। लेकिन भारत सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इसका कोई अन्तर नहीं पड़ता। मैं यह जानना चाहता हूं कि साईशल्ज, मलागरफी गणतन्त्र और अब मारीशस आदि आदि द्वीप समूह हो कि सरकारों की क्षेत्रीय नीति हिंद महासागर सम्बन्धी हमारी क्षेत्रीय नीति के ही अनुकूल है, तो क्या भारत सरकार इन देशों विशेषकर मारीशस के साथ कुछ निकट आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने पर विचार कर रहा है क्योंकि प्रश्न उससे सम्बन्धित है पहले भी यह कमी रही है कि शिवसागर रामगुलाम की सरकार काफी सीमा तक आर्थिक कारणों से पश्चिम पर निर्भर रही। वे दक्षिण अफरीका के साथ पर्यटन व्यापार को भी प्रोत्साहन दे रहे थे और पश्चिम से ऋण लेने का प्रश्न भी था। अत: मैं जानना चाहता हूं कि चीनी उद्योग भारत से पर्यटन व्यापार आदि-आदि के मामले में क्या भारत सरकार निस्संदेह वे प्रधान मन्त्री को वहां भेज रहे हैं; वह अच्छी बात है के विचाराधीन आगे के लिए मारीशस सरकार के साथ निकट आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में कोई योजना है ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक इसे क्षेत्र के देशों का सम्बन्ध है। भारत सरकार लगातार निकट आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश करती आयी है। मेरे मित्र पहले ही कह चुके हैं कि प्रधान मन्त्री मोरिशस जा रही है और वह अगले महीने के उत्तरार्ध में जायेगी। दौरे का ब्यौरा तैयार करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भेजी जा रही है।

भारत सरकार इन देशों के साथ निकट आर्थिक सम्बन्धों को महत्व देती है और इसी दृष्टिकोण से कार्यविधि तैयार करने के लिए एक दल को भेजा जा रहा है ताकि प्रधान मन्त्री जब वहाँ जाएं तो सभी बातों को विचार-विमर्श द्वारा सुलझाया जा सके।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या माननीय मन्त्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि ब्रिटेन ने मारीशस के समक्ष इस द्वीप समूह को खरीदने का प्रस्ताव रखा है ताकि यह निरन्तर संयुक्त राज्य अमरीका के अधीन रहे। और यह भारत तथा अन्य तटवर्ती देशों के लिए निरन्तर खतरा है ? यदि यह सच है तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी० शिवशंकर : वर्ष 1968 में जब मारीशस स्वतन्त्र राष्ट्र बना तब चागोस आर्की-पीलागो का इसमें विलय हुआ। और उसी समय ब्रिटिश सरकार ने 30 लाख पाउण्ड की धन राशि दी और इस बात पर भी सहमत हो गई कि लोगों से पुनर्वास के लिए वे 65 लाख पाउण्ड देगी। जहाँ तक वर्तमान सरकार का सम्बन्ध हैं इसने बहुत ही स्पष्ट रुख अपनाया है।

6 जुलाई, 1982 को उनकी असेम्बली ने एक संकल्प पारित किया है। यह समाचार पत्रों में भी आया था। इसमें लिखा था कि वे डियागो गार्शिया को मारीशस का भाग समझते हैं और इस सम्बन्ध में वे आवश्यक कदम उठाएंगे। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम मारीशस के इस दृष्टि-कोण का कि डियागो गार्शिया मारीशस का भाग है समर्थन करते हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बिहार के पांच मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त किया जाना

*108. श्री हरिनाथ मिश्र :
श्रीमती कृष्णा साही : } स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा बिहार के नौ मेडिकल कालेजों में से पांच की मान्यता समाप्त किये जाने के कारण और औचित्य क्या है;

(ख) क्या बिहार राज्य में शेष मेडिकल कालेजों का भी भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया गया है और हां तो इन में से प्रत्येक कालेज के बारे में निरीक्षकों के क्या निष्कर्ष हैं और

(ग) बिहार राज्य में सभी मेडिकल कालेजों को सुदृढ़ आधार पर लाने और उनकी सम्बद्धता फिर से बहाल किए जाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं अथवा निकट भविष्य में करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने 20 मार्च, 1982 को बिहार सरकार और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को अपने इस निर्णय की सूचना देदी थी कि पांच मेडिकल कालेजों अर्थात्

(1) एस० के० मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर,

(2) नालन्दा मेडिकल कालेज पटना,

(3) मगध मेडिकल कालेज गया,

(4) पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद, और

(5) गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, भागलपुर में अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए उनकी अस्थायी मान्यता को जो 30 अप्रैल, 1982 को समाप्त हो रही थी, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता ।

(ख) शेष चार मेडिकल कालेज यानी [1) पटना मेडिकल कालेज, पटना,

(2) दरभंगा मेडिकल कालेज: लहरिया सराय,

(3) राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची, और

(4) एम० जी० एस० मेडिकल कालेज, जमशेदपुर मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज हैं और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के निरीक्षकों द्वारा समय समय पर इनका निरीक्षण किया । जाता रहता है ।

(ग) राज्य सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को सूचित किया है कि परिषद द्वारा

बताई गई त्रुटियों को दूर करने के लिए उसने अनेक कदम उठाए हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : भाग (ख) से उत्पन्न प्रश्न से मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन चार मेडीकल कालेजों की मान्यता अभी भी मिली हुई है उनमें से कितने कालेजों का दौरा भारतीय चिकित्सा परिषद के निरीक्षकों द्वारा किया गया है और प्रत्येक मेडीकल कालेज के कार्य करण के बारे में क्या विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया है। भाग (ड.) के उत्तर से उत्पन्न प्रश्न में क्या मैं यह जान सकता हूं कि बिहार सरकार ने स्वयं अथवा भारत सरकार के परामर्श अथवा सहायता और मार्ग दर्शन से क्या ठोस कदम उठाए हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ठोस उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में आप मौन हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : न केवल उपचारात्मक बल्कि ठोस कदम।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय मेडीकल कालेजों को मान्यता देने या समाप्त करने का काम भारतीय चिकित्सा परिषद का है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने अपने निरीक्षक प्रतिवेदनों से सन्तुष्ट होने के पश्चात् इन चार मेडीकल कालेजों को मान्यता प्रदान की है। इन मेडीकल कालेजों को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता विस्तृत निरीक्षण के पश्चात दी जाती है और तब दी जाती है जब विद्यार्थियों को अच्छी मेडीकल शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाए जैसे कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उसी स्थिति में भारतीय चिकित्सा परिषद मान्यता के लिए सहमत होती है। इन चार मेडीकल कालेजों के सम्बन्ध में जब भारतीय चिकित्सा परिषद पूरी तरह सन्तुष्ट हो गई कि इनको मान्यता प्रदान की जानी चाहिए तभी इनको मान्यता प्रदान की गई।

जहां तक अन्य मेडीकल कालेजों का सम्बन्ध है, उनमें कई मुख्य त्रुटियां थीं जैसा कि रिक्त पदों की बड़ी संख्या, विशेषरूप से प्रोफेसरों के पदों की और होस्टल वार्ड, आपरेशन थियेटर, स्टाफ, विद्यार्थियों और इन्टरनियों के लिए आवास का अभाव तथा पुस्तकालय और प्रयोगशाला की अपर्याप्त सुविधाएं तथा और भी अनेक चीजें ये त्रुटियां उन 5 मेडीकल कालेजों की हैं जिनका उल्लेख भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रतिवेदन में है। जब तक इन त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता तबतक इन पांच मेडीकल कालेजों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती।

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने इंगलैण्ड के प्रसिद्ध डा० जे० ई० एम० स्मिथ, एफ० आर० सी० एस० से जिन्होंने पिछले दिसम्बर महीने में पटना में हुए शल्य चिकित्सकों के सम्मेलन में भाग लिया था, से एक बहुत ही कड़ा नोट प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य वाही आरम्भ की क्या यह भी सच है कि उसी शल्य चिकित्सक महोदय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि भारत में मेडिकल शिक्षा का स्तर इंगलैण्ड के मौजूदा स्तर से बहुत नीचे है। इस सम्बन्ध में 21-4-1982 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' से एक उद्धरण उद्धृत करता हूं :

"इंगलैण्ड के एक शल्य चिकित्सक ने भारत में मेडीकल शिक्षा के गिरते हुए स्तर के प्रति चिन्ता प्रकट की है और कहा है कि "भारत के तथाकथित एम० एस० और एम० डी० डिग्री-

धारको को अपने विषयों की जानकारी है।" और उनकी तुलना इंगलैण्ड के इसी प्रकार के डिग्री धारकों से किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती"

क्या मन्त्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी हैं और यदि हाँ तो मेडिकल शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने तथा सम्पूर्ण देश में मेडीकल शिक्षा के स्तर को बढ़ाने तथा विश्व के किसी भी भाग के मौजूदा स्तर के समकक्ष लाने के लिए वे क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

श्री बी शंकरानन्द : महोदय, जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है इसका इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि भारतीय चिकित्सा परिषद किसी को सूचना पर काम करती है। जहाँ तक कतिपय मेडिकल कालेजों के निरीक्षक का सम्बन्ध है, उनके पास अपनी सूचना होती है, उनका अपना निरोक्षक स्टाफ है और वह उसी के अनुसार कार्र करती है। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने अभी तक इन मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करने के लिए धारा 19 के अधीन भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं दिया जैसा कि कानून में अपेक्षित है।

श्रीमती कृष्णा शाही : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया हैं, उससे माफ जाहिर होता है कि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि यह राज्य सरकार का विषय है, इस लिये वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जब यह संघीय प्रणाली की सरकार है और यदि राज्य सरकार में कोई अनियमितता हो और हजारों हजार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो. तो क्या भारत सरकार मूकद्रष्टा बन कर देखती रहेगी। जब मेडिकल कालेजों की मान्यता प्रदान करने कसौटी पर वे कालेज पूरे नहीं उतरते हैं, जिसमें हजारों विद्यार्थियों का दोष नहीं है, तो भारत सरकार उन विद्यार्थियों के भविष्य के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

क्या यह सही है कि 1975 में भी ग्रेट ब्रिटेन में नौकरी प्राप्त करने की आशा में गये हुए है कुछ विद्यार्थी वहां की प्रवेश-परीक्षा में सफल नहीं हुये, तब ब्रिटिस मेडिकल कौंसिल ने भी उस समय मान्यता समाप्त कर दी थी। बिहार के सारे मेडिकल कालेजेज की, क्या यह बात सही है ? यदि सही है तो भारत सरकार इस दिशा मे कौन कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर नहीं आया, इसलिए आप का संरक्षण चाहतीं हूँ। मैं मानतेी हूँ कि यह स्टेट का विषय है लेकिन आये दिन यदि ऐसे गलत काम होते हैं तो भारत सरकार को उस का संरक्षण करना चाहिए।

श्री बी० शंकरानन्द : हमें न केवल डाक्टरों के भविष्य की चिन्ता है वल्कि विद्यार्थियों को दी जान वाली शिक्षा का स्तर और पर्याप्त लोगों की सेवा करने की क्षमता भी हमारी चिंता के विषय है। मान्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में भारतीय आर्युविज्ञान परिषद ने राज्य सरकार को लिखा था और राज्य सरकार ने उत्तर दिया है कि उन्होंने इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाये हैं। इस मामले में उन्होंने भारतीय अर्युविज्ञान परिषद को विस्तृत प्रतिवेदन

भेजा हैं और मुझे विश्वास है कि बिहार सरकार अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उचित कदम उठा रही है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आजादी के समय केवल मात्र 23 मेडिकल कालेज थे और आज 112 मेडिकल कालेजेज हो गये हैं...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिहार में ?

श्री राम विलास पासवान : नहीं, पूरे देश में।

प्रतिवर्ष 13 हजार डाक्टर उन से तैयार हो कर निकलते हैं। इंडियन मेडिकल कौंसिल की कसौटी से यदि आंका जाय तो उस में से 99 प्रतिशत मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त हो जायेगी। जितने भी मेडिकल कालेजों की मान्यता रद्द की जा रही है उस में अकसर वह विद्यालय हैं जहाँ कैपिटेशन फी के आधार पर ऐडमीशन होता है। हजारों लाखों रुपये लिये जाते हैं और ऐडमीशन होता है। तो क्या सरकार कैपिटेशन फी की पद्धति को समाप्त करने जा रही है और इस का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, जिन मेडिकल कालेजों के बारे में मैंने कहा कि 99 प्रतिशत की मान्यता समाप्त की जा सकती है, उनके स्टैंडर्ड को हाई करने के लिये और उस में सुधार लाने के लिए क्या कांकीट कार्यवाही वह करने जा रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, 90 प्रतिशत मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करने की सम्भावना माननीय सदस्य महोदय की राय पर निर्भर नहीं करती। यह भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रतिवेदन पर निर्भर है। मुझे भारतीय चिकित्सा परिषद की राय के अनुसार चलना है। महोदय, इस सभा को जानकारी है कि हम प्रति व्यक्ति शुल्क लगाने के बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उनके राज्य के मुख्य मन्त्री प्रति व्यक्ति शुल्क लगाने का समर्थन कर रहे हैं।

पत्तन-विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता

* 109 **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक प्रमुख पत्तनों के विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए सहमत हो गया है, और

(ख) यदि हां, तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) और (ख) : न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना के लिए सहायता का प्रस्ताव विश्व बैंक के सन्मुख रखा गया है। विश्व बैंक अभी इस परियोजना का मूल्यांकन कर रहा है।

श्री आर० पी० गायकवाड़: महोदय, उत्तर से यह प्रतीत होता है कि न्हावा-शेवा पत्तन का भाग्य विश्व बैंक के हाथों सौंप दिया गया है। देश के अन्य प्रमुख पत्तनों की क्या स्थिति है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : न्हावा-शेवा परियोजना ही एकमात्र नया पत्तन है। जिसे छठी योजना में सम्मिलित किया गया है। जहाँ तक अन्य पत्तनों का सम्बन्ध है हमने मौजूदा सुविधाओं के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं।

श्री ए० टी० पाटिल : क्या मैं जान सकता हूं कि 1981 के मूल स्तर पर प्राक्कलित 592 करोड़ की परियोजना की लागत के कितने भाग की पूर्ति विश्व बैंक की सहायता से की जाए ? मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के दिमाग में विश्व बैंक की सहायता के बारे में क्या आशंकाएं हैं क्या विश्व बैंक के एक दल की इन पत्तनों के दौरा करने की सम्भावना है और यदि हां, तो विश्व बैंक को सन्तुष्ट करने तथा सम्भावित आपत्तियों को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : विश्व बैंक ने एक पूर्व मूल्यांकन मिशन भेजा था जिसने मार्च, 1982 के अन्तिम भाग में इस देश का दौरा किया। विश्व बैंक के एक और मिशन की जुलाई, 1982 के अन्त तक आने की सम्भावना है। जहाँ तक विश्व बैंक का सम्बन्ध है, उन्होंने कोई वचन नहीं दिया है परन्तु हमें आशा है कि हमें विश्व बैंक से लगभग 2500 लाख डालर की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जून, 1982 में आयोजित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

* 110. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून, 1982 को राँची में विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन में खाद्य अपमिश्रण निवारण और नकली औषधियों की जांच करने पर जोर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किए गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) : निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया :—

(1) परिवार कल्याण जिसमें जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य भी शामिल है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी शामिल है।

(3) कुष्ठ नियंत्रण।

(4) क्षय रोग।

(5) दृष्टिहीनता।

(6) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम।

(7) औषध नियंत्रण और खाद्य अपमिश्रण निवारण।

खाद्य अपमिश्रण और नकली एवं घटिया औषधियों के निर्माण की समस्या से समुचित रूप से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सम्बन्धित नियमों आदि लागू करने वाले तंत्रों को सुदृढ़ बनाने पर मुख्यतः ध्यान दिया गया।

रेल गाडियों में आरक्षण की प्रक्रिया

* 111. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में आरक्षण की प्रक्रिया को समुचित बनाने के लिए कोई उचित उपाय किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शारीफ) : (क) जी हां।

(ख) बुकिंग और आरक्षण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें, भीड़-भाड़ की अवधियों के दौरान अतिरिक्त बुकिंग और आरक्षण काउन्टर खोलना, बढ़े हुए कार्य भार के अनुसार आरक्षण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना, पर्यवेक्षण के स्तर का ग्रेड बढ़ाना, आरक्षण सुविधाएं आदि शीघ्रतापूर्वक भेजने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच टेलेक्स सुविधाएं आरम्भ करना शामिल है। एक प्रणाली आरम्भ की गयी है जिसमें काउन्टरों पर प्रत्याशित रद्द होने वाले आरक्षणों की तुलना में कुछ अधिक संख्या में यात्रियों की बुकिंग की जाती है। इसके अलावा, एक प्रणाली यह भी प्रारम्भ की गयी है जिसमें प्रतीक्षा सूची के कुछ वरिष्ठतम यात्रियों के लिए बैठने के स्थान की व्यवस्था की जाती है और पुष्टिकृत आरक्षण वाले यात्रियों के गाड़ी में न आने पर उनके लिए शायिकाओं की व्यवस्था कर दी जाती है इन उपायों से भारी संख्या में प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के लिए स्थान सुनिश्चित किया गया है।

मई, 1982 में भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम, 1982 बनाकर एक प्रमुख कदम उठाया गया है जिसमें अनधिकृत रूप से रेल टिकटें/आरक्षण प्राप्त करने और और उन्हें आगे देने के धन्धे में लगे किसी भी व्यक्ति और इस अपराध को उकसाने या उकसाने का प्रयास करने

वाले किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की कैद और एक हजार रुपये तक जुर्माना करने की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के समन्वय से अनाधिकृत यात्रा एजेन्टों के परिसरों मे नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं, दलालों और असामाजिक तत्वों को पकड़ा गया है। घर-घर जाकर जांच की गयी है, आरक्षण माँगों की सदाशयता को पता लगाने के लिए जबाबी पत्र जारी किए गये हैं और मांग स्लिपों में दिये गये पूर्ववर्ती ब्यौरे की वास्तव में यात्रा करने वाले यात्रियों से मिलान करने के लिए परस्पर जाँच के उद्देश्य से गाड़ियों में गहन जांच गठित की गई है।

विकलांगों के लिए कालेज शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की योजना

*112. **श्री निहाल सिंह :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग विद्यार्थियों के लिए इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, झांसी और आगरा के इन्टरसींटियेट कालेजों में शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु शत प्रतिशत सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है :

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थंगन) : (क) से (ग) अगस्त, 1977 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग छात्रों के लिए लखनऊ में दो इन्टरमिडिएट कालेजों और आगरा तथा कानपुर प्रत्येक में एक एक कालेज में क्रियान्विति के लिए समेकित शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु एक प्रस्ताव पेश किया था। यह योजना शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना थी और भारत सरकार सितम्बर, 1977 में 76,800 रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी। 1978-79 के दौरान राज्य सरकार इस निधि का उपयोग न कर सकी और इस प्रकार 1978-79 के दौरान इस स्वीकृति को पुनः अभिपुष्ट किया गया। फिर भी 1.4.79 से योजना की वित्तीय पद्धति को बदल दिया गया और केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच उसे आधा आधा (50/50) कर दिया गया। चूंकि राज्यों ने नई पद्धति के अधीन योजना की क्रियान्विति में दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए 1·4.1981 से शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना की पुरानी पद्धति को बहाल किया गया। तदनुसार मार्च, 1981 में सभी राज्यों से अनुरोध किया गया था कि संशोधित पद्धति के अधीन वे अपने प्रस्ताव भेजें। जैसे ही राज्य सरकार अपने प्रस्ताव भेज देगी वैसे ही उत्तर प्रदेश के लिए योजना को स्वीकृति दे दी जाएगी। इस मामले का नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा हैं।

एशियाई खेलों के दौरान भिक्षावृत्ति के समस्या के रूप में प्रकट होने की आशंका

114. **श्री तारिक अनवर :** क्या समाज और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में में, विशेषकर दिल्ली में भिखारियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1982 के नवभारत टाइम्स में प्रकासित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भिखारियों को एशियाई खेलों के दौरान भीख मांगने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस कार्य में किन्हीं सुसंगठित गिरोहों का हाथ होने का संदेह है ;

(घ) इस कुरीति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) भिक्षावृत्ति के रकेट से सम्बद्ध गिरोहों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार भिखारियों, आवारों इत्यादि की अनुमानित सख्या 10.11 लाख थी जबकि 1961 में 9.16 लाख थी । इसके मानान्तर दिल्ली के आंकड़े 1621 (1971) और 3232 (1961) थे ।

(ख) समाचार-पत्र मद की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । हालाँकि पूछताछ से पता चला है कि भिक्षावृत्ति में विशेष प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में किसी शिकायत/घटना को नोटिस में नहीं लाया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) बम्बई भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम जिसका केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में विस्तार किया गया है, को क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने अपने प्रवर्तन ढांचे को तेज बना दिया है । घटना स्थल पर ही मामलों को निपटाने के लिए मोबाईल कोटो की स्थापना की गई है । प्रशासन द्वारा समय समय पर भिखारियों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

एशियाड परियोजनाओं का पूरा होना

*114. **श्री भींखा भाई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेडियम, ऊपरी पुल और ग्राम काम्प्लेक्श जैसी एशियाई परियोजनाओं के कितने और कैसे कार्य एशियाई खेलों के शुरू होने से पहले पूरे होने हैं और उनका स्वरूप क्या है ?

(ख) राजधानी से बाहर एशियाई खेल कहां-कहां होने हैं ;

(ग) एशियाई खेलों के प्रत्येक कार्य पर कुल कितना खर्च हुआ है ; और

(घ) क्या किसी परियोजना पर मंजूर शुद्धा धनराशि से अधिक खर्च हुआ है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली में 8 नए स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है और मौजूदा 9 स्टेडियमों का नवीनकरण किया जा रहा है ताकि 1932 के एशियाई खेलों के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें । सात ऊपरी पुलों और एक खेल ग्राम परिसर, जो एशियाड परियोजनाएं नहीं है बल्कि दिल्ली के सामान्य विकास कार्यक्रम का ही हिस्सा हैं का भी निर्माण किया जा रहा है ।

(ख) दो प्रतियोगिताएं अर्थात् नौकायन और नौका विहार क्रमश: बम्बई और जयपुर के समीप आयोजित की जाएगी ।

(ग) एशियाई खेलों पर शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय द्वारा 30 जून, 1982 तक दर्ज किया गया कुल खर्च 36.46 करोड़ रुपए है—स्टेडियमों के निर्माण/नवीनीकरण पर 29.55 करोड़ रुपए और अन्य प्रबन्धों पर 6.91 करोड़ रुपए ।

(घ) जी, नहीं ।

रेलवे टिकटों की कालाबाजारी

*115. **श्री आनन्द पाठक**
श्री सुशील भट्टाचार्य } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने वाले हाल में गिरफ्तार किये गये ट्रेविल एजेंटों के साथ क्या व्यवहार किया गया ;

(ख) क्या सरकार द्वारा उन्हें काली सूची में दर्ज कर दिया गया है, और

(ग) यदि नहीं तो उसके विस्तृत के कारण क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है ।

(ख) और (ग) उन्हें ब्लैक लिस्ट में रखने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि रेल टिकटों के क्रम-विक्रय के लिए रेलवे प्रशासन ने उन्हें न तो कभी प्राधिकृत किया था और न ही मान्यता प्रदान की थी ।

दिल्ली में परीक्षा के प्रश्नपत्रों का समय से पूर्व खुल जाना

*116. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इस वर्ष अनेक परीक्षा प्रश्न-पत्र समय से पूर्व खुल

गए थे;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय और सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन के समय से पूर्व खुले प्रश्न पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके पीछे कौन लोग थे और उनके विरुद्ध क्यों कार्यवाही की गई; और

(ख) इस प्रकार के गलत कामों को बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1982 में आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के तथाकथित समय से पूर्व पता लग जाने की तीन घटनाओं की रिपोर्ट थी। ये घटनाये एम० ए० (इतिहास) (भाग-II), अर्थशास्त्र में बी० ए० (आनर्स) और भौतिकी में बी० एस० सी० (आनर्स) से सम्बन्धित थीं। विश्वविद्यालय द्वारा की गई जांच से पता चला कि पहले दो मामलों के आरोप निराधार हैं। तीसरे आरोप की जांच की जा रही है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिल्ली में 1982 में आयोजित अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा के अनेक विषयों के प्रश्न पत्रों के नियत समय से पूर्व पता लग जाने की भी रिपोर्ट मिली थीं। बोर्ड द्वारा की गई जांच से पता चला कि गणित, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के प्रश्न-पत्रों का नियत समय से पूर्व ही पता चल गया था। अत: इन विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गयीं तथा दिल्ली से इन विषयों की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए परीक्षाएं दुबारा आयोजित की गई।

दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रश्न पत्रों का पता नियत समय से पूर्व नहीं लगा है जिससे कि और कोई आगामी कार्रवाई की जा सके। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मामले की जांच करने तथा भविष्य में प्रश्न पत्रों के नियत समय से पूर्व पता लग जाने की किसी सम्भावना को समाप्त करने के लिए पद्धतियों और कार्यप्रणालियों की सिफारिश करने के लिए एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है। समिति का कार्य चल रहा है।

एशियाड परियोजना के लिए सीमेंट

*117. **श्री रामविलास पासवान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड 1982 परियोजनाओं के पूरा होने तक कुल कितना सीमेंट लगने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं की सीमेंट की माँग को पूरा करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों के सीमेंट कोटे में कटौती की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो इन परियोजनाओं के लिए किस कोटा से सीमेंट लिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) नए स्टेडियमों के निर्माण कार्य और मौजूदा स्टेडियमों के नवीकरण में व्यक्त विभिन्न निर्माण एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार इन परियोजनाओं के पूरा होने तक उन पर खपाए जाने वाले सम्भावी सीमेंट की कुल मात्रा 76,062 मी० टन होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एशियाड परियोजनाओं के लिए सीमेंट का आवंटन केन्द्रीय कोटा से किया गया है।

विभिन्न एककों द्वारा निर्मित वैगनों की क्वालिटी

*118. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी नौ वैगन निर्माण एककी द्वारा निर्मित वैगनों की क्वालिटी, डिजाइन, सामग्री, समय अनुसूची और इसी प्रकार के अन्य विनिर्दिष्टियों की दृष्टि से समान है।

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ एकक उसी तरह के वैगन कम मूल्य पर सप्लाई कर सकते हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन वैगन निर्माण एककों की सहायता देने की योजना बना रही है ताकि वे रेलवे की मांग के अनुसार अपनी क्वालिटी में सुधार कर सकें।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हाँ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई के पास एक नये बन्दरगाह का स्थापना

*119. **श्री मोहनदास पटेल**
श्री उत्तम राठौर } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई बंदरगाह पर भीड़भाड़ में कमी करने के लिए बंबई के समीप एक नया बंदरगाह बनाने पर विचार रही है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) उक्त बंदरगाह का कार्य कब तक शुरू होने, पूरा होने तथा यातायात के लिए

बंदरगाह के कब तक खुल जाने की संभावना है, और

(घ) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : जी हाँ। न्हावा-शेवा में एक नये पत्तन के निर्माण के लिए 8-6-82 को सरकार की स्वीकृति दे दी गई है। पहले चरण में 8 घाट बनाने के प्रस्ताव हैं चार बल्क कार्गो हैंडलिंग के लिए और बाकी कन्टेनर हैंडलिंग के लिए है।

(ग) इस परियोजना का कार्य 1983 के मध्य में शुरु होने की संभावना है। पत्तन के 1986 के अंत तक यातायात के लिए खोल दिए जाने की सम्भावना है।

(घ) इस परियोजना पर 592.00 करोड़ रुपये (1981-की कीमतों के हिसाब से) खर्च आने का अनुमान है।

वैगन बनाने वाले एककों में नियुक्त श्रमिकों की मजूरी

1120. **श्री नीरेन घोष**
श्री अजीत कुमार साहा } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र के बाहर वैगन बनाने वाले एककों में श्रमिकों नियुक्त श्रमिकों को उसी कार्य के लिए पूर्वी क्षेत्र के एककों के श्रमिकों की तुलना में कम भुगतान किया जा रहा है,

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार पूर्वी क्षेत्र के बाहर स्थित एककों को ठेका देते समय यह सुनिश्चित करेगी कि उनके कम आय वाले श्रमिकों को समान मजदूरी दी जाये, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) : विभिन्न माल डिब्बा यूनिटों में मजदूरी के स्तर रेल मन्त्रालय अथवा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। जहाँ एसोसिएशनें हैं, वहाँ कर्मचारियों, मालिकों तथा राज्य सरकार के बीच द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करारों के आधार पर मजदूरी निर्धारित की जाती हैं। अत: माल डिब्बा उत्पादन में लगी विभिन्न औद्योगिक यूनिटों में मजदूरी ढाँचे में असमानता के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय के पास कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है। बहरहाल, विभिन्न यूनिटों में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर की जानकारी रेल मंत्रालय को दी गई है और इनमें भिन्नता पायी गयी है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि माल डिब्बा निर्माता, श्रमिकों की लागत पर लाभ नहीं उठायें। माल डिब्बा निर्माण की लागत उस यूनिट में न्यूनतम दर के कर्मचारी के मजदूरी स्तर से जुड़ी होती है।

सीमा वार्ता के लिए विदेश मंत्री की चीन यात्रा

*121. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि उनका विचार दोनों देशों के बीच सीमा समस्या के हल पर वार्ता के लिए चीन की यात्रा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) : चीन के विदेश मंत्री हुआंग हुआ ने जून, 1981 में जब भारत की यात्रा पर आए थे, उस समय उन्होंने किसी परस्पर सुविधाजनक समय पर चीन की यात्रा का निमंत्रण दिया था। यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया था। यात्रा की तारीख पर समुचित समय पर विचार किया जाएगा।

हम आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान अंतराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय क्षेत्रों में दोनों पक्षों से संबद्ध सभी मामलों पर विचार होगा द्विपक्षीय प्रश्नों पर बातचीत में सीमा के प्रश्न पर भी निश्चय ही बातचीत होगी जो, जैसा कि दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं; हमारे संबंधों का केन्द्र बिंदु है।

डी० टी० सी० के बस किरायों में वृद्धि

*122. **श्री हन्नाव मोल्लाह**
श्री अमर राय प्रधान } क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली परिवहन निगम के बढ़ते घाटे को पूरा करने के लिए इसके बस किरायों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लगातार हो रहे घाटे के कारणों का गहराई से कोई अध्ययन किया है,

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कोई गहन अध्ययन करने का है ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों के भीड़ में वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) और (ग) : दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति की विभिन्न स्तरों पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। निगम को लगातार घाटा होते रहने के मुख्य कारण ये हैं :— ईंधन और अन्य सामान जैसे चेसिस, टायर और बैटरी आदि कीमतों में निरन्तर वृद्धि होना, मंहगाई भत्ते की किस्तों की अदायगी के कारण अधिक खर्च होना तथा भाड़े की दरें कम रहना आदि।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

दिल्ली विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा से प्रश्न पत्रों का समय से पहले पता चल जाना

1138. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा के गोपनीय कक्ष से प्रश्न-पत्रों के आउट हो जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के चोरी से बाहर भेजे जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के चोरी से बाहर भेजे जाने के कुछ मामले घटित हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो परीक्षा शाखा के कार्यकरण तथा सम्पूर्ण ढाँचे में आमूल सुधार करने के लिए और छात्र-समुदाय में पुनः विश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) : दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कुछ छात्रों ने 1981 की परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच के लिए आवेदन किया था। पुनः जांच के दौरान यह पाया गया कि तीन मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए कुछ उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया गया था। अतः परीक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। जब उनके पास उत्तर पुस्तिकाएं भेजी गयीं तो उन्होंने प्रत्येक मामले में यह संदेह व्यक्त किया कि मूल्यांकन के लिए संदर्भित उत्तर/अंश मूल लिपि में नहीं थे और उन्हें बाद में जोड़ा गया होगा। प्रारम्भिक जाँच के बाद विश्वविद्यालय ने तीन छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि उन्होंने बाद में उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर कैसे जोड़े। उनमें से एक छात्र ने यह स्वीकार कर लिया कि उसने यह गलत कार्यकिया और मूल्यांकन में अनियमितताओं का आरोप लगाया। चूंकि सम्बन्धित छात्र अपने आरोपों के समर्थन में उसे अवसर दिए जाने के बावजूद भी कोई उदाहरण देने में असफल रहा तो विश्वविद्यालय ने यह मामला विस्तृत जाँच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय किया। जाँच चल रही है।

(ख) : जाँच की रिपोर्ट प्राप्त होने और उस पर विचार किए जाने के बाद ही यदि आवश्यक हुआ तो परीक्षा शाखा के कार्यकरण और ढाँचे में आमूल परिवर्तन करने के लिए कोई कदम उठाने का प्रश्न उठेगा।

एशियाई खेल देखने के लिए रियायती रेलवे पास

*1139. **श्री लक्ष्मण वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन आदिवासी और हरिजन छात्रों को वापसी रियायती रेल-यात्रा पास जारी करने का है, जो नवम्बर, 1982 मेंएशियाई खेल देखने के लिए दिल्ली

आने के इच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित आदिवासी और हरिजन छात्रों को कुछ विशेष सुविधाएं देने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : दिल्ली में एशियन खेलों को देखने के लिए बाहर से आने वाले दर्शकों को गाड़ी के किराये में कोई रियायत स्वीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों द्वारा शिक्षा की 10+2 की पद्धति लागू किया जाना

1140. **श्री नवीन खाणो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने अब तक शिक्षा की 10+2 पद्धति लागू नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन से हैं; और

(ग) उसके क्या कारण हैं और इन राज्यों में शिक्षा की यह पद्धति कब लागू की जायेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) जी, हां।

(ख) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मिजोरम।

(ग) इन राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई प्रणाली को शुरु करने के लिए विलम्ब के निम्नलिखित कारण हैं :—

प्रशिक्षित शिक्षकों का उपलब्ध न होना।

उपयुक्त प्रयोगशालाओं तथा उपस्करों की कमी; निधियों की कमी; तथा अन्य प्रशासनिक कठिनाइयां।

जून, 1981 को हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी सिफारिश की गई थी कि जिन "राज्यों संघ शासित क्षेत्रों ने यह पद्धति लागू नहीं की है उन्हें बिना किसी विलम्ब के लागू करना चाहिए"।

त्रिचुर गुरुवायुर कुट्टीपुरम रेलवे लाइन का निर्माण

1141. **श्री ए० नीलालोहिथा दसन नाड़ार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने त्रिचूर गुरुवायुर कुट्टीपुरम रेल लाइन बिछाने के लिए क्या कार्यवाही की है, और

(ख) उपर्युक्त लाइन बिछाने का काम कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुट्टीपुरम-गुरुवायूर-त्रिचूर लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है ।

(ख) फिलहाल इस लाइन का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का पूरे दिन कार्य करना

1142. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई प्रगति हुई है कि राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय पूरे दिन कार्य करते रहें; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजग के लिये कौन से औषधालयों को निर्धारित किया गया है और किन—किन औषधालयों में ऐसा आरम्भ हो गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : राजधानी में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के निम्नलिखित औषधालय प्रयोग के तौर पर पूरे दिन कार्य कर रहे हैं :—

1. वेलेजली रोड
2. रामकृष्णपुरम—1
3. जनक पुरी—1
4. किंग्सवे कैम्प
5. शाहदरा
6. शकूरबस्ती
7. जी० के० जी०

सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे फिल्मों की कमी

1143. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 9 जून, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार दिल्ली और देश के अन्य भागों में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे फिल्मों की भारी कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में मरीजों को, विशेषरूप से सफदरजंग अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में, अपनी एक्स-रे फिल्में लाने के लिए कहा जाता है, और यदि वे ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उनका एक्स-रे नहीं किया जाता है ; और

(ग) एक्स-रे फिल्मों की इस भारी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) दिल्ली और उससे बाहर के सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे फिल्मों की सप्लाई की कमी के बारे में इस मन्त्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, सिवाए दिल्ली के उन दो अस्पतालों के जिन्हें पिछले कुछ महीनों में एक्स-रे फिल्मों की सीमित सी सप्लाई की गई थी ।

(ग) सप्लायर से कहा गया है कि वह सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करे ।

कहाकगाँव और कारोगोला के बीच एल० सी० टी० सेवा के अधिक बार चलना ।

1144. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरारीघाट से महादेवपुर घाट रेलवे स्टीमर सेवा के समाप्त होने पर जमालपुर से फरक्का तक जनता के लिए कोई जल सेवा उपलब्ध नहीं है,

(ख) क्या इस यात्री यातायात सेवा के समाप्त होंने के फलस्वरूप कहाल गाँव एल० सी० टी० सेवा में बहुत अधिक भीड़ हो गयी है, और बड़ी संख्या में यात्रियों को निराश वापिस जाना पड़ता हैं,

(ग) क्या इस समय कहाल गाँव और करोगोला के बीच एल० सी० टी० सेवा एक बार ही चल रही है, और

(घ) यदि हां, तो यदि उपरोक्त बातों का उत्तर हाँ, तो क्या सरकार एल० सी० टी० सेवाओं को जहाजों की मरम्मत कराकर कहाल गाँव और कारोगोला के बीच दो बार चलाने की सम्भावना का पता लगायेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री [श्री सीताराम केसरी) : (क) इण्डियन नेशन में 3-782 को प्रकाशित पूर्वोत्तर रेलवे की अधिसूचना से यह देखा गया है कि रेलवे ने बरारी घाट से महादेवपुर घाट तक स्टीमर सेवा को पुन: चालू करने का निश्चय किया है जिसकी तिथि शीघ्र ही घोषित की जायेगी ।

(ख) रेलवे स्टीमर सेवा के बन्द होने से यात्रियों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है । निम्न

लिखित आंकड़ों से इसे देखा जा सकता है :—

अप्रैल 81 से जून 81 तक ढोये गए यात्रियों की संख्या	36,759
अप्रैल 82 से जून 82 तक ढोये गये यात्रियों की संख्या	41,510

(अप्रैल 82 से जून 82 की अवधि में प्रतिदिन 52 यात्रियों की मामूली सी वृद्धि हुई है)

(ग) जी, हां ।

(घ) ऊपर बताई गयी यात्रियों की संख्या के लिए दूसरी ट्रिप की आवश्यकता नहीं है ।

परिक्रमा यात्रा टिकट पद्धति में परिवर्तन

1145. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय ने परिक्रमा यात्रा टिकट पद्धति में परिवर्तन लागू किया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या पुराने यात्रियों की सुविधा के लिये इस पुरानी पद्धति को फिर चालू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : रेल दर जांच समिति की सिफारिश के आधार पर पहली योजना के अन्तर्गत सर्कुलर टुअर टिकट जारी किए जाते थे, उसे वापस ले लिया गया है और उसकी जगह पर सर्कुलर यात्रा टिकट जारी किया गया है । पहली योजना को संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्द महासागर पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1146. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने हिन्द महासागर पर शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने को कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके अनुसार इससे 1971 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी जिसमें हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने की बात है ।

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने भी इसका समर्थन किया है;

(घ) क्या भारत भी श्रीलंका को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रीलंका को सहायता देने के लिए राजी हुआ है ; और

(ड.) इस सम्बन्ध में भारत द्वारा क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सहायता ने बार-बार यह मांग की हैं कि हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने से संबद्ध घोषणा को, जो उसके संकल्प सं० 2832 [XXVI] में अन्तर्विष्ट है, क्रियान्वित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाए। श्रीलंका हिन्द महासागर से सम्बन्धित तदर्थ समिति का अध्ययन है और उसने यह सम्मेलन शीघ्र बुलाए जाने का समर्थन किया है।

(ग) से (ड.) भारत ने हमेशा हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए जाने की संकल्पता का समर्थन किया है जहां बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति और प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। इसी उद्देश्य से भारत ने तदर्थ समिति के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अन्य गुट निरपेक्ष देशों के साथ-साथ, जिनमें श्रीलंका भी शामिल है, भारत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता रहेगा कि यह सम्मेलन अधिक से अधिक 1983 के पूर्वार्ध तक बुला लिया जाए, जैसा कि महा सभा के संकल्प 36/90 में फिर दोहराया गया है, और उसमें सभी बड़ी शक्तियाँ भाग लें।

दक्षिण रेलवे निर्माण कार्य श्रमिक संघ एर्नाकुलम से अभ्यावेदन

1147. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे निर्माण-कार्य श्रमिक संघ, एर्नाकुलम, कोचीन से दिनाँक 30 मई, 1982 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसमें उपरोक्त संघ द्वारा उठाई गई मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) 1. एवजीक्युटिक इंजीनियर (निर्माण), त्रिचूर के अधीन कार्यरत दो नैमित्तिक श्रमिकों को जारी किया गया निलम्बन आदेश न्याय के प्राकृतिक कानून के विरुद्ध हैं।

2. निलम्बित नैमित्तिक श्रमकों को निलम्बन की अवधि के लिए जीविका भत्ते का भुगतान नहीं किया गया और

3. उन्हें 18-4-82 और 25-4-82 को लगातार दो दिन का प्रति पूरक विश्राम भी नहीं दिया गया।

(ग) और (घ) : मामला विचाराधीन है।

पत्तन न्यास और गोदी मजदूर बोर्ड के प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता

1148. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उनके मन्त्रायय ने देश के पत्तन न्यास और गोदी मजदूर बोर्डों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को विशेष भत्ते देने के बारे में निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त श्रेणियों के प्रत्येक कर्मचारियों को दिए जाने वाले विशेष भत्तों की राशि कितनी होगी,

(ग) इससे कुल कितने पत्तन और गोदी के कर्मचारी लाभान्वित होंगे,

(घ) उन्हें यह विशेष भत्ता कब से दिया जाएगा, और

(ड.) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हां।

(ख) प्रत्येक महीना 125/-रुपए।

(ग) बड़े पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों में करीब 2850 प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अधिकारी।

(घ) 1-7-1980 से।

(ड.) यह नियत विशेष भत्ता वेतन के रूप में ही समझा जाएगा।

विलासपुर रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया जाना

1149. **श्री केयूर भूषण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में विलासपुर रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है,

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

अमृतसर में निर्माण और विकास कार्य

1150. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर में कुछ निर्माण और विकास कार्य चल रहे हैं, यदि हां, तो ये कार्य

किस चरण में है और इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है, और

(ख) पाकिस्तान जाने के लिए यातायात की भीड़ देखते हुए भारत से जाने और वापस आने के लिए यात्रियों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनकी रेल यात्रा आरंभ से की जा सके ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय अमृतसर रेलवे स्टेशन के गोल बाग की तरफ बुकिंग कार्यालय तथा प्रतीक्षालय आदि के निर्माण-कार्यों से है। अध्यतन प्रगति 10 प्रतिशत है। पिछला ठेका समाप्त हो जाने के कारण काम रोक दिया गया है। नया ठेकेदार निर्धारित कर लेने के पश्चात्, 1083 के अन्त तक इस निर्माण कार्य के पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है :—

अमृतसर में—अमृतसर में शहर की तरफ बुकिंग कार्यालय, आरक्षण और प्रतीक्षालय की सुविधाओं की व्यवस्था जिनमें लगभग 15.59 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करना भी शामिल है।

अटारी रेलवे स्टेशन पर—अतिरिक्त यातायात सुविधाओं पहले दर्जे का प्रतीक्षालय, प्लेटफार्मों पर छत डालना, प्लेटफार्म नं० पर बुकिंग और आरक्षण कार्यालय पूछताछ उद्घोषणा कक्ष इमिग्रेशन यात्री प्लेटफार्म आदि को चौड़ा करने की व्यवस्था पर लगभग 9·6 लाख रुपए खर्च होगा।

राजस्थान में कठपुतली कला समाप्त होना

1151. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "कठपुतली" राजस्थान की एक मात्र कला है और वह समाप्त होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पुरानी कला को जीवित रखने की तुलना में सरकार द्वारा कलाकारों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) और (ख) कठपुतली के अलावा राजस्थान में लोक तथा परम्परागत संगीत, नृत्य तथा नाटक के अनेक स्वरूप तथा शैलियां विद्यमान हैं। संगीत नाटक अकादमी ने अपने लोक तथा परम्परागत कलाओं के संरक्षप तथा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कठपुतली के क्षेत्र में निम्नलिखित संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की :—

क्रम संख्या तथा संस्था का नाम	1979-80 रु०	1980-81 रु०	1981-82 रु०
1. भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर ।	10,000/-	12,500/-	10,000/-
2. सामुदायिक कठपुतली रंगशाला, उदयपुर ।	2,000/-	2,000/-	—
3. श्री मालू राम, नई दिल्ली ।	—	500/-	—
4. भूले बिसरे कलाकार कोओप इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट सोसायटी. नई दिल्ली	—	10,000/-	8,000/-
कुल	12,000/-	25,000/-	18,000/-

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गंगा दामोदर और पाटलीपुत्र एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के लिए बोगियों की संख्या

1153. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में धनबाद से अथवा धनबाद से होकर जाने वाली 129 अप, 130 डाउन गंगा दामोदर एक्सप्रेस और पाटिली पुत्र एक्सप्रेस को कितनी बोगियाँ होती हैं,

(ख) जून, 1982 में वास्तव में औसतन कितनी बोगियां चली थीं ।

(ग) क्या बोगियों की संख्या अपेक्षित संख्या से बहुत कम थीं, जिससे भारी भीड़ हुई और यात्रियों को बहुत परेशानी हुई, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सवारी—डिब्बों की भारी तंगी के कारण, जून, 1982 के महीने के दौरान, 129/130 आसनसोल वाराणसी पैसेंजर, 29/30 गंगा दामोदर एक्सप्रेस और 25/26 पाटलीपुत्र एक्सप्रेस, जिनका चालन क्रमशः 13, 11 और 11 सवारी—डिब्बों सहित निर्धारित था, को औसतन क्रमशः 10, 10 और 7 सवारी-डिब्बों सहित चलाया गया ।

1-7-82 से, 25/26 पाटलीपुत्र एक्सप्रेस में 3 डिब्बे बढ़ा दिए गये हैं । सवारी-डिब्बों की उपलब्धता में सुधार होने पर उनमें फिर से निर्धारित डिब्बे लगा दिये जायेंगे ।

पुराना रोलिंग स्टाक

1154. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साठ प्रतिशत से ज्यादा रोलिंग स्टाक पुराना है, जिसके कारण बार-बार बुर्घटनाये होती हैं, और

(ख) यदि हां, तो पुराने रोलिंग स्टाक को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभ ग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह सही नहीं है कि 60 प्रतिशत से अधिक चल स्टाक गतायु है और न ही जिस गतायु चल स्टाक का उपयोग किया जा 'हा है उससे बार-बार दुर्वटनायें होती हैं, क्योंकि केवल ऐसे ही चल स्टाक को गाड़ियों में चलाने की अनुमति दी जाती है जो निर्दिष्ट यात्रा के लिए उपयुक्त पाये जाते हैं ।

(ख) इतनी मात्रा में गतायु चल स्टाक को रद्द किया जा रहा है जितना 'हालत के आधार पर संचलन के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है ।

छठी योजना अवधि के दौरान गतायु चल स्टाक के बदले 50,000 माल डिब्बे, 5000 डिब्बे और 480 डीजल/ बिजली रेल इंजन खरीद करने का प्रस्ताव है ।

राज्य परिवहन उपक्रमों को हुए लाभ

1155. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ऐसे कौन-कौन से राज्य सड़क परिवहन उपक्रम है, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान लाभ उठाया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्य परिवहन उपक्रमों ने लाभ कमाया है :—

1. हरियाणा राज्य परिवहन - वर्ष 1979-80 और
   वर्ष 1980-81 में
2. थिरुवल्लुवर टी सी एल—वर्ष 1979-80 में
3. चोलन रोड़वेज कारपोरेशन लिमिटेड—वर्ष 1979-80 में
4. कट्टाबोमन परिवहन निगम लिमिटेड—वर्ष 1980-81 में ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त की योजना

1156. **श्री के टी कौशल राय** : क्या नौवाहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त करने की उस प्रारुप योजना का ब्यौरा क्या है जो फरवरी 1982 में राज्य सरकारों को परिचालित की गई है, और

(ख) जिन राज्य सरकारों ने इस योजना के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) इस योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ प्रत्येक 50 कि० मी० पर यातायात सहायता चौकियाँ बनाने का प्रस्ताव है। इन चौकियां से दुर्घटना की सूचना दी जा सकेगी। इसके अलावा दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र से ये चौकियां हताहत व्यक्तियों आदि को प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करेगी। वर्तमान अनुमानों के आधार पर प्रत्येक यातायात चौकी संचालन और नियंत्रण पर आवर्ती व्यय के रूप में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये खर्च होने और अनावर्ती व्यय के रूप में 2.50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ख) सभी राज्यों तथा संघ राज्य प्रशासनों के प्रतिनिधियों और परिवहन मन्त्रियों ने 11.5.82 को हुई बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त लगाने की योजना के कार्यान्वियन पर अपनी सहमति दी है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय का शेख जैयद इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम स्टडीज एण्ड केमिकल इंजीनियरिंग

1157. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शेख जैयद इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलिलम स्टडीज एण्ड कैमिकल इंजीनियरिंग की प्रगति क्या है।

(ख) यह संस्थान अपने पाठ्यक्रम कब प्रारम्भ कर देगा :

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा शिक्षा मंत्रालय ने परियोजना दस्तावेजों की स्वीकृति दे दी है ; और

(घ) इस संस्थान की मुख्य-मुख्य विशेषतायें क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) से (घ) : विद्यालय अनुदान आयोग प्रस्तावित शेख जैद पैट्रोलियम अध्ययन और रसायन इंजीनियरी संस्थान की स्थापना के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

भारत के राजदूतावासों में लगे विकलाँग अधिकारी

1158. **श्री एन० डेनिस** : क्या विदेश मंत्री यिदेशों में भारत के राजदूतावासों में तैनात विकलाँग अधिकारियों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने तथा कृपा यहेने बताने की कृपा करेंगे।

(क) सेवा में उनका क्या स्थान है ; और

(क) वे किन किन देशों में काम कर रहे है।

विदेश मंत्री (श्री वी०पी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना विदेश स्थित अपने मिशनों से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

तदर्थ अध्यापकों का दिल्ली प्रशासन का पैनल

1159. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : (क) क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा साक्षात्कार के आधार पर वर्ष 1973-74 में तदर्थ अध्यापकों का एक पैनल बनाया गया था ;

(ग) क्या दिल्ली के उप-राज्यपाल ने पैनल छोड़े गए समस्त अध्यापकों को तत्काल खपाए जाने हेतु हाल ही में आदेश जारी किए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो (1973-74 में पैनल से छोड़े गए तदर्थ अध्यापकों) में से अब तक कितने अध्यापकों को खपाया गया है और उनके नाम क्या है तथा शेष अध्यापकों को किस सम्भावित तिथि तक खपाया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के०थुगन) (क) जी, हां,

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्टाफ चयन बोर्ड के सम्मुख साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए कुल 44 तदर्थ शिक्षक उम्मीदवारों में से सभी 35 उम्मीदवारों को खपा लिया गया है। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान विभाग द्वारा नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों को केवल खपाने के लिए यह पैनल तैयार किया गया था।

(ग) जी, नहीं ; जैसा कि उपरोक्त (ख) में उल्लिखित है, स्टाफ चयन बोर्ड द्वारा न चुने गए 9 शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन पर उप-राज्यपाल, दिल्ली ने ये अनुदेश जारी किए थे कि भावी रिक्तियों के लिए सामान्य रोजगार कार्यालय पद्धति आदि में ढ़ील देकर इन शिक्षकों को अन्य उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।

(घ) उपरोक्त (ग) में उल्लिखित 9 शिक्षकों का चयन नियुक्ति हो चुकी है। भाषा शिक्षक (हिन्दी) के पद के लिए श्रीमती उर्मिला देवी का साक्षात्कार हाल ही में हुआ है। शिक्षक पदों की सम्बन्धित श्रेणियों में रिक्तियाँ होते ही शेष 4 अर्थात श्रीमती सुशीला निवाणी, श्रीमती शाहीन परवीन, श्रीमती एस० व्हीलर तथा श्रीमती गीता बगाई को अन्य उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होने का अवसर दिया जायेगा।

एशियाड-82 के दौरान दिल्ली के छात्रों को छुट्टियां

1160. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के अवसर पर दिल्ली के छात्रों को छुट्टियां घोषित करने का कोई प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो क्या पड़ौसी राज्यों, मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के छात्रों की भी छुट्टियां घोषित करने का विचार किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य सरकारों से इस प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह करेगी ; और

(घ) तत्सम्बन्धी पूर्व ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री

(श्रीमती शीला कौल) : (क) एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति के अनुरोध पर दिल्ली के शैक्षिक प्राधिकारियों ने 1982 में स्कूलों और कालेजों में शीत कालीन अवकाश को इस ढंग से पुनः समोयोजित करने का निर्णय लिया है कि यह अवकाश 1982 के एशियाई खेलों की अवधि के साथ साथ हो –

(ख) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 1982 में शीतकालीन अवकाश को एशियाई खेलों की अवधि के साथ-साथ पुनः समायोजित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे निर्णय के पक्ष में नहीं है। राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपने अंतिम निर्णय से मंत्रालय को सूचित नहीं किया है ।

(ग) **और (घ)** : एशियाई खेलों की विशेष आयोजित समिति के आग्रह पर जून, 1981 में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने स्कूलों और कालेजों में शीत कालीन अवकाश को इस ढंग से पुनः समायोजित करें कि यह अवकाश 1982 के एशियाई खेलों के साथ-साथ पड़े । राज्यों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर जिनमें उन्होंने अपने शीतकालीन अवकाश को पुनः समायोजित करने में कठियाइयों को उल्लेख किया है और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि एशियाड'' 82 के दौरान दिल्ली में इन राज्यों के छात्रों के ठहरने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किए जा सकते, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों (दिल्ली को छोड़ कर) को नवम्बर. 1981 में यह सूचित किया गया था कि सरकार अपने पहले के सुझाव पर जोर नहीं देगी ।

बरसेलीस में औद्योगिक शक्तियों का शिखर सम्मेलन

1161 **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1982 के प्रथम सप्ताह में वर्सेलीज में सात प्रमुख औद्योगिक शक्तियों के तीन दिन के हुए शिखर-सम्मेलन के क्या परिणाम रहे ; विशेष रूप से भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर उसके प्रभाव से सम्बन्धित परिणाम क्या रहे ?

(श्री वी० पी० नरसिंह राव) विदेश मंत्री : वर्सेलीज शिखर सम्मेलन में किसी खास देश का नाम लिए बिना विकसित और विकासशील देशों के सबन्धों पर विचार किया गया था । इस घोषणा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें एक प्रमुख राजनीतिक लक्ष्य के रूप में सार्वभौम वार्ता शुरू करने और काफी उच्च स्तर पर वित्तीय प्रवाह बनाए रखने तथा सरकारी सहायता प्रदान करने के महत्त्व को स्वीकार किया गया । वर्सेलीज में सात प्रमुख औद्योगिकृत देशों ने भी विकासशील देशों के साथ व्यावहारिक

सहयोग विकसित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस संबंध में की गयी उल्लेखनीय सिफारिशें विवरण में दी गई है। बहरहाल वर्सेलीज सम्मेलन में भाग लेने वालों देशों ने किसी मसले पर कोई विशिष्ट वचन बद्धता प्रकट नहीं की है और यह अभी देखना है कि घोषणा में व्यक्त नही की है और यह अभी देखना है कि घोषणा में व्यक्त किए गए इरादों के क्रियान्वय से भारत की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

विवरण

वर्सेलीज शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने विकासशील देशों के साथ व्यावहारिक सहयोग विकसित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। इस सम्मेलन में की गयी उल्लेखनीय सिफारिशें इस प्रकार है :—

(1) विश्व बैंक की कार्य-प्रक्रिया में परिवर्तन।

(2) क्षेत्रीय विकास बैंकों के कार्यों का समर्थन।

(3) पुण्य निर्यात आय की अस्थिरता की रोकथाम।

(4) निजी पूंजी लगाने को प्रोत्साहन देना जिसमें निजी निवेश की स्थिति को सुधारने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी शामिल है।

(5) वित्त-प्रवाह और सरकारी सहायता के उच्च स्तर को बनाए रखना और उनकी राशि और प्रभाव में वृद्धि करना।

(6) आई डी ए, 6 के लिए निधि के प्रबंध से सम्बन्धित समस्याओं पर काबू पाने के लिए विशेष प्रकार की अस्थायी व्यवस्थाओं की आवश्यकता। यह आशा भी व्यक्त की गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सितम्बर, 1982 की वार्षिक बैठक में अगामी आठवीं कोटा समीक्षा के अनुरूप निधि विनियोग मैं वृद्धि करने के कार्य में प्रगति होगी।

(7) विकासशील देशों में खाद्य एवं ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रबन्ध।

न्यूयार्क में समुद्री कानून सम्मेलन

1162. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1982 में न्यूयार्क में समुद्री-कानून सम्बन्धी सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें समुद्र के बारे में एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता अपनाया गया था।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत को 'पायनियर' इंवेस्टर का दर्जा मिला है और यही एकमात्र विकासशील देश है जिसे मान्यता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इससे होने वाले लाभ क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री वी० पी० नरसिंह राव) : (क) समुद्री कानून से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के तृतीय सम्मेलन का ग्यारहवां अधिवेशन न्यूयार्क में 8 मार्च से 30 अप्रैल, 1982 तक सम्पन्न हुआ। इसमें समुद्री कानून संबंधी अभिसमय और उससे सम्बद्ध संकल्प स्वीकार किए गए।

(ख) यथा स्वीकृत समुद्री कानून संबंधी मसौदा अभिसमय में 320 अनुच्छेद और 9 परिशिष्ट हैं।

इसमें 12 मील के प्रादेशिक समुद्र, 24 मील के सन्निध क्षेत्र और 200 मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की व्यवस्था है। कान्टिनेन्टल शेफ की बाहरी सीमा कुछ मामलों में तट के साथ-साथ आधार रेखा से 350 मील तक और कुछ अन्य मामलों में उससे भी अधिक हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से होकर पारगमन यात्रा के लिए एक व्यवस्था स्थापित की गई है। जो द्वीप समूह के रूप में है और स्वतंत्र देश है उन्हें द्वीपसमूह देश का दर्जा दिया गया है। भू-बद्ध देशों और भौगोलिक दृष्टि से सुविधाहीन देशों को समुद्र तक पहुंचाने का अधिकार, और पारगमन देश से होकर गुजरने की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय आधार पर अनन्य आर्थिक क्षेत्रों के जीवन्त साधनों में हिस्से का अधिकार प्रदान किया है। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्रों के साधनों के संदोहन के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्वीकार की गई है वह एक सन्तुलित व्यवस्था है और विकसित तथा विकासशील, देनों वर्गों के देशों के, वैध हितों की रक्षा करती है।

(ग) : जी हा, भारत ही अकेला ऐसा विकासशील देश है जिसका नाम गहन समुद्रतल उत्खनन "अग्रणी निवेशक" के रूप में शामिल किया गया है। अन्य देश है जापान, फ्रांस और सोवियत संघ तथा अमरीका, यू० के०, जर्मन संघीय गणराज्य, कनाडा, जापान, बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली द्वारा नियंत्रित चार संकाय।

(घ) : हिन्द महासागर के तल में भारी मात्रा में बहु धातु पिंडों का विद्यमान होना बताया जाता है जिनके संदोहन से मेंगनीज, निकल, ताम्बा, कोबाल्ट और अन्य धातुओं के मिलने की संभावना हैं। "अग्रणी निवेशक" का दर्जा पाने के लिए भारत को 1 जनवरी, 1983 तक समुद्रतल उत्खनन संबंधी अनुसन्धान और विकास पर कम से कम 3 करोड़ अमरीकी डालर और उसका 10 प्रतिशत एक विशिष्ट अग्रगामी क्षेत्र के स्थान-निर्धारण और सर्वेक्षण पर खर्च करने होंगे। अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत उस आरम्भिक आयोग के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकेगा जो अभिसमय लागू होने तक कार्य करेगा, और एक 150000 वर्ग किलो मीटर का अग्रगामी क्षेत्र आवंटित करने के लिए कहेगा। इस अभिसमय का पक्षकार बन जाने के बाद भारत उत्पादन के लिए एक खनन-क्षेत्र का विकास और उसका संहोदन कर सकेगा। भारत में निकल, ताम्बे और कोबाल्ट की कमी है और वह इन सभी धातुओं का आयात करता है। यदि वाणिज्य स्तर पर समुद्रतल उत्खनन सम्भव हो सका तो भारत केवल एक ही उत्खनन स्थान से अगले लगभग 30 वर्षों के लिए निकल, ताम्बे और कोबाल्ट की अपनी आकश्यकताओं की काफी हद तक पूर्ति कर सकता है। इसमें अनुभव, कुशलता ओर प्रोद्योगिकी प्राप्त कर लेनें पर अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के उद्यमों के साथ संयुक्त व्यवस्था करके और साथ ही

औद्योगिकृत देशों के साथ संयुक्त उद्योग लगा कर समुद्रतल उत्खनन की अपनी क्षमता में और वृद्धि कर सकता है और इस तरह वह विकासशील देशों के हितों का संबर्धन कर सकता है।

तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए चित्रों की नीलामी

1163. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या शिक्षा और संस्कृति मत्री यह बताने बताने की करेगे कि :

(क) तूफान पीड़ितों को दान देने हेतु ललित कला अकादमी द्वारा चित्रों तथा अन्य कला कृतियों की जून, 1982 में की गई नीलामी से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ख) ऐसे कलाकारों, शिल्पियों तथा फोटोग्राफरों के नाम क्या हैं जिन्होंने नीलामी के लिए अपनी कला कृतियां दान में दी थी तथा प्रत्येक कलाकार की कलाकृति की नीलामी से कितनी-कितनी धनराशि अर्जित की गई ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं कि इस नीलामी से अर्जित धनराशि का दूरुपयोग न हो।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जून, 1982 में चित्रकलाओं तथा अन्य कलाकृतियों का नीलाम करके उड़ीसा चक्रवात सहायता संबंधी कलाकार सीमित ने 6275/- रु० की राशि एकत्र की थी।

(ख) अपनी कलाकृतियां दान करने वाले कलाकारों की सूची विवरण 1 में है। उन कलाकारों की सूची, जिनकी कलाकृतियां बेची गई थी विवरण-2 में है।

(ग) ललित कला अकादमी से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा चक्रवात सहायता संबंधी कलाकार समिति ने एकत्र की गई राशि को रेजीडेंट कमिशनर उड़ीसा सरकार, उड़ीसा भवन नई दिल्ली के पास जमा करने का प्रस्ताव किया है, जिसे संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा।

उन कलाकारों के नाम, जिन्होंने अपनी कृतियां दी, को दर्शाने वाला विवरण

	क्रम सं०	नाम
	1	2
चित्रकला तथा रेखा चित्र	1.	डी० देवराज
	2-	अर्पिता सिंह
	3.	नरेश कपूरिया
	4.	मनु पारिख

1	2
5.	आनन्द देव
6.	सरोज पाल गोगी
7.	नोनी बोरपुजारी
8.	बुला भट्टाचार्य
9.	अजीत सील
10.	कंचन मल्होत्रा
11.	वेद नायर
12.	शोभा ब्रुता
13.	अमिताव दास
14.	रामेश्वर दास
15.	गोपी गजवानी
16.	आशित सरकार
17.	राम कुमार
18.	सूरज घई
19.	जतिन दास
20.	के० लक्ष्मा गौड़
21.	माधवी पारिख
22,	शान्ति दवे
23.	के० खोसा
24.	प्रतिभा डकोजी
25.	किशोरी कौल
26.	रामचन्द्र गौतम
27.	जीवन अदल्जा
28.	आईजज मलिक
29.	के० दामोदरन
30.	दिलीप दास गुप्त
31.	परमजीत सिंह
32.	एम० कृशिवानेसन

1	2	
	33.	एम० कृष्णन
	34.	आर० एन० पसरीचा
	35.	दीवान डी० बी० सेठ
	36.	सवी प्रकाश
	37.	अपर्णा कौर
	38.	निर्मल कपूर
	39.	बसुंधरा तिवारी
	40.	गुरचरन सिंह
	41.	आर० सरनगन
	42.	सोनिया देम्बला
	43.	विको सोनीं
	44.	बिशन कुमार
	45.	काली चरण गुप्त
	46.	जगन चौधरी
	47.	बिमल दास गुप्त
	48.	तपन भौमिक
	49.	नन्द कटियाल
	50.	सुकुमार चटर्जी
	51.	सुशील वत्स
मूर्तिकला तथा मृत्कला	52.	हिम्मत शाह
	53.	मुकुल पंवार
	54.	गौरी खोसला
	55.	पी० डी० दरोज
	56.	वी० डी० शर्मा
	57.	रघुराय
	58.	के० के० हैब्बर
	59.	जी० आर० सन्तोष
	60.	जे० स्वामीनाथन

विवरण-2

उन कलाकारों के नाम, जिनकी कृतियां बेची गई थी,

दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	कलाकार का नाम	कलाकृति का नीलामी मूल्य
		रु०
1.	सरोज पाल गोगी	600/-
2.	बुला भट्टाचार्य	100/-
3.	अजीत सील	150/-
4.	कंचन मल्होत्रा	300/-
5.	रामचन्द्र गौतम	150/-
6.	अर्पणा कौर	805/-
7.	आर० सरनगन	100/-
8.	सुकुमार चटर्जी	2000/-
9.	पी० डी० दरोज	170/-
10.	रघु राय	700/-
11.	जे० स्वामीनाथन	1200/-
	कुल	6275/- रुपये

भोपाल में सवारी डिब्बो की मरम्मत करने का कारखाना

1164. श्री सुभाष यादव
श्री प्रताप भानु सिंह } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश भोपाल में सवारी डिब्बो की मरम्मत करने का एक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक लगाया जायेगा, और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितना धन आबंटित किया गया हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) संसद ने पहले ही 1981-82 में भोपाल में एक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) चालू वर्ष में इसका निर्णय शुरू किया जा रहा हैं और आशा है कि इस कारखाने में सवारी डिब्बो का मरम्त का काम 3 वर्ष में शुरू हो जायेगा।

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान 1.08 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

कोल एण्ड एश हैन्डलिंग मजदूर यूनियन बदरपुर ब्रान्च (असम) की ओर से अभ्यावेदन

1165. **श्री अजय विश्वास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल ऐण्ड ऐश हैन्डलिंग मजदूर यूनियन, बदरपुर ब्रांच (असम) की ओर से दिनांक 26 मई, 1982 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हाँ, तो उसमें यूनियन ने क्या-क्या मुख्य मुद्दे उठाये हैं,

(ग) सरकार ने उनकी माँगों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए हैं, और

(घ) यदि कोई उपाय नहीं किए गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) यूनियन द्वारा उठाये गये मुद्दों का सम्बन्ध प्रतिवर्ष नौ राष्ट्रीय छुट्टियां दिये जाने, मई, 1981 से मंहगाई भत्ते के भुगतान, काम के प्रति 20 दिनों के पीछे एक दिन की दर से छुट्टी दिये जाने और कुछ कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था से है।

(ग) और (घ) : यूनियन द्वारा उठाये गये मसलों को श्रमिकों और सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। फिर भी सम्बन्धित रेलों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किये जा रहे हैं कि ठेका श्रमिक (आर एण्ड ए) अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाय।

बम्बई और काश्मीर से कन्याकुमारी के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियाँ

1166. **श्री० जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को जाने और वहाँ से आने वाली रेलगाड़ियों में बहुत भीड़ रहती है,

(ख) यदि हाँ, तो केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि बम्बई और काश्मीर से कन्याकुमारी के लिए एक-एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाई जाए,

(ग) क्या सरकार ने मामले पर विचार किया है, और

(घ) ये अतिरिक्त रेल गाड़ियाँ कब तक चलनी शुरु होंगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, विशेषकर त्यौहारों और छुट्टियों के दौरान।

(ख) से (घ) : कन्याकुमारी और बम्बईजम्मूतवी से गाड़ियां आरम्भ करने की व्यावहार्यता की जाँच की गयी है लेकिन मार्गवर्ती खंड पर लाइन क्षमता की कठिन स्थिति अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं और कोचिंग स्टाक की तंगी के कारण ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु केरल को दी गई सहायता

1167. **श्री के० कुन्हम्बु :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टलों के निर्माण कार्य में केरल राज्य को सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता से सम्बन्धित ब्यौरा क्या हैं तथा उससे कितना कास हुआ ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) : जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 4254/82]

टैक्सियों और आटो रिक्शाओं के किराया मीटर

1168. **श्री एस एम कृष्ण :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए टैक्सियों और आटो के किराया मीटरों में अनुसंशोधन करने का विचार है,

(ख) यदि हाँ तो अब तक ऐसा न करने के क्या कारण है जबकि किराया किरायों में पिछला पुनरीक्षण एक वर्ष पूर्व किया गया था, और

(ग) ड्राइवरों द्वारा यात्रियों से विशेष तौर पर अधिक किराया लेने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) दिल्ली में मीटरों में पिछला अनुसंशोधन मार्च 1979 में किया गया और यह काम 14 महीनों में पूरा किया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न कारणों पर ध्यान रखते हुए जिसमें बड़ी संख्या में मीटरों में पुन: अनुसंशोधन में लगने वाली समय भी शामिल है, जुलाई 1981 में मौजूदा मीटर अनुसंशोधन को ही जारी रखने का निर्णय किया है। परन्तु वर्तमान किराया प्रणाली कनवर्सन चार्टस पर आधारित होंगी। सभी आटो रिक्शा चालकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह गाड़ी के अन्दर मुख्य रूप से चार्टस को दर्शाए। यातायात पुलिस प्राधिकरणों और उपनिदेशक परिवहन (इन्फोर्समेंट) को अधिक किराये की माँग की किसी शिकायत के निपटान का कार्य सौंपा गया है।

नया बीस सूत्री कार्यक्रम लागू करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शी निदेश

1169. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1982-83 के लिए नए बीस सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या 13, 14 और 15 को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही योजना तैयार की है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई मार्ग निर्देश भेजे गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) और (ख) जी, हाँ। नये 20 सूत्री कार्यक्रम की मद सं० 13, 14 और 15 के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों के विभिन्न संघटकों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए है उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यो की समुचित मानिटरिंग की जा रही है।

(ग) जी, हाँ। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को समय-समय पर इन कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सलाह दी जाती है ताकि बेहतर कार्य हो सके। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को एक पत्र लिखा है जिसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम को गुण और मात्रा दोनों दृष्टियों से तेज करने और इसे स्वैच्छिक जन आन्दोलन बनाने तथा जन-प्रचार साधनों पारस्परिक संबंधों के जरिये प्रचार और स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रो के अनेक कर्मचारियों के माध्यम से सभी दम्पत्तियों को छोटे परिवार के सिद्धान्त के लाभ समझाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समितियाँ बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उन्होंने राज्य स्तर पर माननीय और अन्य साधनों के बेहतर संगठन, औषधियों एवं अन्य साज-सामान की सप्लाई को कारगर बनाने और समग्र कार्यक्रमों को तेज करने के लिए प्रेरणात्मक कार्यों का सुधार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इस सभी क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा और अधिक योगदान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मन्त्री ने भी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने यह आग्रह किया है कि नयी एकीकृत बाल विकास योजना की परियोजनाओं के लिए स्थान का चयन करने, कार्यकर्ताओं का चयन, नियुक्ति करने और उन्हें प्रशिक्षित करने, स्वास्थ्य सम्बन्धी ढांचे का उन्नयन करने, एकीकृत बाल विकास योजना की परियोजनाओं वाले इलाके में ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम शुरू करने, खाद्य पदार्थो, दवाइयों, वैक्सीनों और आँगनवाडी सामान जैसी महत्वपूर्ण सामग्री और पूरक पोषण के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के बारे में यथाशीघ्र कारवाई की जाये।

विवरण

20 सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या 13, 14 और 15 के अधीन वर्ष 1982-83 के लिए अखिल भारतीय लक्ष्य

(1) परिवार नियोजन कार्यक्रम	(लाखों में)
1. नसबंदी आपरेशनों की संख्या	45·25

2. आई० यू० डी० निदेशकों की संख्या	15·12
3. प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ताओं की संख्या	65·03
4. खाई जाने वाली वाली गोलियों के उपयोग कर्ताओं की संख्या	5·02

(2) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्य

(क) रोग-प्रतिरक्षण—लाभार्थियों की संख्या

1. गर्भवती महिलाओं को टी० टी०	90.00
2. नवजात शिशुओं और बच्चों को डी० पी० टी०	140·00
3, बच्चों को डी० टी०	125·00
4. बच्चों को पोलियो वैक्सीन	35.00
5. बी० सी० जी०	150·00
6. टाइफाइड	100·00
(ग) बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव	250·00

(3) कुष्ठ

1. पता लगाए जाने वाले नए रोगियों की संख्या	4·92
2. उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या	4·92
3. उपचार के बाद छुट्टी दिए जाने वाले रोगियों की संख्या	3·53

(4) क्षय रोग

1. पता लगाए जाने वाले रोगियों की संख्या	10·00

(5) दृष्टिहीनता

मोतियाबिन्द आपरेशन किए जाने वाले रोगियों की संख्या	13·68

(6) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या

1. खोले जाने वाले उप-केन्द्रों की संख्या	7931 [वास्तविक संख्या]
2. खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	209 [वास्तविक संख्या]

(7) एकीकृत बाल विकास योजना ब्लाक

[समाज कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार]

1. परियोजनाओं की संख्या	318	(वास्तविक संख्या) जगह का चयन कर लिया गया है

नसबन्दी के 1982—83 के लक्ष्य वर्ष 1981 -82 के कार्य—निष्पादन से 63 प्रतिशत अधिक है ।

उड़ीसा के राज्य समाज कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान

1170. **श्री अनादि चरण दास : क्या समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा के राज्य समाज कल्याण बोर्ड को कितनी धन राशि सहायता अनुदान के तौर पर दी गई और बोर्ड की स्थापना से लेकर अब तक इसकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या हैं ; और

(ख) आगामी पांच वर्षों के लिए इसका क्या कार्यक्रम है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) 1981-82 के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा उड़ीसा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को 2,58,550 रुपये की धन राशि दी गयी थी जो स्थापना खर्च से सम्बन्धित 50 प्रतिशत व्यय अपने हिस्से के रूप में थी । इस के अतिरिक्त, उड़ीसा में विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए 828 स्वयंसेवी संस्थाओं को 49.63 लाख रुपये के अनुदान दिये गये थे । उड़ीसा बोर्ड की स्थापना से लेकर अब तक की गई मुख्य उपलब्धियाँ संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) संलग्न विवरण में बताए गये कार्यक्रमों को आगामी पांच वर्षों के दौरान जारी रखे जाने की सम्भावना है ।

विवरण

उड़ीसा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की मुख्य उपलब्धियां-इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 1981-82 की समाप्ति तक ।

1. सामान्य सहायक अनुदान कार्यक्रम

1981-82 के अन्त तक उड़ीसा राज्य में समाज कल्याण संगठनों की संख्या 55 से बढ़कर 380 हो गई । ये संगठन, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अनुदान सहायता से महिला मण्डलों, अवकाश शिविरों के कार्यक्रमों तथा महिलाओं, बच्चों, एवं वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं ।

2. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजना

क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए 12 परियोजनाओं में 80 केन्द्र कामकर रहे हैं ।

3. सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से मार्च 1982 के अन्त तक 2529 जरूरतमन्द महिलाओं को आय में बृद्धि करने सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 295 उत्पादन एककों की स्वीकृति दीं जा चुकी हैं।

4. वयस्क महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं की संख्या 2 से बढ़ कर 21 हो गई जिन से 540 लाभप्राप्तकर्ताओं को लाभ पहुंचा।

5. पोषाहार

एककों की संख्या 138 से बढ़ कर 302 हो गई जिन से 57 44 बच्चों को लाभ हुआ।

6. श्रम जीवी महिला होस्टल :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 42 लाभ प्राप्त कर्ताओं के लाभ के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

7. प्रदर्शन परियोजनाएं (बालवाड़िया)

20 बालवाड़ी एकक काम कर रहे हैं जिन से 600 बच्चों को लाभ हो रहा है।

8. कल्याण विस्तार परियोजनाएं (शहरी)

एक परियोजना काम कर रही है जिससे 32 बच्चों को लाभ हो रहा है।

9. शिशुसदन

1981-82 के दौरान एककों की संख्या 6 से बढ़ कर 185 हो गई जिन से 4625 बच्चों को लाभ हो रहा है।

10. परिवार कल्याण कार्यक्रम-मत नेताओं के लिए प्रेरक शिविर

परिवार कल्याण कार्यक्रमों में उपकरण देने के लिए 450 मत नेताओं को प्रशिक्षण देने तु 30 संस्थाओं को अनुदान दिये गये।

प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषाओं में शिक्षा दिया जाना

1171. **प्रो० रूपचन्द पाल :** (क) क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक किन्हीं राज्यों में प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा में शिक्षा दिये जाने को उचित माध्यम नहीं माना गया हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीलाकौल) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खुले विश्वविद्यालय व्यवस्था के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

1172. **श्री राज गोपाल नायडू** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को खुली विश्वविद्यालव व्यवस्था शुरू करने के लिए अनुमति दे रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की सहायता भी दे रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सरकार को अब तक किसी भी राज्य सरकार से एक खुले विश्व-विद्यालय की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करने अथवा इस प्रयोजन के लिए किसी प्रकार की सदस्यता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य परिवहन निगमों की सहायता

1173. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती**
श्री के० टी कौसल राम } : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य परिवहन निगमों को अपनी गतिविधियों का विस्तार करने तथा राज्य परिवहन व्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी कार्यकुशलता में सुधार हेतु उन्हें कोई सहायता देने की सरकार की योजना है :

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ;

नौवहन ओर परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ख) से (ग) एक अलग सड़क परिवहन विकास वित्त की स्थापना का प्रस्ताव सम्बन्धित विभागों के परामर्श से विचाराधीन है। इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि इस प्रकार की विशिष्ट निगम एक एजेंसी के रूप में राज्य परिवहन उपक्रम को वित्तीय ऋण देकर परिवहन सेवाओं को चलाने के लिए कार्य कर सकेगा।

खजीपेट (आन्ध्र प्रदेश) स्थित रेलवे लोको वर्कशाप

1174. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने संघ सरकार के पास खजीपेट में रेलवे लोकों वर्कशाप की स्थापना करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यौन रोग विशेषज्ञों द्वारा विज्ञापन दिए जाने पर रोक लगाने की मांग

1175. **श्री एच० एन० नन्ने गौडा**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा } : **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि तथाकथित यौन रोग विशेषज्ञों द्वारा बिभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा दिये जाने वाले "अनुचित" विज्ञापनों पर जिनसे आम जनता गुमराह होती है, रोक लगाई जाए ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार यौन रोग विशेषज्ञों द्वारा दिये जाने वाले ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने का है : और

(ग) इस मामले में सरकार ने अन्य क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) और (ग) सरकार ने हाल ही में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रैक्टीशनरों के व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार तथा अपने व्यवसायिक कार्य के दौरान बरती जाने वाली नीति-संहिता के बारे में विनियम अनुमोदित किये हैं। इससे इन प्रैक्टीशनरों पर काफी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

विज्ञान विषयों को लोकप्रिय बनाना

1176. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छे छात्रों में विज्ञान विषयों के प्रति बढ़ती हुई अनिच्छा के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) छात्रों में विज्ञान विषयों को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ;

(घ) क्या इस सम्बंध कोई परियोजना अथवा अन्य योजना तैयार की गई है, और

(ङ.) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छात्रों में विज्ञान विषयों को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय किये गए है, जैसे कि :—

(1) दस वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या में विज्ञान को एक अनिवार्य विषय बना दिया गया है।

(2) जिला और राज्य स्तर पर विज्ञान मेलों का आयोजन।

(3) विज्ञान क्लबों का आयोजन।

(4) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूल विज्ञान की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन।

(5) प्रत्येक वर्ष बच्चों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन।

विज्ञान-प्रदर्शनियों से छात्रों में न केवल वैज्ञानिक सृजनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है, अपितु अतिथि छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में भी सहायता मिलती है।

(घ) जी, नहीं।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ-पीलीभीत-टनकपुर लाईन को बदलना

1177. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है।

(ख) क्या लखनऊ-पीलीभीत-टनकपुर मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिए उक्त मापदण्ड अपनाया जा सकता है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आमान-परिवर्तन के प्रस्तावों पर मूलतः तभी विचार किया जाता है जब यह निश्चय हो जाये कि भविष्य में यातायात में होने वाले संभावित विकास को वर्तमान प्रणाली पर संभाला नहीं जा सकता।

इस खंड पर वर्तमान क्षमता यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई हैं, अतएव निर्धारित मापदण्ड के आधार पर आमान परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है।

(ग)खंड की वर्तमान क्षमता के लिए आमान-परिवर्तन और आवश्यक नहीं है और धन-राशि की भी भारी कमी है। दूसरे, यह लखनऊ-काठगोदाम/आगरा मीटर आमान ट्रक मार्ग की की केवल शाखा लाइन है जबकि ट्रक मार्ग के आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतिसार के उपचार के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा नई औषधि का विकास

1178. **श्री गुफरान आजम**
श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने अतिसार के उपचार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श से एक नई औषधि का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अतिसार रोगों के उपचार के लिए यह कहां तक सहायक होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री : (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ख) और (ग) राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता ने, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, अतिसार के साधारण और मध्यम दर्जे के रोगियों के लिए ओरल-रिहाइड्रेशन-थेरापी के रूप में ग्लूकोज लवन के मिश्रण की प्रभावकारिता सिद्ध कर दी है।

अतिसार से होने वाली मौतों का मुख्य कारण निर्जलीकरण (रिहाइड्रेशन) होता है। राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान द्वारा किए गये अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि अतिसार के सभी प्रकार के रोगों में अर्थात हल्के से मध्यम डिग्री के निर्जलीकरण के इलाज के लिए ओरल-फ्लूड-रिहाइड्रेशन थेरापी प्रभावकारी होती है। यह थेरापी सामुदायिक स्तर पर विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, अतिसार के सभी प्रकार के रोगों के लिए घरेलू इलाज के रूप में बड़ी लाभदायक समझी जाती है।

भोगपुर तथा पंसकुरे के बीच एक रेलवे स्टेशन का निर्माण

1179. **डा० सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के भोगपुर और पंसकुरे स्टेशनों के बीच एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया है,

(ख) निर्माण कब तक पूरा होगा और स्टेशन कार्य करना कब शुरू करेगा,

(ग) स्टेशन का नाम क्या होगा, और

(घ) स्टेशन का नाम रखने संबंधी निर्णय किस आधार पर किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) इस स्टेशन का निर्माण कुल मिलाकर 40% हो चुका है। इसके पूरा होने की लक्ष्य तिथि 31-12-1982 है।

(ग) इस स्टेशन का नाम नारायण पुकुरिया-मुरैल होगा।

(घ) इस स्टेशन का नाम जिला मजिस्ट्रेट, मिदनापुर ने सूचित किया है।

डीजल इंजन के लिए प्रति इंजन दिन इंजन किलोमीटर

1180. डा० **वसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) माल गाड़ी कार्यों (दो) मुख्य लाइन से भिन्न पाइलट साइडिंग कार्यों (तीन) (1) पैसेंजर बोर्डों (2) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में पृथकता आल बोर्डों में पाइलट साइडिंग कार्यों में 700 हार्स पावर अथवा इससे कम के डीजल इंजनों के लिए प्रति इंजन दिन किलोमीटर कितने हैं, और

(ख) उपर्युक्त (तीन) की आवश्यकता और यदि (एक) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली के प्रत्येक भेदी-क्षेत्र में एक माल शैड को छोड़कर सभी माल शैडों को बन्द कर दिया जाए और (दो) समस्त पैसेंजर यार्ड कार्य गाड़ी इन्जनों से, किया जाए तो अनुमानित बचत कितनी होगी।

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इन्जन उपयोगिता के आंकड़े इन्जनों के श्रेणियों अथवा भिन्न-भिन्न शहरों के लिए नहीं रखे जाते हैं। यार्डों में पायलट साइडिंग ड्यूटी के लिए उपयोग में लाये गये इन्जनों के लिए लाइन पर प्रति इन्जन किलोमीटर प्रति इन्जन दिवस के आंकड़े अलग से संकलित नहीं किये जाते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चेचक की भयानक महामारी

1181. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के कुछ भागों में चेचक ने भयानक महामारी का रूप धारण कर लिया हैं ;

(ख) पिछले छह महीनों के दौरान इस रोग से मरने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ग) इस रोग के तत्काल उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री : (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) पिछले 7 वर्षों के दौरान देश में चेचक की कोई घटना होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) चेचक उन्मूलन प्रमाणित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने अप्रैल, 1982 में भारत का दौरा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि देश से चेचक का उन्मूलन हो चुका है।

हसन-मंगलौर परियोजना में नियोजित कर्मचारियों से ज्ञापन

1182. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को हसन-मंगलौर परियोजना में नियोजित 850 कर्मचारियों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी हां ।

(ख) (1) सभी नैमित्तिक श्रमिको को रेल सेवा में समाहित किये जाने के लिए स्क्रीनिंग करने के लिए आदेश दिए जायें ।

(2) रेल पथ कार्य में लगे श्रमिकों के लिए 200-250 रु० की दरें निर्धारित करना ।

(3) नैमित्तिक श्रमिकों की वरीयता सूची छापना और

(4) सभी नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी स्तर दिया जाना ।

(ग) नैमित्तिक श्रमिकों की रिक्तियों की उपलब्धता के अनुरूप सेवा में समाहित किये किये जाने के लिए स्क्रीनिंग की गयी है। नैमित्तक श्रमिको को 196-232 रु० के वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर मजूरी दी जाती हैं और वे 200-250 रु० की वेतनमान दरों के पात्र नहीं हैं । नियमो के अधीन अपेक्षित व रीयता सूची लगा दी गयी थी । परियोजना नैमित्तिक श्रमिक अस्थायी स्तर के पात्र नहीं हैं ।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों के वेतनभाव में परिवर्तन

1183. **श्री पी० एम० सईद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों के वेतन मान में अनेक परिवर्तन किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तप्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इनसे डाक्टरों को कितना लाभ होगा ।

(घ) क्या डाक्टरों की यह एक मुख्य शिकायत थी ; और

(ड़) डाक्टरों की अन्य कितनी मांगों को क्रियान्वित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (ड़) ये प्रश्न नहीं उठते ।

गाड़ियों में भीड

1184. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्री/मेल अथवा सुपर फास्ट गाड़ियों में अधिक भीड़ के बारे में कोई बिश्लेषण किया है, और

(ख) यदि हां, तो भीड़भाड़ किस हद तक है और उसका स्वरूप क्या है और उसको दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सवारी गाड़ियों में भीड़-भाड़ मुख्यतः स्थान की उपलब्धता की मांग को पीछे छोड़ देने के कारण है और यह सामान्यतः चुनिदा मार्गों पर तथा कुछ लोक प्रिय गाड़ियों में ही है निरुदेश्य गणना से पता चला है कि अनारक्षित डिब्बों में स्थान ग्रहण का प्रतिशत 50 तथा 204 के बीच में है । संसाधनों की कमी तथा पर्याप्त अवसंरचना के उपलब्ध न होने के कारण भी सम्पूर्ण मांग को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का पुनर्गठन

1185. **श्रीमती उषा प्रकाश चोधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के ढांचे का पुनर्गठन करने का है, ताकि इसके कृत्यों को अधिक प्रभावी और इस सेवा के सदस्यों के अवसरों को बढाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के पुनरीक्षित नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री : (कुमारी कुमुद वेन एम० जोशी) : (क) जी हाँ ।

(ख) पुनर्गठित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संशोधित नियमों की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार होगी :

(1) इस सेवा को निम्नलिखित चार स्वतंत्र भागों में, यानी जनरल ड्यूटी और प्रशासनिक, जनस्वास्थ्य, क्लिनिकल (गैर-शिक्षण) और शिक्षण में पुनर्गठित किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने लिए सभी ग्रेडों में अनेक पदों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है ।

(3) कुछ ग्रेडों में पदोन्नति का कोटा बढ़ाया जा रहा है ।

(4) नान-फंक्शनल चयन ग्रेड केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा पर भी लागू किया जा रहा है ।

कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में भीड

1186. **श्री ए०टी० पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

कि :

(क) क्या कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में 1980-81 और 1981-82 और चालू वर्ष में लगातार भीड़ बनी रही अथवा थोड़े थोड़े समय बाद इनमें भीड़ रही,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त अवधि में भीड़ को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की और उसके क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1980-81 से कलकत्ता और हल्दिया पतन में कोई भीड़-भाड़ नहीं रही है ।

गत तीन वर्षों के दौरान इस पत्तन पर प्री-बर्थिग के लिए रोके गए जहाजों की औसत कम हो गई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	प्री बर्थिक के लिए रोके गए प्रति जहाज (दिनों में)
1979-80	6.24
1980-81	2.32
1981-82	1.77
1982-83	1.75

(अप्रैल से जून 82)

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता ।

"इन्दिरा गांधी बम्बई स्थित फाण्डागार आग लगने पर नष्ट होना"

1187. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा**
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री केयूर भूषण } : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी बम्बई स्थित बम्बई पत्तन न्यास का भण्डागार आग में नष्ट होगया था जो जून 1982 में किसी समय लगी थी :

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई :

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जाँच कराई है :

(घ) यदि हाँ, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि सात वर्ष पहले भी झडाकयार्ड में आग लगी थी;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बंबई पत्तन न्यास में इन्दिरा डाक में ट्रांजित शेड नं० 6 आग में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था जो जून, 1982 को लगी

थी।

(ख) अनुमानित हानि निम्नलिखित है :

	(लाख रुपये)
आयात कार्गो	32.50
निर्यात कार्गो	75.00
बंबई पतन न्यास की सम्पत्ति	21.00
कुल हानि	128.50

(ग) और (घ) बंबई पत्तन न्यास ने इस मामले की छानबीन करने के लिए एक जांच समिति की स्थापना की है।

(ङ) इन्दिरा डाक के नम्बर। अनकलीयर्ड गुड्स वेयर हाउस में 24 सितम्बर 1975 को आग लगी थी।

हावड़ा अहमदाबाद रेल गाड़ी के बारे में ज्ञापन

1188. **श्री रामजी भाई भवानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल तथा मोटर पैसेन्जर्स एसोसियेसन के सेक्रेट्री ने जून, 1982 में एक पत्र लिखा था अथवा एक ज्ञापन भेजा था जिसमें यह माँग की गई थी कि हावड़ा अहमदाबाद रेल गाड़ी को सप्ताह में चार दिन चलाने के बजाए प्रतिदिन जबलपुर नागपुर चलाया जाए और भारी भीड़ को देखते हुए डीजल इंजन लगाया जाए तथा और बोगियाँ इसके साथ जोड़ी जाएं, और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई और क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हाँ।

(ख) मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता की तंगी, टर्मिनल सुविधाओं की कमी और सवारी डिब्बों की कमी के कारण 133 अप/134 डाउन अहमदाबाद-हवड़ा एक्सप्रेस के फेरे नहीं बढ़ाये जा सकते क्योंकि यह गाड़ी सूरत दुर्ग खण्ड पर भाषा कर्मण के अन्तर्गत पूरे भार सहित चल रही है इसलिए इस गाड़ी में कोई अतिरिक्त डिब्बा जोड़ना सम्भव नहीं हैं। डीजल रेल इंजनों की कमी के कारण इस समय इस गाड़ी को डीजल रेल इंजन से चलाना सम्भव नहीं है।

एलेप्पी-इर्नाकुलम में कार्य का पूरा होना

1189. **प्रो० पी० जे० कूरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐलेम्पी-एनिकुलम लाइन की नवीनतम स्थिति क्या है अब तक उसका कितना कार्य पूरा हो गया है और उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है, और

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सम्पूर्ण लम्बाई के लिए भूमि अधिग्रहण काम चल रहा । है 264 हेक्टेयर भूमि में से 62 हेक्टेयर कब्जे

में से ली गयी है। 1·66 कि० मी० लम्बाई में छोटे और बड़े पुलों के लिए मिट्टी का काम और निर्माण के लिए ठेके दिये गये हैं और काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। जून, 82 केअंत तक 5.58 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी है।

(ख) मार्च, 1985 तक बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को दूसरी भाषा का कार्य साधक ज्ञान

1190. **श्रीमती गीता मुकर्जी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को पता है कि विश्व अनेक भागों में माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को दो वर्ष की अपेक्षाकृत अल्पावधि में दूसरी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान देने के लिए नए और बहुत सक्षम तरीके अपनाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि हमारे देश में तरीके काफी पुराने हैं और हमारे विद्यार्थी प्राय: औसतन, छह वर्ष तक (कक्षा छह से बारह) प्रयास करने के बावजूद दूसरी भाषा का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार हमारे तरीके में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? और

(घ) यदि हाँ, तो वे तरीके कौन से हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क)इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं हैं।

(ख) से (घ) यह कहना सही नहीं हैं कि हमारे देश से छात्र पांच-छ: वर्ष के अध्यापन के बावजूद भी दूसरी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तथापि, आदेशानुसार सामग्री, अध्यापन सहायक सामग्री और प्रणाली विज्ञान का सुधारने तथा इन्हें आधुनिक बनाने के सतत प्रयास किये जाते हैं।

वर्ग 1980 और 1981 के दौरान भारत में जनसंख्या में वृद्धि

1191. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 में दोनों प्रतिशतता और वास्तविक आंकड़ों के संदर्भ में भारत में जनसंख्या की वृद्धि की वास्तविक दर क्या है ; और

(ख) यह वृद्धि रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भारत के महा पंजीयक द्वारा कलैंडर वर्ष 3980 की सहज जनसंख्या वृद्धि दर 2.0३ प्रतिशत और कुल जनसंख्या वृद्धि 130 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। 1981 के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जनसंख्या में वृद्धि दर को नियंत्रित करने की नीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार है :

(क) "छोटे परिवार के सिद्धांत" को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर अपनाने की बात को बढ़ावा देना जारी रखा जाएगा ।

(ख) बहु-प्रचार साधनों और वैयक्तिक सम्पर्क के प्रभावशाली तरीके द्वारा परिवार की धारण के सम्बन्ध में जागरूकता और जानकारी देने के लिए गहन प्रयास किए जाएंगे ।

(ग) प्रत्येक दम्पत्ति को इसके मन भाता तरीका चुनने की छूट दी जाएगी ।

(घ) परिवार कल्याण की सेवाए और लोगों को घरो के यथासंभव निकट प्रदान की जाएगी ।

(ड.) यह कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्या और सामाजिक-आर्थिक विकास प्रयत्नो का एक अभिन्न अंग बना रहेगा ।

(च) महिला साक्षरता की सुविधाओ और इसको तेजी से बढ़ाने के प्रयासो का तेज किया जाएगा और इसका विस्तार किया जाएगा ।

(छ) स्कूलों तथा कालेजों में बारह युवाओं को जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा की जानकारी दी जाएगी । यह जनसंख्या शिक्षा सरकारी विभागो/एजेन्सियो तथा संगठित क्षेत्रों द्वारा आयोजित सभी कार्यकर्ता शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रारम्भ की जाएगी ।

(ज) सभी स्तरों पर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों, निम्नतम स्तर पर ग्रामीण संगठनों आदि को इस कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाएगा और उन्हें पूरा-पूरा प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा ।

(झ) लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाएगा ।

(ञ) चूंकि कुछ राज्य/संघ शासित क्षेत्र दूसरे राज्यों से आगे निकल गए हैं अरो राज्यों के बीच विभिन्ताएं हैं, इस लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य आदि जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देन के लिए एक "सेलेक्टिव एरिया स्पेसीफिक अप्रोच" आरम्भ की जाएगी ।

(ट) सभी स्तरों पर घनिष्ठ मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी । राज्य सरकारों से परामर्श करके प्रशासनिक तंत्र ठीक करने और क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाने के उपाय किए जाएंगे ।

नकली और घटिया दवाएं

1192. **श्री कुंवर राम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन बड़ी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके खार, रसायन और दवाएं पिछले तीत वर्षों में घटिया किस्म की पाई गई और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)

जहां तक सत्वों और रसायनों का सम्बन्ध है, राज्यों के औषध नियंत्रकों को इनकी कोई जानकारी नहीं होती है क्योंकि औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन इनकी गुणवत्ता पर उन्हें कोई नियंत्रण नहीं रखा होता। जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है, यह सूचना राज्यों के औषध नियंत्रकों से मंगवानी होगी और इस पर काफी समय लग जायेगा।

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के लिए शैक्षिक संस्थान

1193. **श्री जग नारायण रोत** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन आदिवासी क्षेत्रों के नाम क्या है जहाँ पर चालू वर्ष के दौरान सरकार शैक्षिक संस्थान खोलने का विचार रखती है ; और

(ख) राजस्थान के उन आदिवासी क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर स्वतन्त्रा प्राप्ति के बाद से अब तक शैक्षिक संस्थान खोले जा चुके हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की तकनीक

1194. **श्री राम सिंह यादव** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 में भारत में प्रति एक हजार जनसंख्या पर जन्म दर 34.4 थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1980-81 में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी नहीं हुई है ; और

(ग) ऐसे उपाय क्या हैं जो तकनीक और व्यवहार में अधतन हैं और जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार 1976 की जन्म की दर 34.4 प्रति हजार थी।

(ख) 1980-81 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) देश भर में यादृच्छिक रूप से चुने गए गांवों और नगरीय खण्डों में नमूना पंजीयन पद्धति नामक जन्म-मरण संबंधी नमूना सर्वेक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है ताकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु दरों का सही-सही अनुमान उपलब्ध किया जा सके। जन्म और मृत्यु दरों का अंतर ही सहज जनसंख्या वृद्धि दर होती है पूर्ववर्ती जनगणनाओं के दौरान

दशकों की जनसंख्या वृद्धि दरों को आधार मानकर आन्तरगणन विधि का प्रयोग करते हुए वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दरों का अनुमान लगाया जाता है। जनगणनाओं के बीच की अवधि (औसत 10 वर्ष की अवधि) के जन्म-मृत्यु और जनसंख्या वृद्धि के अनुमान भी जनगणनाओं से एकत्र आंकड़ों से सम्बन्धित अधिक परिष्कृत जनाँकिकीय विधियों का प्रयोग करके निकाले जाते हैं।

दोहरी शिक्षा नीति के कारण शैक्षिक असंतुलन

1195. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरी शिक्षा नीति के कारण प्रति वर्ष दो स्तर के विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं और इस स्तर पर शैक्षिक असन्तुलन बढ़ रहा है ; और

ख यदि हां, तो इस असन्तुलन को दूर करने के लिए क्या सरकार सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम लागू करने का विचार रखती है ताकि ग्रामीण विद्यालयों, विद्यार्थियों को भी अवसर समान मिल सके और शैक्षिक असन्तुलन दूर हो सके ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में जिसमें देश में शैक्षिक विकास के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं की व्यवस्था हैं, देश में शिक्षा पद्धति में एक रूपता तथा स्तरों के सुधार, और शैक्षिक विषमताओं व असन्तुलनों को समाप्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। रा० शै० अ० तथा प्र० प० द्वारा तैयार की गई एक दस-वर्षीय पाठ्यक्रमों सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है। ग्रामीण तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में असंतुलनों को दूर करने के लिए उत्तरोत्तर पंच-वर्षीय योजनाओं में पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं की व्ययस्था की गई है t देश के सभी स्कूलों में शिक्षाके स्तर को सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

जहाजरानी भाड़ें में मन्दी

1196. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज रानी भाड़े में वर्तमान मन्दी के हमारे पोतो के कार्यकरण, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में, को किस सीमा तक प्रभावित किया है :

(ख) क्या इसे नए पोलो को खरीदने के कार्यक्रम के संबंध में दोनो क्षेत्रो को पुनरीक्षा करने की आवश्यकता हो गई है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संकट को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ;

नौवहन और परिवहन मंत्री [श्री वीरेन्द्र पाटिल] : क नौवहन भाड़े में मन्दी से सरकार और प्राइवेट सेक्टर की नौवहन कम्पनियो पर बुरा प्रभाव पड़ा है। मन्दी का असर

अलग-अलग कम्पनी पर अलग-अलग है जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि जहाज किस किस्म के है और वे किस किस्म के माल ढोने में लगे हैं।

(ख) किसी भीनौवहन कम्पनी नेचाहे वह सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट नौवहन कम्पनी हो, मन्दी के कारण जहाज खरीदने के अपनें कार्यक्रम में संशोधन करने का सरकार से अनुरोध नहीं किया है।

(ग) भाड़े में सामान्य मन्दी को लेकर नौवहन कंपनियो को सहायता देने के लिए इंडियन नेशनल शिपओनर्ज एसोसियेशन ने जो अभ्यावेदन दिया था सरकार इस पर विचार कर रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक वरिष्ठ हृदय शल्य चिकित्सक द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत

1197. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिकारियो को हाल ही में एक रोगी से एक वरिष्ठ हृदय शल्य चिकित्सक के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) और (ख) प्रसूति और स्त्री वार्ड में भर्ती एक महिला रोगी ने जवानीशिकायत की थी कि हृदय रोग विभाग में काम कर रहे एक प्रशिक्षणार्थी डाक्टर ने, जिसे उसके हृदय की तकलीफ जांच के लिए कहा गया था, उसके शरीर की जांच करते समय दुर्व्यवहार किया था। निर्देशक द्वारा जांच बिठाने के निष्कर्षों के आधार पर उस डाक्टर के प्रशिक्षण के कार्यकाल को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रशिक्षणार्थी को राज्य सरकार ने यहां भेजा था। उसे हाल ही में संस्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

इण्डियन काउन्सिल आफ पैरा मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन के लिए आचार संहिता

1198. **श्री सज्जन कुमार** : क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री इण्डियन काउन्सिल आफ पैरा मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन के प्रस्तावित विधान के बारे में 18 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4041 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन काउन्सिल आफ पैरा मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन के लिए आचार संहिता बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने अपनी मंजूरी दे दी है।

(ग) यदि हां, तो यह सिफारिशें कब दी गई थीं ; और

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को मंजूर कर लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी,

ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री : (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)

(क) और (घ) : यदि भारत सरकार इस प्रकार की कोई परिषद् स्थापित करने का निणय करेगी तो आचार संहिता बनाई जा सकती है ।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की सिफारिशें सितम्बर, 1981 में मिली थीं ।

कलकत्ता महानगर रेलवे परियोजना

1199 **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता महानगर रेलवे परियोजना की क्रियान्विति मे अब तक कितनी प्रगति हुई है ।

(ख) क्या अब तक तैयार सैक्शन में किसी रेलगाड़ी को परीक्षण के तौर पर चलाये जाने की सम्भावना है, यदि हां तो कब और

(ग) समूची परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या है और इसके क्रियान्वयन में आई विभिन्न रूकावटों से लागत कहां तक बढ़ी है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कलकत्ता मेट्रो रेलवे के कार्य सम्पादन की प्रगति मई 82 के अंत तक 32.26% थी ।

(ख) नमूने के डिब्बों के साथ दमदम-बेलगाड़िया के बीच 1.2 किलोमीटर लम्बे सम्पूरित खण्ड पर प्रोटोटाइप डिब्बों सहित परीक्षण चालन 29-9-81 से पहले ही प्रारम्भ कराया गया है ।

(ग) समूची परियोजना के पूरी होने की निर्धारित तिथि 1987 है । कार्य पूरा होने में लगा अतिरिक्त समय मुख्यतः 1977 तक प्रारंभिक स्तरों पर धन की कमी, अनपेक्षित उपयोगिताओ से सम्बन्य भूमि अधिग्रसण में देरी की समस्याएं आवश्यक निर्माण सामग्री की कमी के कारण कार्य पूरा होने में अतिरिक्त समय लगा और कुछ खण्डों में ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त कार्य निष्पादन से भी अतिरिक्त समय लगा समय मूलक लागत में वृद्धि एक प्राकृतिक तथ्य है जो कि देश की सामान्य आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित है ।

नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की क्षमता में वृद्धि

1200. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बम्बई-राजधानी एक्सप्रैस की तरह नई दिल्ली-राजधानी एक्सप्रेस की वर्तमान क्षमता, विशेषकर वातानुकूलित यान की, बढ़ाने का विचार हैं,

(ख) यदि हां, तो विस्तृत ब्यौरा क्या हैऔर यह कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)से (ग) जी हाँ, 101/102 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को अधिक शक्तिशाली बिजली इंजन

के साथ खींचे जाने का प्रस्ताव है और परीक्षण चल रहे हैं। इंजन के परीक्षण किये जाने के बाद, अतिरिक्त वातानुकूल चेयर लगाकर गाड़ी के भार में वृद्धि की जाएगी।

रामपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन के लिए सीटों के कोटे का आरक्षण

1201. **श्री लक्ष्मण शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 137 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में रामपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशनों के लिए कुल कितनी सीटों का आरक्षण आवंटित किया गया है और बस्तर के लोगों के लिए दोनों श्रेणियों में कितनी सीटों का आरक्षण आवंटित किया गया है,

(ख) क्या सरकार का विचार बस्तर के पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए रामपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण का कोटा निर्धारित करने का है, और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 137 अप बिलासपुर-निजामुद्दीन- चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में रायपुर तथा दुर्ग स्टेशनों के लिए निम्नलिखित कोटा दिया गया है :—

स्टेशन का नाम	आवंटित कोटा	
	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
रायपुर	10	128
दुर्ग	6	42

बस्तर के यात्री भी इन कोटाओं का लाभ उठा सकते हैं।

एशियाई खेलों के लिए टिकटों की बिक्री

1202. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों को देखने के लिए टिकटों की बिक्री चल रही है;

(ख) यदि हां, तो टिकटों की क्या दर निर्धारित की गई है; और

(ग) टिकटों की बिक्री के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) नौवें एशियाई खेल, 1983 के लिए विशेष आयोजन समिति द्वारा निर्धारित टिकटों की दरों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) एशियाई खेल, 1982 के लिए विशेष आयोजन समिति द्वारा भेजी गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार, टिकटों की बिक्री का प्रबन्ध देश भर में चुने गए केन्द्रों पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाएगा।

विवरण

Ix वें एशियाई खेल, 1982 दैनिक टिकटों की सूची

प्रतियोगिताएं/खेल	(i) (ii) तारीखें क्वार्टर फाइनल तक सेमी फाइनल और स्थान फाइनल		1 दर (रु०)	2 दर (रु०)	3 दर (रु०)	छात्रों और सेवा सुरक्षा कर्मिक के लिए रियायती दर	दाता (रू०)	विदेशी अमेरिकी डालर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उद्घाटन समारोह	19-11-82	मुख्य स्टेडियम लोदी रोड	100	30	10	5	9500	12
तीरंदाजी	21-11-82	दिल्ली विश्व-विद्यालय	3	—	—	2	—	1
	22-11-82	ग्राउण्ड						
एथलेटिक्स	25-11-82 से 2-12-82 तक (विश्राम 29-11-82)	मुख्य स्टेडियम लोदी रोड	15	5	3	2	9500	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बैडमिंटन	(i) 25-11-82 26-11-82 29-11-82 से 1-12-82 तक	इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम, राजघाट	15	5	3	2	2000	2
	(ii) 27-11-82 28-11-82 2-12-82 3-12-82		30	10	5	3		4
बास्केटबाल	(i) 20-11-82 से 26-11-82 तक	ताल कटोरा इन्डोर स्टेडियम	15	5	3	2		2
	(ii) 27-11-82 से 3-12-82 तक		25	10	5	3	2000	3
मुक्केबाजी	(i) 26-11-82 से 29-11-82 तक	खेल भवन प्रगति	5	—	—	3		1
	(ii) 30-11-82 से 3-12-83 तक	मैदान					1000	
	(विश्राम 2-12-82)		10	—	—	7		2
साइकिल दौड़	23-11-82 से 26-11-82 तक	यमुना बेल्लोड्रोम राजघाट	3	—	—	2		1

1		2	3	4	5	6	7	8	9
घुड़सवारी		20-11-82 21-11-82 23-11-82 25-11-82 27-11-82	हरबक्श स्टेडियम	15	5	—	3	5000	2
फुटबाल	(i)	20-11-82 से 28-11-82 तक	मुख्त स्टेडियम	25	15	5	3	9500	3
	(ii)	30-11-82 से 3-12-82 तक	लोदी रोड	50	30	६0	7		6
	(i)	20-11-82 से 25-11-82 तक	अम्बेदकर स्टेडियम माडल टाउन स्टेडियम	25 15	15 5	5 3	3 2	2000 1000	3 2
गोल्फ	(i)	21-11-82 22-11-82	दिल्ली गोल्फ क्लब	15	—	—	10		2 —
	(ii)	23-11-82 24-11-82		25	—	—	17		3
व्यायाम		20-11-82 से 23-11-82 तक	इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम राजघाट	15	5	3	2	5000	2
हैण्डबाल	(i)	23-11-82 से 28-11-82 तक	दिल्ली विश्वविद्यालय ग्राउण्ड	5	3	—	2		1
	(ii) (विश्राम	30-11-82 29-11-82]		10	5	—	3	—	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9
हाकी पुरुष	(i)	20-11-82 से 28-11-82 तक	नेशनल स्टेडियम	15	5	3	2	5000	2
	(ii)	29-11-82 से 1-12-82 तक		30	10	5	3		4
हाकी महिलाएं	(i)	20-11-82 से 25-11-82 तक	शिवाजी स्टेडियम	15	5	3	2	2000	2
	(ii)	26-11-82		30	10	5	3		4
नौका विहार	(i)	20-11-82 21-11-82 22-11-82	रामगढ़ लेक जयपुर	5	—	—	3		1
	(ii)	24-11-82 25-11-82		10	—	—	7		2
निशानेबाजी		22-11-82 से 2-12-82 तक	तुगलकाबाद शूटिंग रेन्ज	3	—	—	2	—	1
	विश्राम	29-11-82							
तैराकी		20-11-82 से 29-11-82	ताल कटोरा तरण ताल	25	15	5	3	2000	3

1	2	3	4	5	6	7		9
टेबल टेनिस (प्रातः कालीन सत्र)	(i) 19-11-82 20-11-82 21-11-82 23-11-82 24-11-82	खेल भवन, प्रगति मैदान	5	3	—	2		1
	(ii) 22-11-82 और 25-11-82		15	5	—	3	2000	2
(सायंकालीन सत्र)	(i) 20-11-82 21-11-82 23-11-82 24-11-82		15	5	—	3		2
	(ii) 22-11-82 और 25-11-82		30	10	—	7		4
टेनिस (लान)	(i) 20-11-82 21-11-82 22-11-82 25-11-82 से 28-11-82 तक	टेनिस स्टेडियम हौज खास	25	15	5	3	5000	3 3
	(ii) 23-11-82 24-11-82 29-11-82 से 1-12-82 तक		50	30	10	7		6

1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
वालीबाल	(i)	20-11-82 से 25-11-82 तक	इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम राजघाट	15	5	3	2		2
	(ii)	27-11-82 से 3-12-82 तक		25	10	5	3	2000	3
भारोत्तोलन		20-11-82 से 29-11-82 तक	एशियाड केन्द्र	5	3	—	2	—	1
कुश्ती	(i)	28-11-82 से 30-11-82 तक	अम्बेडकर स्टेडियम	15	5	3	2	5000	2
	(ii)	1-12-82 2-12-82		30	10	5	3		4
समापन समारोह		4-12-82	मुख्य स्टेडियम लोदी रोड	100	30	10	5	9500	12

टिप्पणी :— (i) क्वार्टर फाइनल्स/प्रीलिमिनरी लीग मैचों तक प्रतियोगिताओं की तारीख और दरों का उल्लेख है।

(ii) सेमी फाइनलों और फाइनलों/सुपर लीग मैचों की तारीखों और दरों का उल्लेख है।

सभी खेलों की दरें प्रतिदिन की हैं तथा दान कर्त्ताओं को छोड़कर किसी के लिए सीजन टिकट की व्यवस्था नहीं है। परिवर्तन होने पर ही कोई सूचना दी जायेगी।

दिल्ली में बिजली की रिंग रेलवे

1203. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिजली की रिंग रेलवे कब काम करना शुरू कर देगी और रेल गाड़ियां कितनी-कितनी देर बाद चला करेंगी,

(ख) बार-बार बिजली की खराबी और डेसू द्वारा अनियमित बिजली की कटौती को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली को बिजली की सतत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए है, और

(ग) क्या इन गाड़ियों को आगमन और प्रस्थान के समय विभिन्न स्टेशनों के सम्बन्ध कालोनियों तक 'फीडर' बस सेवा शुरू करने का कोई तरीका सोचा गया है ताकि यह उदयम न न केवल महत्वपूर्ण और लाभकारी हो, अपितु दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं को यातायात के दबाव से कुछ राहत मिलें ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रिंग रेलवे के रेल पथ को उर्जीकृत कर दिया गया है। परीक्षण चालन के पूरा हो जाने पर बिजली गाड़ियाँ चलने लगेंगी। आरम्भ में ये बिजली गाड़ियाँ वर्तमान परिक्रमा सेवा के स्थान पर चलेंगी इन गड़ियों के फेरे उत्तरोत्तर बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) दिल्ली रिंग रेलवे की पावर सप्लाई रेलवे के साहिबाबाद स्थित सब स्टेशन से, जिसे उत्तर प्रदेश पावर ग्रिड से बिजली प्राप्त होती है और चाणक्यपुरी में लगाये जा रहे नये सब स्टेशन से, जिसे डेसू से बिजली प्राप्त होगी, उपलब्ध कराई जायेगी। रिंग रेलवे पावर (नेटवर्क) को बल्लभगढ़ सब स्टेशन जिसे फरीदाबाद से मथुरा तक मुख्य लाइन की गाड़ी सेवाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए लगाए जाने का रेलवे ने विचार किया है, सेमी सम्बन्ध किया जाएगा। इस सब स्टेशन को, चालू हो जाने पर, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से बिजली प्राप्त होगी।

(ग) जी हां/रिंग रेलवे के आ० स्टेशनों पर, जहां फिलहाल सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है, फीडर बस सेवायें आरम्भ करने का एक प्रस्ताव है। ये स्टेशन है लाजपत नगर सेवा नगर लोधी कालोनी, सरोजनी नगर, तिलक ब्रिज चाणक्यपुरी बरार एक्वेयर कीर्ति नगर और दया बस्ती दिल्ली परिवहन निगम इन क्षेत्रों में कुछ वर्तमान मार्गों की पुर्नरचना पर विचार कर रहा हूं जिससे कि इन फीडर सेवाओं को परिचालित किया जा सके।

सरकारी उपक्रमों में खपाए गए रेलवे अधिकारियों को विशेष पास

1204. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों में तथा सांविधिक निगमों में खप जाने के बाद भी रेलवे अधिकारी ऐसे विशेष पास प्राप्त करते रहते हैं जिससे वे वातानुकूलित डिब्बे में भी यात्रा कर सकते हैं,

(ख) यदि हाँ तो किस नियम या आदेश के अधीन,

(ग) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के ऐसे अधिकारियों का सेवा में नियुक्ति की तारीख प्रतिनियुक्ति पर जाने की तारीख स्थायी रूप से वहां खपाए जाने की तारीख तथा उस समय तक उनकी कुल रेलवे सेवा सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, जो विभिन्न सरकारी उपक्रमों और सांविधिक निगमों में स्थायी रूप से खपाए जाने के बाद भी इस समय ऐसे पासों की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, और

(घ) अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उन्हें रेलवे पासों और पी० टी० ओज की रियायत मिलते रहने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) वर्तमान आदेशों के अनुसार, रेल कर्मचारियों को रेल सेवा छोड़ने पर, सेवा निवृत्ति मानार्थ पासों की स्वीकृति दी जाती है और किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समाहित हो जाने के पश्चात भी वे पास प्राप्त करते रहते हैं। ये पास निर्धारित वेतन मानों तथा सेवा छोड़ने के समय अधिकारी द्वारा लिए जा रहे वेतन के अनुसार जारी किये जाते है। अपेक्षित अन्तर का भुगतान किए बगैर ऐसे पास पहला दर्जा वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा करने के लिए उपलब्ध नही होते।

प्रतिनियुक्ति की अवधि में जब उनका लियन किसी रेलवे पद पर होता है रेल कर्मचारियों को सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश स्वीकृत किए जाते हैं।

प्रश्न के भाग 'ग' के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"यातायात नियमों के उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध नई नीति

1205 **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने चालक लाइसेंसों के जारी करने और वाहनों की उपयुक्तता की नियमित जांच की व्यवस्था करने के लिए कानूनी उपबन्धों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नई नीति तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय मे राज्यमन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करते समय नई दिल्ली में 31.5.82 को हुई बैठक में परिवहन मन्त्रियों ने यह महसूस किया है कि ड्राईविंग लायसेन्स देने, गाड़ियों की फिटनस और यातायात के अन्य विनियमों सम्बन्धी मौजूदा उपबन्धो को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है । तदनुसार उन्होने इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक मशीनरी को सशक्त बनान का निश्चय किया है ।

कैंसर का इलाज करने के लिए चीन के वैज्ञानिकों द्वारा औषधि का विकास

1206. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीज के वैज्ञानिकों ने असाध्य रोग कैंसर का इलाज करने के लिए एक औषधि का इलाज किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस औषधि की जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय में **उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) 11 जनवरी, 1981 को प्रेस में चीन के पास कैंसर का इलाज है" शीर्षक से जो खबर छपी थी, सरकार को उसकी जानकारी है । वैसे, इस विषय पर कोई प्रकाशित सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

डिगनोब्रा स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों का अभ्यावेदन

1207. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डिगनोब्रा स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी पानी की अनुपलब्धता के कारण परेशान है,

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में 4 जून 1982 को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जून) : जी हां ।

(ख) रेल मंत्री के नाम श्री समर मुखर्जी, संसद सदस्य से दिनांक 4-6-82 का पत्र मिल गया है ।

(ग) पानी की मात्रा में वृद्धि करने के लिए स्टेशन के खुले कुंए को गहरा करने की कारंवाई शुरु कर दी गयी है ।

(घ) ऊपर के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता

1208- **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक दृष्टि से पिछले उन नौ राज्यों को, जिनमें 80 प्रतिशत तक बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं हैं, विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं तथा अन्य राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ; और

(ग) प्राथमिक अवस्था में पढ़ाई छोड़ देने की समस्या को हल करने सम्बन्धी योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की आशा है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) जी, हां ।

(ख) ये राज्य आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिमी बंगाल है ।

प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को गैर औपचारिक शिक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता निम्नलिखित है :—

(1) दोहरी अन्त:शक्ति रखने वाली गैर औपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक तथा नवीनतम परियोजनाओं के लिए किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सरकारी अथवा निजी शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान ; और

(2) गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों वाले सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को औपचारिक शिक्षा के लिए पुस्तकों तथा साहित्य के प्रकाशन के लिए कागज के रूप में वस्तु सहायता ।

(ग) प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़कर चले जाने वालों की दरों को कम करने के लिए राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विभिन्न उपाय सुझाए गए अथवा किए गए, पढ़ाई शुरु न करने वाले तथा पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों को तथा स्कूल में न पढ़ने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्वाधिक कारगर नीति समझा जाता है। चालू योजना अवधि में ही अनौपचारिक शिक्षा का पर्याप्त रूप से विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को शामिल किया जा सके।

रायपुर वेगन रिपेयर वर्कशाप का विस्तार

1209. **श्री कैयर भूषण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में रायपुर वैगन रिपेयर वर्कशाप के विस्तार के लिए कई योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) आजकल मरम्मत कारखानों में 30 माल डिब्बों की प्रतिदिन आवधिक ओवरहाल मरम्मत की जा रही है। विस्तार योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन 55 माल डिब्बों की मरम्मत क्षमता में वृद्धि करते के बारे में विचार किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 60 करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है।

जलमार्गों का विकास

1210. **श्री कैयर भूषण** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल मार्गों का विकास करने के लिए कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हा तो उसका ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन सेक्टर में विभिन्न विकास स्कीम के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय की छठी पंचवर्षीय योजना में 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। चुनी गई जलमार्गों के विकास के लिए जलीय सर्वेक्षण, टेकनो-इकानामिक अध्ययन और मूलभूत सुविधाओं का निर्माण आदि योजना कार्यक्रम के रूप में करना होता है।

पंजाब में डीजल के कल-पुर्जों की वर्कशाप का निर्माण कार्य

1211 **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में डीजल के कल-पुर्जों की वर्कशाप के निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) इसमें कब तक उत्पादन शुरु हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पटियाला में परियोजना संगठन की स्थापना की गयी है। 46.50 करोड़ रुपये की राशि की परियोजना अनुमान मार्च 1982 में इसके लिए स्वीकृति दे दी गई थी अन्य अन्य आरम्भिक निर्माण-कार्य जैसे कारखाने तथा नगर के लिए भूमि अधिग्रहण, मशीनरी और संयंत्र के लिए बिजली सप्लाई तथा विस्तृत नमुने, कारखाना नक्शा, कारखाना इमारतों के लिए सलाहकार सेवाओं के लिए टेंडर देने, कालोनी की इमारतों के निर्माण के लिए टेंडर देने तथा अन्य सेवा सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। परियोजना के लिए आवश्यक जनशक्ति के गटन के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

(ख) यदि धन उपलब्ध हुआ तो 1984-85 के अन्त तक परियोजना निर्माण पूरा करने तथा कारखाने में कार्य शुरू करने की योजना है।

दिल्ली से अमृतसर तक जी० टी० रोड़ को चौड़ा किया जाना

1212: **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से अमृतसर तक जी० टी० रोड को, जिस पर दुर्घटनाओं की दर बहुत अधिक है और उनमें से अनेक घातक होते हैं, चौड़ा करने और उसे चार लेनों वाली सड़क बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह समूचा कार्य कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ; और

(ग) इसमें कितना पूंजी परिव्यय आयेगा और हरियाणा और पंजाब राज्यों से गुजरने वाले मार्गों पर अब तक कितना व्यय किया गया है'

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	दिल्ली	हरियाणा	पंजाब	अभ्युक्ति
1. रा० रा० 1 मौजूदा या पूर्ण किए चार लेन वाले खंडों की लम्बाई	15.5 कि०मी-		4 मि० मी०,	

1	2	3	4	5
2. उन खंडों की लम्बाई जिनमें सड़क को चार लेनों तक चौड़ा करने का काम हो रहा है।	14 मि० पी०	21 कि० मी०	24 कि० मी० ×	इससे दिल्ली में रा० रा० । का पूरा भाग चार लेन का हो जाएगा ।
3. चालू कार्य के पूरे होने की संभावित तारीख	31.7.82	31.7.82 × ×	31.3.83	एक घंटे पुल को छोड़ जिसके
(क) अन्तरिम विटुमन सतह सहित चरण 1				31.3.83 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।
(ख) अन्तिम विटुमनी सतह सहित चरण 2	31.10.82	30.6.83	31.3.84	इसमें दो रेल ओवर पुल शामिल नहीं है ।
4. चालू कार्यों के पूरा होने को संभावित लागत	550 लाख रु०	450 लाख रू०	612 लाख रु०	
5. चालू कार्यों पर मार्च, 1982 तक खर्च	434.8 लाख रू०	254.5 लाख रू०	166.5 लाख रू०	

6. हरियाणा और पजाब में, छठी योजना में 29 करोड़ रू० के खर्च की व्यवस्था की गई जिससे कि 124 कि० मी० लम्बी और सड़क का काम भी पूरा हो सके। परन्तु निर्माण कार्य वर्षानुवर्ष धन उपलब्ध होने की स्थिति पर निर्भर करेगा। सड़क के शेष भाग को चार लेनों में चौड़ा करने का काम संसाधन उपलब्ध होने पर और कार्यों की परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अगली योजना में किया जा सकता है।

तकनीकी शिक्षा संस्थानों की क्षमता में वृद्धि की माँग

1213. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी शिक्षा की मांग बढ़ रही है, लेकिन देश में गत पांच

वर्षों के दौरान तकनीकी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी मांग में हुई बढ़ोत्तरी का पता लगाने के लिए कोई अनुमान लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा तकनीकी शिक्षा की मांग की तुलना में इस समय वर्तमान संस्थाएं कितनी कम हैं ;

(घ) क्या सरकार ने देश में गैर-सरकारी संगठनों को ऐसी सस्थाएं, खोलने की अनुमति देने सम्बन्धी कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं, ताकि अल्प समय में ही इस मांग को पूरा किया जा सके ; और

(ड.) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए है, तो उनका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और सस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं । वास्तव में पिछले पांच वर्षों के दौरान अनेक तकनीकी संस्थाएं और विभिन्न स्तरों पर इन्जीनियरी तथा प्रोद्योगिकी के विभिन्न विषयो के अनेक नए पाठ्यक्रम उपयुक्त आवश्यकता के अनुसार शुरु किये गये हैं ।

(ख) मन्त्रालयों द्वारा गठित तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी कार्य दल द्वारा इन्जीनियरी और तकनीकी जनशक्ति आवश्यकताओं के सम्बन्ध में किये गये अस्थाई समस्त मात्रात्मक मूल्यांकन में यह बताया गया कि सभी स्तरों पर अर्थात डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए वर्तमान वार्षिक दाखिला क्षमता 1987 तक की अवधि के लिए पर्याप्त है ।

(ग) इन्जीनियरी कार्मिकों के सम्बन्ध में योजना आयोग के जनशक्ति प्रभाग द्वारा भेजे गये चालू रजिस्टर के आंकडों के अनुसार 30 जून, 1981 को 22,345 इन्जीनियरी स्नातक बेरोजगार थे तथा 31 दिसम्बर, 1980 को 90,305 इन्जीनियरी डिप्लोमाधारी बेरोजगार थे ।

(घ) और (ड.) : प्रश्न नहीं उठते ।

आरक्षण के आधार पर अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के छात्रों का स्कूलों में प्रवेश

1214. **श्री भोखा भाई** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय/दिल्ली प्रकाशन तथा समितियों के प्रशासनिक नियन्त्रण में कितने विद्यालय है ;

(ख) क्या दिल्ली में उक्त दो एजेन्सियों द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आरक्षण के आधार पर प्रवेश दिया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का उन सोसाइटियों/न्यासों के कार्य संचालन को नियमित करने का

कोई प्रस्ताव है जो पब्लिक स्कूल चला रहे हैं और उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्थान की सरकार की आम नीति के अनुसार ही उन्हें निशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन स्कूलों पर बल देने का है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगर) : (क) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है निम्नलिखित स्कूल, जिनकी संख्या नीचे दी गई है, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन; दिल्ली और सोसाइटियों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत है :—

(1) राजकीय स्कूल	—	712
(2) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल	—	192
(3) गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल	—	136
	कुल	1040

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सभी राजकी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों अल्पसंख्यकों के स्कूलों के अलावा मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धों/प्रिंसिपलों को अनुदेश जारी किये हैं कि उन्हें विभिन्न कक्षाओं में दाखिले के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों के वास्ते क्रमश: 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने चाहिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को दाखिल न करने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जी, नहीं ।

दिल्ली में पोलिया रोग

1215. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पोलिया रोग महामारी की भाँति फैल गयी है और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इसकी जाँच के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई थी और इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समिति ने ओखला वाटर वर्क्स को बन्द करने तथा नजफगढ़ तथा अन्य बातों से गाद निकालने की सिफारिश की थी ; और

(घ) यदि हां, तो समिति की इस सिफारिश को अब तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) वाइरल हैपाटाइटिस (पीलिया) का रोग दिल्ली में दिसम्बर 1955 और जनवरी, 1956 में फैला था। इन प्रकोपों की जांच करने से पता चला कि यह महामारी बजीराबाद के सक्शन वाटर वर्क्स के कच्चे जल में मलजल के मिल जाने के कारण फैली थी।

दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने दिल्ली में पीलिया की महामारी के कारणों की जांच करने के लिए 12-1-1956 को एक समिति गठित की थी। दिल्ली में 1955-56 में पीलिया की महामारी के कारणों की जांच करने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसकी सिफारिशें विवरण में दी गई हैं।

(ग) समिति ने ओखला वाटर वर्क्स को बन्द करने की सिफारिश नहीं की है। किन्तु नजफगढ़ नाले के सम्बन्ध में इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

> "यमुना नदी के साथ मिलने वाले नजफगढ़ नाले के वर्तमान संगम को नदी के और नीचे की ओर मोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। यदि ऐसा करने में अधिक समय लगने की सम्भावना हो तो इस नाले के गर्मी के मौसम के बहाव को और नीचे की ओर ले जाने की अस्थायी व्यवस्था कर ली जाए। यह कार्य इस वर्ष (1956) के गर्मी के मौसम से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।"

नजफगढ़ नाले को नदी के नीचे की ओर मोड़ दिया गया है और बजीराबाद वाटर वर्क्स के ठीक नीचे एक बांध बना दिया गया है

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1955-56 के दौरान दिल्ली में पीलिया फैलने के कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिए गठित की गई समिति की सिफारिशें :—

1. पानी के रासायनिक और जीवाण्वीय विशलेषण में बरती जाने वाली सावधानी में कदापि छूट नहीं दी जानी चाहिए और उसके निष्कर्षों का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जब कोई प्रतिकूल निष्कर्ष ध्यान में आए तो तत्परता से उपयुक्त कार्यवाही की जाए।

2. इन्जीनियरिंग प्राधिकारियों को केवल पानी की मात्रा पर ही नहीं वरन उसकी गुणपरकता पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए।

3. दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों से जिन-जिन अधिकारियों का सम्बन्ध है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए और अपने-अपने इलाकों में होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट शीघ्र देने के लिए उन्हें अपने परिधिस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए।

4. जन स्वास्थ्य अधिकारियों को मनोवृत्ति को बदला जाना चाहिए ताकि वे अपनी उस पुरानी धारणा को त्याग दें कि उन्हें केवल हैजा, चेचक और प्लेग जैसे संक्रामक रोगों की और

तत्काल ध्यान देना है। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे बहुत से लोगों को एक साथ होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझें ।

5. संयुक्त जल-मल निकास बोर्ड के इन्जीनियर-सचिव की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए।

6. नागरिकों की जरूरतों से संबंधित सभी कार्यों के लिए एकल केन्द्रीय प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। इस प्राधिकरण का गठन होने से संयुक्त मल-जल विकास बोर्ड का एक अलग अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

7. यदि एकल प्राधिकरण का गठन नहीं किया जाये तो मौजूदा संयुक्त मल-जल निकास बोर्ड अधिनियम की शक्तियों में यथोचित संशोधन करके उस बोर्ड की शक्तियां और कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया जाये ताकि बोर्ड केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अलग रहकर अपना कार्य स्वतन्त्र रुप से कर सके और स्वास्थ्य प्राधिकारी का सहयोग प्राप्त करके यथोचित तालमेल बिठा सके।

8. नदी के बहाव के बारे में खड़कवास्ता अनुसंधान स्टेशन के निदेशक से जो सलाह मिले, उसे कार्यान्वित किया जाए । निदेशक से यह भी अनुरोध किया जाए कि वह पानी के अनुप्रवाह वाले छोर पर एक "एनोकट" का निर्माण करने की संभावना पर विचार करें ताकि आसानी से निकाला जा सके।

9. यमुना की जलपूर्ति में वृद्धि करने के लिए हिण्डन नदी या हिण्डन-कट से पानी प्राप्त करने की संभाव्यता का पता लगाया जाये।

10. नहर के पानी को स्थायी आधार पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई प्राधिकारियों के साथ मिलकर संतोषजनक व्यवस्था की जाये।

11. नजफगढ़ नाले और यमुना के वर्तमान संगम स्थल पर इसके अनुप्रवाह को मोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए। यदि इस कार्य में लम्बा समय लग जाने की आशंका हो तो शुल्क मौसम के दौरान इस नाले के अनुप्रवाह वाले भाग में उसे और आने से मोड़ने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस वर्ष (1956) की गर्मियों के समाप्त होने से पहले ही यह कार्य कर लिया जाना चाहिए।

12. शहर के उत्तरी और पश्चिमी भागों से ओखला में आने वाले मल-जल की सफाई के प्रश्न की छानबीन की जानी चाहिए और यदि इसे व्यावहारिक पाया जाए तो इस सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही की जानी चाहिए। अन्यथा, पश्चिम और उत्तर के लिए दो स्वतन्त्र मल-जल सफाई संयन्त्रों की स्थापना का कार्य शुरु करके उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाना चाहिए।

13. जब तक शहर के उत्तरी और पश्चिमी भागों को जल मल की सफाई और उसकी पूर्ति की स्थायी सुविधाएं नहीं होती तब तक चन्द्रावल में पानी के सुपर क्लोरीनेशन तथा डी

क्लोरीनेशन की ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसका इस्तेमाल थोड़े समय के नोटिस पर भी किया जा सके।

स्वयं सेवी संगठनों को दी गयी सहायता

1216. **श्री भीखा भाई :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने 7000 स्वयं सेवी संगठनों को अपना कार्यजारी रखने के लिए सहायता दी है ; यदि हां तो ये संगठन कितने परिवारों को मदद दे रहे हैं ;

(ख) इन संगठनों ने ऐसे कितने दम्पतियों को परिवार नियोजन उपाय अपनाने हेतु प्रेरित किया है, जो अन्यथा सन्तान उत्पन्न कर सकते थे ; और

(ग) क्या उपर्युक्त संगठनों को दी गई सहायता वस्तुत: उनके उद्देश्यों के अनुरूप है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) जी, हाँ। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने 1981-82 के दौरान 7,000 से भी अधिक स्वयंसेवी संगठनों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लिए अनुदान दिए थे। फिर भी, केन्द्रीय बोर्ड के सभी कार्यक्रम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं, जो बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। इसलिए कार्यक्रम की प्रगति परिवारों की संख्या के रूप में नहीं आंकी जा सकती।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के तत्वाधान में बोर्ड द्वारा कार्यन्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों में प्रेरित करने हेतु परिवारों के पास सीधे जाने की व्यवस्था नहीं है। बोर्ड "जनमत नेताओं" को प्रेरित करता है जो परिवार कल्याण के संदेश को फैलाते हैं।

(ग) केन्द्रीय बोर्ड द्वारा संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए तभी अनुदान दिए जाते हैं यदि उन संस्थाओं के उद्देश्य कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरूप हों।

केन्द्र/ राज्य सरकारों से विकलांगता पेन्शन पाने वाले लोगों की संख्या

1217. **श्री भीखा भाई :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलाग वर्ष के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों में कुल कितने विकलांग लोगों को सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया गया है ;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कितने लोग थे ;

(ग) ऐसे कुल कितने लोग हैं जिन्हें राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार दोनों से विकलांगता पेन्शन मिलती है ; और

(घ) ऐसे कुल कितने लोग हैं जिन्हें सरकार ने आय के अन्य स्रोत उपलब्ध कराये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जनवरी से सितम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान विभिन्न रोजगार कार्यालयों ने केन्द्रीय सरकार के अधीन 1272 विकलांग व्यक्तियों को तथा राज्य सरकारों के अधीन 3439 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाया ।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) विकलांग व्यक्तियों को बिकलांगता पेन्शन प्रदान करने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है । फिर भी निम्नलिखित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अनुरूप विकलांग व्यक्तियों को मासिक भत्ते दे रहे हैं :—

क्रम संख्या	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	प्रतिमास पेन्शन की राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30 रुपए
2.	बिहार	30 रुपए
3.	गुजरात	30 रुपए
4.	हिमाचल प्रदेश	50 रुपए
5.	कर्नाटक	40 रुपए
6.	केरल	45 रुपए
7.	मध्य प्रदेश	60 रुपए
8.	महाराष्ट्र	60 रुपए
9.	जम्मू और कश्मीर	60 रुपए (दो से अधिक आश्रितों के साथ 90 रुपए)
10.	तमिलनाडु	25 रुपए (एक वर्ष में दो बार एक साड़ी या धोती तथा प्रति सप्ताह एक किलोग्राम चावल)
11.	उत्तर प्रदेश	60 रुपए
12.	पश्चिम बंगाल	30 रुपए
13.	दिल्ली	50 रुपए
14.	लक्षदीप	60 रुपए

राज्य सरकारों/ केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा जिन विकलांग व्यक्तियों को ऐसे भत्ते दिए गए हैं, उनकी संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) आय उत्पन्न करने के स्रोत प्रदान करने वाली निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :—

(1) ब्याज की विभेदी दर की योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के विकलांग व्यक्तियों और संस्थाओं को 1500 रुपए तक कार्य पूजी ऋण के रुप में उपलब्ध है और स्व-रोजगार उद्योग स्थापित करने के लिए 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर 5000 रुपए राशि के रूप में उपलब्ध है ।

(2) सभी तेल कम्पनियों की डीलरशिपों/एजेन्सियों में से 15 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों युद्ध में विकलांग हुए रक्षा कर्मचारियों तथा युद्ध में शहीद हुए जवानो की विधवाओं के लिए आरक्षित किया गया है ।

(3) टेलीफोन बूथों' कियास्क और दुकानें भी विकलांग व्यक्तियों को नियत की जाती है ।

जिन व्यक्तियों की आय उत्पन्न करने के येस्रोत प्रदान किए गए थे उनकी संख्या के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

विसंक्रमित सर्जिकल मरहम पट्टियां

1218. **डा० एम०यू० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विसंक्रमित सर्जिमल मरहम पट्टियां नहीं बनाई जातीं,

(ख) देश में मरहम पट्टिया कैसे बनाई जाती हैं, और

(ग) क्या बड़े शहरों के अस्पतालों में मरहम पट्टियों को प्रयोग करने से पहले विसंक्रमित किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) अवशोषक रुई, अवशोषी सिंट और पट्टियां देश में बनाई जाने वाली मुख्य सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं । सर्जिकल ड्रेसिंग्स विशेषकर पट्टियां, जो बनाकर बेची जाती हैं उन "विसंक्रमित" का लेबल नहीं लगाया जाता है । भारतीय भेषजसंहिता की लेबल लगाने सम्बन्धी अपेक्षाओं के अनुसार 4 औंस तक अवशोषक रुई के सभी पैकटों को विसंक्रमि। किया जाना चाहिए और वे ऐसे पैकटों में बेचे जाने चाहिए जिसमें उनकी विसंक्रमणता स्थिर रहे और उन पर "विसंक्रमित" का लेबल लगाया जाना चाहिए। अवशोषक रूई के बड़े-बड़े बंडल बनाते समय उन्हें विसक्रमित किया जाए और उन पर यह लेबल लगाया जाए कि "बनाते समय उन्हें विसंक्रमित किया गया है प्रयोग से पहले विसंक्रमित किया जाए।" तथापि, यह देखा गया कि अवशोषक रूई के निर्माता अपने-अपने मात पर भिन्न-भिन्न प्रकार का लेबल लगाते हैं। यानी "बनाते समय विसंक्रमित किया गया प्रयोग से पहलेविसंक्रमित किया जाए"

और "गैर-विसंक्रमित" एकरूपता बनी रहे, इसके लिए सरकार ने सभी राज्य औषधि नियंत्रकों को अनुदेश जारी किए थे कि अवशोषक रूई पर लेबल निम्नलिखित ढंग से लगाया जाए :

(1) यदि निर्माता द्वारा अवशोषक रूई को विसंक्रमित नहीं किया जाता हो तो उसे अपने माल पर स्पष्ट रूप से इस आशय का लेबल लगाना चाहिए कि अवशोषक रूई को "विसंक्रमित नहीं किया है।"

(2) यदि निर्माता के यहां अवशोषक रूई उसे विसंक्रमित करने की सुविधाएं हों तो वह अवशोषक रूई पर यह लेबल लगाये कि "बनाते समय विसंक्रमित किया गया— प्रयोग से पहले विसंक्रमिक कर लिया जाए।"

(3) यदि निर्माता यह सुनिश्चित कर सकता हो कि बंडल बनाने के बाद भी विसंक्रमण की स्थिति बनाई रखी है तो वह अवशोशक रूई के छोटे-छोटे बंडलों पर "विसंक्रमित का लेबल लगा सकता है।

(ख) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत सर्जिकल ड्रेसिंग्स को "औषधियों केरूपमेंवर्गीकृत किया गयाहै और उनके उत्पादन के लिएलाइसेंस लेना आवश्यक है। यह लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं क्योंकि औषधियों के निर्माण और बिक्री पर राज्य सरकारों द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है। गुण परक नियन्त्रण सम्बन्धी उपबन्धों को लागू करने तथा औषधि निर्माण लाइसेंस मंजूर करने या उसका नवीकरण करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य औषधिनियन्त्रक के साथ-साथ औषधि निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स निर्माताओं को अनुसूची "एम" में उल्लिखित शर्तों का पालन करना चाहिए। लाइसेंस की मजूरी औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में वर्णित फार्म—25 में दी जाती है। निर्माता के लिए यह आवश्यक है कि वह सर्जिकल पट्टियों का निर्माण स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में करे और गुणवत्ता नियन्त्रण सम्बन्धी अनुशासन का पालन करे।

(ग) सामान्यतया अस्पतालों में पट्टियों तथा अन्य ड्रेसिंग्स का उपयोग करने से पहले उन्हें विसंक्रमित कर लिया जाता है।

मथुरा रेलवे स्टेशन पर एजेंटों द्वारा किसानों को धोखा दिया जाना

1219. **डा० ए० यु० आजमी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा रेलवे स्टेशन पर एक एजेन्ट द्वारा 500 किसानों को धोखा दिया गया तथा उन्हें भटका दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (ग) जी हां।

(ख) 13-6-1982 को मथुरा पर विशेष गाड़ी के तथाकथित आयोजकों ने गाड़ी का

साथ छोड़ दिया और इसलिए 29-6-82 को इस गाड़ी को मथुरा से ही मन्दसौर, जहाँ इस गाड़ी का वास्तविक रूप से समाप्त होना था, वापस ले जाये जाने का निर्णय किया गया था।

बाल तकनीकी सेकेण्डरी स्कूल कश्मीरी गेट दिल्ली

1220. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली कश्मीरी गेट में बाल तकनीकी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल चला रहा है, जहां ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं में इलैक्ट्रानिक्स इलैक्ट्रिकल, एयर-कन्डीशनिंग तथा रेफ्रीजरेटर, संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो बारहवीं कक्षा पास करने वाले छात्रों का दिल्ली पोलिटेक्निक में प्रवेश लेने हेतु क्या लाभ दिए जाते हैं तथा बारहवीं कक्षा के तकनीकी प्रमाण पत्र का महत्व क्या है ; और

(ग) यदि इसका कोई महत्व नहीं है और छात्रों को उनके दो वर्ष के तकनीकी अध्ययन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस स्कूल को क्यों न बन्द कर दिया जाये ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जो छात्र सीनियर माध्यमिक तकनीकी स्कूलों से कक्षा 12 उत्तीर्ण करते हैं उन्हें पालिटक्निकों में सम्बद्ध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंकों में 15 प्रतिशत की रियायत दी जाती है जबकि इसकी तुलना में सामान्य 10 × 2 शिक्षा पद्धति की कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए यह रियायत 10 प्रतिशत की है।

विद्युत और यांत्रिकी इन्जीनियरी में अंश कालिक डिप्लोमा के लिए प्रत्येक विषय के पन्द्रह स्थान केवल सीनियर माध्यमिक तकनीकी स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को ही प्रदान किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पैसेन्जर बोगियों की कमी

1221. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में पैसेन्जर बोगियों की भारी कमी है, यदि हां तो (1) 1 जनवरी, 1'82 के दिन कितनी बोगियों की कमी थी, (2) इनके स्थान पर नए बोगियां लाने अर्थात इसकी बार बार होने वाली आवश्यकता की वार्षिक मांग क्या है और (3) वार्षिक सप्लाई कितनी है,

(ख) क्या वर्तमान दर पर बोगियों की कमी की वर्तमान स्थिति पर काबू पाने की कोई

संभावना है, और

(ग) यदि हां, तो उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सवारी डिब्बों की वर्तमान संख्या मौजूदा गाड़ियों को चलाते रहने के लिए प्राय: प्रर्याप्त है लेकिन उन सवारी डिब्बों की संख्या बहुत अधिक है जिनका बदलाव अपेक्षित है। इससे निष्क्रिय सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ गयी है जिसके फलस्वरूप सामान्य दूसरे दर्जे और सामान्य एवं ब्रेक यान जैसी कुछ कोटियों में कमी हो गयी है । देश मे उत्पन्न क्षमता अपर्याप्त होने तथा पर्याप्त धन राशि उपलब्ध न होने के कारण, छठी योजना में 5,680 सवारी डिब्बों की खरीद की जो व्यवस्था की गयी है, वह आवश्यकता पर आधारित 14141 सवारी डिब्बों की जरूरत अर्थात गतायु सवारी डिब्बों के बदलाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित 7,742 सवारी डिब्बों तथा अनुपनगरीय यात्री यातायात में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित 6,399 सवारी डिब्बों मे कम रह जाती है ।

एक अन्य सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना के बारे में रेलों के प्रस्ताव को योजना आयोग ने हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है । इस परियोजना के लिए पर्याप्त धन-राशि प्राप्त करने तथा नये सवारी डिब्बा कारखाने की यथा संभव शीघ्र स्थापना करने के लिए अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अब हर संभव प्रयास किया जायेगा ।

पहियों और धुरियों का उत्पादन

1222. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में पहियों और धुरियों (एक्सल) की भारी कमी हैं यदि हां तो, (1) इनकी पीछे से चली आ रही आवश्यकता कितनी है, (2) आवर्ती आवश्यकता कितनी है, और (3) देश में इसका प्रति वर्ष उत्पादन कितना है,

(ख) क्या सरकार इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहियों और धुरियों का आयात कर रही है यदि हाँ, 1980, 1981 के लिए तथ्यों का ब्योरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि कमी की पृष्ठ भूमि में तीन सामान देने हेतु स्थापित की गई दुर्गापुर फैक्ट्री रेलवे से आर्डर न होने से अपनी क्षमता से कम सामग्री का उत्पादन कर रही है, यदि हां तो गत दो वर्षों का ब्योरा क्या है, और

(घ) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश के अन्दर पहियों और धुरियों का उत्पादन करने हेतु क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं,

(1) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(2) 1980-81 और 1981-82 के लिए पहियों और धुरों के सम्बन्ध में अनुमानित आवर्ती मांग इस प्रकार है :

वर्ष	पहिये	धुरे
1980-81	37,000	24,500
1981-82	30,000	11,500

(3) 1980-81 और 1981-82 के दौरान देश में ही खरीदे गये :—

वर्ष	पहिये	धुरे
1980-81	8,864	8674
1981-82	10,936	3,810

(ख) जी हां। वर्ष 1980 और 1981 (जनवरी से दिसम्बर) के दौरान पहियों और धुरों की वास्तविक आयत निम्निलिखित है :—

वर्ष	पहिये	धुरे
1980	30,032	15,924
1881	18,839	7,206

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

कोयले की कमी के कारण रद्द की गई गाडियों की संख्या

1223. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1981 में तथा जून 1982 तक देश में जोनवार कोयले की कमी के कारण कितनी गाड़ियों को रद्द करना पड़ा है,

(ख) क्या खानों के मुहानों पर भारी मात्रा में कोयला उपलब्ध है तथा रेलवे विभाग गाड़ियां चलाने के लिए भी उसे वहां से उठाने में असमर्थ है, और

(ग) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय तथा ससदीय काय विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोयले की कमी के कारण, 1981 के दौरान किसी भी एक दिन रद्द की गयी गाड़ियों की अधिकतम संख्या जून में 352 जोड़ी थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून (पहली तारीख) 1982 के आंकड़े क्रमश: 94.5, 81.0, 77,5, 86.5 और 32.5 जोड़ी थे।

(ख) रेल गाड़ियां चलाने के लिए देश में रेलों को जो माप कोयला उपलब्ध है, वह पर्याप्त नहीं है और रेल हैंडों पर प्रतिदिन लगभग 2200 माल डिब्बे माप कोयला उपलब्ध होता

है जबकि कोयले की दैनिक आवश्यकता 3200 माल डिब्बे हैं। इसलिए विवश होकर रेलों को कुछ कम महत्वपूर्ण और कम लोकप्रिय गाड़ियों को रद्द कर देना पड़ता है जिससे कि महत्वपूर्ण उद्योगों को चालू रखा जा सके ।

(ग) भाप कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोयला विभाग और कोयला उत्पादन से संबंधित प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

सड़क यात्रियों और ट्रक चालकों को सुविधाएं

1224. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क यात्रियों और ट्रक चालकों के लिए सुविधाओं के बारे में परिवहन विकास परिषद द्वारा वर्ष 1977 में की गई सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीत राम केसरी) : (क) और (ख) परिषद ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारें 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में ट्रक टर्मिनल की स्थापना करे और यदि कहीं पर कोई विशेष कठिनाई हो तो राज्य सरकारों को आवश्यक उपायों के साथ इन कठिनाईयों को दूर करना चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि ट्रक कर्मियों के आराम के लिए स्थान और मार्ग की अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। परिषद ने यह भी सुझाव दिया है कि इस कार्य के लिए मन्त्रालय राज्यों के लिए उचित दर पर बैंकों तथा अन्य स्रोतों से धन की व्यवस्था का उपाय ढूंढे।

राज्य सरकारों से ट्रक टर्मिनल और मार्ग की अन्य सुविधायों सम्बन्धी स्कीम के कार्यान्वयन का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है। हरियाणा में सुरथल और पंजाब में जलन्धर के लिए ट्रक पार्किंग कम्पलेक्स की स्कीम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार ने विशेष स्कीम के तहत इस कार्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर पार्किंग कम्पलेक्स के लिए जमीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के लिए स्कीम बनाई है। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि ट्रक टर्मिनल जैसी स्कीम को अपने राज्य की योजनाओं में शामिल करे।

सड़क परिवहन निगम के कार्यकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति

1225. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्य सरकारों के नाम क्या है जिन्होंने सड़क परिवहन नियमों के कार्यकरण की पुनरीक्षा और उनके सुधार हेतु प्रभावकारी उपाय करने के लिए उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों से मिली सूचना के अनुसार उनके द्वारा उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन कर लिया गया है ।

श्री पांडेय की अध्यक्षता में रेलवे समिति

1226. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे समिति की प्रगति क्या है, पूर्व में श्री पाण्डेय द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई थी :

(ख) उक्त समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है :

(ग) यह समिति अपनी अन्तरिम अथवा अन्तिम रिपोर्ट कब तक दे देगी : और

(घ) क्या समिति ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है : यदि हां, तो इस अन्तरिम रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस रिपोर्ट पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) रेलवे सुधार समिति जिसके श्री बी० डी० पांडे अध्यक्ष थे अब वह श्री एच० सी० सरीन की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट का पहला भाग सरकार को प्रस्तुत किया है जिसमें नवीकरण तथा बदलावों के लिए संसाधनों, संरक्षा तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दी हैं। इसकी जांच की जा रही है। समिति द्वारा अपने कार्य-काल की समाप्ति अर्थात मई 1983 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

राख कोयला और ढुलाई और लदान मजदूर

1227. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल विभाग में राख कोयला और ढुलान तथा लदान के लिए जोन-वार कुल कितने मजदूर हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भाप के इन्जनों के स्थान पर डीजल और बिजली से चलने वाले रेल इन्जनों के कारण इन गरीब मजदूरों को निकाला जा रहा है ;

(ग) अनेक दशकों से कार्यरत इन गरीब मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार के लिए क्या प्रावधान है ; और

(घ) जून, 1982 तक राख, कोयला और ढुलाई तथा लदान के कुल कितने मजदूरों की छटनी की गई है और 30 जून 1982 तक कुल कितना रेल कर्मचारियों की बकाया घोषित किया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980 दौरान रेलों पर राख तथा कोयला सम्हलाई और यानान्तरण सम्हलाई में नियुक्त ठेका श्रमिकों की संख्या से सम्बन्धित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) कर्षण के बदलाव के कारण फालतू हुए नियमित भाप ईंजन अनुरक्षण कर्मचारियों का पुन: समायोजन करने तथा लगभग 2·5 लाख विभागीय नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित सेवा में समाहित करने के कार्य में रेलें पहले से ही व्यस्त हैं। अत: भाप इन्जन शेडों के बन्द होने के कारण सेवा-मुक्त किये गये अथवा सेवा-मुक्त किये जाने वाले ठेकेदार के श्रमिकों के के वैंकल्पिक कार्य की व्यवस्था करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना रेलों के लिए सम्भव नहीं है।

(घ) इन नौकरियों में ठेका श्रमिकों की छटनी के सम्बन्ध में रेलों द्वारा कोई सांख्यिकीय रिकार्ड नहीं रखा जाता।

विवरण

रेलें

1980 के दौरान नियुक्त ठेका श्रमिकों की कुल संख्या

	राख और कोयला सम्हलाई में	माल/पार्सल सम्हलाई में
मध्य	1,161	841
पूर्व	3,995	1,337
उत्तर	3,387	757
पूर्वोत्तर	1,376	559
पूर्वोत्तर सीमा	860	675
दक्षिण	1,491	236
दक्षिण मध्य	1,075	307
दक्षिण पूर्व	588	400
पश्चिम	873	2,594
	14,806	7,706

सेंट्रल स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा 1982 की पुन: परीक्षा

1228. श्री एन० डेनिस : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सेंट्रल स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा की मार्च-अप्रैल, 1982 में पुन:-परीक्षा ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) : दिल्ली सघ शासित क्षेत्र में केवल अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, 1982 के गणित, रसायन और जीव-विज्ञान के विषयों में परीक्षा दुबारा ली गई थी क्योंकि कुछ स्थानीय परीक्षा केन्द्रों में इन विषयों के प्रश्न-पत्रों का समय से पहले पता लग जाने की रिपोर्ट मिली थी।

रेलवे दुर्घटना जांच समिति, 1976

1229. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1978 में श्री एस० एम० सिकोई की अध्यक्षता में एक रेलवे दुर्घटना जांच समिति नियुक्त की थी ;

(ख) क्या उक्त समिति ने पहले ही विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें विभिन्न जोनल रेलवे के स्थानीय/डिवीजनल और केन्द्रीय सुरक्षा संगठनों में प्रत्यक्ष और अन्तर्निहित कमियों का उल्लेख किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त रिपोर्ट में समिति ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि डिवीजनल और केन्द्रीय सुरक्षा संगठन में काम करने वाले व्यक्ति अयोग्य हैं तथा जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं और सुरक्षा समस्याओं को हल करने में सर्वथा असमर्थ हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त समिति द्वारा की गई सिफारिश के संदर्भ में संगठन में सुधार करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके जो कि कुछ समय से काफी बढ़ गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय रेलों पर सुरक्षा संगठन की कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श किया और यह पाया कि अधिकांश मंडल संरक्षा अधिकारी श्रेणी-2 के थे और वे सेवानिवृत्त होने वाले थे और जिन व्यक्तियों को कहीं और नहीं खपाया जा सकता उन्हें इस संगठन में लगा दिया जाता है।

(घ) केवल ग्रुप 'बी' (श्रेणी-2) के अधिकारियों को संरक्षा संगठन में तैनात किया जाता है जिन्हें यातायात विभाग के वास्तविक परिचालन के विभिन्न पदों का अनुभव हो। श्रेणी-2 के अधिकारियों के अलावा, सीधे भर्ती किये गए अधिकारियों को जिन्हें पर्याप्त अनुभव है और जो परिचालन कार्यों में प्रशिक्षित हैं उन्हें भी संरक्षा संगठन में तैनात किया जाता है। संगठन के महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षा संगठन में सुधार लाने के उद्देश्य से मंडल संरक्षा अधिकारियों के अनेक पदों के ग्रेड बढ़ाकर कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड कर दिये गए है जिससे कि इन पदों पर अधिक वरिष्ठ अधिकारी आ सकें।

उड़ीसा के समुद्री तूफानग्रस्त जिलों में राहत उपायों के लिए ब्रिटिश अनुदान

1230. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने उड़ीसा के समुद्री-तूफान ग्रस्त जिलों में तत्काल राहत उपायों के लिए 10,000 पौंड स्टर्लिंग के अनुदान की पेशकश की है ;

(ख) क्या वह अनुदान नकद रूप में उपलब्ध होगी या राहत सामग्री के रूप में ; और

(ग) उड़ीसा को वह अनुदान कब तक उपलब्ध कराये जाने की आशा है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) जी हां ।

(ख) नकद ।

(ग) ब्रिटिश सरकार ने उड़ीसा के तूफान-ग्रस्त जिलों में राहत कार्यों के लिए प्रधान मन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष के लिए 1,65,400/-रू० का एक चैक दिया गया है और तूफान से राहत के लिए प्रधान मन्त्री के सहायता कोष के लिए उड़ीसा सरकार को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

ग्रामीण तथा नगरीय निरक्षर व्यक्तियों की प्रतिशतता

1231. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 31 दिसम्बर, 1981 तक निरक्षर व्यक्तियों की प्रतिशतता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उसमें ग्रामीण और नगरीय प्रतिशतता कितनी-कितनी है ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान 12 वर्ष से कम आयु के निरक्षर बच्चों की संख्या कितनी थी और कुल निरक्षर व्यक्तियों की तुलना में उनकी ग्रामीण और नगरीय प्रतिशतता कितनी-कितनी ; और

(ग) देश के समस्त लोग कब तक शिक्षित हो जायेंगे और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भारत की जनगणना 1981 में, जिसकी सन्दर्भ तिथि 1 मार्च, 1981 थी, देश में साक्षरता की दर (असम तथा जम्मू और कश्मीर के आंकड़ों को छोड़कर) 36.17 प्रतिशत निर्धारित की गई है और इस प्रकार निरक्षर व्यक्तियों की प्रतिशतता 63.83 प्रतिशत है। देश में 31 दिसम्बर 1981 तक निरक्षर व्यक्तियों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में कोई अन्य सर्वेक्षण नहीं किया गया है। भारत की जनगणना 1971 में भी यह अनुमान लगाया गया है कि निरक्षरों में से 84.10 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों तथा 15.90 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों के हैं।

(ख) 1981 की जनगणना के निरक्षर व्यक्तियों का आयु-वार ब्यौरा भारत के महा-पंजीकरण द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ग) देश की समस्त जनसंख्या को कब तक शिक्षित बना दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । छठी योजना की नीति संरचना के अनुसार यह व्यवस्थातथापि की गई है कि 15-35 आयु-वर्ग में प्रौढ निरक्षरता 1990 तक समाप्त कर दी जाएगी । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ विशेष उपायों में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं :—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा नए 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन तथा प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना ।

(2) निरक्षता उन्मूलन के कार्यक्रमों में छात्रों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करना ।

"बिग राइज इन ग्लोबल मिलिटरी एक्सपेंडीचर" शीर्षक से समाचार

1232. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मई, 1982 के टाइम्स आफ इन्डिया में 'विग राइज इन ग्लोबल मिलिटरी एक्सपेंडीचर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 1978 में हुए निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले विशेष सत्र के बाद विश्व-व्यापी सैनिक व्यय में वृद्धि हो रही है और अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है ;

(ग) क्या विश्व में गत दशक के दौरान हथियारों के कुल व्यापार में 70 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और तृतीय विश्व के देशों को हथियारों की बिक्री में 300 प्रतिशत तक वृद्धि हुई; और

(घ) यदि हां, तो इस समय देश की भूमिका क्या है और हमारी आत्म रक्षा तथा विश्व के राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की हमारी नीति के अनुरुप निकट भविष्य में क्या नीति होगी ।

विदेश मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) जी हां । सरकार को इस खबर के बारे में मालूम है ।

(ख) से (घ) विश्वव्यापी सैनिक व्यय सम्बन्धी विभिन्न आंकड़ों, प्राक्कलनों और दृष्टि-कोणों तथा इसके आर्थिक और सामाजिक परिणामों तथा हथियारों के कुल व्यापार और इसमें विकासशील देशों के अंश के बारे में भी सरकार को पता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि 1978 में निरस्त्रीकरण पर हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम विशेष अधिवेशन के बाद विश्वव्यापी सैनिक व्यय मे काफी वृद्धि हुई है । लेकिन इसके साथ-साथ सार्वभौम आर्थिक दृष्टिकोण में कोई सुधार नही हुआ है ।

चूंकि संसार भर में सैनिक कार्यों पर जो व्यय होता है उसका 80 प्रतिशत अंश केवल छह राज्यों अर्थात् पांच नाभिकीय हथियारों वाले राज्यों और जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा ही

खर्च किया जाता है, इसलिए भारत सरकार का विचार है कि ये छह राज्य सबसे पहले परस्पर उदाहरण की नीति पर आधारित समान कार्रवाई द्वारा अपने-अपने सैनिक बजट को घटाएं।

हथियारों के व्यापार के प्रश्न पर भारत की स्थिति यह है कि हथियारों के सभी प्रकार के हस्तांतरण की समस्या पर जिसमें हथियारों का व्यापार भी शामिल है, समग्र रूप से गौर किया जाए, ताकि सभी देशों द्वारा चाहे वे गुट वादी या गुट निरपेक्ष देश हों, हथियारों का का जायगा लिया जा सके ; हथियारों के केवल उसी हिस्से की ओर ध्यान न दिया जाए जिसका सम्बन्ध सिर्फ विकासशील या गुट निरपेक्ष राज्यों से है क्योंकि उस सूरत में यह एक पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण होगा।

भारत ने हथियारों और बिशेष तौर पर नाभिकीय हथियारों के लिए होड़ समाप्त करने की हमेशा मांग की है। चूंकि नाभिकीय हथियारों और अन्य महा विनाशकारी हथियारों से मानव के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो जाता है इसलिए नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए तत्काल उपाय करना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल ही मे सम्पन्न दूसरे विशेष अधिवेशन के दौरान नाभिकीय हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने और नाभिकीय हथियारों के उत्पादन को समाप्त कराने के लिए एक सम्मेलन बुलाने की मांग की है। यदि नाभिकीय हथियारों के उत्पादक राज्यों द्वारा इस समय हथियारों के उत्पादन पर लगाये जा रहे संसाधनों का उपयोग इसकी बजाय आर्थिक विकास के लिए किया जाए तो विश्व के और विशेष तौर पर विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

दक्षिण-पूर्व रेलवे बिलासपुर में भ्रष्टाचार और कदाचार के बारे में शिकायत

1233. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दक्षिण पूर्व रेलवे, बिलासपुर के रेल अधिकारियों के भ्रष्टाचार और कदाचार के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री को की गई शिकायतों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतें की किसी जांच के आदेश दिये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

रेल मन्त्रायल तथा संसदीय कार्य बिभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर मण्डल के रेल अधिकारियों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार और दुराचार की कई शिकायतें सीधे रेल मन्त्रालय में प्राप्त हुई हैं। प्रधान मन्त्री को भेजी गयी इसी प्रकार की एक शिकायत प्रधान मन्त्री सचिवालय से भी पुन: प्रेसित होकर प्राप्त हुई है। इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) अभी जांच-पड़ताल चल रही है।

पजाब में गर्भस्थ लड़कियों की हत्या

1234. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आरोप है कि पंजाब में कुछ प्राइवेट डाक्टर परिवार नियोजन के नाम पर अमीनी सेन्टीसिस और गर्भस्य लिंग परीक्षण के बहाने गर्भास्थ लड़कियों की हत्या कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस आरोप के बारे में कोई जांच की गई ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) इससे सम्बन्धित तथ्यों का पंजाब सरकार से पता लगाया जा रहा है ।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति

1235. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति काफी धीमी है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस कार्यक्रम की प्रगति तेज करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी) :

(क) नहीं । राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम काफी तेजी से प्रगति कर रहा है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय को अनुदान

1236. **श्री अजित बाग** :

श्री चित्त बसु : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रधान मन्त्री से 5 करोड़ रुपये का आरम्भिक अनुदान देने का अनुरोध किया था जिससे विश्वविद्यालय अलीपुर में 120 एकड़ के प्लाट पर अपना एकीकृत कैम्पस का निर्माण आरम्भ कर सकें ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने कुलपति के अनुरोध पर कोई कदम उठाये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ड़) यदि हां, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और **(ख)** : बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्रधान मन्त्री को इस वर्ष अपने-अपने विश्वविद्यालय की 125वीं वर्षगांठ मनाने से सम्बन्धित अपनी योजनाओं से अवगत तथा इस प्रयोजन के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे पिछले माह भेंट की ।

प्रधान मन्त्री ने कुलपतियों को सलाह दी कि गुणावगुण के आधार पर इन प्रस्तावों की जांच करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी सरकारी एजेन्सियों का काम है ।

(ग), (ङ.) : कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 125 एकड़ भूमि पर जो इस समय प्रेसिडेन्सी और अलीपुर के कारागारों के अधिकार में है, एक नये एकीकृत परिसर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहले सम्पर्क किया था ।

इस प्रस्ताव पर कुलपति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के बीच चर्चा की गई । चर्चा के दौरान, कुलपति ने बताया था कि राज्य सरकार ने भूमि वापस करने का वायदा किया था और विश्वविद्यालय राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता था कि वह नए परिसर में वर्तमान आवास के बराबर, बाद वाले आवास के बदले में निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था करे । तदुपरान्त विश्वविद्यालय ने मई, 1 82 में आयोग को सूचित किया कि एक समिति ने अलीपुर में एक नये एकीकृत परिसर के लिए एक मास्टर प्लान को चुना है जिस पर 50.00 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पर्याप्त वित्तीय सहायता सहित इस कार्यक्रम का समर्थन करने का भी अनुरोध किया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को सूचित किया है कि छठी योजना के दौरान आयोग की सहायता इसको पहले से बताए गए मानदंडों के अनुसार होगी ।

रेलों का अन्डल सेंथिया और बर्दवान साहिबगंज सेक्शनों से हावड़ा तक बढ़ाया जाना

1237. **श्री अजित बाग :**

श्री वसुदेव आचार्य :

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है है कि मई, 1982 में दो रेलगाड़ियां, एक को अन्डल सेंथिया सैक्शन से तथा दूसरी को बर्दवान साहिबगंज सैक्शन से हावड़ा तक बढ़ाया गया था :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है :

(ग) क्या ये दोनों रेलगाड़ियां आज भी उक्त सैक्शन में चल रही है :

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है :

(ड़) क्या ऐसी रेलगाड़ियों को पुनः बढाये जाने का कोई प्रस्ताव हैं :

(च) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,

(ख) 381/382 असीमगंज-अण्डाल सवारी गाड़ी और 325 / 326 साहिबगंज-वर्धमान सवारी गाड़ी को हवड़ा तक परीक्षण के तौर पर 10-5-82 से बढ़ा दिया गया है।

(ग) जी नहीं ।

(ड़) चूंकि बढ़ाये हुए भार में इन गाड़ियों में यात्री यातायात कम होता था, अतः 285 82 से यह विस्तार रद्द कर दिया गया था ।

(च) फिलहाल नहीं ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशो में रहने वाले भारतीयों को भारत में धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए सुविधाएं

1238. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत में धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए जो सुविधायें दी जाती हैं,

(ख) सऊदी अरब द्वारा विदेशों में रहने वाले मुस्लिमों को मक्का, मदीना आदि धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए जो सुविधाये दी जाती है उनकी तुलना मे इसको स्थिति क्या है ; और

(ग) उनको बेहतर सुविधायें देने के लिए किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में धार्मिक स्थानों की यात्रा करने लिए तत्काल वीजा देने और अन्य शिष्टाचार-सम्बन्धी सुविधाओं जुटाने के अलावा कोई खास सहूलियतें मुहैय्या नहीं की जाती ।

(ख) चूंकि उन्हें कोई अलग सुविधायें प्रदान नहीं की जा रही है, इसलिए उन सुविधाओं की सऊदी अरब द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1239. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय प्रौढ़ कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा वर्ष 1981-82 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) वर्ष 1978-79 से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में 31 मार्च, 1982 तक लगभग 110 लाख प्रौढ़ निरक्षरों का दाखिला किया गया था ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए जो कुल राशि मुक्त की गयी थी, वह इस प्रकार थी :—

1980-81	7.66 करोड़ रुपए
1981-82	10.23 करोड़ रुपए

वर्ष 1982-83 के लिए इस योजना के लिए 19.23 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है ।

गुजरात सरकार द्वारा स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठनों से मांगी गयी सहायता

1240. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए तथा स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण में दृढ़ता लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : अक्तूबर, 1981 में गुजरात सरकार से यह अनुरोध मिला था कि विभिन्न वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को शैक्षिक विधियों, आदि का प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्र की स्थापना सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को लिखा जाए । राज्य सरकार को नवम्बर, 1981 में यह सलाह दी थी कि वे इस मामले में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक से बिचार विमर्श करें ।

शिव विसर्ग सम्मेलन

1241. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में 9 जुलाई, 1982 से विश्व सिख सम्मेलन आयोजित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री : (श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) और (ख) विश्व सिख सम्मेलन लन्दन में 9 से 11 जुलाई, 1982 तक हुआ था । सम्मेलन के कार्यक्रम में (1) खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित अन्तर्राष्ट्रीय सिख युवक मेला, (2) महाराजा दलीप सिंह का श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैम्ब्रिज की यात्रा, (3) सिख धार्मिक तथा सांस्कृतिक जलूस आयोजित करना और (4) विश्व सिख संगोष्ठी, शामिल थे । यह सम्मेलन स्वर्ण मन्दिर अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो निगम के तत्वावधान में हुआ था । निमन्त्रण मिलने पर भारतीय हाई कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सम्मेलन में भाग लिया ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त डाक्टरों और अधिकारियों के संवर्ग की पुनरीक्षा

1242. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त डाक्टरों तथा अन्य अधिकारियों के संवर्ग की पुनरीक्षा करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री : (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क)हां ।

(ख) इस सेवा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने, इसके कार्यों में सुधार लाने और इस सेवा के सदस्यों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के काडर की पुनरीक्षा की जा रही है । इस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर देने के लिए सभी ग्रेडों में अनेक पदों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है । नान-फक्शनल वयन ग्रड का सिद्धान्त केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा पर भी लागू किया जा रहा है ।

सावन पार्क, दिल्ली में रेलवे भूमि पर कब्जा

1243. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सावन पार्क, दिल्ली 52 में रेलवे चौकी न० 3 (आजाद पुर रेलवे स्टेशन की ओर) रेलवे की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस भूमि को खाली कराने के लिए कोई कार्यवाही की है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां' आंशिक रूप से रेलवे की ओर मुख्यत: दिल्ली विकास प्राधिकरण के निकटवर्ती भूमि का अतिक्रमण किया है।

(ख) जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र (अनधिकृत रूप से अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अनुसार अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों की बेदखली करने के लिए कार्यवाई शुरू कर दी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय की एल० एल० बी० कक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण

1244. **श्री मीखा भाई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० की कक्षाओं में कुल कितनी सीटें हैं ;

(ख) विधि कक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में क्या नीति है ;

(ग) क्या वर्ष 1982-83 के आने वाले सत्र के दौरान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई प्रवेश समिति है ; और

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय की एल० एल० बी० की कक्षाओं में सीटों के आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय में 1980-81 और 1981-82 के दौरान एल० एल० बी० पाठयक्रम में स्थानों की कुल संख्या 1500 रही है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने होते है। ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों में भी कुछ छूट देनी होती है। इन निदेशों के अनुसरण में, बिजली विश्वविद्यालय विधि कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों में भी कुछ छूट देनी होती है। इन निर्देशों के अनुसरण में, बिजली विश्वविद्यालय विधि कक्षाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए 15 प्रतिशत स्थान और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित करता रहा है। इन वर्गों के उम्मीदवारों को एल० एल० बी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए अर्हक

अकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों को परस्पर बदला जा सकता है । यदि प्रवेश के लिए एक वर्ग के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों इसके अलावा यदि इन वर्गों के पात्र उम्मीदवारों की कुल संख्या आरक्षित स्थानों की संख्या से कम हो तो बिना भरे गए आरक्षित स्थान सामान्य वर्ग को चले जाते हैं ।

विश्वविद्यालय के तीनों विधि केन्द्रों के लिए एक-एक प्रवेश समिति है । ये समितियां एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश पर भी विचार करती है ।

दिल्ली और कलकत्ता के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ियां

1245. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और कलकत्ता के बीच चल रही सुफरफास्ट रेलगाड़ियों के नाम क्या है : और

(ख) इन गाड़ियों के सुपरफास्ट होने के कारण अन्य रेलगाड़ियों की तुलना में कियना अतिरिक्त अधिभार लिया जा रहा है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली और कलकत्ता के बीच चलने वाली सुपरफास्ट गाड़ियों के नाम नीचे दिए गए हैं ।

1. 1 अप/2 डाउन हावड़ा-कालका मेल
2. 81 अप/82 डाउन तथा 103 अप/104 डाउन डीलक्स एक्सप्रेस

यात्रा की प्रत्येक श्रेणी के लिए, दूरी का विचार किये बगैर, पूरक प्रभारों की वर्तमान दर निम्नलिखित हैं :—

1.	वातानुकूलित श्रेणी	25 रुपये
2.	प्रथम श्रेणी/वातानुकूलन-2 टियर	12 रुपए
3.	वातानुकूल कुर्सीयान	12 रुपये
4.	द्वितीय श्रेणी शायिका	6 रुपये
5.	द्वितीय श्रणी बैठने का स्थान	2 रुपये

ताजमहल का वायुमण्डलीय प्रदूषण से बचाव

1246. **श्री राम विलास पासवान** :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल का क्षय हो रहा है ;

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्र सरकार ने ताजमहल को मथुरा तेल शोधक कारखाने से होने वाले वायुमन्डलीय प्रदूषण के संरक्षण के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) (क), से (ग) : ताजमहल की संरचना में प्रयुक्त संगमरमर अपेक्षाकृत कम मजबूत है और वह भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण अपक्षीण होता रहता है इसके परीक्षण केलिए पुरातात्विक सिद्धान्तों के अनुसार यथावश्यक संरचनात्सक मरम्मतें की जाती है। मथुरा तेल शोधक कारखाना चालू नहीं हुआ है तथापि, उससे निकलने वाले दोषपूर्ण पदार्थों को सबसे निचले स्तर पर रखने के लिए हर संभव पूर्वोपाय किया जा रहा है ताकि संस्मारक को कोई क्षति न पहुंचे। आगरा के चारों ओर के क्षेत्र में लम्बे होने वाले पेड़ और पौधों का ऐसा जंगल लगाये जाने का प्रस्ताव है जो गैसों का अवशोषण कर सकें। ताजमहल के पत्थरों का सफल प्रभावोत्पादक परिरक्षी रसायनों द्वारा उपचार किया जाएगा, इसके लिए स्थल और पुरातत्व सर्वेक्षण की रसायनशाला में परिरक्षियों की जांच की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का रद्द होना

1247. **श्री रामविलास पासवान** : क्या शिक्षा और सांस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस वर्ष कितनी बार परीक्षाओं को रद्द किया था और इनके क्या कारण थे ;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली की गिरती हुई विश्वसनीयता के कारण उसकी समीक्षा करने की वांछनीयता पर विचार किया हैं ; और

(ग) यदि हां तो, सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार एक परीक्षा केन्द्र में एक ही दिन में आयोजित तीन पेपरों की परीक्षाएं इस आशय की रिपोर्ट मिलने पर रद्द करनी पड़ी थी, कि ये परीक्षाएं परिवीक्षण के मानदन्डों के अनुसार आयोजित नहीं की गयी। केन्द्र में गडबडी होने के कारण उर्दू में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तथा उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रत्येक के एक एक पेपर की परीक्षा, निर्धारित तारीख पर आयोजित नहीं की जा सकी। इसी तरह पत्राचार पाठ्यक्रम के छात्रों के लिये मद्रास केन्द्र पर होने वाली परीक्षा कुछ स्थानीय समस्याओं के कारण आयोजित नहीं की जा सकी, जिनमें उस कालेज के छात्र भी जहां यह परीक्षाएं होनी थी शामिल थे। इन सभी मामलों में फिर से परीक्षाए लेने का आदेश दे दिए गए है। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे सात मामले थे जिनमें विश्विविद्यालय ने विशिष्ट संस्थाओं में पढ़ए गए पाठ्य विवरण

की तुलना में प्रश्न पत्रों में कुछ असंतुलन अथवा त्रिसंगतियां पाए जाने की शिकायतों के कारण से वैकल्पिक परीक्षा लेने के आदेश दिए हैं। इन सभी मामलों में मूल परीक्षाएं रद्द नहीं की नहीं गई थी, और पुन: परीक्षा केवल उन छात्रों के लिये थी जो इसमें बैठने के इच्छुक थे।

(ख) और (ग) यद्यपि यह विश्वविद्यालयों का काम है कि वे अपनी परीक्षाओं की की विश्वसनीयता में सुधार लाने के उपायों पर विचार करे फिर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पिछले कुछेक वर्षों से परीक्षा पद्धति में सुधार करने तथा मूल्यांकन की विश्वसनीयता और वास्तविकता को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय करने के प्रयास करता रहा है। इन उपायों में प्रश्न बैंकों का विकास ग्रेडिंग पद्धति शुरू करना तथा सतत सत्रीय मूल्यांकन और सेमिस्टर पद्धति अपनाना शामिल है। अनेक विश्वविद्यालयों ने ये उपाय स्वीकार कर लिये हैं तथा कार्यान्वित भी किए हैं।

गर्भ जांच के लिए औषधियों की बाजारों में बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध।

1248. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री बी० डी० सिंह :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गर्भ जांच के लिए कुछ औषधियों की बिक्री तथा उनके उपयोग पर प्रतिबंध के बावजूद देश में अनेक फर्में इन औषधियों के परवर्ती प्रभावों का उल्लेख किए बिना, इनकी बिक्री कर रही है, जिनके फलस्वरूप स्त्रियों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इन औषधियों के उपयोग के कारण लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों की बिक्री रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी): (क) और (ख) गर्भ परीक्षण के लिए कुछेक दवाइयों के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है।

आजकल हार्मोनल उत्पादों को गर्भ के परीक्षण के लिए निर्दिष्ट करने की अनुमति नहीं है और ये दवाइयां केवल दितीयक अनार्तव के लिये ही बताई जाती है जो गर्भादान के कारण न हो। इन हार्मोनल उत्पादों को बाजार में बेचने वाली फर्मों को भी मार्च, 198 में ये निर्देश दे दिये गये हैं कि वे टीके वाली शीशियों पर और गोलियों के लिए स्ट्रिप-कवर पर यह चेतवानी अंकित कर दें कि "इनको गर्भ परीक्षण के लिये और गर्भ के संदिग्ध मामलों में इस्तेमाल न किया जाये।" सम्भवतया डाक्टरों की सलाह पर गर्भवती महिलाओं के द्वारा हार्मोनल दवाइयां इस्तेमाल किये जाने की रिपोर्ट मिलने पर सरकार ने भारतीय आयुविज्ञान संघ और भारत की

प्रसूति एवं स्त्रीरोग सोसाइटियां की फेडरेशन को एक पत्र लिखा था जिसमें उनका ध्यान इन दवाओं के गलत इस्तेमाल की रिपोर्टें की ओर दिलाया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने सदस्यों का ध्यान में यह बात ला दें कि हार्मोनल दवाइयां का इस्तेमाल गर्भ परीक्षण के लिये या गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये दवाइयां केवल द्वितीयक अनार्तव के लिये ही निर्दिष्ट की जाती हैं जो गर्भाधान के कारण न हो।

पनामा के मालवाहक जहाज से एक भारतीय नाविक का फेंका जाना

1249. **श्री नीरेन घोष :**

श्री अजय बिश्वास : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कथित घटना की जानकारी है कि पनामा के एक मालवाहक जहाज से एक भारतीय नाविक को उसी जहाज के कुछ अन्य नाविकों ने जहाज से फेंक दिया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को पनामा सरकार के पास उठाया है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस संबंध में सरकार का ध्यान 17.5.82 के समाचार पत्र स्टेट्समेन (नई दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है।

(ख) से (ङ) इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और उन्हीं के आधार पर ही उचित कार्यवाही की जाएगी।

तारापुर रिएक्टर के लिए फालतू पुर्जे

1250. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **विदेश** मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर रिएक्टर को फालतू पुर्जों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और भारत द्वारा अमरीका को अनुरोध करने के बावजूद इसकी सप्लाई अभी तक नहीं की गई है ;

(ख) क्या तारापुर रिएक्टर की मांग को पूरा करने के लिए अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : तारापुर परमाणु बिजली घर को उन फालतू पुर्जों की आवश्यकता है जो वाणिज्यिक शर्तों के अन्तर्गत अमरीका से मगाए जा रहे थे । इनमें से अधिकतर आर्डर मैसर्स जनरल इलैक्ट्रिक को दिये गए थे, जो तारापुर बिजली घर के प्रमुख ठेकेदार थे । हाल ही में इन पुर्जों के निर्यातकों को निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हो रही है ।

इस मामले को राजनयिक माध्यमों से अमरीकी प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है और हमारे आर्डरों के वाणिज्यिक स्वरूप के बारे में उन पर दबाव डाला गया है । तारापुर परमाणु बिजली घर की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी ।

मस्कट जेल में भारतीय बन्द

1251. **श्री सुभाष यादव** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की सरकार को जानकारी है कि तीस से अधिक भारतीय राष्ट्रिकों को बन्दी बना कर मस्कट जेल में रखा हुआ है, और

(ख) यदि हां तो, क्या भारत सरकार ने उनकी रिहाई के लिए उन्हें पुन: वापिस लाने के लिये कोई उपाय किए है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) राजदूतावास मसकता में ओमान सरकार के संबन्धित प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है जिससे उनकी नजरबंदी के कारणों का पता लगाया जा सक और उनकी रिहाई तथा देश प्रत्यावर्तन का प्रबन्ध किया जा सके ।

कुपोषण से पीड़ित बच्चे

1252. **श्री बी० डी० देसाई** :

श्री पी० एम० सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अनुमानत: 3 करोड़ 70 लाख बच्चे कुपोषण के कारण रोगग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की अपर्याप्त सप्लाई के कारण होने वाले कुपोषण से बच्चे की आगे की वृद्धि और विकास पर स्थायी रूप से बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं ;

(ग) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस स्थिति को गम्भीरता पूर्वक लिया है,

(घ) यदि हां, तो बच्चों में इस कमी की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ङ.) क्या मंत्रालय इस बारे में कोई कार्यक्रम आरम्भ कर रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी) : (क) भारत मे कितने बच्चे कुपोषण से पीडित हैं इसके बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि दस विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद द्वारा आहार और पोषण पर किए गए सर्वेक्षणों से यह अनुमान लगाया गया है कि औसतन 8 प्रतिशत स्कूल पूर्व बच्चे गंभीर किस्म के कुपोषण से पीड़ित है ।

(ख) लम्बे अरसे से चल रहे कुपोषण से बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में बाधा हो सकती है ।

(ग) से (ङ.) हां । भारत सरकार देश में कुपोषण को बढ़ने से रोकने के लिए विभन्नि पोषण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। निम्नलिखित कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा चलाए जा रहे है :—

1 पूरक आहार कार्यक्रम

(1) शिक्षा विभाग द्वारा प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया ।

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा गंदी बस्तियों और आदिवासी क्षेत्र। में स्कूल पूर्व बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया ।

(३) समाज कल्याण विभाग द्वारा स्कूल पूर्व बच्चों के लिए बालवाड़ी आहार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया ।

2 अन्य कार्यक्रम :

(1) ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रायोगिक पोषण कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया ।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों में विटामिन "ए" की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया ।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा माताओं और बच्चों में कुपोषण से होने वाली अरक्तता से बचाव कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया ।

(4) समाज कल्याण विभाग द्वारा पैकेज सेवायें प्रदान करने के लिये एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया ।

प्रधान मन्त्री की संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की यात्रा

1253. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री अमर राय प्रधान :
श्री बुद्धि चन्द्र जैन :
श्री के० लक्कप्पा :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की अन्तिम तारीख निश्चित कर ली गई है, और

(ख) क्या प्रधान मन्त्री इस वर्ष सोवियत संघ सहित अन्य देशों की यात्रा करेंगी ।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जैसा कि विदित है, प्रधान मन्त्री 27 जुलाई से 4 अगस्त 1982 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करेंगी ।

(ख) इस समय प्रधान मन्त्री की योजना इस वर्ष सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ, मारिशस और मोजाम्बीक की यात्रा करने की है ।

पत्तन विकास के लक्ष्य

1254. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री एस० एम० कृष्ण : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय योजना की उतरोत्तर अवधियों के दौरान पत्तन विकास के वित्तीय और भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है ; और

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है,

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) उतरोतर योजना अवधियों में पत्तन विकास के वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। योजनाओं के तीस वर्षों में 1951-52 से 1979-80 तक की अवधि में बड़े पत्तनों के विकास कार्यों पर, 1335 करोड़ रू० के नियतन की राशि में से 979.29 करोड़ रू० खर्च किये गये, जो कि सड़क धन राशि का 73 प्रतिशत है। परिणाम स्वरूप, उसी अवधि में पत्तन क्षमता, 101 मिलियन टन हो गई है जबकि 1951-52 में यह क्षमता लगभग 20 मिलियन टन थी ।

(ग) बड़े पत्तनों के विकास कार्यों के लिए जिनमें न्हावा शेवा शामिल नहीं है। निर्धारित किये हैं। इसके से 144 करोड़ रू० चालू कार्यों के लिए है और 377 करोड़ रू० चालू नये कम कार्यों के लिए हैं। छठी योजना मे जोर इस बात पर दिया गया है कि अतिरिक्त घाट बनाकर और माल चढ़ाने उतारने के उपकरणों का आधुनिकीकरण करके और कन्टेलर-हैडलिंग उपकरण खरीद कर पत्तन क्षमता में वृद्धि की जाए। छठी योजना में शामिल की गई अधिकांश बड़ी-बड़ी योजनाएं पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं। इनमें, कांडला, मद्रास नव मंगलोर, मार्मु-गाव, परादीप तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम के पत्तनों पर सामान्य माल घाटों का निर्माण, कोचीन और परादीप पत्तनों पर उर्वरक घाटों का निर्माण, कांडला और कोचीन में तेल जेटियों का निर्माण, बम्बई और मद्रास में कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाएं और मद्रास में एक पूर्णरूपेण कन्टेनर टर्मीनल भी शामिल है। इन कार्यों पर 225 करोड़ रूपये से अधिक खर्च आने का अनुमान है और ये चालू योजना अवधि में पूरे किए जाने है। इन कार्यों और चालू कार्यों के पूरा हो जाने पर, पत्तन क्षमता बढ़कर 130 मिलियन टन से भी अधिक हो जाएगी।

बम्बई हार्बर के पार 592 करोड़ रूपये के अनुमानित खर्च से न्हावा शेवा में एक नया पत्तन बनाने की 8.6. 1982 को स्वीकृति दे दी गई है। इसके, 1986 के अन्त तक चालू किए जाने की संभावना है।

रामगंगा पुल, मुरादाबाद

1255. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि इन्जीनियरों ने चेतावनी दी है कि मुरादाबाद, बरेली डिवी-जन में 1875 में बनाया गया रामगंगा पुल कभी भी ढह सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त पुल के तटबन्ध पर जो पत्थर हैं वे टूट गये हैं और अनेक स्थानों पर दरारें आ गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि यह पुल न ढहे और कोई अप्रिय दुर्घटना न घटे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मुरादाबाद-बरेली खण्ड पर मुरादाबाद के निकट रामगंगा पुल 1894 में बनाया गया था। पुल से बड़ी आमान मोटर आमान और सड़क यातायात के लिए एक नया पुल बनाया गया था और और 1970 में यातायात के लिए खोला गया था। सड़क पुल भी अलग से बनाया गया था और इस पुल पर से सड़क की परत हटा दी गई। इस पुल पर अब केवल मीटर आमान यातायात है जिसके यह सुरक्षित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुपरफास्ट रेल गाड़ियां

1256. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से अब तक कितनी रेलगाडियों को "सुपरफास्ट" घोषित किया गया है ;

(ख) रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं ;

(ग) सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से यात्रा करने में क्या किराया लगता है ; और

(घ) क्या यह सच है कि यात्री अतिरिक्त किराये के बारे में शिकायतें कर रहे हैं क्योंकि सुपरफास्ट घोषित की गई रेलगाड़ियां उसी रफ्तार से चल रही हैं जितनी रफ्तार से पहले चलती थीं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) गाड़ियों को 'सुपरफास्ट गाड़ी' के रूप में पूरक प्रभार लगाये जाने के उद्देश्य से निर्दिष्ट किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके द्वारा की गयी सेवा की किस्म, आराम, सुविधाजनक समय, सकल गति आदि तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाता है । इन गाड़ियों में यात्रा के लिए पूरक प्रभारों की दर वातानुकुल दर्जे के लिए रुपये 25/-पहले दर्जे/वातानुकुल 2 टियर शायिका/ वातानुकुल कुर्सीयान के लिए 12/-, दूसरे दर्जे की शायिका के लिए 6/-रूपये और दूसरे दर्जे में बैठने के स्थान के लिए 2/-रुपये है । 1980 से पूरक प्रभार लगाने के उद्देश्य से 15 जोड़ी अतिरिक्त गाड़ियों को 'सुपरफास्ट गाड़ी' बनाया गया । 12 जोड़ी गाड़ियों से सुपर फास्ट गाड़ी नाम हटा लिया गया है जिसके परिणाम स्वरूप पूरक प्रभार लगाए जाने के प्रयोजन के लिए 25 जोड़ी गाड़िया कुल रह गयी हैं ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अन्तर्गत सिलिया पर हाल्ट स्टेशन के लिये प्लेटफार्म, शेड का निर्माण ।

1257. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अन्तर्गत बड़ी लाइन पर आजमगढ़ रोड और मुकुरिया के बीच में सिमलिया नामक स्थान पर एक हाल्ट स्टेशन का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या मिट्टी भराई और प्लेटफार्म, शेड आदि के निर्माण का काम, जो एक वर्ष से भी अधिक समय से चल रहा था, अब पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सवारी-गाड़ियां वहां कब रूकना शुरू करेंगी तथा टिकटों की ठीक ढंग से बिक्री कब शुरु हो जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां। निर्माण-कार्य का इन्जीनियरी सम्बन्धीभाग 30-9-1981 को पूरा हो गया था।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इसके नाम को अन्तिम रूप देने और भारतीय रेल सम्मेलन तथा सर्वे आफ इण्डिया द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने, किसी उपयुक्त साल्ट एजेन्ट की नियुक्ति होने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के पश्चात इस हाल्ट स्टेशन को यात्री यातायात के लिए खोल दिया जायेगा।

न्हावा-शेवा पत्तन के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता

1258. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्हावा सेवा बन्दरगाह के लिए विदेशों से मांगी गई आवश्यक अववित्तीय सहायता प्राप्त कही गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नही होता।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

1259. **श्री नवीन रवाणी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मार्च, 1982 के दिन कुल कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे थे और वर्ष 1981-82 के दौरान इन केन्द्रों से, राज्यवार, कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा ;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1982-83 के दौरान कितने नये केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है और वर्ष 1982-83 के लिये उक्त योजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 31 मार्च 1982 की यथा-स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या तथा दाखिला दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान राज्यवार धन राशि दर्शाने वाला विवरण संस्वीकृत संलग्न है। यह राशि, प्रत्येक राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा अपने-अपने बजट से प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय की गई धनराशि के अतिरिक्त है।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 22,00 नये केन्द्र खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य/संघ शासित क्षेत्र वर्ष 1982-8में के दौरान राज्य योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र खोलेंगे। जहां तक प्रौढ शिक्षा के लिए निर्धारित राशि का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने 1982-83 के दौरान केन्द्रीय योजना के लिए 1425 लाख रुपये तथा राज्य योजनाओं के लिए 126 .30 लाख रुपये की राशि निर्धारित की है। यह राशि निर्धारित की है। यह राशि केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों, दोनों के योजनेत्तर प्रावधान के अतिरिक्त है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्र	दाखिला
1. आन्ध्र प्रदेश	7,022	2,09,835
2. असम	6,398	2,08,313
3. बिहार*	4,575	1,31,230
4. गुजरात	4,620	1,38,352
5. हरियाणा	3,499	77,802
6. हिमाचल प्रदेश	812	16,119
7. जम्मू और कश्मीर*	3,066	61,924
8. कर्नाटक	7,124	2,04,212
9. केरल	3,360	79,794
10. मध्य प्रदेश	11,194	3,22,686
11. महाराष्ट्र*	10,248	3,12,298
12. मणिपुर	2,331	58,558
13. मेघालय	1,096	17,272
14. नागालैंड	759	22,210
15. उड़ीसा*	1,500	38,040
16. पंजाब	2,255	62,743
17. राजस्थान	6,173	1,68,287
18. सिक्किम	543	11,257
19. तमिलनाडु	10,087	3,15,821

1	2	3
20. त्रिपुरा	1,830	39,220
21. उत्तर प्रदेश	7,781	2,19,589
22. पश्चिम बंगाल	8,110	2,24,903
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	124	2,424
24. अरुणाचल प्रदेश	717	13,572
25. चंडीगढ़	267	4,029
26. दादरा और नागर हवेली	60	1,822
27. दिल्ली	1,256	28,772
28. गोवा दमन व द्वीप	144	4,462
29. लक्ष द्वीप*	13	208
30. पांडिचेरी	634	18,075
31. मिजोरम*	367	7,775
योग :	1,07,965	30,21,604

*आंकड़े दिसम्बर, 1981 से सम्बन्धित है ।

विवरण

राशि
(लाख रूपयों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राशि
1. आन्ध्र प्रदेश	79.21
2. असम	38.36
3. बिहार	3331
4. गुजरात	80.35
5. हरियाणा	44.08
6. हिमाचल प्रदेश	5.49
7. जम्मू और कश्मीर	22.08

1	2
8. कर्नाटक	56.79
9. केरल	19.19
10. मध्य प्रदेश	77.75
11. महाराष्ट्र	98.18
12. मणिपुर	11.94
13. मेघालय	17.14
14. नागालैंड	10.08
15. उड़ीसा	59.99
16. पंजाब	—
17. राजस्थान	61.20
18. सिक्किम	9.87
19. तमिल नाडु	62.38
20. त्रिपुरा	14.40
21. उत्तर प्रदेश	130.35
22. पश्चिम बंगाल	37.96
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1.15
24. अरूणाचल प्रदेश	1.50
25. चंड़ीगढ़	0.85
26. दादरा और नागर हवेली	—
27. दिल्ली	10.93
28. गोवा दमन व द्वीव	0.40
29. लक्ष द्वीप	0.85
30. मिजोरम	4.15
31. पांडिचेरी	2.98
कुल	992.59

भारत में आयुवेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के संस्थान

1260. [श्री नवीन रवाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित संस्थाओं की संख्या क्या है,

(ख) क्या देश में इलाज के पुराने ढंग को लोकप्रिय बनाने के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति की ओर अधिक संस्थाओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री : (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) पहली अप्रैल, 1981 को देश में आयुर्वेद/यूनानी अस्पतालों, औषधालयों और कालेजों की संख्या इस प्रकार थी :—

	अस्पताल	औषधालय	कालेज
आयुर्वेद	275	12,11	95
यूनानी	19	990	16

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद अनुसंधान परिषद तथा केन्द्रीय युनानी अनुसंधान परिषद ने इन चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान कार्य करने के लिए क्रमश: 83 और 34 संस्थान यूनिट खोले हैं जिनमें केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, क्लीनिकल अनुसंधान यूनिट, औषध मानकीकरण अनुसंधान यूनिट, औषधीय-पादप सर्वेक्षण यूनिट आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अस्पताल, औषधालय और कालेज खोलना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। जहां तक अनुसंधान परिषदों के संस्थानों/यूनिटों का संबन्ध है, जब कभी इनकी जरूरत महसूस की जाती है और संसाधन उपलब्ध होते हैं तो इनकी स्थापना की जाती है।

गाड़ियों में डकैती, हत्या और चोरी की घटनायें

1261. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री ए० नीलालोहिथमादसन नाडार : क्यारेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1 अप्रैल, 1982 से 30 जून ,1982 तक तक की अवधि के दौरान गाड़ियों में डकैती, हत्या और चोरी के कितने मामले घटित हुए :

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान डकैती- प्रतिवर्ष दर कब सबसे अधिक थी।

(ग) उसके क्या कारण है।

(घ) वर्ष 1882 में प्रतिमाह दर क्या रही है ; और

(ड़) ऐसे मामलों में यथासम्भव कमी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सभी भारतीय रेलों पर रिपोर्ट की गयी डकैतियों, हत्याओं और यात्रियों के सामानों की चोरियों की संख्या निम्नलिखित है :—

	1979-80	1980-81	1 अप्रैल 82 से 30 जून 1982 तक
डकैतियां	74	110	29
हत्याएं	25	36	9
यात्रियों के सामान की चोरियां	6310	2679	1448

(ख) 1980-81 में ।

(ग) कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, जिनमें से होकर रेलें गुजरती हैं अर्थात कानून और व्यवस्था की स्थिति इन घटनाओं की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है ।

(घ) चालू वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान गाड़ियों में हत्याओं की प्रतिमास औसत दर 3 मामले और डकैतियों के 10 मामले थे ।

(ङ.) रेलों पर यात्रियों और उनके उनके माल असबाब की संरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) लगभग 1400 शसस्त्र पुलिस रक्षक यात्री गाड़ियों के साथ चलते हैं :

(2) राजकीय रेलवे पुलिस, जो कि रेलों पर यात्रियों और उनके असबाब की संरक्षा और सुरक्षा के लिए और साथ ही कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं, में 6740 की वृद्धि की गयी है :

(3) रेल मन्त्री ने रेलों पर सुरक्षा उपायों में सुधार लाये जाने की आवश्यकता की ओर उत्तर प्रदेश , बिहार और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे कि यात्रियों को अधिक संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके :

(4) महानिरीक्षक/रेलवे सुरक्षा बल ने इस समस्या पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के महानिरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श किया और रेलों पर बेहतर अपराध नियन्त्रण में सुधार लाने के उपाय और तरीके निकाले जा रहे हैं ।

(5) मन्त्रिमण्डल सचिव के नेतृत्व वाली एक समिति ने हाल ही में इस मामले की जांच की है । समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है

(6) रेलों पर संरक्षा और सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था बनाकर रखने जाने की

समूची समस्या रेल सुधार समिति द्वारा जांच की जा रही है।

कालीकट और कोचीन के क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों में पारपत्र-पुस्तिकाओं की कमी,

1262. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ क्षेत्रीय पारपत्र-कार्यालयों में, विशेष रूप से कालीकट और कोचीन के कार्यालयों में पारपत्र-पुस्तिकाओं की भारी कमी की जानकारी है, जिसके परिणाम पारपत्र जारी करने में अत्याधिक विलम्ब होता है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री श्री पी० वी नरसिंह राव (क) जी हां।

(ख) इसका मुख्य कारण पासपोर्टों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि और जून. 1982 के शुरू में भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक में पासपोर्ट पुस्तिकाओं के उत्पादन में अनुभव की गई तकनीकी कठिनाइयां हैं।

(ग) पासपोर्ट पुस्तिकाओं के उत्पादन के बारे में जो तकनीकी कठिनाइयां सामने आयी थी, उन्हें अब दूर कर लिया गया हैं 25-6-1982 से पासपोर्ट पुस्तिकाओं का उत्पादन 5000 प्रतिदिन से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है। भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक ने कोजीकोड़ और कोचीन सहित पासपोर्ट कार्यालयों को भारी मात्रा में पासपोर्ट पुस्तिकाओं की सप्लाई शुरू कर दी है। इसलिए स्थिति सुधर गयी है तथा उम्मीद है कि और सुधरेगी।

खुरधा रोड डिवीजन में रेल उपकरणों का गायब होना

1263. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के खुरधा रोड डिवीजन में रेल-उपकरणों के चोरी हो जाने और गायब हो जाने के मामले उनके ध्यान में लाए गए हैं

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में कौन-कौन से उपकरण चोरी हो गए हैं

(ग) उन उपकरणों की कीमत क्या होगी :

(घ) क्या उड़ीसा के उपरोक्त रेल डिवीजन के रेल-मुहाने से चोरी गए उपकरणों को ठीक-ठीक धनराशि का पता लगाने के लिए कोई सरकारी जांच की गई है ; और

(ङ) सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय काय विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जनवरी-जून, 1982 की अवधि के दौरान लगभग 74, 109/-रुपये मूल्य

के बिजली, यांत्रिक और सिगनल उपस्कर तथा फिटिंग और रेल-पथ सामग्री चुरायी गयी थी। रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस ने रेल सामग्री और उपस्करों की चोरी के सभी मामलों की जांच पड़ताल की है और इसके परिणामस्वरूप 91 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनसे 19, 942/ रुपये मूल्य की चुरायी गयी रेल सामग्री और उपस्कर बरामद किए गये

(ड़) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण यार्डों और भेद स्थलों की रात दिनों चौकसी की जा रही है।

(2) गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है :

(3) असामाजिक तत्वों, अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति के प्रापकों की गतिविधिय पर नजर रखने और उन पर छापे मारने के लिए अपराध आसूचना कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

(4) रेलों पर अपराध पर बेहतर नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस और उस क्षेत्र की सिविल पुलिस के साथ निकट समन्वय बनाये रखा जाता है।

तलचर सम्बलपुर रेल लिंक का सर्वेक्षण

1264. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री अनादिचरण दास : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलचर-सम्बलपुर रेल लिंक का सर्वेक्षण-कार्य चल रहा है ;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) तालचेर-सम्भलपुर परियोजना के लिए मार्ग, लागत और यातायात अनुमानों का नये सिरे से निर्धारण करने के सम्बन्ध में दक्षिण पूर्व रेलवे एक समीक्षा कर रही है। इस समीक्षा का परिणाम प्राप्त होने पर ही इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है।

30,000 बेरोजगार डाक्टर और प्रतिभा.पलायन

1265. **श्री एम० एम० कृष्ण :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में 30,000 डाक्टर बेरोजगार हैं तथा उनका बेरोजगारी के विरोध में हड़ताल करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ अन्य देश भारत के सैकड़ों डाक्टरों और विशेषज्ञों को भर्ती कर रहे हैं जिसमें यहाँ प्रतिभापलायन का भारी खतरा उत्पन्न हो गया है, और

(घ) इन योग्यता प्राप्त डाक्टरों के लिए उचित रोजगार की व्यवस्था करने हेतु क्या उपाय करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय मे उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : हां, इसके बारे में प्रेस रिपोर्टें देखी हैं । देश में बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है । वैसे, 30 जून, 1981 तक देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों बेरोजगार स्नातकों की संख्या 17,464 थी । जब स्वास्थ्य का विषय राज्य सूची में है, इसलिए बुनियादी तौर पर यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे उपलब्ध डाक्टरों की सेवाओं को उपयोग में लाने के लिए उपयुक्त रोजगार योजनाएं बनायें । आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में विभिन्न प्लान योजनाओं की तारीखों क्रियान्विन के फलस्वरुप चिकित्सा स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों में कार्फी वृद्धि हो जाएगी । राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में क्लिनिक/नर्सिग होम खोलन के लिए डाक्टरों को ऋण देते हैं ।

(ग) और (घ) सरकार को प्रतिभा पलायन की समस्या के बारे में जानकारी है । डाक्टरों को विदेश जाने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये ग ए हैं :—

(1) चिकित्सा स्नातकों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने पर पाबन्दी लगा दी गई है ।

(2) राज्य और केन्द्रीय लोक सेवा आयोगों की सिफारिशों पर विशेष रूप से अर्हता प्राप्त डाक्टरों को अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं ।

(3) राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने डाक्टरों विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं, की सेवा शर्तों में सुधार किया है ।

(4) स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के रोग निरोधक, सवर्द्धक, उपचारात्मक और पुनर्वासीय पहलुओं पर जोर देकर समाजोन्मुखी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अधिक से अधिक डाक्टर आकर्षित हो सकें ।

(5) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने गौरवशाली सदस्यता परीक्षाओं का आयोजन करने के प्रबन्ध किये हैं जो कि विदेशी अर्हताओं अर्थात एफ० आर० सी० एस०, एम० आर० सी० पी० के समतुल्य होते हैं ।

(6) सरकार ने एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति गठित की है जो अन्य बातों के साथ विभिन्न सम्बन्धित कारकों को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद चकित्सा कार्मिकों की जरूरतों का सही-सही अनुमान लगायेगी ।

बिहार दैनिक यात्री संघ की मांगें

1266. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार दैनिक यात्री संघ ने पटना में अपने वार्षिक सम्मेलन में अनुमोदित कोई मांग-पत्र भेजा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-4255/82]

कहल गांव और करहगोला के बीच एल० सी० टी० सेवा के लिए पहुंच सड़क का निर्माण

1267. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कहलगांव और करहगोला के बीच एल० सी० टी० सेवा 23 मई, 1976 को खुल गई थी,

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 में इन सेवाओं के शुरु होने से 1978 तक उपयुक्त एल० सी० टी० सेवा 2 अप और 2 डाउन कम से कम चार चक्कर लगाती थी

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1979-80, 1980 81 और 1981-82 के दौरान इन चार दैनिक चक्करों में बीच के स्टापों सहित निरन्तर कमी हुई है,

(घ) क्या उचित पुलिया आदि उपलब्ध कराने तथा पानी के पर्याप्त स्तर के बावजूद चक्करों में कटौती मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा निर्मित पहुंच सड़कों के अधिक दोषपूर्ण निर्माण के कारण है क्योंकि यह सड़कें वर्ष में मुश्किल से दो या तीन महीनों तक और ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष तक यातायात के लायक रहती है, और

(ड़) यदि हाँ, तो राज्य सरकार प्राधिकरणों के सहयोग से बेहतर और टिकाऊ पहुंच भागों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आई.०डब्ल्यू० टी-प्राधिकरण ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) यातायात की आवश्यकता को देखते हुए और जलयानों को उपलब्ध होने से 1978-को शुरू की अवधि तक एल० सी० टी० सेवा के 2 अप और डाउन चलाई गयी।

(ग) सर्वेक्षण कार्य के लिए एक जलयान के वापस लिए जाने और इन सेवाओं को उपयोग करने वाले यातायात की कमी के कारण जो एक अप और एक उनसे अधिक नही थे, इसे जारी रखना न तो आवश्यक था और न ही व्यवहारिक।

(घ) बिहार सरकार के साथ स्वीकृत प्रबन्ध के अनुसार, राज्य सरकार कहलगांव और कारागोला घाटों के लिए पहुंच मार्ग का निर्माण और उसके रखरखाव का कार्य करेगी। कारा-गोला के लिए पहुंच मार्ग प्रत्येक वर्ष बाद के दौरान बिल्कुल ही खराब हो जाता है। पहुंच मार्ग के निर्माण मे देरी के कारण वर्ष में 2-3 महीनों तक इन मार्गों का आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ता है। इस कारण धीरे-धीरे यातायात की कमी हो गयी और इसके दूसरे द्वीप को जारी रखना आर्थिक दृष्टि से ठीक नही समझा गया। बाढ़ के दौरान यातायात जलयान के स्थगित किए जाने के बाद भी यात्रियों, लीव-स्टोक और जनरल कारणों के लिए इस सेवा को एक ट्रीप को चालू रखा जा रहा है।

(ड़) इन पहुंच मार्गों को मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में बिहार सरकार पर समय-समय पर जोर डाला गया है ताकि वर्ष की अधिकतम अवधि तक माल ढोने वाले यातायात का इस्तेमाल किया जा सकें।

हैदराबाद में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद की शाखा

1268. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हैदराबाद में राष्ट्रीय शैक्षक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद की किसी शाखा की स्थापना कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह शाखा कब तक काम करना शुरू कर देगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता

दिल्ली में महिला डाक्टरों द्वारा नारी शिशु हत्या

1269. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रीयह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति ने दिल्ली में दो महिला डाक्टरों द्वारा नारी शिशुओं की कथित हत्या किए जाने पर भारी चिंता व्यक्त की हैं ;

(ख) इन महिला डाक्टरों, जो गर्भ में लड़का अथवा लड़की होने सम्बन्धी ऐसे परीक्षण कर रही हैं, के खिलाफ क्या करने का विचार है ; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी) : (क) काम-काजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के सचिव ने पंजाब के उन दो प्राइवेट महिलाओं डाक्टरों के बारे में अपने संगठन की तरफ से चिन्ता व्यक्त की है जिन्होने अमनिओसेंटेसिस और प्रसव पूर्व यौन निर्धारण परीक्षणों के द्वारा अवाँछित लड़कियों से छुटकारा दिलाने के बारे में एक पत्र परिचालित किया था ।

(ख) और (ग) पंजाब राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स द्वारा निर्मित कन्डोम के स्टाक को नष्ट करने के आदेश

1270. **श्री एच० एन० नन्जे गौंडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौंडा :

श्री अमरराय प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स द्वारा निर्मित कंडोम के एक विशेष बैच के स्टाक को नष्ट करने का आदेश दिया है ।

(ख) यदि हां, तो नष्ट करने का आदेश दिए गए स्टाक का पूरा ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उस विशेष बैच का स्थान घटिया पाया गया था ;

(घ) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स को अनुदेश दिए हैं कि वह अच्छे किस्म के कंडोम बनायें ; और

(ड़) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सप्लाई करने से पूर्व कंडोम की उचित प्रकार की जाँच की जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क)से (ग) : हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कन्डोम के बैच संख्या एम० 182 के नमूनों की क्वालिटी की जो केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद ने जांच की थी उसमें नमूने खराब पाए गए थे और मई, 1980 में उस बैच के स्टाक का वितरण बन्द कर दिया गया था । मई, 1980 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से इस स्टाक के निपटान के बारे में पूछे जाने पर स्टाक को नष्ट कर देने की सलाह दी गयी ।

(घ) और (ड़) : आशा की जाती है कि यह कम्पनी उचित मानक बनाए रखेगी । क्वालिटी बनाए रखने के लिए हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए कन्डोमों को औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 की अनुसूची "आर" में निर्धारित परीक्षाओं के अनुसार तीन

स्तरों पर अर्थात निर्माण के आरम्भिक चरण में स्वयं हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा पेकिंग से पहले खुली अवस्था में सामान्य सामग्री (एस० आई०) निरीक्षणालय की प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम द्वारा और पेकिंग अवस्था में सामान्य सामग्री निरीक्षणालय प्रयोगशाला, मद्रास केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा जांच की जाती है ।

नवजात शिशुओं को छह महीने तक पूरी तरह मां का दूध पिलाने की आवश्यकता

1271. **श्री एच० एन० नन्जे गोड़ा :**

श्री डी० एम० पुत्ते : गोड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने नवजात शिशुओं को छह महीने के लिए पूरी तरह मां का दूध पिलाने की अत्यन्त आवश्यकता के बारे में दूध पिलाने वाली माताओं में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो क्या इसका पूरा प्रचार करने के लिए कोई सूचना माध्यम अथवा कोई अन्य मार्गोपाय अपनाये गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) चार से छह महीने तक की आयु के नवजात शिशुओं के लिए स्तन पान को पोषण का उत्तम साधन माना गया है । स्तन पान कराने के महत्व को अब काफी मान्यता दी जा रही है । स्तन पान को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं और परा-चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को शिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं । इस सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है, वे निम्नलिखित है :

(1) जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए नियुक्त पेरिफेरल कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए स्तन पान पर एक पुस्तिका हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छापी जा रही है ।

(2) सिनेमा घरों में स्तन-पान पर एक स्लाइड देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(3) नवजात शिशुओं को स्तन पान कराने के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए प्रेस सूचना कार्यालय के माध्यम से लेख निकाले जा रहे हैं ।

(4) क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में पोस्टर और चार्ट भी बाँटने के तैयार किए जायेंगे ।

(5) स्तन पान विषय पर आकाशवाणी/दूरदर्शन से भी प्रसारण किए जाएंगे ।

(6) चिकित्सा/परा-चिकित्सा कर्मचारियों के उपयोग के लिए बांटी जाने वाली पुस्तिकाओं मैनुअलों में नवजात शिशुओं को स्तन पान कराने के विषय अध्याय पहले ही शामिल कर दिया गया है ताकि वे गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को जानकारी दे सकें ।

(7 सचना और प्रसारण मन्त्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय तथा डाक व तार विभाग की सहायता से समाज कल्याण मन्त्रालय ने सभी सम्भावित प्रचार साधनों के दीर्घकालीन अभियान के जरिये बच्चों के स्तन-पान के प्रचार को बढ़ावा देने का कार्य आरम्भ किया है। इस समय यह प्रचार फोल्डरों, पुस्तिकाओं प्रेस विज्ञापनों और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है।

"लेप्रोसी पेशेंट्स अलीज फोरसीबल कंवर्जन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1272. **श्री एच० एम० नन्जे गौडा** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स में "लेप्रोसी पेशेंट्स अलीज फोरसीबल कंवर्जन" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या स्थानीय समिति के बहुत से हिन्दू और मुस्लिम सदस्यों ने दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड के कार्यालय के बाहर इसके खिलाफ विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड के कार्यालय के बाहर कुष्ठ रोगियों के कथित जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया जैसा कि बुधवार, 23 जून, 1982 के हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित समाचार में बताया गया है।

इसे ध्यान में रखते हुए कथित जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में उपचारात्मक उपाय किये जाने का कोई प्रश्न नही उठता।

निर्धन व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन करना

1273. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**
श्रीमती माधुरी सिंह :
श्री चिंगवांग कोनयक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुविधाएं निर्धन व्यक्तियों को मिले जिनके लिए वे मुख्यतया अभिप्रेत हैं; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं निर्धन व्यक्तियों को मिले और क्या माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा हाल ही में इस बारे में कोई निदेश दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कुन्द बेन एम० जोशी) : (क) जी हां, वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के गठन की कमियों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रयास आरम्भ किए गए हैं ।

(ख) और (ग) यह देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, प्रधान मन्त्री ने चाह है कि यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ निर्धन व्यक्तियों को मिले जिनके लिए वे मुख्यतया अभिप्रेत हैं । प्रधान मन्त्री जी के निदेशों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में नेहरु युवक केन्द्र

1274: **श्री हरीश रावत** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में नेहरु युवक केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनके द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों के लिये कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के जिलों के लिये कितनी राशि दी गई है और वर्ष 82-83 के दौरान कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति और समाज और कल्याण मत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य के 28 जिलों में नेहरु युवक केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में नेहरु युवक केन्द्रों के लिए अब तक कुल आवंटित राशि 23.05 लाख रुपये है ।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान पिथौरा गढ़ और अल्मोड़ा जिलों में स्थित नेहरु युवक केन्द्रों के लिए क्रमश: 1,88, 080/-और 1,29,500/- रुपये आवंटित किए गए थे जिसमें प्रोढ़ शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिए आवटित राशि भी शामिल भी । वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पिथौरा गढ़ और अल्मोडा में स्थित नेहरु युवक केन्द्र को क्रमश: 85,000/-रु० और 82000/-रुपये आवटित किए गए हैं । प्रोढ़ शिक्षा केन्द्रों के व्यय को वहन करने के लिए तथा पिछली वचनबद्धताओं यदि कोई हो, के लिए अतिरिक्त राशि केन्द्रों राशि सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राप्त होने पर उन्हें आवटित की जाएगी ।

रेलवे ट्रैकों का विद्युतीकरण

1275. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैकों का विद्युतीकरण किया गया है, और

(ख) उपरोक्त प्रयोजना के लिये योजना लक्ष्य क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लगभग 5500 मार्ग कि० मी० ।

(ख) धन की उपलब्धता होने पर, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 2800 मार्ग कि० मी० ।

भारत-इन्डोनेशिया सांस्कृतिक करार

1276. **श्री हरीश रावत** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और इण्डोनेशिया के बीच पिछले सांस्कृतिक करार पर कब हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(ख) क्या निकट भविष्य में इन दो देशों के बीच किसी सांस्कृतिक करार पर दोबारा हस्ताक्षर किये जाने की कोई संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल : (क) से (ग) भारत और इण्डोनेशिया के बीच एक सांस्कृतिक करार पर 29 दिसम्बर, 1955 को हस्ताक्षर किये गये थे जो अभी भी लागू है । अत: दूसरे सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

यकार्ता में चांसरी की इमारत का निर्माण

1277. **श्री हरीश रावत** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यकार्ता में चांसरी की नई इमारत को कब तक पूरा किया जायेगा ;

(ख) इस पर अब तक कितना खर्च किया गया है ;

(ग) कार्य कब आरम्भ हुआ था ; और

(घ) यदि उसमें विलम्ब है तो क्या कारण हैं ।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) यकार्ता में कार्यालय एवं आवास परिसर का इमारती निर्माण कार्य अन्तिम चरण पर है । बिजली, एयर कन्डीशनिंग, अग्नि शमन व्यवस्था आदि का काम चल रहा है और आन्तरिक डिजाइन/सजावट का काम भी शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा ।

(ख) 30 जून, 1982 तक इस परियोजना पर जिसमें जमीन की कीमत भी शामिल हैं, कुल मिलाकर एक करोड़ तिरेसठ लाख इकतीस हजार रुपये खर्च हो चुके थे ।

(ग) स्थानीय ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य जुलाई, 1980 में शुरू किया गया था ।

(घ) विद्युतीकरण, एयर कंडीशनिंग, अग्नि शमन आदि के काम के ठेके अलग दिये

जाने के लिए की गई लम्बी बातचीत के कारण कुछ विलंब हुआ । इमारती निर्माण कार्य में पाइलिंग, भूस्तम्भ-आवरण की ढलाई आदि जैसी कुछ तकनीकी समस्याओं तथा खराब मौसम के कारण भी परियोजना में कुछ मास की देरी हुई ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ग्लुकोज की बोतलों में फफूंद का पाया जाना ।

1278, **श्री केयूर भूषण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री ~~यह~~ बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पूर्व सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में रोगियों को दी जाने वाली ग्लूकोज की बोतलों में फफूंद पाई गई दी ।

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे पूर्व इसी कंपनी की ग्लूकोज की बोतल में फफूंद पाई गई थी,

(ग) यदि हां, तो ग्लूकोज को बनाने वाली कम्पनी का नाम क्या है ;

(घ) इस कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) अस्पताल के प्राधिकारी इस बारे में सभी सावधानियां बरतते हैं ।

कम्प्यूटर परियोजनाओं का विकास

1279· **श्री गुफरान आजम** :

श्री क० लकप्पा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक उच्च स्तरीय अत: मंत्रालयीय समिति ने रेलवे की कम्प्यूटर परियोजनाओं के विकास के लिये उनका प्रस्ताव मंजूर कर लिया है :

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों के ब्यौरे क्या हैं और क्या रेलवे ने परियोजना के लिए धन-राशि की मंजूरी के लिये योजना आयोग से अनुरोध किया है : और

(ग) यदि हां, तो परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख): रेलवे, इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा अणु शक्ति विभाग ने संयुक्त दल की रिपोर्ट तथा भारतीय रेलों पर संगणकीकृत माल-भाडा परिचालक सूचना प्रणाली के गठन सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करने

के लिए,सम्बन्धित मंत्रालयों के सचिवों की एक बैठक 31 मई 1982 को हुई थी। बैठक में किये गये विनिश्चयों का सारांश नीचे दिया जाता है :

एकीकृत संगणक-आधृत माल-भाडा परिचालन सूचना प्रणाली की बुनियादी रूपरेखा केन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत कार्य-कलापों का सम्मिश्रण होगी। माल-डिब्बों, रेल इन्जनों और गाड़ी संचलनों पर नियत्रण, यातायात का मार्ग निर्धारित करने और खाली माल-डिब्बों का वितरण आदि महत्वपूण कार्य केन्द्रीय तौर पर किये जायेंगे और इन कार्यों को केन्द्रीय तौर पर करने के लिए,कैनेडियन नेशनल अथवा ब्रिटिश रेलों पर विद्यमान प्रणाली अपनायी जायेगी तथा भारतीय रेलों की आवश्यकताओं एवं हालात के अनुरुप उसे कार्यान्वित किया जायेगा।

टर्मिनल और यार्ड प्रबन्ध, रेल इन्जनों तथा माल डिब्बों की मरम्मत, कर्मी दल तथा ईन्धन प्रबन्ध और लेखांकन आदि अन्य कार्य इलाकाई और क्षेत्रीय स्तर पर वर्गीकृत आधार पर किये जायेंगे और इनका विकास किया जायेगा तथा प्रारम्भ में उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलों पर इन्हें कार्यान्वित किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रणाली की रुपरेखा के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर कर लेने के बाद रेलें धन के लिए योजना आयोग से अनुरोध करेंगी।

(ग) उत्तर,पूर्व और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में इस योजना को कार्यान्वित करने में 8 वर्ष का समय लग जाने की सम्भावना है।

इन्स्टीट्यूट आफ पैथोलोजी,नई दिल्ली के उद्देश्य एव कृत्य

1280, **श्री माधव राय सिंधिया :**

श्री बी० डी० सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल की इमारत के एक भाग में लगभग 12 वर्ष पूर्व स्थापित इन्स्टीट्यूट आफ पैथोलाजी अपने मुख्य उद्देश्य में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य तथा कृत्य क्या थे, और

(ग) प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते

न्हावा शेवा बंदरगाह परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए समिति

1281. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 592 करोड़ रुपये की लागत की न्हावा शेवा बंदरगाह परियोजना के सम्बन्ध में सभी निर्णय करने तथा उसे शीघ्रता से पूरा करने के लिये अलग से एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो बंदरगाह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) 1986 के अन्त तक इस परियोजना के चालू हो जाने की संभावना है।

पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगे

1282. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान में हुए साम्प्रदायिक दंगों की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन दंगों के बारे में कोई सरकारी प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और उनसे वहां पर भारतीय हितों की कितनी क्षति हुई ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) अखबार की खबरों के अनुसार काश्मीर, सिंध, पाकिस्तान में मुसलमानों के एक झुण्ड ने 23 अप्रैल को एक हिन्दू मन्दिर में आग लगा दी और बताया जाता है कि इसके बाद हुए झगड़े में 50 व्यक्ति घायल हुए और हिन्दू समुदाय की कुछ कारें तथा दुकानें जला दी गई।

यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन यह मामला पाकिस्तान के आन्तरिक क्षेत्राधिकार में आता है।

सियालदह डिवीजन में रेल सम्पत्ति की चोरियां

1283. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में तथा विशेष रूप से पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में रेल सम्पत्ति की चोरियों की घटनाओं में पिछले कुछ समय से वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो 1980-81 तथा 1981-82 में रेलवे उपकरणों तथा सम्पत्ति की चोरियों के कारण जोन-वार हुई हानि का अनुमान क्या है, और

(ग) चोरियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सिया-

लदह मण्डल में रेल सम्पपि की चोरी की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) 1980-81 और 1981-82 के दौरान रेलों पर रेल सम्पत्ति और उपकरणों की चोरी के कारण हुई क्षेत्र-वार हानि की राशि इस प्रकार है :—

रेलवे	रेल सम्पत्ति और उपकरों की चोरी के कारण हुई हानि की राशि	
	(रु०)	
	1980-81	1981-82
1. मध्य रेलवे	10,80,343	10,39,130
2. पूर्व	58,4,355	57,78,364
3. उत्तर	29,11,065	29,62,985
4. पूर्वोत्तर	5,00,700	3,05,541
5. पूर्वोत्तर सीमा	7,88,,069	9,59,333
6. दक्षिण	4,72,680	6,70,638
7. दक्षिण मध्य	8,87,230	8,29,746
8. दक्षिण पूर्व	16,02,312	18,45,499
9. पश्चिम	13,36,249	6,56,709
जोड़	1,52,73,003	1,53,47,945

(ग) रेल सम्पत्ति की चोरी की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) सभी महत्वपूर्ण यार्डों, स्थापनाओं और भेद्य स्थलों की रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा रात-दिन चौकसी की जाती है।

(2) इन्जीनियरी प्रतिबन्धों बाह्य सिगनलों और ऊंचे ढालों से होकर गुजरने वाली गाड़ियों, जहां गाड़ियों की गति धीमी हो जाती हैं रे० सु० ब० के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है,

(3) अपराध आसूचना कर्मचारियों द्वारा अपराधियों की गतिविधियों के बारे में आसूचना इकट्ठी की जाती है और अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति के प्रापकों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जाते है ।

(4) रेलों में अपराधों पर बेहतर नियन्त्रण सुनिश्चित करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस/सिविल पुलिस के साथ साथ निकट सम्पर्क बनाया रखा जा रहा है ।

(5) अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण तेज कर दिया गया है ।

(6) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बदनाम/आदी अपराधियों, चुराई गयी संपत्ति के प्रापकों को हिरासत में लिया जा रहा है ।

डीजल इन्जनों के लिए प्रति इन्जन दिवस टन-किलोमीटर में

1284. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय (एक) मेट्रो क्षेत्रों में विभिन्न स्टेशनों,माल शैडों अथवा गैर-सरकारी साइडिंगस तक वैगनों की ढुलाई के काम में लगाये गये 7000 अश्व शक्ति अथवा कम क्षमता के डीजल ईंधनों (दो) चार मेट्रो क्षेत्रों में प्रत्येक में परिवहन विभाग द्वारा माल टर्मिनलों में प्रतिदिन उपयोग में लाये जा रहे 700 अश्व शक्ति अथवा कम क्षमता शंटिंग इन्जनों तथा (तीन) चार मेट्रो क्षेत्रों में प्रत्येक में गैर-सरकारी साईडिंगों अथवा माल शैडों मे वैगनों की ढुलाई के लिए उपयोग में लाये जा रहे काम से अतिरिक्त यार्ड कार्यों पर लगाये गए डीजल इन्जनों के लिए प्रतिइन्जन दिवस क्या टन किलोमीटर नियत है, और

(ख) चार मेट्रो क्षेत्रों में यदि प्रत्येक में एक अथवा दो माल टर्मिनल बन्द कर दिये जाये तो 700 अश्व शक्ति अथवा कम क्षमता के कितने डीजल इन्जनों की जरुरत है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इन्जनों की किस्म के आधार पर अथवा विभिन्न महानगर क्षेत्रों के लिए अलग-अलग इन्जन उपयोग के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महानगर क्षेत्रों में गुड्स टर्मिनलों की संख्या में कमी किया जाना

1285. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में गुड्स टर्मिनों की संख्या में कमी करने के प्रश्न पर कभी विचार किया गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं, और

(ख) पिछले दशक में (एक) चार महानगर क्षेत्रों, तथा (दो) उपरोक्त महानगर क्षेत्रों से बाहर कितने गुड्स शैड तथा गैर सरकारी साइडिंग बन्द किये गए ।

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, महानगर क्षेत्रों में चलने वाली रेलों पर, माल टर्मिनलों की संख्या में कमी आने के बारे में विचार किया गया है और बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता महानगर क्षेत्रों के 18 माल टर्मिनलों को बन्द कर दिया गया है ।

(ख) (1) पिछले दशक के दौरान 4 महानगर क्षेत्रों से बाहर की स्थिति का सम्बन्ध है, क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

1980-81 और 1981-82 में परिवार नियोजन की प्रगति

1286. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 और 1981-82 में परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों की संख्या क्या है तथा उनमें पुरुष और महिलाओं की अलग-अलग संख्या क्या है ; और

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा देश में जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक आदर्श लक्ष्य क्या है और इसे कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है—

(हजारों में)

	1980-81	1981-82
1-परिवार नियोजन स्वीकार करने वाले पुरुषों की संख्या	4,127	4,937
1. परिवार नियोजन स्वीकार करने वाली महिलाओं की संख्या	2,336	3,081
3. कुल स्वीकारकर्ता	6,463	8.018

(ख) सन् 2000 ईसवी तक 60 प्रतिशत दम्पत्तियों को प्रभावकारी ढंग से सुरक्षित करने का लक्ष्य है जिसका अर्थ यह होगा कि एक परिवार में औसतन दो बच्चे होंगे और अन्ततः अगली शताब्दी के मध्य तक जनसंख्या स्थिर हो जायेगी ।

प्रमुख पत्तनों पर भीड़-भाड़

1287. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है क प्रमुख पत्तनों पर अत्यधिक भीड़-भाड़ रहती है: और

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा अवधि में कमी रहने की दृष्टि से वहां कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु क्या उपाय करने का विचार किया गया है ;

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अभी किसी भी बड़े पत्तन

में कोई भीड़-भाड़ नहीं है। तथापि मद्रास पोर्ट के कुछ भाग में 30 जून, 1982 से श्रमिकों की हड़ताल के कारण इस पोर्ट में अस्थायी रूप से कुछ भीड़-भाड़ हो गई है जिसे शीघ्र ही दूर कर दिये जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

केन्द्रीय पत्तन प्राधिकरण

1288. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की प्रकार के एक केन्द्रीय पत्तन प्राधिकरण बनाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ;

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पोर्ट्स प्राधिकरण की स्थापना उचित नहीं समझी जा रही है।

कलकत्ता, पारादीप तथा विशाखापत्तम पत्तनों पर हानियां कम करने के लिए कार्यवाही

1289. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कलकत्ता, पारादीप और विशाखापत्तनम पत्तनों पर बार-बार होने वाली हानियां कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : कलकत्ता, पारादीप और विशाखापत्तन पत्तनों में बार-बार होने वाली हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

कलकत्ता:

कलकत्त एक तटीय पत्तन है और अक्सर सूखा के कारण इसके कार्य सीमित है। यह बड़े आकार के जलयानों को पत्तन में प्रवेश करने से रोकता है। फलत: पत्तन में ट्रैफिक कम हो जाता है। इस क्षति को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में ड्रेजिंग के कुल व्यय का 80 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा सहायता के रूप मंजूर करना शामिल है। 1981-82 तक हुगली नदी के रख-रखाव मे ताकि उचित ड्राट तटीय व्यवस्था, सरकारी खर्च पर भागीरथी हुगली नदी प्रशिक्षण कार्य और मुख्य रूप से पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए फरक्का बांध का निर्माण कार्य भी उसमें शामिल है। कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों की ओर जाते हुए नेवीनेशनल चेनल में ड्राट के विशेष सुधार के लिए कुछ इन्जीनियरिंग कार्यों अर्थात् ड्रेजिंग करना और 40.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हुगली एस्टुरे में नदी प्रशिक्षण कार्य के कार्यान्वियन पर भी सरकार विचार कर रही है।

पुराने उपादानों के बदले नए और अच्छे उपादानों और इन्सेंटिव के जरिए अधिक ट्रैफिक को अपनी ओर आकर्षित करने के कदम भी पत्तन द्वारा उठाए जा रहे हैं। राजस्व में वृद्धि के लिए 1981 में पत्तन ने अपने मकानों के किराए में 100 प्रतिशत की वृद्धि की। ओभर स्टार्पिंग को कम करने के विभिन्न उपाय भी किए गए हैं जिसमें बोल्टरी रिटायरमेंट की स्कीम को लागू करना भी शामिल है। आर्थिक दृष्टि से हानिकर जेट्टी और रेलवे स्टेशनों को बन्द कर दिया गया है और पोर्ट ट्रस्ट रेलवे के उन भागों को जो ट्रैफिक हैंडील नहीं करते, ट्रंक रेलवे को सौंपने के लिए उनसे बातचीत की जा रही है।

पराद्वीप :

जनरल कारगो ट्रैफिक को अधिक आकर्षित करने के लिए सेकेंड जनरल कारगो बर्थ के निर्माण की संस्वीकृति दी गई है और वह पहले ही निर्माणाधीन है। लदान क्षमता में वृद्धि के लिए वैगन ट्रीपलर को चालू करना और आयरन और हैंडलिंग प्लांट में संशोधन कार्य भी प्रगति पर है। छठी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त पत्तन सुविधाओं जैसे थर्ड जनरल कारगो बर्थ का निर्माण और कैपिटल ड्रेजिंग के काम के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

समयोपरि भत्ते के खर्च, पी० ओ० एल० की खपत, यात्रा भत्ते और टेलीफोन के खर्च आदि में सीमा बांधकर निश्चित रूप से कमी की जा रही है। अधिक राजस्व की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकारों के उपादानों के किराए भाड़े मे एक रूपता लायी जा रही है।

विशाखापत्तन :

इनर हारबर में विभिन्न सेवाओं में दरों और शुल्कों में तत्काल वृद्धि की गई है जिससे पत्तन के लिए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। [स्थापित व्यय पर नियन्त्रण कर लिया गया है। इसके अलावा, व्यय पर नियन्त्रण पाने के लिए आर्थिक उपायों का कड़ाई से अनुपालन किया गया है।

घाटकोपड़, बम्बई में उपनगरीय रेल कोचों को आग लगाना

1290. **श्री आर० एम० राकेश :**

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी बम्बई में घाटकोपड़ में उपनगरीय रेलगाड़ी के कोचों को आग लगाये जाने के मामले की जांच पूरी हो गई है,

(ख) यदि हां तो जांच पड़ताल का ब्यौरा क्या है,

(ग) इस घटना में रेल सम्पत्ति की कितनी हानि होने का अनुमान है, और

(घ) इस घटना के पीछे किन व्यक्तियों का हाथ है और उनमें से कितने व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस मामले में कोई जांच नहीं करायी है। लेकिन राज्यकीय रेलवे पुलिस, कुर्ला ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147,427 के अन्तर्गत दिनांक 22.6.82 को अपराध संख्या 333/82 दर्ज कर लिया है और वे इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।

(ग) लगभग 10,000 रूपये

(घ) अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

1291. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत डाक्टरों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) इन शिकायतों पर की गई जांच का ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है, और

(ग) अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों के बीच सम्बन्ध सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें न हों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस अवधि में दिल्ली के प्रमुख केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में 48 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) शिकायतों की जांच-पड़ताल उप-चिकित्सा अधीक्षक, सर्तकता अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाती है।

ऐसी घटनाएं फिर न हों, इसके लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपचारी उपाय भी किए जाते हैं।

(ग) अस्पताल के कर्मचारियों को निरन्तर सही सलाह और मार्ग-दर्शन दिए जाते हैं कि वे मरीजों की समस्याओं का समाधान सूझ-बूझ और सहानुभूति से करें। कुछ अस्पतालों के समाज कल्याण और मेडिको सोशल वर्कर्स संगठन भी अस्पताल के स्टाफ और रोगियों के बीच मधुर सम्बन्ध बनाने में मदद करते हैं।

आरक्षण टिकटों की चोर बाजारी के लिए पकड़े गए कर्मचारी

1292. **श्री आर० एन राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रेल टिकटों के आरक्षण में होने वाली चोर बाजारी के बारे में जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो रेल टिकटों की चोरबाजारी को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) उन रेल कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या है जो 1 जनवरी 1982 से आज तक रेल टिकटों की चोर बाजारी करते पकड़े गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, ऐसे कुछ मामलो की सूचना मिली है कि समाज-विरोधी तत्व गाड़ियों में स्थान हथिया लेते हैं और बाद में उसे जरूरत मन्द लोगों को लाभ पर बेच देते हैं।

(ख) कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके अनधिकृत यात्रा एजंटों के परिसरों पर नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं और दलालों तथा समाज विरोधी तत्वों को गिरफ्तार किया जाता है। घर-घर जाकर जांच की जाती है, आरक्षण की मागों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए जबाबी पत्र लिखे जाते हैं और वास्तव में यात्रा कर रहे यात्रियों के पूर्ववृत्तों का मांग-पर्चियों में दिये गए विवरण के साथ मिलान करने के लिए गाड़ियों पर गहन जांच आयोजित की जाती है। मई 1982 में भारतीत रेल (संशोधन) अधिनियम, 1982 बनाकर एक प्रमुख कदम उठाया गया है जिसमें अनधिकृत रूप से रेल की टिकटें/आरक्षण प्राप्त करने और उन्हें आगे देने के धन्ध में लगे किसी भी व्यक्ति और इस अपराध को उकसाने का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद और एक हजार रुपये तक जुर्माना करने की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। बहरहाल उच्चतम न्यायालय द्वारा फिलहाल इस संशोधन का प्रचालन रोक दिया गया है।

(ग) स्थान हथियाने के जिन मामलों की सूचना मिली है, उनका सम्बन्ध बाहरी समाज विरोधी तत्वों से है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लक्ष्य और उसकी प्रगति

(12 3.) **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही. में राज्य सरकारों को कहा है कि वे परिवार नियोजन के लक्ष्यों की अधिक तत्परता से प्राप्त करें : और

(ख) निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1982 में अब तक परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रत्येक राज्य ने कितनी प्रगति की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी) : (क) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का महत्व बता दिया गया है। इनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रजनन आयुवर्ग के पात्र दम्पतियों को प्लांड पैरंटहुड की जानकारी और शिक्षा देकर तथा उन्हें इसे

स्वेच्छा से अपनाने के लिए तैयार कर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें।

(ख) कोटे विवरण-1 और 2 में दिये गए हैं।

विवरण-1

1982-83 के लिये परिवार नियोजन के राज्यवार लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/एजेंसी	नसबंदी आपरेशन	आइ० यू० डी०	प्रचलित गर्भ-निरोधक उपयोग-कर्ता	खाई जाने वाली गोलियों के उपयोग-कर्ता
1.	आंध्र प्रदेश	391,000	89,000	257,000	33,000
2.	असम	91,000	29,000	58,000	11,000
3.	बिहार	418,000	134,000	264,000	49,000
4.	गुजरात	260,000	88,000	280,000	22,000
5.	हरियाणा	84,000	31,000	122,000	7,000
6.	हिमाचल प्रदेश	26,000	9,000	15,000	3,000
7.	जम्मू और कश्मीर	35,000	13,000	25,000	5,000
8.	कर्नाटक	305,000	102,000	136,000	25,000
9.	केरल	160,000	49,000	98,000	18,000
10.	मध्य प्रदेश	382,000	91,000	330,000	33,000
11.	महाराष्ट्र	473,000	108,000	241,000	39,000
12.	मणिपुर	9,200	4,800	5,500	1,000
13.	मेघालय	8,300	2,800	5,500	1,000
14.	नागालैंड	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	174,000	43,000	84,000	16,000
16.	पंजाब	102,000	55,000	126,000	12,000

1 2	3	4	5	6
17. राजस्थान	215,000	65,000	116,000	24.000
18. सिक्किम	300	400	100	200
19. तमिलनाडु	292,000	89,000	175,000	32.000
20. त्रिपुरा	10,500	3,100	7,3000	1,400
21. उत्तर प्रदेश	621,000	361,000	501,000	81,000
22, पश्चिम बंगाल	357,000	65,000	209,000	39,000
23. अण्डमान व निकोवार	1,000	600	600	100
24. अरुणाचल प्रदेश	3,500	1,300	2,400	400
25. चंडीगढ़	2,800	3,200	8,400	500
26. दादर और नगर हवेली	900	200	500	100
27. दिल्ली	24,000	54,000	198,000	900
28. गोवा, दमन व दीव	7,400	2,400	4,700	909
29. लक्षद्वीप	400	200	300	—
30. मिजोरम	2,900	1,300	2,000	400
31. पांडिचेरी	3,800	1,400	2,000	400
35. रक्षा मन्त्रालय	24,000	6,500	51,000	10,300
33. रेल मन्त्रालय	41,000	9,300	187,500	35,300
34, वाणिज्यिक वितरण	—	—	3,000,000	—
अखिल भारत	4,525,000	1,512,500	6,503,100	501,900

विवरण-2

1982-83 के लिए परिवार नियोजन की उपलब्धि के राज्यवार लक्ष्य

क्रम संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र/एजेंसी	नसबंदी आपरेशन अप्रैल-मई 1982 की उपलब्धि	आई० यू० डी० अप्रैल-मई 1982 की उपलब्धि	सभीकृत प्रचालित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता अप्रैल 82 की उपलब्धि	समीकृत खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता अप्रैल 1982 की उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	36435	2355	17117	1571

1	2	3	4	5	6
	2. असम	5180	1490	16271	769
	3. बिहार	5121	1280	28108	1233
	4. गुजरात	10719	6450	101201	9374
	5. हरियाणा	5959	5227	111495	अप्राप्त
	6. हिमाचल प्रदेश	1414	827	8094	101
	7. जम्मू और कश्मीर	888	663	अप्राप्त	अप्राप्त
	8. कर्नाटक	33822	9?00	80657	14162
	8. केरल	14435	2673	6185	489
	10. मध्य प्रदेश	19354	2120	51317	1468
	11. महाराष्ट्र	31764	4752	200606	33154
	12. मणिपुर	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
	13. मेघालय	35	43	282	250
	14. नागालैंड	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
	15. उड़ीसा	2898	473	15009	1026
	16. पंजाब	5347	9689	77062	1518
	7. राजस्थान	14171	2199	अप्राप्त	अप्राप्त
	18. सिक्किम	46	86	अप्राप्त	अप्राप्त
	19. तमिलनाडु	23919	5183	35372	2831
	20. त्रिपुरा	9	अप्राप्त	1360	520
	21. उत्तर प्रदेश	22501	25854	235056	7683
	22. पश्चिम बंगाल	17176	4027	34466	4454
	23. अण्डमान और निकबार द्वीपसमूह	91	138	426	99
	24. अरुणाचल प्रदेश	29	94	अप्राप्त	अप्राप्त

1	ठ	3	4	5	6
25.	चंडीगढ़	254	876	16134	93
26.	दादर और नागर	50	शून्य	226	6
27.	दिल्ली	3308	4860	130967	554
28.	गोवा, दमन और द्वीप	278	86	1175	3
29.	लक्षद्वीप	3	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
30.	मिजोरम*	174	115	अप्राप्त	अप्राप्त
31.	पांडिचेरी	583	148	843	65
32.	रक्षा मन्त्रालय	2636	1709	अप्राप्त	अप्राप्त
33.	रेल मन्त्रालय	1987	601	146517	1023
24.	वाजिज्यिक वितरण			1958333	—
35.	भारतीय परिवार नियोजन संघ				5249

*ये आंकड़े केवल अप्रैल के ही हैं।

भारत स्थित विभिन्न दूतावासों में नियुक्त भारतीय कर्मचारी

1294 **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने भारतीय कर्मचारी नई दिल्ली स्थित विभिन्न राजदूतावासों और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित कान्सुल्टेंज कार्यालयों में कार्यरत हैं और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया अथवा समय से पूर्व सेवानिवृत्त किया गया ;

(ख) उन्हें सेवा से निकालते समय अथवा सेवा निवृत करते समय इन राजदूतावासों द्वारा अदा की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके स्थान पर नये लोग भारत से ही भर्ती किये गये अथवा विदेशों से बुलाये गये ; और

(घ) यदि हां, तो उसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) दिल्ली स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों और दिल्ली से बाहर स्थित कौंसली मिशनों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों की कुल संख्या के अद्यतन आंकड़े सहज उपलब्ध नहीं हैं। ये आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सदन की मेज पर रख दिए जायेंगे।

हमारे विनियमों के अनुसार राजनयिक/कौंसली मिशनों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपने मिशनों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने के बारे में सूचना सरकार को दें ।

(ख) और (ग) इनके बारे में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत बोर्डों से माल भाड़ा प्रभार

1295. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से कोयले की ढुलाई के लिये माल भाड़ा प्रभाग के रूप में बहुत-सी राशि वसूल करनी है,

(ख) यदि हां, तो रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में राज्य विद्युत बोर्डों की सूची क्या है और 30 जून, 1982 को अदा न किये गये माल भाड़ा प्रभार की बकाया राशि कितनी है,

(ग) क्या रेलवे विभाग बकाया राशियों पर ब्याज भी लेता है और यदि हां, तो किस दर पर और ब्याज की कितनी राशि बकाया है,

(घ) अद्यतन इन राशियों को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, और

(ङ) क्या रेलवे विभाग का विचार राज्य विद्युत बोर्डों से आवर्तक जमा राशियाँ लेने के लिये कोई पद्धति अपनाने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की ओर माल भाड़ा की बकाया राशि के बारे में जून 1982 के लेखे बन्द किये जाने के पश्चात अर्थात अगस्त, 1982 के दूसरे सप्ताह तक ही पता चल सकेगा ।

(ग) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इन रकमों की वसूली के लिए, सर्वोच्च स्तर पर कार्रवाही की जा रही है । जहां कहीं व्यावहारिक होता है, रेलें बिजली की सप्लाई करने के लिए उनके द्वारा बिजली घरों को देय राशि के संबंध में इन राशियों का समायोजन करती है । 1.1.82 से, 'देय' आधार पर बुक किये गये यातायात के संबंध में भाड़े पर 3 प्रतिशत अधिप्रभार लगाया गया है । यदि बुकिंग स्टेशन पर भाड़े का भुगतान कर दिया जाता है तो यह अधिप्रभार देय नहीं है । आशा है कि इस उपाय से रेल उपयोगकर्ता भाड़े का पूर्व भुगतान करने के लिए उत्साहित होंगे और रेलों द्वारा वसूल की जाने वाली बकाया, राशि कम करने में सहायक होंगे ।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अहमदाबाद बम्बई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली सुपरफास्ट रेल गाड़ी

1296. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद-बम्बई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली अधिकांश रेलगाड़ियों की भीड़ का अनुपात 100 प्रतिशत से भी अधिक है और यहां तक कि पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा और अधिक गाड़ियां चलाई जानी चाहिये,

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी रेलवे ने अहमदाबाद-बम्बई-अहमदाबाद के बीच निरन्तर चलती रहने वाली एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाने की परियोजना को स्वीकृति दे दी है, और

(ग) यदि हां, तो सुपर फास्ट गाड़ी चालू करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। बम्बई और अहमदाबाद के बीच अतिरिक्त सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और लाइन क्षमता, टर्मिनल सुविधाओं की भारी कमी और सवारी डिब्बों की तंगी के कारण फिलहाल यह व्यावहारिक नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेघालय में रेल व्यवस्था उपलब्ध कराना

1297. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के राज्य मेघालय में अभी तक कोई रेल व्यवस्था विद्यमान नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि रेल मंत्रालय ने बड़े आमान की 28.21 कि० मी० लम्बी गुवाहाटी बर्नीहाट नयी रेल लाइन की स्वीकृति दे दी है और राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये गये हैं, मेघालय राज्य सरकार ने मेघालय में बर्नीहाट म टर्मिनल के स्थान के बारे में सहमति नहीं दी है और यह इच्छा व्यक्त की है कि असम-मेघालय सीमा पर इस लाइन को समाप्त कर दिया जाये और इस प्रस्ताव पर उत्तर पूर्वी परिषद ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इस लाइन का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

त्रिवेन्द्रम से अंगमाली तक एम० सी० सड़क का विकास

1298. **प्रो० पी० जे० कुरीयन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम से अंगमाली तक बढ़कर एम० सी० सड़क के विकास की एक योजना का प्रस्ताव पेश किया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी हां। केरल सरकार से चालू पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सडकों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन ऋण सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लगभग 150 लाख रुपये की लागत से एम० सी० रोड (प्रथम खंड) के विकास का प्रस्ताव है। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और एम० सी० रोड के 43·2 कि० मी० भाग पर जिस पर 150 लाख रुपये की लागत होगी, कुछ आवश्यक सुधार कार्य स्वीकार किये गये हैं। इस धनराशि की 50 प्रतिशत रकम केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में होगी और शेष खर्च राज्य सरकार अपने स्रोतों से पूरा करेगी। इस निर्णय से केरल सरकार को अवगत करा दिया गया है।

विशाखापत्तन और हैदराबाद के बीच रेलों में स्थान बढ़ाना

1299. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तन और हैदराबाद के बीच रेलों में स्थान बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और

(ख) यदि हां, तो इस सेक्शन पर रेलों में स्थान बढ़ाए जाने के लिए तुरन्त उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक कठिनाइयां और सवारी डिब्बों की कमी के कारण वाल्तेरु और हैदराबाद/सिकन्दराबाद के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना या विशाखापत्तनम और वाल्तेरु के बीच चलने वाली 7/8 गोदावरी एक्सप्रेस का भार बढ़ाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

विशाखापत्तनम और नई दिल्ली के बीच सीधी सुपरफास्ट रेल गाड़ी

1300. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजयवाड़ा होकर विशाखापत्तनम और नई दिल्ली के बीच एक सीधी सुपर फास्ट रेल गाड़ी चलाये जाने की जनता की मांग की जानकारी है : और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम और नयी दिल्ली के बीच एक गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में जांच की गयी है लेकिन मार्गवर्ती खंडों में लाइन क्षमता की भारी कमी, टर्मिनल सम्बन्धी अपर्याप्त सुविधाओं और सवारी डिब्बों की कमी के कारण परिचालनिक दृष्टि से यह व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

बिहार में रेल लाइन विस्तार परियोजना

1301. **श्री कुंवर राम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 31 रेल लाइनों में ऐसी कितनी रेल लाइनें है जिसके विस्तार के लिये बिहार सरकार ने भूमि उपलब्ध कराने के बारे में लिखा है तथा जिनका विस्तार करने अथवा जिन्हें दोहरी लाइन में परिवर्तित करने के लिये सर्वेक्षण किया जा चुका है, और

(ख) इनमें से कितनी रेल लाइनों से संबंधित विकास अथवा विस्तार परियोजनाओं को छठी सातवी अथवा आठवी योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने 32 परियोजनाओं के लिए मुफ्त भूमि देने का प्रस्ताव किया है। 13 परियोजनाओं के (संबंध में) सर्वेक्षण पहले ही पूरे हो चुके हैं जिनसे 11 मामलों में परियोजनाओं को अस्थगित कर दिया गया है जबकि दो मामलों में सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। इनके अलावा 11 परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

छठी, सातवीं और आठवीं योजना में नयी परियोजना को शामिल करना परियोजनाओं की अर्थ क्षमता धन की उपलब्धि और योजना आयोग की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

इन्धन की खपत कम करना

1302. **श्री कुंवर राम**: क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में परिवहन उद्योग ईन्धन की खपत 25 प्रतिशत तक कम करने में सफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने में भारत के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सम्बन्धित विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशेष पोषाहार योजना के अधीन पोषक आहार

1303. **श्री कुंवर राम** : क्या **समाज और** कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पोषाहार योजना के अधीन अब तक विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्तियों को पोषक आहार दिया जा रहा है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार उस पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) 1983-84 में इस परियोजना का विस्तार कहां तक किया जायेगा ;

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) तथा (ख) यह एक राज्य क्षेत्र योजना है । कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना नीचे दी जाती है :

राज्य/संघ शासित प्रदेश	विशेष पोषाहार योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों की संख्या जिन्हें पोषक आहार दिया जाता है	पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय (रुपये लाख में)
गुजरात	7,50,300	769.24
पंजाब	28,568	67.78
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	13,467	17.42
दिल्ली	74,467	195.48
मिजोरम	22,000	48.00

दूसरे राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) यह सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि 1983-84 में विस्तार प्रासंगिक समय पर राज्य विधान सभाओं द्वारा 1883-84 बजट के अनुमोदन पर निर्भर करता है ।

मध्य रेलवे के उपनगरीय सेक्शन में रेल सेवा में गिरावट आना

1304. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि मध्य रेलवे के उपनगरीय सैक्शन में रेल सेवा में सभी समय में तथा विशेषकर अधिक भीड़भाड़ के इतनी अधिक गिरावट आई है कि क्रुद्ध दैनिक यात्री रेल वैगनों और रेलवे स्टेशनों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं, और

(ख) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि बहुत अधिक समय से अधिक भीड़भाड़ की और अच्छे रेकों के पर्याप्त संख्या में न मिलने की समस्या बनी हुई है, और

(ग) यदि हां, तो पिछले अनेक वर्षों से तातकालिक आधार पर इसके बेड़े में वृद्धि न करने के लिए प्रयास न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नियमित रूप से अथवा व्यस्त समय के दौरान उपनगरीय सेवाओं में कोई बड़ा ह्रास नहीं हुआ है । विभिन्न तथ्यों के कारण आशातीत स्तर पर सेवाओं की कार्य-कुशलता बरकार रख पाया गया है । दैनिक यात्रियों ने कई बार रेलों तथा अन्य उपकरणों सहित रेलवे सम्पत्ति को नष्ट करके आन्दोलन का मार्ग अपनाया है ।

(ख) जी हां,

(ग) रेलों को बम्बई उपनगरीय सेवाओं की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान था और वर्ष 1979 में डी० सी० बिजली गाड़ी के 239 डिब्बों के लिए मैसर्स जेमटस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को एक क्रयादेश दिया गया था । नये डिब्बे का निर्माण शुरू हो गया है और गतायु डिब्बों के बदलाव के लिए प्राथमिकता दी जा रही है ताकि सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार हो ।

ओलम्पिक खेल आयोजित कराने में एशियायी परियोजनाओं की उपयुक्तता

1305. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशियाड-82 के लिए व्यय का मूल अनुमान क्या था ;

(ख) इस वर्ष खेल आरम्भ होने से पूर्व और कितना अधिक धन व्यय होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस समय जो सुविधाएं जुटायी जा रही हैं वे ओलिम्पक खेल आयोजित कराने में कहां तक उपयुक्त होगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एशियाई खेल, 1982 के लिए सरकार द्वारा नवम्बर, 1980 में यथा अनुमोदित वहन किए जाने वाले समस्त व्यय का अनुमान 54.83 करोड़ रूपये था ।

(ख) वर्तमान संकेत हैं कि एशियाई खेल, 1982 की तैयारी और उसके आयोजन पर 7.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के व्यय किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) भारतीय ओलम्पिक संघ का विचार है कि एशियाई खेलों की विद्यमान अवस्थापना से ओलम्पिक नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम अनुमत्य खेलों को सीमित करके ही ओलम्पिक खेलों को आयोजित करना सम्भव हो सकता है । तथापि, उनका विचार है कि इन खेलों की अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं को पूरा करना आवश्यक होगा ताकि ओलम्पिक खेलों का आयोजन उपयुक्त ढंग से किया जा सके ।

मध्य रेलवे उपनगरीय सैक्शन में 1950 तक खरीदे गये रेलों को चलाया जाना

1306. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे उपनगरीय सैक्शन में (मैन और हार्बर लाइनें) छठे दशक में खरीदे गए ऐसे रेक चलाए जाते हैं जिन्हें बहुत पहले रद्द करके उनके स्थान पर नए रेक चलाये जाने चाहियें थे, और

(ख) रेलवे प्राधिकारियों ने लगातार बढ़ रहे यातायात से निपटने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त संख्या में नए रेक खरीदने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। मध्य रेलवे पर मौजूद कुल 651 डी० सी० बिजली गाड़ी सवारी डिब्बों में से, 1951 और 1957 के बीच उपलब्ध पुराने डिब्बों की संख्या केवल 132 है जिन्हें कोड में निर्धारित आयु के आधार पर 25 वर्ष वर्ष के बाद बदला जाना आवश्यक हो गया है।

(ख) बम्बई उपनगरीय गाड़ियों की आवश्यकताओं के बारें में रेलों ने पूर्वानुमान लगाया है और मैसर्स जेसटस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को 239 बिजली गाड़ी डिब्बों का आर्डर दे दिया गया था। नये सवारी डिब्बों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है औ आडर दे दिया गया था। नये रेकों की सप्लाई में उचित रूप से प्राथमिकता दी जा रही है, जिनका उपयोग पहले रेकों को बदलने में किया जायेगा।

"विशेश घटक योजना के अधीन अनुसचित जाति के लोगों को बेहतरी और उनका विकास

1307. **श्री सूरज भान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए अलग-अलग उनके मन्त्रालय में "विशेष घटक योजना" के अधीन अनुसूचित जाति के लोगों को बेहतरी और विकास के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गयी है

(ख) उक्त दो वर्षों के दौरान, अलग-अलग उक्त योजना के अधीन वास्तव में कितना धन व्यय किया गया, और

(ग) प्रत्येक वर्ष धन व्यय न करने अथवा कम व्यय करने के कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष घटक योजना के अधीन 1980-81 और 1981-82 में क्रमशः 967.00 लाख और 1008.30 लाख रुपए की व्यवस्थाएं की गयी थीं। इन वर्षों में इनमें से 751.42 लाख रुपए तथा 1077.45 लाख रुपए (अनन्तिम) खर्च किए गए।

(ग) 1980-81 के दौरान खर्च में कमी का कारण मुख्यतया यह था कि कुछेक नई योजनाओं को अन्तिम रुप देने में समय लग गया था।

न्यू माल और चालसा स्टेशनों के बीच लखनऊ एक्सप्रेस की छत पर यात्रा करते हुए मारे लोगों की संख्या

1308. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून के पिछले सप्ताह में पूर्वोत्तर रेलवे के न्यू माल और चालसा स्टेशनों के बीच लखनऊ एक्सप्रेस की छत पर यात्रा कर रहे अनेक लोग मारे गये थे,

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए, और

(ग) भारतीय रेलवे में ऐसी मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, पांच यात्री मारे गये थे और दो घायल हुए थे

(ग) छत पर यात्रा करना भारतीय रेल अधिनियम के तहत अपराध है। यात्रियों को छत पर यात्रा करने से रोकने के लिए अनेक उपाय किये हैं । इन उपायों में संचार माध्यमों द्वारा चेतावनी देना, लाउड स्पीकरों पर घोषणाएं करना, रेलवे स्टेशनों पर पोस्टर लगाना और राज्य रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल आदि की सहायता से टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा जांच विशेष सहित नियमित जाँच करना शामिल है।

इण्डियन कौंसिल आफ पैरा मेडिकल हेरिबिलिटेशन

1309. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इण्डियन कौंसिल आफ पैरा मेडिकल रिहैबिलिटेशन प्रोफेशन पर विधान लाने के पक्ष में नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) पैरा चिकित्सा पुनर्वास व्यवसाय परिषद स्थापित करने का प्रश्न तभी पैदा होगा जब भारत सरकार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की इस सिफारश पर निर्णय ले लेगी कि ऐसी परिषद की स्थापना की जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय

1310. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ;

(ख) उनमें से कितने विद्यालयों के पास भवन नहीं है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए कौन से व्यापक कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 53,572 (सदर्भ तारीफ 30-9-1978)।

(ख) 20'566।

(ग) स्कूल भवनों के संसाधनों को संगठित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है।

सिद्ध और मर्म चिकित्सा पद्धति

13!1. **श्री एम० ए० नीलालोहथादसव नाडार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिद्ध और मर्म चिकित्सा पद्धति के आस्तित्व की जानकारी है,

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि सरकार द्वारा उपचार और चिकित्सा की इस पद्धति के सरक्षण तथा उसे बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं तो उसका ब्योरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार सिद्ध और मर्म चिकित्सा पद्धति के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठायेगी, यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सिद्ध चिकित्सा पद्धति एक मान्यता प्राप्त पद्धति है जिसका प्रचलन मुख्यतया तमिलनाडु और केरल में ही है जबकि मर्मचिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का एक भाग है और इसकी प्रैक्टिस मुख्यतया केरल तथा देश के कुछ अन्य भागों में होती है।

(ख) और (ग) सरकार ने सिद्ध और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) आयुर्वेद और सिद्ध की एक केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद बनाई गई है तथा इन चिकित्सा पद्धतियों में अलग-अलग अनुसन्धान कार्य करने के लिए सारे देश में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थाओं/क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों/यूनिटों का जाल-सा बिछा दिया गया है ;

(2) राज्य सरकारों के कालेजों में कई विभागों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर का बना दिया गया है और उन्हें भारत सरकार शत-प्रतिशत सहायता देती है ;

(3) आयुर्वेद और सिद्ध की अलग-अलग भेषज सहिताएं प्रकाशित करने का कार्य चल रहा है ;

(4) प्रयोगशाला उपकरण खरीदने और पुस्तक कोष स्थापित करने के लिए आयुर्वेद और सिद्ध कालेजों को अनुदान दिए जाते हैं ;

(5) आयुर्वेद और सिद्ध के अध्यापकों को अपनी जानकारी अद्यतन बनाने के लिए पुनः-चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(6) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र, राजकीय आयुर्वेद कालेज, त्रिवेन्द्रम में विशिष्ट से रूप मर्म चिकित्सा पर कार्य किया जा रहा है ।

एशियाड 1982 के लिए इस्राइल को निमत्रण

1312. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या शिक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) दिल्ली में होने वाले आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए इस्राइल को निमंत्रण देने के संबंध में सरकार का क्या दृष्टि कोण है;

(ख) क्या सरकार न आमंत्रण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों के साथ इस मामले में कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा और परिणाम क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल):(क) से (ग) : एशियाई खेल 1982 में भाग लेन के लिए निमंत्रण पत्र जारी करना सरकार का कार्य नहीं है । यह खेलों के लिए विशेष आयोजन समिति का काम है । सरकार के इस विचार का ध्यान में रखते हुए कि यदि इजराइल के दल न भाग लिया तो वे खेलों के दौरान भाग लेन वालो की सुरक्षा को सुनिश्चित करन की स्थति के नहीं होगें तथा एशियाई खेल सघ के निर्णय का पालन करते हुए विशेष आयोजन समिति ने इजराइल की राष्ट्रीय ओलिम्पिक समिति को खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के एम०डी० और एम०बी०बी० एम० के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के बारे में रिपोर्ट

1313. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या श्री बी० भार्गव, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने, जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के एम०डी० और एम०बी०बी०एस० के पाठ्यक्रमों में दिए जाने वाले प्रवेश में अनियमितताएं बरतन के आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) इस स्थिति के मामलों को ठीक करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ;

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय मेरे विचार में सरकार को दिल्ली छावनी में जवानों की घटना के सबंध में वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि सभी प्रकार की अफवाहें···

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही एक प्रश्न स्वीकार किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्योंकि सेना के मनोबल को प्रभावित करने वाली बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह केवल अतारांकित प्रश्न के रूप में सामने आएगी।

अध्यक्ष महोदय : तारांकित प्रश्न के रूप में।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर वह पहुंचेगा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आ जाएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप कुछ सैकण्डों के लिए अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आपको स्मरण होगा कि मैंने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष श्री मधुसूदन वैराले द्वारा कल सभापटल पर रखे गए कार्यवाही सारांश के आधार पर एक सूचना दी थी ···

(व्यवधान)

महोदय, कृपया उस युवक को शान्त रहने के लिए कहिए। अत: विशेषाधिकार का प्रस्ताव यह है कि उन्होंने जानबूझ कर कार्यवाही वृतांत में इस तथ्य को छुपाने का प्रयास किया है कि···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। आप अभी जो कुछ कहने जा रहे, उसको जरा सोच लें। आप मुझसे मिल लें, फिर बाद में कहियेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : पाप उस पर विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका सारा दृष्टिकोण गलत धारणा पर आधारित है बल्कि गलत है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 'इण्डियन एक्सप्रेस' में जो लेख प्रकाशित हुआ है, वह क्या है। लुप्त भाग के बारे में एक और लेख ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रजातान्त्रिक देश है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सच है परन्तु हम तथ्यों सेअनभिज्ञ क्यों रहें ? केवल 'इण्डियन एक्सप्रेस के पाठक ही अवगत क्यों हो ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जब समाचार-पत्र आक्रमण या आलोचना कर रहा हो तो बचाव करना सरकार का कर्त्तव्य है । इसमें एक मन्त्री भी सम्मिलित है और उन्होंने मौन धारण कर रखा है ।

श्री राम विलास पासवान : कम से कम लाइब्रेरी में तो रखवा सकते हैं हमारे पढ़ने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूं, आप बैठिए ।

श्री राम विलास पासवान : रूलिंग तो खैर मालूम है ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर ?

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल से कह रहा हूं कि सेकेण्ड एप्रिल की मीटिंग का एक भी शब्द रिपोर्ट या मिनट्स में पत्र नहीं लिखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये, मैं आपको कंविन्स कर दूंगा । इसे उचित ढग से करना होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे मे हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दो के आधार पर अब आप अपना विनिर्णय देंगे । परन्तु आपन जो अभी टिप्पणी की है क्या उसका यह अर्थ है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति, प्रेस और अन्य लोगों की कतिपय तथ्यो तक पहुंच है, चाहे वह गलत दो या सही परन्तु केवल संसद सदस्यों पर प्रतिबन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उसका हवाला दे रहा हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसकी जांच नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसका उल्लेख भी नहीं कर रहा हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब उस समस्या का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी टिप्पणी का गलत अर्थ न लगाइये ।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : इस सम्बन्ध में आप पृथक बिनिर्णय दे सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस पर पृथक बिनिर्णय दीजिए । आपन अभी कहा है यह प्रजातान्त्रिक देश है । उसकी परिभाषा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल सामान्य शब्दों में प्रजातान्त्रिक ढांचे का उल्लेख किया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रजातान्त्रिक ढांचे में संसद का भी कोई स्थान होता है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका स्थान है। इसके कुछ नियम भी है। मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। मुझे नियमों के अनुसार चलना है और इससे बचा नहीं जा सकता। (व्यवधान)

जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रो० मधु दण्डवते, श्री हरिकेश बहादुर, श्री राम विलास पासवान श्री जार्ज फर्नान्डीज से विशेषाधिकार के प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सूचनाओं का सार यह है कि सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति ने एक विषय की जांच के सम्बन्ध में अपेक्षित एक फाइल संख्या पी 20 मांगी थी जो इसे उपलब्ध नहीं कराई गई।

मैंने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 'तेल कम्पनियां-पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पादों के आयात तथा गैस के वितरण' के सम्बन्ध में 47वें प्रतिवेदन का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। जिन सदस्यों ने विशेषधिकारों की सूचनाएं दी हैं मैंने उनमें से प्रत्येक सदस्य को इस प्रतिवेदन की एक-एक प्रति उपलब्ध कराई है। मुझे प्रतिवेदन में समिति की यह टिप्पणी या सिफारिश कहीं भी देखने को नहीं मिली कि उन्होंने मन्त्रालय से कोई फाइल विशेष मांगी थी और यह उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई और इससे विषय की जांच करने में बाधा आई।

सदस्यों ने भी अपनी सूचनाओं अथवा पृथक पत्रों में कुछ ऐसे तथ्यों का उल्लेख किया है जिनका उनके अनुसार हांगकांग स्थित एक फार्म से कच्चे तेल और तेल उत्पादकों के आयात के विषय पर प्रभाव पड़ा है। आपको याद होगा कि इस विषय पर सरकारी उअक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपने सैंतालीस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 95 में यह उल्लेख किया था कि :

> 'समिति यह समझने में असमर्थ रही है कि इस मामले में अधिकार प्राप्त समिति के से क्रय प्रस्तावों पर आगे कार्यवाही करने की सामान्य प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया गया वह इस सम्बन्ध में आग की जाने वाली जांच या स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करेगी।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी किये गये निर्देशकों के निर्देश संख्या 102 के अधीन एक सुस्थापित परिवारी के अनुसार, समिति द्वारा सदन को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद मन्त्रालय को समिति की प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी नोट प्रस्तुत करने वाली समिति छानवीन करती है। श्री सोमनाथ चटर्जी सहित, जिन्होंने तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री महोदय के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव दिया है, सभी सदस्यों को यह छूट है कि वे सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को संगत जानकारी दें जो कि ी गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय निःसन्देह इस पर विचार करेगी।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ऐसी स्थिति मे, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 222 के अधीन किसी मामले को विशेषाधिकार भंग के रूप में उठाने के लिए ऊपरी सहमति देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

मुझे सर्वश्री हरिकेश बहादुर, श्री राम विलास पासवान और प्रो० के० के० तिवारी से 'इण्डियन एक्सप्रेस' के श्री अरुणसूरी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं मिली हैं। इसी के साथ, आज सवेरे मुझे श्री अरुण पूरी के विरुद्ध श्री अटल बिहारी वाजपेयी से विशेषाधिकार की सूचना मिली है।

यह कहा गया है कि श्री अरुण सूरी ने अपने लेख 'केस आफ ए मिसिंग फाइल, (खोई हुई फाईल का एक मामला) में कुछ ऐसे मामले उठाए हैं जो कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा सभा में प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदन आदि में नहीं हैं अन्य बातों के साथ-साथ यह बात कही गई है कि "एक संसदीय समिति की गोपनीय कार्यवाही पर आधारित इस लेख में विशेषाधिकार भंग हुआ है और सभा की अवमानना हुई है...।" अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि इस लेख में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति पर बड़ा आक्षेप किया गया है।

चूंकि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति मामले प्रत्यक्षरूप में सम्बद्ध है, मैं इस मामले को पहले उसी को सौंप रहा हूं।

मुझे प्रो० मधु दण्डवते, सर्वश्री समर मुखर्जी, इन्द्रजीत गुप्त, सतीश अग्रवाल, जार्ज फर्नान्डीस और के० पी० उन्नीकृष्णन से इस आशय के निवेदन प्राप्त हुए है कि कुओं आयल, हांग-कांग से कच्चे-तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में हुए सौदे के सम्बन्ध में सम्बन्धी समिति की 24 मार्च और 2 अप्रैल 1982 को हुई बैठकों के रक्षः सरकारी उपक्रमों रिकार्ड उन्हें उपलब्ध कराये जाए।

मैंने इस निवेदन को सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष के पास भेजा था और उन्होंने मुझे मामले पर और पूर्वदृष्टांतों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में वह 1969 में वित्तीय समिति के प्रतिष्ठित अध्यक्ष, जो कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रकट किये गये' इन विचारों से सहमत हैं कि कार्यवाही को गोपनीय रखने और इसे समिति के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को उपलब्ध न कराने की वर्तमान परंपरा सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा विचारों की निर्भीक अभिव्यक्ति के लिए बनाई गई थी अतः उनके सुविचारित मतानुसार, उस विद्यमान परिपाटी का अनुसरण किया जाना चाहिए जिसके अनुसार केवल समिति की बैठक के कार्यवृत्त को ही सभापटल पर रखा जाता है। वित्तीय समिति के अध्यक्ष के इस मत से तत्कालीन अध्यक्ष महोदय श्री संजीव रेड्डी भी सहमत थे। मैं अपने प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती अध्यक्ष सजीव रेड्डी महोदय से सहमत हूं।

मैं एक अन्य विनिर्णय में पहले ही बता चुका हूं कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सगत जानकारी देने की सदस्यों को खुली छुट है जो कि निःसन्देह की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय इस पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : सिराजुद्दीन मामले में इस सभा के श्री एस० एन० द्विवेदी को लोक लेखा समिति के अक्षरक्षः प्रतिवेदनों को देखने की अनुमति दी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट । मैंने इसे पढ़ा है । जब इस पर चर्चा हो तो सदस्य इस पर बोल सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आपने रूलिंग दे दिया है । अब हम सारे मामले पर बहस चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : समिति पूर्णतया सशक्त है । जब तक एक्शन-टेकिंग रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कैसे होगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दे दी है, लेकिन कर्बेटिम रिपोर्ट आपने देखी है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आपने पूर्वदृटयान्त उद्धत किया है । सिराजुद्दीन मामले में श्री एस० एन० द्विवेदी को लोक लेखा समिति के अक्षरक्षः रिकार्ड को भली भाँति देखने की अनुमति दी गई थी। मैं इस पूर्व दृष्टांत को उद्धत कर रहा हूं । क्या आप इसका खण्डन करेंगे ? मैंने तो पूर्वदृष्टांत उद्धृत किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष महोदय, श्री संजीव रेड्डी से सहमत हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे मामले पर बहस कराइये ।

अध्यक्ष महोदय : बहस ऐसी नहीं हो सकती, उसके बाद आयेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ तत्व सामने आ गये हैं । प्रोसीजर को बाइ-पास क्यों किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : अब तो कमेटी में इसको क्लेरिफाई करना है ।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) : आप इतनी आसानी से यह नहीं कह सकते कि जो कुछ अध्यक्ष संजीव रेड्डी ने कहा है, आप उसे स्वीकार करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे समिति को करने दीजिए । समिति को इसका पता लगाने दीजिए ।

अटल बिहारी वाजपेयी : ये समिति के निष्कर्ष हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें सारी पार्टियों के मेम्बर्स हैं ।

इसमें समिति पूर्णतया सशक्त हैं । (**व्यवधान**) अब पत्र सभापटल पर रखे जायेंगे । श्री पाटिल ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

बम्बई खाद्यान्न ढुलाई कर्मकार (नियोजन का विनियम) संशोधन स्कीम 1981, कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे और विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 की धारा 8क के अन्तर्गत बम्बई खाद्यान्न ढुलाई कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1981 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2174 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4899/82]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4200/82]

जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे एवं विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण -दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के वर्ष 1980 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन, 1979-80 तथा 1980-81 के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा और विलम्ब के कारणों का विवरण आदि ।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं ;

(1) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4201/82]

(3) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन खंड

1 से 3 की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के वर्ष 1980 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपयुक्त मद (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4202/82]

(5) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) ।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) ।

(चार) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त मद (5) के (एक) से (चार) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4203/82]

(7) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के जुलाई, 1980 से जून 1981 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के जुलाई, 1980 से जून 1981 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त मद (7) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4204/82]

(9) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1989-80 और 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4205/82]

(10) (एक) विश्व-भारती शांतिनिकेतन के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(दो) विश्व-भारती शांतिनिकेतन के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्व-भारती शांतिनिकेतन के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4206/82]

(12) (एक) गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) गांधी दर्शन समिति,नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(13) उपर्युक्त मद (12) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4207/82]

(14) (एक) प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, कालीकट, केरल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण।

(दो) प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, कालीकट, केरल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण,) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज, कालीकट, केरल के वर्ष 1980-81 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्कारण)।

(15) उपर्युक्त मद (14) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 4208/82]

(16) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81)

के लेखों की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4209/82]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): मैंने श्री मधुसूदन बेरालें के विरुद्ध विशेषाधिकार की जो सूचना भेजी थी उसकी क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका जवाब कल दूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने रूल 184 के तहत नोटिस दिया है। 47वीं रिपोर्ट के सम्बन्ध में···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे आकर मिलिए। एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद इस पर डिस्कस करवायेंगे !

आप एकदम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। पहले सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को अपना कार्य करने दो। तब हम उसकी बात करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मेरे निन्दा प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके लिए समिति के पास जाएँ। आपको इसकी छुट है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने अनुमति देने से इन्कार तो नहीं किया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप समिति के पास जाइये, आपको वहाँ जाने की छुट है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने अपनी सूचना वर्तमान रिपोर्ट के आधार पर भेजी है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह सभा की समिति है। उन्हें संसदसदस्य चुनते हैं। मैं आपकी बात समझता हूं कि कार्यवाही का अक्षरशः लेखा सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : वे कभी नहीं रखे जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संसद होने के नाते जानना चाहता हूं कि कौन सी संसद ने इन समितियों का चुनाव किया है वे सभा की समितियां हैं···

(व्यवधान) क्या मुझे सदस्य होते हुए इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में पूर्व परम्पराएं और पूर्वोदाहरण मौजूद हैं। मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) यह एक गलत पूर्वोदाहरण है। आपको इसको संशोधित करना चाहिए। आप सदन के सदस्यों को वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। मैं आपसे विनिर्णय को संशोधित करने के लिए कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : रूल्स आपने बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं। प्रीवियस रूलिंग्स हैं, कन्वेन्शन्स हैं प्रेसिडेन्ट हैं मैं आपके नियमों से बंधा हूं।

श्री चन्द्र जीत यादव : वे गलत पूर्व निर्णय हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसमें सारी पार्टियों के मैम्बर्स हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक प्रति पुस्तकालय में रखी जाए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (मीलबाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने बम्बई बंद पर कालिंग एटेन्शन मन्जूर किया, बंगाल की जूट मिलों के क्लोजर पर कालिंग एटेन्शन मन्जूर किया, मैंने राजस्थान की मिल के क्लोजर पर·····

अध्यक्ष महोदय : आप उस कालिंग-एटेन्शन के लिए मेरे से आकर बात कीजिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सीताराम केसरी जी।

(व्यवधान)

राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में भारत सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार के बीच करार

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीय राज मार्गों के विकास और रख रखाव के बारे भारत सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार के बीच जून 1982 में हुए करार की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी सस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4210/82]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर चुका हूं मैंने प्रतिवेदन मांग रखा है।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। में दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप हमारी बात सुन नहीं रहे है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री आर०एन०राकेश (चैल) : मेरा जो प्रिविलेज का नोटिस था, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप को तलाश कर रहे थे, आप मिले नहीं। आपसे इन्फार्मेशन पूछेंगे।

श्री आर० एन० राकेश : मैंने आपको ···दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) विशेषाधिकार के प्रश्न की तो आपने बात की है, परन्तु दूसरा प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने यह स्थापना दी है कि···

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मेरे विनिर्णय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय पर चर्चा नहीं कर सकेते हैं । इसकी अनुमति नहीं है केसरी महोदय ने पत्र सभापटल पर रख दिए हैं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संसोधन) नियम, 1980 केंसर अस्पताल तथा अनुसन्धान संस्थान ग्वालियर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, महात्मागांधी आयुर्विज्ञान सस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल सेवाग्राम वर्धा का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन तथा विलम्ब बताने के कारण वाल विवरण

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती ?

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संसोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 11 मार्च, के भारत के राजपत्र में सा० का० वि 245 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 17 अप्रैल 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० का० नि० 386 में प्रकाशित हुआ उनका शुद्धि-पत्र ।
[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 4211/82]

(2) केंसर अस्पताल तथा अनुसन्धान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) उपयुक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) ।
[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 4212/52]

* कार्यवाही वृतान्त में साम्मलित नही किया गया ।

(4) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम, वर्धा के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4213/82]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा नहीं कर सकते । नहीं, आप मेरे निर्णय पर चर्चा नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे निर्णय पर चर्चा नहीं कर सकते । यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नही ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अगर आप इसे समिति को भेजना चाहते हैं·····(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : (संदपुर) : उत्तर प्रदेश में 40 हजार प्रधान मीसा के अन्दर बन्द हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा मामला नहींहै,

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : गाजीपुर और बलिया की जेलों में वे बन्द हैं ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं अनुमति नहीं है । यह राज्य विधान सभा के लिए है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने कारण नहीं बताये हैं ।

श्री ए० नीलालोहिथावसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मैंने एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, बिना मेरी अनुमति के कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) : श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप सबकी बात सुन रहे हैं,

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हो गया है आपको आज।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : कोई सुनने दे, तो एक एक की सुन लूं।

श्री राम विलास पासवान : मैं अकेला बोल रहा हूं। मेरा प्लाइन्ट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : कोई सुनने दे, तो सुन लूं। यहां पर तो दस-दस एक साथ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ? श्री नाडार आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री ए० निलालोहिथादसन नाडार : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने श्री बन्सी लाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार हो रहा है हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो गया।

श्री नाडार, अपनी बात कह चुके हैं मैंने कहा है कि यह विचाराधीन है। अब डा० बसंत कुमार पंडित बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप यह क्या कर रहा हैं ?

डा० बसन्त कुमार पंडित : (राजगढ़) दिल्ली के 15 हजार छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ को अनुमति देंगे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने नियम 377 के अधीन पहले ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

डा० बसन्त कुमार पंडित : नहीं आपने स्वीकार नहीं किया है। वह एक अलग विषय पर है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही एक की अनुमति दे दी है। इसको पेश करने का यह ढंग

* कार्यवाही- वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरों की बात सुनने नहीं देते; मैंने आपकी बात सुन ली है और जबाब दे दिया है ।

डा० बसंत कुमार पंडित : जिस विषय का मैंने जिक्र किया है आपने इसकी अनुमति नहीं दी है

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक की अनुमति दी है ।

श्री रामलाल राही : (मिसरिख) अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में आप देख रहे होंगे···

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब क्या है ? आपका प्लाएंट आंफ आर्डर क्या है ?

श्री रामलाल राही : कोई महिला ऐसी नहीं है,पांच दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जानें···

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आपका प्रश्न क्या है ।

श्री रामलाल राही : मैंने कालिंग अटेंशन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटेंशन देखेंगे । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करने का यह तरीका नहीं है । नहीं, अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

नहीं,नहीं । मेरे पास सौ नोरिसज हैं, मगर मैं आपको वह बताने लग जाऊं कि उन सौ में क्या क्या है तो यहां कुछ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) मैंने कालिंग अटेंशन मोशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है,

श्री हरीश कुमार गंगवार : एक एडीशनल प्राइवेट सेकेटरी ।3 हजार रुपये···

अध्यक्ष महोदय : वह पकड़ा जायेगा । कोई एडीशन प्राइवेट सेकेटरी हो या कोई नाट अलाऊड ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय फिर आप बीच में बोल रहे हैं नाट अलाउड ।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आपने अपनी रूलिंग दी कि वरबटिम रिकार्ड नहीं देखा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं । जब कि आप कुछ नयी बात न कह रहे हों···

श्री हरिकेश बहादुर : उसकी मिनट्स में···

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास आ गया है, आपको मैंने कहा है कि इसको मैंने सभापति के पास स्थिति की जानकारी के लिए भेज दिया है । मैंने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है, आप और ज्यादा क्या चाहते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : मिनट्स में और रिपोर्ट में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है । (व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं ? आपको क्या फिट पड़ता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो यही कहा है कि मैंने इसकी रिपोर्ट के लिए चेअरमैन को भेज दिया है । आप मेम्बर हैं । नये मैम्बर भी आये हैं । कमेटी भी बैठी है । आप उसमें पूछ सकते हैं । वे इन सब बातों को देख सकते हैं इनको क्यों विकृत किया गया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) : क्या आपने शब्दश: विवरण देखा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों पढ़ता मुझे उसमें रुचि नहीं है ।

अटल बिहारी बाजपेयी : तब आप नकारात्मक उत्तर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है । कई एक प्रतिवेदन हैं । मैं उन सबको अच्छी तरह से कैसेदेख सकता हूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इस विशेषाधिकार वाले मामले पर आप बिना शब्दश : विवरण देखें कैसे···

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कुछ फैसला नहीं किया है ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइट आफ आर्डर है 27 वी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी गयी । मैंने उस रिपोर्ट पर नियम 184 के तहत डिस्कशन मांगा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा । जब वक्त आयेगा तब करेंगे ।

बिना प्रतिवेदन प्राप्त किये मैं कैसे किसी निर्णय पर पहुंच सकता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : वक्त तो अब भी है ।

अध्यक्ष महोदय : बिकोर गेटिंग दरिप्लाई डिस्कशन कैसे हो जायगा ।

मैंने इसके बारे में कब इन्कार किया है जब एक्शन टेकन रिपोर्ट आ जायेगी···

श्री राम विलास पासवान : आप डिस्कशन करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमों के अनुसार चलना है मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता ।

श्री राम विलास पासवान : आप अब चर्चा की अनुमति दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं दे सकता । मुझे आप बता दीजिए, मैं आप से माफी माँग लूंगा ।

श्री सत्यसाधनचक्रवर्ती : (कलकत्ता) श्रीमन, यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । यह तो करोड़ रुपये के घोटाले का प्रश्न है । एक लोकतांत्रिक देश में, संसद···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप विशेषाधिकार के बारे में बोल रहे हैं या किसी और बात पर ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम सिर्फ यह चाहते हैं कि···

अध्यक्ष महोदय : अगर आप विशेषाधिकार पर चर्चा करना चाहते हैं तो, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बाधा डाल रहे है ? आप मामलों को क्यों जटिल बना रहे हैं ?

यह मेरा काम है । मैं अपना कार्य करना जानता हूं । कृपया मुझे इसे करने दें । श्री तिवारी, आप क्यों बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चक्रवर्ती को बोलने की अनुमति नहीं दी है । आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कमेटी बैठी है । समिति विद्यमान है वह इस पर विचार कर रही है ।

श्री आर० एन० राकेश : मैंने प्रिवलेज नोटिश दिया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बता दिया है, आप पूछ लीजिएगा ।

श्री आर० एन० राकेश : किससे पूछ लें ?

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : हमसे पूछ लीजिए । अब यह खत्म हुआ । अब मेरा समय नष्ट मत कीजिए

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है···

अध्यक्ष महोदय : आपसे तो बात कर ली थी ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बहुत सीरियस बात है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन ली है आपकी बात इस विषय पर यहां विचार नहीं हो रहा है यह राज्य का विषय है मैं कुछ नहीं कर सकता ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह स्टेट सब्जेक्ट नहीं है । अध्यक्ष महोदय, गाजीपुर, जौनपुर बलिया में मीसा के अन्तर्गत गाँव के प्रधानों को जो कि नये चुनकर के आये हैं, जेलों में मीसा के अन्तर्गत बन्द किया जा रहा है **(व्यवधान)**

क्या मीसा स्टेट के अन्तर्गत आता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम ।

(व्यवधान*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां बहुगुणा जी आप क्या कह रहे थे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (गढ़वाल) अध्यक्षमहोदय जो कुछ मैं कहने का प्रयत्न कर रहा उसका सन्दर्भ भारत के राष्ट्रपति से नहीं है मेरा प्रश्न यह है कि मैंने संस्मारक टिकट जारी करने के बारे में आपको लिखा है···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं मैंने उस स्थगन प्रस्ताव के लिए स्वीकृति नहीं दी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष का जिक्र कर रहा हूं जो सौभाग्य से राष्ट्रपति के पद पर पहुंच गये थे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं नहीं कर सकता । आप जो चाहे चर्चा कर सकते हैं परन्तु इस तरीके से नहीं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा: महोदय मैं केवल एक बात में रुचि रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैंने उस अंश की अनुमति नहीं दी है बहुगुणा जी ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं महोदय, स्थगन प्रस्तावों पर इस तरीके से चर्चा नहीं की जाती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्तावों पर इस तरीके से चर्चा नहीं की जाती।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष के साथ अन्य लोगों से भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है जिनके सम्मान में राष्ट्रपति का पद छोड़ने पर संस्मारक डाक टिकटें जारी की गयी।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इसलिए में समझता हूं कि यह गम्भीर पक्षपात है और स्वयं इस सभा के लिए अपमान की बात है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस सभा को यह विशेषाधिकार होना चाहिए ···

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह मामला उठाने के लिए नहीं है अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : (जयपुर) अध्यक्ष महोदय एक विशेष मुद्दे पर मैं आपके द्वारा मार्ग दर्शन चाहता हूं। संविधान के अन्तर्गत, इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार जब तक वे संहित बद्ध नहीं किये जाते, ब्रिटिश संसद के सदस्यों के जैसे हैं। ब्रिटिश संसद के सदस्यों को समितियों की शब्दशः कार्यवाही देखने का अधिकार होता है हमारी संसद के सदस्य क्यों नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हमारे अपने पूर्व उदाहरण तथा नियम हैं। यदि आप उनमें सशोधन कर सकते हैं···

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : हम समितियों की शब्दशः कार्यवाही देख सकते हैं ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आइये और मुझसे मिलिए। आपका मुझसे आकर मिलने के लिए स्वागत है। मैं अपने आप नहीं कर रहा हूं मैंने आपको संगत अध्यक्ष तथा संगत सभापति का उद्धरण दिया है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) महोदय मैं आपके विनिर्णय पर आपत्ति नहीं उठा रहा हूं और आपने 1969 के उदाहरण का उद्धरण दिया है। परन्तु इससे बाद का भी उदाहरण है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चहूंगा। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की डायरी ···

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी आप यह क्यों नहीं मानते की उस समिति में लगभग प्रत्येक दल को प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परन्तु कुछ ऐसे सिद्धन्त हैं जिनका समिति अनुकरण करती है तथा पूर्व उदाहरणों ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभा के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी :(जादवपुर) महोदय मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। परन्तु अपन विनिणय में आपन मेरे नाम का उल्लेख किया हे मैं जानना चाहूगां कि क्या आपन मेरे निन्दा प्रस्ताव को निलम्बित रखा है और अन्तिम निर्णय नही लिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आपको इसे समिति के पास ले जाना चाहिए। समिति अभी भी है और समिति आपकी शिकायतों को भी सुनेगी। समित को अभी और पूछताछ करनी है और वे और अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं। मैंने यही कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानना चहाता हूँ कि मेरा प्रस्ताव सचिवालय द्वारा समिति को भेजा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री जैनुल बशर।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं प्रक्रिया के बारे में जान सकता हूं ? मुझे मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप आकर मुझसे मिले।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इसको समिति के पास भेजा जायेगा ?

(व्यवधान)

प्रो० रूपचन्द्र पाल(हुगली) : ये समितियां कभी भी दल के आधार पर कार्य नहीं करती।

अध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

प्रो० रूप चन्द्र पाल : कोई नहीं। हम ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति नहीं दी जायेगी . कुछ नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई विनिर्णय नहीं दिया। हां श्री बशर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अनुमति नहीं दी जाती। (व्यवधान)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेल दुर्घटनाओं, रेलों में डकैतियों और लूटपाट से उत्पन्न स्थिति

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : मैं रेलमंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

* कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

"रेल दुर्घटनाओं, रेलों में डकैतियों और लूटपाट तथा इनके कारण यात्रियों में व्याप्त हो रही असुरक्षा की भावना से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही"

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : हाल ही में रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति बिगड़ गयी है जिससे सभी ओर चिंता उत्पन्न हो गयी है।

रेलों पर संरक्षा की तलाश एक सतत प्रक्रिया है। अतीत में किये गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 1960-61 में 2131 से घटकर 1981-82 में 1131 रह गयी है। दुर्घटनाएं हुई थी, प्राय: उत्तरोत्तर कम होती रही। अगले दो वर्षों, अर्थात 1974-75 और 1975-76 के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या बढ़कर क्रमश: 925 और 964 हो गयी। ऐसा रेल कर्मचारियों की देश-व्यापी पड़ताल के उत्तर प्रभावों और कार्य-संचालन की अनिश्चित स्थिति के कारण हुआ जिससे परिसम्पतियों के अनुरक्षण पर प्रभाव पड़ा और 1976-77 में दुर्घटनाओं की संख्या 780 रह गयी जो आज तक की सबसे कम संख्या है।

दुर्भाग्यवश, 1976-77 में जो सुधार हुआ था, उसे बरकरार नहीं रखा जा सका और तब से दुर्घटनाओं की संख्या: निरन्तर बढ़ती जा रही है।

इन दुर्घटनाओं से बहुमूल्य जीवन और अंगों की हानि हुई है। इससे मुझे बहुत दुख है, यद्यपि गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या देवाधीन, मात्र अवसर पर आधारित होती है।

इस वर्ष जनवरी में जब मैंने रेल मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला, तब मैंने दुर्घटनाओं की रोकथाम की ओर अपना ध्यान दिया। यह महसूस करते हुए कि दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार एकमात्र सबसे बड़ा कारण मनुष्य की भूल है, मैंने बहुत बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों के बीच संरक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए और अधिक उपाय किये, क्योंकि अन्ततोगत्वा इन्हीं लोगों के हाथ मे गाड़ी परिचालन की संरक्षा रहती है। मनुष्य की गलती के इस पहलू को निरीक्षणों शिक्षा और मंत्रणा तथा अन्ततोगत्वा दण्डात्मक कार्रवाई द्वारा निपटाया जा रहा है। मैंने विभागाध्यक्षों के ओहदे के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों के दो उच्च-स्तरीय संरक्षा नियन्त्रण दल नियुक्त किये। दल विभिन्न भागों में गये हैं, क्षेत्र में अधिकारियों से मिले हैं और इन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों द्वारा संरक्षा नियमों और विनियमों का अनुसरण किया जाये। इसके अतिरिक्त, इन दलों से मुझे सीधे सूचना प्राप्त होने का लाभ मिला।

अन्य क्षेत्र, जिसकी ओर मैंने ध्यान दिया है, वह है,—रेल इन्जनों, माल डिब्बों, सवारी

डिब्बों, रेलपथ पुलों और सिगनल गियर, आदि परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के काम को पूरा करना । यद्यपि जहां कहीं परिसंपत्तियों गतायु हो जाता हैं, इनके सम्बन्ध में उचित सावधानी बरती जाती है ताकि गतायु परिसंपत्तियो का नवीकरण समय पर हो सके । मुझे आशा है कि परिसंपत्तियों के नवीकरण के काम में तेजी लाने के लिए हम अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने में सफल होंगे ।

संसद में, समाचार पत्रों में और अन्य मंचों पर रेलों में संरक्षा के बारे में विचार व्यक्त किये गये हैं । हमने इन विचारों को सावधानीपूर्वक नोट किया है ।

हाल ही में हमने अनेक कदम उठाये हैं । आशा है कि इनसे दुर्घटनाओं की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बदल जायेगी । 1982-83 में पहले तीन महीनों मे 203 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई जबकि वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 284 दुर्घटनाएं हुई थी ।

चलती गाड़ियों में लूट-पाट और डकैती की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है । जनवरी-मई, 1982 के दौरान सभी भारतीय रेलों पर गाड़ियों में लूट-पाट और डकैती के 173 मामलों की सूचना मिली थी, जबकि जनवरी-मई,1981 के दौरान ऐसी 168 दुर्घटनाएं हुई थी और जनवरी मई, 1980 के दौरान ऐसी 84 घटनाओं की सूचना मिली थीं । समूचे देश मे हुई ऐसी कुल घटनाओं का लगभग 75 प्रतिशत घटनाएं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बगाल राज्यों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में हुई । मैंने इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के नाम स्वय पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र मे चल रही गाडियों में यात्रियों को बेहतर संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाड़ियों में संरक्षा के उपायों को सुदृढ़ करें ।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यात्रियों की संरक्षा और उनके सामान की सुरक्षा की सवैधानिक जिम्मेदारी राज्य सरकारो की है, जो रात के समय यात्री गाड़ियों के मार्ग-रक्षण के लिए लगभग 1,400 मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था कर रही है । गाडियों में चोरी,डकैती और लूट-पाट आदि की सभी समस्याओं से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल हर संभव तरीके से राज्य रेलवे पुलिस की सहायता करता है । हाल ही में सभी रेलों पर राज्य रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की सख्या में 6,740 कर्मचारियों की वृद्धि की गई है । यह वृद्धि राज्य सरकारों के साथ 50:50 के आधार पर राज्य रेलवे पुलिस की लागत वहन करने के रेल मत्रालय के विनिश्चय के फलस्वरूप की गई है । इस समस्या से निपटने के लिए राज्य पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से, महानिरीक्षक/रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में इस मसले पर पश्चिम बगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श किया है ।

मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि रेल यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है और इस सम्बन्ध में स्थिति सुधारने के लिए कोई कसर न रखी जायेगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जैनल बशर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने ऐसे आँकड़े प्रस्तुत करके कि

1960 से लेकर 1980 तक दो दशकों में रेल दुर्घटना कम हो गयी है, संतोष जाहिर किया है। परन्तु जो आतंक तथा असुरक्षा ही यात्री आज महसूस कर रहे हैं वह छटे दशक मे नहीं थी। यह हो सकता है कि 1960 से आरम्भ होने वाले दशक में कुछ छुट-पुट दर्घटनायें हुई होंगी परन्तु आजकल तो बडी-बड़ी दुर्घटनायें हो रही हैं जिनमें मृत्युदर अधिक है। और आज यात्री रेलों से यात्रा करने में डरते हैं। प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन हम अखबार में या तो दुर्घटना की खबर पढते हैं या डकैती और लूटपाट की। कभी-कभी भारतीय रेलों में एक से अधिक दुर्घटनायें, होती हैं। और माननीय मंत्री ठीक ही कहते है कि अधिकतर, 25 प्रतिशत दुर्घटनायें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रही है। विशेषरूप से उत्तरी भारत में। स्थिति बहुत गम्भीर है।

जब हम सब से मिलते हैं, प्रत्येक सत्र में यह मामला उठाया जाता है और माननीय मंत्री दुर्घटनाओं तथा डकैतियों व लूटपाटों को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों की घोषणा करते हैं।

परन्तु अब यात्री असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री द्वारा उठाये गये कदमों द्वारा इन दुर्घटनाओं पर कोई रोक नहीं लगी।

मैं आशा करता कि माननीय मंत्री द्वारा किये गये प्रयत्नों से, जैसा कि उन्होंने अभी कहा, है निकट भविष्य में लाभ होगा। पर मैं महसूस करता हूं कि यात्रियों को अभी तक इससे राहत नहीं मिली है

यह बात समाचार पत्रों में भी छपी है और कई बार इस सम्मानित सभा में भी उठायी गयी है कि रेलवे अधिक माल ढ़ोने के उत्साह में सुरक्षा तथा रक्षा के उपायों की उपेक्षा कर रही है। रेल मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि सुरक्षा उपायों की उपेक्षा नहीं की जायेगी परन्तु हाल ही में दिल्ली में हुई रेल कर्मचारियों की हड़ताल से स्पष्ट होता है कि रेल कर्मचारी बल्कि मुझे कहना चाहिए सम्पूर्ण रेलवे तन्त्र जिसमें आदमी और मशीनें दोनों सम्मलित हैं, अधिक माल ढोने से थक चुके हैं और अधिक कार्य कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक भार ढोने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी रेलों ने माल ढोने के मामले में आश्चर्यजनक कार्य किया है। परन्तु यह दुर्घटनाओं की कीमत पर तथा मानव जीवन की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने रेलों के कार्य निष्पादन में सुधार किया है।

माननीय रेल मंत्री के रूप में वे आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हैं।

परन्तु उन्हें दुर्घटनाओं तथा डकैतियों व लूटपाट की घटनाओ को समाप्त करने के लिए तुरन्त गंभीर उपाय और कदम उठाने चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें रेलवे विभाग के विभिन्न संगठनों से

कुछ अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें यह कहा गया है कि रेलवे विभाग में सुरक्षा उपायों की उपेक्षा की जा रही है और यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

महोदय मैं एक बात और कहना चाहूंगा । मैं रेल मन्त्री का बहुत अधिक सम्मान करता हूं । परन्तु अब देश में । क भावना पैदा हो गयी है कि रेलवे विभाग का पूरा कार्य रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है उनको यातायात जादूगर कहा जाता है । वह वास्तव में है भी उन्होंने कुछ प्राप्त किया है । परन्तु वह यातायात जादूगर रेलवे विभाग के मैकेनिकल कर्मचारियों को निराश कर रहे हैं । वह रेलवे के मैकेनिक पहलू की उपेक्षा कर रहे हैं उनका ध्यान यातायात की ओर अधिक है । महोदय मशीनी पक्ष ही कार्य करता है। यदि मशीन पक्ष कार्य न करे तो आप अधिक यातायात नहीं ले जा सकते अधिक भार नहीं ढो सकते । महोदय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा आगे रहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री जनल बशर : महोदय मैंने अभी तो शुरू किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये ध्यानाकर्षण में भाषण देना एक प्रथा बन गयी है । कृपया नियम पढ़िये । हम दूसरे विषयों के लिए अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं । आप पांचों केवल आधा घंटा ले सकते हैं मैंने केवल पांच मिनट के बाद ही घंटी बजायी है परन्तु नियम के अनुसार केवल तीन मिनट की अनुमति होती है ।

श्री जनल बशर : महोदय मुझे नियमों का पता है परन्तु महोदय नियमों से व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है । पूर्व उदाहरण हमेशा .....

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय कीमती है । अपना प्रश्न पूछो और मंत्री का ध्यान आकर्षित करो । यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है आप बहुत ही वरिष्ट सदस्य है आप ध्यानाकर्षण पर बोल रहे हैं

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) महोदय वे अपना प्रश्न बना रहे है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं । ठीक है । हर बात की कोई सीमा होती है ।

श्री जनल बशर : महोदय मुझे नियमों का पता है और प्रक्रिया का भी ।

उपाध्यक्ष महोदय : . जानता हूं आप बहुत ही जानकार व्यक्ति है ।

श्री जनल बशर : मुझे नियम भी आते हैं और व्यवहार भी ।

उपधायक्ष महोदय : तब मेरा काम और आसान हो गया है ।

श्री जनुल बशर : महोदय रेलवे विभाग के मैकेनिकल कर्मचारियों ने रेल मन्त्री से अभ्यावेदन किया है कि रेलों के सुरक्षा पद्धति या मैकेनिकल पक्ष की ओर पर्याप्त ध्याना दिया जा रहा है । यदि यह सत्य है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

महोदय रेलवे विभाग के पास सिगनल उपस्कर है । उनके पास पटरियां तथा अन्य वस्तुयें हैं समय-समय पर उपस्करों की जांच करने के लिए क्या अरिरिक्त उपाय किये जा रहे हैं ताकि इतनी अधिक दुर्घटनायें न हों ।

अधिकतर दुर्घटनायें रेलवे फाटकों पर कर्मचारी न होने की वजह से हो रही हैं । कभी कभी रेलवे फाटकों पर कुछ भ्रांति की वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे बिना इस बात को ध्यान मे रखे, कि सभी राज्य सरकारें रेलवे फाटकों पर कर्मचारी तैनात करन में वित्तीय कठिनाइयों के कारण रेलवे विभाग की सहायता के लिए आगे आते हैं या या नहीं, पूरे देश में सभी रेलवे फाटकों पर कर्मचारी तैनात करने के लिए कदम उठायेंगे ।

लूटपाट और डकैतियों के सम्बन्ध माननीय मन्त्री ने ठीक ही कहा कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्य है ।

लेकिन महोदय, यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी रेलवे का नैतिक दायित्व है । हाल ही में उत्तर प्रदेश में पुलिस के अतिरिक्त महासचिव ने कहा था कि 1500 यात्रियों की सुरक्ष के लिए एक कांस्टेबल उत्तरदायी है । इसन लगता है कि रेलवे में लगे हुए पुलिस कार्मिक रेलवे सुरक्षा की आवश्यकता से कम है । अत: क्या मन्त्री महोदय रेलवे में अधिक पुलिस लगाने के लिए राज्य सरकारों को खर्चा देने क लिए तैयार है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंन इस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही की है रेलव कार्यों के लिए कितने सिपाही नियुक्त किए जा रहे हैं ? पिछले तीन वर्षों में डकैती और लूटपाट की कितनी घटनाएं घटी । कितने डाकूओं और लूटेरों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया ? जांच समितियों ने कितन रेल कर्मचारियों को दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया तथा उनमें से कितने कर्मचारी श्रेणी 1 तथा कितने श्रेणी 2 के है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सुरक्षा-दलों की नियुक्ति के बाद दुर्घटनाओं की सख्या में कमी आई है । मेरे मन्त्रालय सभालने के तुरन्त बाद ही केवल एक बड़ी टक्कर हुई थी । वह दक्षिण एक्सप्रेस की थी । उस समय से पिछले वर्ष की अवयथन की 225 घटनाओं की तुलना में 164 घटनाएं हुई हैं । फाटकों पर पिछले वर्ष की 28 दुर्घटनाओं की तुलना में 18 हुई । गाड़ियों में आग लगने की पिछले वर्ष की घटनाओं की तुलना में इस वर्ष 6 घटनाएं घटी ।

जहां तक रेलवे फाटकों का सम्बन्ध है इस समय केवल 14000 फाटकों पर कर्मीदल तैनात है जबकि 22000 फाटकों पर कोई कर्मचारी नहीं रहता । मैंने जान बूझकर निर्णय लिया है कि चाहे राज्य सरकार राशि दे अथवा न दें सारा खर्च रेलवे वहन करेगा । हम स्वयं ही सारा खर्च उठाएंगे । हम प्रति वर्ष 2000 फाटकों पर चरणबद्ध तरीके से कर्मचारी तैनात करेंगे । आप तथा सदन इस बात को मानेंगे कि 22000 फाटकों को एकदम आदमी नियुक्त करना असभव है महत्वपूर्ण रेलवे फाटकों का पता कर उन पर आदमी तैनात करने का निणय लिया जा चूका है । इसी तरहयह निर्णय लिया गया है कि इस समय जिन फाटकों पर कर्मचारी तैनात हैं वहां

टेलिफोन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर व उनकी कार्य स्थिति में सुधार लाया जाय। अत: हम इस कार्य में जुटे हुए हैं।

जहां तक पुलिस कर्मिकों का संबंध है, मैंने उत्तर में बताया है कि हम पुलिस कर्मिकों के कुल खर्च का 50 प्रतिशत खर्च वहन कर रहे हैं। 50 प्रतिशत रेलवे वहन करेगा तथा 50 प्रतिशत खर्च संबधित राज्य सरकारें करेगी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बगाल राज्यों द्वारा मांगे गये 6740 अतिरिक्त पुलिस कर्मिकों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। अब वे उनको भर्ती करके तथा प्रशिक्षण देकर इस सख्या को और बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

मैं यह भी कहूंगा कि जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, हालांकि मैं यह बता चुका हूं कि महाराष्ट्र भी उन राज्यों में से है यहां लूटमार की घटनाएं होती है, कुल मिलाकर वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी है। उपनगरीय गाड़ियों से प्रतिदिन 45 लाख यात्री दावा करते हैं। महिलाओं के गले की चैन खींचने की घटनाओं को भी लूटमार की घटनाएं माना गया है यदि लूटमार करने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 से अधिक होती है, तो उसे डकैती माना जाता है। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, ऐसी घटनाओं की संख्या अधिक है। लेकिन जब से मैंने सभी मुख्य मन्त्रियों को इस बारे में लिखा है, उसके बाद से वे इस मामले में काफी रूचि ले रहे हैं।

जहां तक सुरक्षा उपायों का सम्बन्ध है, हमने अब इस कार्य में कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया है। कर्मचारियों में जागरूकता पैदा की जा रही है, सुरक्षा दल नियुक्त किए जा चुके हैं, पाद-पटट निरीक्षण तथा अचानक निरीक्षण किए जा रहे हैं। शिक्षा, पुन: प्रशिक्षण तथा सुरक्षा शिविरों का सचालन किया जा रहा है और ड्राइवरों के लिए ब्रेथलाइजर टेस्ट आरम्भ किया जा रहा है। जब कभी दुर्घटना होती है और उसके जिम्मेदार रेल कर्मचारी खिलाफ गम्भीरता से कार्रवाही की जाती है। अब, दंड तथा पुरस्कार दोनों प्रकार के मामले जल्दी निपटाए जा रहे हैं। हमने ऐसे अनेक उपाय किए हैं। यह सच है कि डकैतियों और लूटमार की घटनाओ में वृद्धि हुई है। लेकिन उसका सम्बन्ध उस क्षेत्र की कानून और व्यवस्था की स्थिति से है। गाड़ी में होने वाली प्रत्येक लूटमार की रिपोर्ट की जाती है लेकिन सड़कों और रास्ते में होने वाली लूटमार पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अत: लूटमार और डकैती की घटनाओं से कानून और व्यवस्था की कुल स्थिति का पता चल जाता लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि रेलवे इसकी जांच करने की जिम्मेदारी नहीं निभाता। हम इसे रोकने के लिए पूरी सावधानी तथा सभी सम्भव कदम उठा रहे हैं।

श्री जैनल बशर: दुर्घटनाओं और ···के लिए कितने व्यक्तियों को दंडित किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतने सारे प्रश्न नहीं पूछ सकते आप यह कैसे समझ लेते हैं कि मन्त्री महोदय उन सभी बातों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं ? आपको मन्त्री महोदय को लिखना चाहिए था। अत: यह संभव नहीं है श्री संतोष मोहन देव।

श्री सन्तोष मोहन देव : (सिल्चर) आप मुझे कितना समय देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार -3 मिनट ।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं 3 मिनट ही बोलूंगी । आपको श्री पासवान के मामले में भी यही नियम लागू करना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मध्यमार्ग अपनाते हुए मैं दोनों को पाँच-पांच मिनट का समय देता हूं ।

श्री सन्तोष मोहन देव: भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है। यह देश की आर्थिक क्रियाकलापों तथा विकास का केन्द्र है । यह आम आदमी के आने-जाने का मुख्य साधन है । इस समय कुछ सामाजिक कल्याण कार्य किए जाने जरूरी हैं ।

हमें प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन 11000 गाड़ियां चलती है और वे 7 लाख टन माल ले जाती है। 62000 किलोमीटर रेल मार्ग तय करना होता है । लेकिन रेलवे अभिसमय समिति तथा सीकरी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 7000 किलोमीटर लाइन अपनी निर्धारित कालावधि से अधिक पुरानी हो चुकी है और बहुत सी और लाइनें इसी श्रेणी में आने वाली हैं ।

मुझे इसकी सराहना करनी चाहिए कि अपने वक्तव्य में रेल मन्त्री ने सब कुछ साफ-साफ बताया है । एक ही शब्द में उन्होंने अपनी निस्सहायता व्यक्त कर दी है। पृष्ट 2 में उन्होंने कहा कि :

> "मुझे आशा है कि परिसम्पदीयों के नवीकरण के काम में तेजी लाने के लिए हम अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने में सफल होंगे ।"

मैं समझता हूं कि रेलवे की मुख्य समस्या पुरानी लाइनों को नवीकरण करने और उनका पुनर्निर्माण करना तथा पुराने सुरक्षा उपायों सिगनलों, रेलवे-स्टाक तथा इन्जनों आदि को सुधारना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ राशि की स्वीकृति दीजिए । उन्हें कुछ धन चाहिए ।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं आपके द्वारा सरकार से इसके लिए कह सकता हूं।

रेल मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है । डकैतियां बढ़ गई है यदि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है तो मैं समझता हूं कि रेलवे इसे सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है । प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं और डकैतियो की घटनाओं में वृद्धि हो रही हैं ।

यदि आप किसी भी स्टेशन पर जाएंगे तो आप यह देखेंगे कि एक आदमी को विदा करने के लिए परिवार के सारे सदस्य आते हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि वह वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे अथवा यह उसकी अन्तिम यात्रा होगी ।

अन्य करूणाजनक बात यह है कि यदि रेल यात्रा नरक की यात्रा के समान बन गयी है । आपका जीवन का मूल्य केवल करीब 5000 रुपए है । यदि आप हवाई जहाज से यात्रा करते

है तो आप स्वर्ग के नजदीक है और आपके जीवन का मूल्य 40,000 रुपए होता है ।एक ही आपको यात्री के मामले इतना भेदभाव है । यदि हवाई जहाज से यात्रा करते समय मृत्यु हो जाती है तो आपके जीवन का मूल्य 40,000 रूपए दिया जाताहै और यदि रेल यात्रा मे ऐसी घटना घटती है तो आपका मूल्य केवल 5,000 रुपए है ।

पिछले बजट सत्र के दौरान बहुत से सदस्यों ने माननीय मन्त्री महोदय को एक सुझाव किया था कि रेल यात्रा के समय रेल यात्रियों के लिए बीमा योजना लागू की जाए यदि सरकार बीमा राशि की किस्त नहीं देना चाहेगी तो यात्री स्वयं रेलवे स्टेशन से बीमा दावा खरीद सकेगा इस पर विचार किया जाना चाहिए । जब आप हवाई यात्रा करत हैं तो आप बीमा-किस्त देकर बीमा दावा खरीद सकते हैं अथवा बीमा-पालिसी ले सकते हैं और आप इसे अपने परिचितो और संबंधियो को भेज सकते है और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो वे वह राशि प्राप्त कर सकते हैं । लेकिन रेलवे में ऐसा संभव नहीं है । इस पर विचार किया जाना चाहिए । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा संभव है ।

मैं 2 जून 1982 को पेट्रिऑट' में प्रकाशित समाचार के आधार पर कुछ बातें जानना चाहता हूं । इसके अनुसार रेल मत्री ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष भाषण देते हुए यह कहा था ।

> "श्री सेटी, जो कर्मचारियों की उच्चशक्ति प्राप्त सुरक्षा निगरानी के रेलवे दल को संबोधित कर रहे थे, ने यह कहा था कि 'मुझे यह जानकर दुःख हुआ है कि आज भी ऐसे मामले हो रहे हैं जिनमें ड्राइवर खतरनाक स्थलों पर सिगनल पार करते हैं तथा स्टेशन के कर्मचारी भरी लाइनों पर उन गाडियों को लाने की अनुमति देते हैं, श्री सेठी ने कहा कि 50 प्रतिशत दुर्घटनाएं मानवीय दोषों तथा मशीनी उपकरणों के खराब होने के कारण होती है ।"

मैं उन्हें बधाई देता हूं । मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि 50 प्रतिशत दुर्घटनाएं या तो मशीनों की खराबी अथवा माननीय गलती या फिर पटरियों की खराबी के कारण होती है सरकार कौन-कौन से विशेष कदम उठाने जा रही है ताकि हमारी कुल जनसंख्या के 75 प्रतिशत लोग रेलों द्वारा यात्रा कर सकें ? यही मुख्य प्रश्न मैं जानना चाहता हूं ।

दूसरे लूटपाट और डकैतियों के सम्बन्ध में, क्या एक या दो जवानों का इस डकैती से निपटना सम्भव है । यदि यह सम्भव नहीं है, तो सरकार उन यात्रियों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है जो रेल से यात्रा करते हैं ? राजधानी एक्सप्रेस में हमने देखा कि जवान बड़ी मस्ती से एक कम्पार्टमैंट से दूसरे में जारहा था । वह सम्भवत मुझे मेरे साथी यात्रियों से बचाने का प्रयत्न कर रहा था । लेकिन जब बाहर लोग आ जाते हैं तो वह असहाय हो गया । महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अनधिकृत यात्री गाड़ी में चढ़ जाते हैं और वे सब अपराधी होते है । वे सब रेलवे-स्टेशनों के कर्मचारियों की जान पहचान के लोग होते हैं । वे सब स्थानीय जिला प्रशासन के जानकार होते है । जब तक आप उनका ध्यान नहीं रखते, जब तक आप

उन्हें इस तरह का दंड देने का नियम नहीं बनाते कि वे दुबारा जेल से वापिस में आएं और अपराध न करें तब तक यह सब करना बहुत मुश्किल है।

अन्ततः मैं अपने अनुभव से बताऊंगा, जब मैं उत्तर बंगाल से सिलगुड़ी की यात्रा कर रहा था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब कुछ लोग गाड़ी में चढ़े, कम्पार्टमैंट की छत का ऊपरी हिस्सा खोलकर सभी विदेशी सामान छत में फेंकने लगे हावड़ा स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी की चेन खींचे बिना उसे रोकने का एक तरीका है। गाड़ी रूक जाती है। अपराधी वह तरीका जानते हैं जिससे वह रुक जाती है। वे विदेशी माल बाहर निकालते हैं और उन लोगों को दे देते हैं जो पहले से ही वहां वस्तुएं लेने का इन्तजार कर रहे होते हैं। राज्य सरकार क्या कर रही है, केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ? मैं नहीं जानता। यह करीब करीब हर जगह हो रहा है जब मैंने पूछा तो मुझे रेलवे कर्मचारी द्वारा बताया गया कि "हम अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं। हमने गाड़ी रोकने का प्रयत्न किया लेकिन किसी ने हमारी परवाह नहीं की।" सरकार उनका जीवन बचाने के लिए आगे नहीं आती।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि, समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, क्या यह सच है कि बहुत-सी मालगाड़ियां बिना गार्ड के चल रही हैं और क्या यह सच है कि इन्जन चालक इन्जन नहीं चलाते बल्कि उनकी जगह फायरमैन इन्जन चला रहे हैं ? यदि हां, तो वह क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक बीमे के प्रश्न का सम्बन्ध है, करीब 1 करोड़ यात्री प्रतिदिन रेलों से यात्रा करते हैं। हम एक राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी से बीमे की योजना की बात चीत कर रहे हैं उनके सुझाव के बाद, हमें यह जानना होगा कि क्या इसका खर्च अधिक होगा या कम।

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह ठीक नहीं है। यात्री की मृत्यु के मामले में अथवा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के समय अधिकतम देय मुवावजा 5000 रुपये है और उसका निर्णय दावा आयुक्त को ही करना होता हैं। वह 5000 रुपये और 40,000 रुपए नहीं है। अधिकतम देय मुआवजा 50,000 रुपए है।

जहां तक पुलिस बल को मजबूत बनाने का सम्बन्ध है ; मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

विदेशी वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेष स्थिति की ओर अभी-अभी मेरा ध्यान दिलाया गया है माननीय सदस्य ने पहले इसका उल्लेख नहीं किया। हम निश्चय ही इस मामले की जांच करेंगे।

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के 2 लिए बजे
म० प० के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर सात मिनट पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को जारी करते हैं। श्री राम विलास पासवान।

श्री पासवान, चूंकि आप अधिक समय लेंगे। इसलिए मैंने सभा को स्थगित कर दिया था। अतः कृपया अब अपनी बात संक्षेप से कहें।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने केवल 1 मिनट लिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये केवल तीन मिनट लेंगे।

श्री राम विलास पासवान : (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, असल में मैं तो बहुत कम बोलता लेकिन आज का जो यह कालिंग स्टेशन है, यह तीन विषयों पर है। एक विषय तो है रेलवे एक्सीडेंटस का, दूसरा है रेलवे में डकैतियों का और तीसरा है रेलवे में लूटमार का।

उपाध्यक्ष महोदय प्रत्येक के लिए एक मिनट। अतः तीन मिनट।

श्री राम विलास पासवान : यदि हर एक विषय को पांच-पांच मिनट दिए जाएं, तो 15 मिनट हो जाते हैं।

सबसे पहले तो में अपने मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने जब रेल मन्त्रालय का भार ग्रहण किया था और ये रेल मन्त्री बने थे, तो इनकी एफीशियेन्सी को देखते हुए तमाम जगहों पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इनके आने के बाद रेलवे में निश्चित रूप से सुधार आएगा और हर स्तर पर सुधार आएगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : आया भी है।

श्री राम विलास पासवान : वह तो मैं आंकड़े देकर बता दूंगा लेकिन मुझे दुःख होता है कि इनके एफर्ट्स के बावजूद-मैं रेलवे सलाहकार समिति में भी रहा हूं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दूसरे मन्त्रियों की तुलना में ये प्राम्प्ट हैं। -परन्तु पता नहीं प्रशासन पर इनका जितना ग्रिप होना चाहिए, या इसमें सुधार आना चाहिए, उतना सुधार क्यों नहीं आया है और प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा है कि रेलवें मन्त्री जी ने अपने हाथ से जनरल मैनेजर्स को लिखा है कि ने संसद सदस्यों की कम्पलेंट्स के ऊपर गंभीरता से विचार करें लेकिन इसके बावजूद भी संसद सदस्यों की स्थिति वही है, और मैं मन्त्री जी को कल रात की घटना बतला रहा हू जो मेरे साथ घटी है। मेरे अपने परिवार के लोगों को सोनभद्रा से जाना था और मैंने उसके लिए रिजर्वेशन करवाया था। पार्लियामैंट हाऊस से मैंने अभी जाकर टिकट नम्बर लिया है। यह पेज नं० 1, आइटम नं० 2 पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री को पत्र लिख सकते थे।

श्री राम विलास पासवान : मैं सिर्फ रिकार्ड पर जाना चाहता हूं।

नूनूखली देवी, वीरेन्द्र पासवान, कमला प्रसाद । टिकट नं० 7216 से 181 पेज नं० 2। 14-7-82, सोनभद्रा एक्सप्रेस, 192 डाउन ।

मैंने यहां पार्लियामेंट आफिस से इस बात को कंफर्म कराया कि यह रिजर्वेशन भेजा गया था या नहीं तो हम यह बात कंफर्म की गयी यहां से रिजर्वेशन भेजा गया था । रात में हम डेढ़ घंटे तक स्टेशन मास्टर दिल्ली रेलवे स्टेशन को टेलीफून करते रहे चूंकि अब हमारे परिवार के लोग जब स्टेशन गए तो उनके नाम से रिजर्वेशन नहीं है । गाड़ी खुल जाती है और हम टेलीफोन पकड़े हुए हैं । भगवान के भरोसे जनरल डिब्बे में बिठा कर उनको भेजा गया। यह आपके पार्लियामेंट के आफिस की रिजर्वेशन में होता है । मन्त्री महोदय के आफिस से भी रिजर्वेशन होता है, लेकिन उसकी भी ऐसी ही दुर्गति है क्योंकि स्टेशन पर एक गिरोह बना हुआ है जो रिजर्वेशन के नाम पर पैसा कमाता है । आपके नाम रिजर्वेशन है तब भी वह आपसे 20-25 रुपया लेता है अगर नहीं तो आपके आजकल मिलेगा । इसीलिए मन्त्री जी के एफर्ट्स के बावजूद मर्ज ज्यों का त्यों है ।

अब मैं विषय के ऊपर आ रहा हूं । विषय है एक रेल दुर्घटनाए और दूसरा रेल डकैती ।

जहां तक रेल दुर्घटनाओं का सवाल है मैं मन्त्री महोदय के एक उत्तर का हवाला देना चाहूंगा जो कि उन्होंने राज्य सभा में 14-7-1982 के तारांकित प्रश्न 86 के उत्तर में दिया था उसमें उन्होंने बताया है दिसम्बर, 1976 से मार्च 1978 तक 80 गाड़ियों में टक्कर हुई, दिसम्बर 1978 से मार्च 1980 तक 92 गाड़ियों और दिसम्बर 1980 से मार्च, 1982 तक 114 गाड़ियों में टक्कर हुई ।

इनके अलावा जो गाड़ियां पटरी से उतरी उनके बारे में उन्होंने बताया है कि दिसम्बर, 1976 से मार्च 1978 तक 886, दिसम्बर, 1978 से मार्च 1980 तक 918 और दिसम्बर, 1980 से मार्च 1982 तक 1211 गाड़ियां पटरी से उतरीं । यह ह दुर्घटनाओं के फिगर्स ।

उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से हमारे यहां दो सबसे भयकर रेल दुघटनाए अभी हाल में हुई है । एक दुर्घटना बदलाघाट में हुई थी । उसमें पता नहीं कितने व्यक्ति मरे क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक जो डिब्बा पानी में चला गया था वह डिब्बा अभी तक निकाला नहीं जा सका है । जब श्री केदार पांडे जी मन्त्री थे तो उन्होंने इस रेल दुर्घटना के बारे में कहा था कि वहां ऐसी आंधी आयी कि वहां एक झोपड़ी तो गिरी नहीं लेकिन गाड़ी पुल पर से उड़कर नदी में चली गयी । रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि गाड़ी ऐसे उड़ी जैसे कि कोई खिलौना उड़ता है । लेकिन में मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जुलाई 1981 की दुर्घटना है और अब जुलाई, 1982 है, पूरा एक साल हो गया है और वह डिब्बा अभी भी पानी में है, क्या उस डिब्बे से लोगों की लाशें निकाली गयी या नहीं ? अब फिर कोसी का पानी आने वाला है । सरकार के पास उस दुर्घटना में मरने वालों का कोई फिकर नहीं है और हम लोगों ने उस दुर्घटना में मरे लोगों की संख्या तीन हजार बतायी है ।

इससे भी दुखद स्थिति यह है कि जो लोग इस दुर्घटना में मरे हैं उनके परिवार के लोगों को अब तक कम्पेनसेशन नहीं मिला है । मैंने सलाहकार समिति की बैठक में इस बारे में पूछ

था कि क्या किसी क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति हुई है या नहीं । तो मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि होने वाली है जबकि एक साल के अन्दर क्लेम कमिश्नर की नियुक्तिहो ज नी चाहिए थी और मृतकों के परिवारों को मुआवजे का पैसा मिल जाना चाहिए था । इस दुर्घटना में हजारों की संख्या में लोग मर गये हैं लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है ।

अभी 20-6-82 को नारायणपुर की घटना घटी और सरकार की इत्तिला के मुताबिक 11 आदमी मरे और 25 घायल हुए ।

इन्होंने राज्य सभा में जवाब दिया कि सुरक्षा आयुक्त गोरखपुर द्वारा रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । पता नहीं कब तक प्रतीक्षा की जाएगी ।

अभी श्री ए० के० राय यहां बैठे हैं, इनके यहां का एक मामला है । रेल दुर्घटना दो प्रकार की होती है । एक तो रेल दुर्घटना और दूसरी रेलवे से सम्बन्धित दुर्घटना स्थल पर जाने से मजदूरों को बंधुआ बनाकर लाया गया और ये 15-6-82 को सुदामा-डी रेलवे स्टेशन, में रेलवे साईडिंग बना रहे थे, उस समय मिट्टी गिर गई और 7 लोग मर गये और बहुत घायल हुए । लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि कोई सिक्युरिटी आफीसर वहां नहीं पहुंचा । बगल में कोई मजदूर काम कर रहे थे । सात के अलावा कई जख्मी थे, उनको मजदूरों ने कांटेक्टर ने अस्पताल में भर्ती करवाया, सारा काम हुआ, लेकिन डी० आर० एम० से लेकर भी पदाधिकारी देखने नहीं गया और कोई मुआवजे की बात नहीं की गई । उनका नाम कहीं रजिस्टर में दर्ज नहीं है ।

ठीक है आप कांटेक्टर द्वारा काम करवाते हैं । "मोदी कंस्ट्रक्शन" द्वारा काम कराया जा रहा था, कोई भी हो, लेकिन सरकार की जवाब देती है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे । आपका लेबर ला कहां है ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज आदमी का जीवन खतरे में है । मन्त्री महोदय स्वयं भी रेल दुर्घटनाओं से चिंतित होकर हमेशा प्लेन से जाने की कोशिश करते है । मैंने पिछले दिनों कहा था कि रेल मन्त्रालय दुर्घटना मन्त्रालय बन गया जब प्लेन एक्सीडेंट शुरु हो जाएंगे, तब शायद कभी मन्त्री महोदय रेल में जाना पसंद करेंगे, नहीं तो ये तो प्लेन में ही भागते हैं ।

एक तरफ तो एक्सीडेन्टस की बात है और दूसरी तरफ एक प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि 22 हजार रेलवे के ऐसे क्रासिंग हैं जहां पर फाटक और आदमी की कोई व्यवस्था नहीं है । एक प्रश्न के जवाब में 14.9.82 को राज्य सभा में बताया गया है कि "रेल यातायात में सुधार के प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन कानून-व्यवस्था, की कठिन स्थिति, सामाजिक अनुशासन हीनता तथा धन की कमजोरी जैसी बाधाएं हैं । "आप लगातार किराए बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद आप कहते हैं कि हमको धन की बाधा है । आप बतला दीजिए कि कितना धन आपको चाहिए, लेकिन आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए ।

रेल दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण यह है कि रेसपांसिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती है । दिल्ली के रेलवे स्टेशन के नजदीक गाड़ी जरुर रुकेगी, और कई जगहों पर गाड़ियां रुकती

हैं। विजनेसमैन और रेलवे अधिकारियों के बीच साँठगांठ होती है और सामान उतारने के लिए उनके घर के बगल में गाड़ी रोकी जाती है। कोयला उतारने के लिए गाड़ी रोकी जाती है। गाड़ी टाइम पर चलेगी, लेकिन सिगनल के नजदीक गाड़ी रुक जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रेलवे-दुर्घटनाओं के लिए किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। जब रेल मन्त्री के रूप में स्थान ग्रहण किया था तो मैंने कहा था कि आप एक-दो जगह ट्रायल करके देखिए। आप पकड़ते हैं गार्ड को, ड्राइवर को, जनरल मैनेजर को पकड़ा कीजिए, डी० आर० एम० को पकड़ा कीजिए, इनको सस्पेंड डिचार्ज कीजिए, तब देखिए कि एफिसिएंसी आती है या नहीं।

आज गाड़ी पटरी पर नहीं चल रही है, बल्कि घरों में घुस रही है। कहीं केबिन के ऊपर चढ़ रही है, कहीं क्वार्टर में घुस रही है। पहले दो रेल गाड़ियों के बीच में दुर्घटना हुआ करती थी, लेकिन इस सरकार के समय में तीन रेल गाड़ियों के बीच में टक्कर होती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी ही स्टेट का मामला है मद्रास में वहाँ 3 रेलगाड़ियों के बीच में टक्कर हो गई। तो जिम्मेदारी कहीं न कहीं आपको फिक्स करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : दुर्घटनाएं राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करती।

श्री रामविलास पासवान : मन्त्री जी ने जवाब में कहा है कि ऐक्सीडेंटस दिन प्रतिदिन घट रहे हैं, और तुलना की है 1960-61 से लेकिन तब से और आज रेलवे इन्जन और इलैक्ट्रानिक डेलपमेंट और आज रेलवे इन्जन और इन्जन और इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट में काफी अन्तर आ गया है। इसलिए अफसरों द्वारा जो बना बनाया जबाब यहां पढ़ दिया जाता है वह उचित नहीं है। हमें माननीय सेठी जी उम्मीद से है कि अफसर का बनाया हुआ ड्राफ्ट नहीं चलायेंगे आपने स्वयं कबूल किया हैं, मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में में डाँट कर कहा था...

उपाध्यक्ष महोदय : 13 मिनट हो चुके हैं कृपया समाप्त करें।

श्री राम विलास पासवान : इसलिए आप रेस्पांसिबिली फिक्स कीजिए। ला एंड आर्डर की क्या हालत है वह मैं आपके ही जवाब से बतलाना चाहता हूं जो आपने कंसलटेटिव कमेटी में दिया था ;

हत्यायें : 1979 में 26
1980 में 39
1981 में 35

लूटपाट (रोबरी) :
1979 में 185
1980 में 252
1981 में 2[illegible]9

डकैतियां :
1979 में 68
1980 में 99
1881 में 131

चोरी :

1980 में 6037
1981 में 9,051

1982 के मई तक के जो आंकड़े दिये हैं मर्डर्स के उनकी गिनती कर लें तो सेन्ट्रल रेलवे में 2, ईस्टर्न रेलवे में 4, नार्दर्न रेलवे में 3, एन० एफ० रेलवे में 2, साउथ ईस्टर्न रेलवे में 2 और वेस्टर्न रेलवे में 11स प्रकार कुल मिलाकर 14।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कैसे कह सकते हैं कि कोई सुधार ही नहीं हुआ। मृत्यु संख्या के मामलों में सुधार हुआ है। (व्यवधान)

मैंने कंसल्टेटिव कोटी की बैठक में कहा था की कुछ इलाके हैं···

श्री रामविलास पासवान : तो मैं कह रहा था कि कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे दिल्ली से आप अलीगढ़ चलिये शाम की गाड़ी में, जो जैनुइन पैसेंजर्स हैं उनको तो खड़े होकर जाना पड़ता है और इल्लीगल पैसेंजर्स हैं, जिनके पास टिकट नहीं है वह बैठकर जाते हैं। यदि कोई बोलेगा तो छुरा निकाल लेंगे।

इसी तरह बिहार में देखिये। आप मुगलसराय से पटना जाइये, या पटना से किउल या बेगूसराय जाइये, तो मुगलसराय से लेकर इतनी दूर का जो इलाका है उनमें लोग टिकट लेना अपना अपमान समझते हैं। अगर कोई टिकट कटाता है तो उसको लोग बेवकूफ समझते हैं, चीफ मिनिस्टर के शब्दों में। आप अगर यदि प्रथम श्रेणी का टिकट मांगिये तो बाबू कहेगा कि आप क्या बाहर से आये हैं? यहां कहां फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है? क्या आप इन इलाकों को नहीं सुधार सकते हैं? आप सुधार सकते हैं। आपके कर्मचारी नहीं चाहते हैं कि सुधार हो, या जी० आर० पी० के अधिकारी नहीं चाहते कि सुधार हो क्योंकि उनको खाने का चस्का लगा हुआ है और उनकी क्रिमिनल्स के साथ सांठ-गांठ रहती है। आप मोबाइल गार्डस रख दीजिए एक दो जगह सख्ती से काम लीजिये, आप देखेंगे कि यह मीनेस तुरन्त बन्द हो जायगी। लेकिन जहाँ इस तरह की मनोवृत्ति होती है, हम लोग भी बचपन में जब पढ़ते थे तो थोड़े दिन तक टिकट कटाकर चलते थे, लेकिन जब देखा कि टिकट कटाना पाप है तो जब कालेज से चलते थे तो लड़के कहते थे कि चलो बिना टिकट फर्स्ट क्लास में।

एक माननीय सदस्य : बिना टिकट चलते चलते पार्लियामेंट में आ गये। डब्लू० टी० चलते थे?

श्री राम विलास पासवान : पार्लियामेंट के सब मेंबर डब्लू० टी० चलते हैं। डब्लू० टी० के दोनों मायने होते हैं, विद-टिकट और विदआउट टिकट।

मेरा कहना है कि लोगों की एक आदत-सी हो गई है कि बिना टिकट चलें। जो टिकट कटाकर चलने वाले लोग हैं, वह बेचारे अपने आपको समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं। मेरा कहना यह है कि सर्टेन इलाका ऐसा है, सर्टेन प्वाइन्ट्स हैं, क्या आप वहाँ यह नहीं रोक सकते हैं? जरूर रोक सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिये, गाइडलाइन यहां से दीजिये कि पटना से

आसाम और अलीगढ़ तक जो गाड़ी जाती हैं, उसमें सरप्राइज चैक करिये। पटना से मुगलसराय क्यूल, बेगुसराय जो गाड़ियां चलती हैं, उसमें 2,4 बार चैकिंग करिये, थोड़ा सख्ती बरतिये, ऐसा करेंगे तो जरूर स्थिति सुधरेगी।

मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि भले ही उनकी नियत साफ हो लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह से गन्दा है। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं इसके लिये सबसे बड़ा जिम्मेदार आपके चैयरमैन को समझता हूं। पता नहीं चैयरमैन आपकी सी० आर० लिखते हैं या आप चैयरमैन की सी० आर० लिखते हैं। जिस आदमी के खिलाफ इतनी बड़ी चीज हो, आप उसको एक्सटेंशन देने की बात करते हैं ? मैं आग्रह करता हूं कि जब मंत्री महोदय जवाब दें तो 2 3 बातों का निश्चित रूप से जवाब दें।

एक तो आपने सुरक्षा के सम्बन्ध में अब तक क्या किया है ? मेरा कहना यह है कि कोई चीज कंकरीट रूप में अब तक नहीं हो रही हैं आप बतायें कि क्या स्पेसेफिक कदम उठाने जा रहे हैं ?

जहां-जहां एक्सीडेंट्स हुए हैं, उन परिवारों को 1 हजार रुपये देने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। बदलाघाट की घटना घटी, असम मेल की घटना घटी, जहां जहां घटनाएं घटी हैं. वहाँ क्लेम कमीश्नर नियुक्त करके जो उन लोगों पैसा मिला वह कुछ नहीं है। हमारे एक साथी ने कहा हैं कि अगर कोई प्लेन में मरने वाला है तो उसका अलग दर्जा है, उसको अधिक पैसा मिलेगा क्योंकि वह बड़े घर का बेटा है, ट्रेन में सफर करने वालों को मीडियम मिलेगा क्योंकि वह मीडियम श्रेणी का है, मोटर में मरने वालों को और कम और सड़क पर मरने वाले की तो कोई गिनती ही नहीं है। मेरा कहना यह है कि आपको उन परिवारों को जो भी पैसा देना है वह कब तक देंगे ?

इसके अलावा इस बढ़ती हुई गुंडागर्दी और बढ़ते हुए ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिये क्या कारगर कदम आप उठाने जा रहे हैं ?

श्री प्रकाशचन्द सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बदलाघाट एक्सीडेंट का ताल्लुक है, उस समय के माननीय मन्त्री ने मरने वालों की संख्या की जानकारी हाउस को दे दी थी, वह 270 थी। उसमें जितनी बोगीज सब-मर्ज हुई हैं, नैवल ड्राइवर्स वगैरह सबको उतारा गया और उन्होंने इस बात को सर्टिफाई किया है कि उसमें और कोई बाड़ी अब नहीं है।

जहां तक इसकी इन्क्वायरी के लिये सैटिलमैंट कमिश्नर का सवाल है हमने बिहार सरकार से नाम मांगा था। लेकिन बिहार सरकार ने जिस जज का नाम दिया, उसमें ऐसी कंडीशन रखी जिसको होम मिनिस्ट्री ने स्वीकार नहीं किया। लिहाजा फिर दूसरा नाम मांगा गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज श्री गुप्ता का नाम हमारे पास आ गया है, उसका नोटिफिकेशन एक-दो दिन में इश्यू होने जा रहा है। वह जल्दी ही कम्पेंसेशन का काम शुरू कर देगें। एक कठिनाई जरूर आयेगी, वह हम आर्डिनेन्स के जरिये दूर करने का का प्रयत्न करेंगे आमतौर पर एक साल के बाद जो क्लेम रजिस्टर होते हैं उनको मान्यता नहीं दी जाती है,

लेकिन इसको भी दुरुस्त करने का प्रयत्न हम करेंगे। प्रयत्न करेंगे क्या हम इसे करेंगे। अगर कमिश्नर की नियुक्ति के पश्चात भी क्लेम फाइल किया गया तो भी निश्चित तौर पर ध्यान में लायेंगे और क्लेम सैटल करने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने कहा कि क्लेम्स कमिश्नर को पूरा अधिकार है कि वह 50,000 रुपये तक की रकम क्लेम्स के मामले में दे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : 50,000 रुपये की रकम का क्या मतलब ? अगर किसी का एक लाख का क्लेम है तो 50 हजार ही देंगे ?

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : 50,000 रुपये मैक्सीमम क्लेम हम दे सकते हैं।

यह जो अभी आसाम मेल का ऐक्सीडेंट हुआ है इसके एन्क्वायरी कमिश्नर की रिपोर्ट अभी नहीं आई है लेकिन फिर भी रिपोर्ट से पहले ही वहां दो तीन आफिसर्स को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले दिनों में इंजीनियर के खिलाफ भी इस मामले में ऐक्शन लिया गया है। पिछले दिनों में जहांकहीं भी कोई गड़बड़ हुई है यहां तक कि जो गाड़ियों की बनावट है उसमें अगर कोई गलती पायी गई है तो आफिसर्स को ही सजा दी गई है, केवल छोटे-छोटे लोगों को ही सजा देकर नहीं छोड़ दिया है। कई इंजीनियर्स, कई स्टेशन मास्टर्स और कई दूसरे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही हुई है खास तौर पर जहां पर ट्रैक खराब है उसको सीधा नहीं रखने के लिए इंजीनियर्स को सजा दी गई है। तो सजा देने और रिवार्ड देने का काम दोनों को तेजी से किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा यह तो पूरा विवरण एक बैकग्राउन्ड नोट के तौर पर दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि जहां तक कोलिजन का ताल्लुक है केवल एक कोलिजन दक्षिण एक्सप्रेस का हुआ है, बाकी कोलिजन्स की संख्या गये साल की तुलना में कम हुई है। डिरेलमेंट भी जैसा मैंने बताया 225 अप्रैल और जून 81 में हुआ था, इस साल अभी तक 164 हुये हैं।

लेवेल क्रासिंग के बारे में पिछले एक सवाल के जवाब में मैंने बताया कि 22 हजार अनमैन्ड लेवेल क्रासिंग्स हैं। इसका नियम यह था कि आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती थी और आधा हम देते थे तब वह मैन किया जा सकता था स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर। पर हमने अब नीति के तौर पर यह तय कर लिया है कि 2000 लेवेल गेट क्रासिंग को चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर मैन किया जायगा और उसका पूरा खर्चा रेलवे बर्दाश्त करेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर या उनके द्वारा धन की प्राप्ति पर हम निर्भर नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है कि 22 हजार को एक साथ ठीक नहीं किया जा सकता। इस दिशा में प्रयत्न चालू हो गया है इस साल हालांकि छः सात महीने ही बाकी है लेकिन कम से कम 18-19 सौ लेवल क्रासिंग्स को हम इसी वर्ष मैन कर देंगे।

जहां तक एक्सीडेंट्स का ताल्लुक है यह सही है कि ऐक्सीडेंट्स पिछले वक्त में बढ़े हैं लेकिन मुझे यह बात कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जबसे यह सेफ्टी टीम बनी है और लोगों पर ऐक्शन लिए गए हैं तब से कुछ कमी आई है। मैं यह दावा नहीं करता कि यह कभी इतनी है कि जिससे हमें संतोष कर लेना चाहिए लेकिन इस दिशा में पूरा प्रयत्न जारी है।

जहां तक टिकटलस ट्रेवल का ताल्लुक है बिहार और यू०पी० के कुछ इलाकों में टिकटलेस

ट्रैवलिंस काफी है। इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ चेकिंग नहीं होती है। मगर कुछ बिहार के कुछ यू०पी० और कुछ बंगाल के इलाके में जो ट्रैवलिंग टिकट चैकिंग स्टाफ है उनके साथ पुलिस रहने के बावजूद उन को पीटा गया है। बिहार के एक स्टेशन पर यहां तक नौबत आई कि वहां गाड़ी रोकली और उन लोगों को निकाल कर पीटने लगे जिसमें गोली चलने की नौबत आई और उसमें एक या दो आदमी हताहत भी हुए। तो ऐसी जगह पर जहाँ ऐसी दुर्घनटाए हो रही हैं जैसा माननीय सदस्य का सुझाव है आर्म्ड गार्डस चैकिंग कोर्स है उसके साथ निश्चित तौर पर रखेंगे और जहां नहीं हैं वहां पर भी जैसा माननीय सदस्य का सुझाव है आर्म्ड गार्ड प्रोवाइड करेंगे !

जिस घटना का जिक्र माननीय सदस्य ने रिजर्वेशन नहीं होने का किया मुझे अफसोस है है कि उनके साथ यह दूसरी बार घटना हुई है। लेकिन आपने इस प्रश्न को उठाया इसके बाद मैंने स्वयं इस बारे में सारे जनरल मैनेजर्स को यह हिदायत दी है लिखित रूप में अपने दस्तखत से कि या पार्लियामेंट के मैम्बर्स के रिटर्वेशन का, आने जाने का जब भी सवाल हो हर सूरत में उस की प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनके साथ हर प्रकार से अच्छा और सरल व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह जो पार्लियमेंट हाउस से उन्होंने रिर्जवेशन कराया और दिल्ली स्टेशन पर उन्होंने पार्लियामेंट हाउस से भेज दिया, उसके बावजूद भी इनके परिवार के लोगों को सीट नहीं मिली इसकी मैं पूरी छानवीन करुगा और जिस किसी आफिसर ने इस प्रकार की बदमाशी की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

डा० कृपा सिंधु भोई (सम्बल पुर) : महोदय, मन्त्री महोदय माननीय सहयोगी द्वारा की गई सिकायतों तथा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। इन बातों पर सभा में पहले भी कई बार वार्ता हो चुकी है। हमारा रेलवे विभाग देश में सरकारी क्षेत्र का दूसरा बड़ा उपक्रम है और यह देश का प्राण है। इस विशेष प्रणाली की मुख्य रोग दुर्घटनायें, राहगीर, डकैतियां तथा उठायी गीरी है। अत: सबसे पहले रोग का ज्ञान होना चाहिए, फिर रोग का उपचार तथा बाद में इसका इलाज। अत: दुर्घटनाओं का असली कारण क्या है ? मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि सबसे पहला कारण मानवीय असफलता है, दूसरा यांत्रिक और तीसरा बुनियादी ढांचे की असुविधाओं में त्रुटि। माननीय सदस्य श्री रामविलास पसवान ने विभाग की आलोचना की है क्योंकि 1960 में रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2000 से अधिक थी और अब इसमें बृद्धि हो गयी है। लेकिन उस समय माल तथा यात्री यातायात की स्थिति क्या थी ? हमारी रेलवे लाईन की स्थिति वही है जो आजादी के समय में थी केवल 13 प्रतिशत की ही आंशिक बृद्धि हुई अर्थात नई रेल लाईनों के बनने टूटे मार्गों को पुन: बनाने आदि द्वारा 7 किलोमीटर की वृद्धि लेकिन यातायात में 2/1/2 गुणा अथवा इससे भी अधिक वृद्धि हुई है।

एक माननीय सदस्य : क्या ये श्री पासवान को उत्तर दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान ने कुछ प्रश्न किये हैं और मन्त्री उत्तर दे चुके हैं। डा० भोई से अपने प्रश्न पूछने चाहिए। इससे मुझे सहायता मिलेगी मन्त्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं और श्री पासवान संतुष्ट होने के बाद सभा से बाहर चले गये हैं। आप अपना प्रश्न पूछिये।

डा० कृपा सिंधु भोई : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं प्रश्न के लिये आधार तैयार कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल पृष्ट भूमि बना रहे हैं, जैसे कि आप भी कभी-कभी करते हैं।

डा०कृपा सिंधु भोई : यद्धपि माल यातायात बढ गया है, फिर भी क्या मार्गों को नया करने के लिये हमारे संसाधन पर्याप्त हैं ? कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पुराने मार्ग अथवा वे मार्ग जिनका जीवन काल समाप्त हो गया है केवल 15 से 20 हजार किलोमीटर ही रह जायेंगे जबकि अभी ये केवल 6 से 7 हैं। अत: छठी पंच वर्षीय योजना में हमारे संसधानों द्वारा क्या इसके लिए प्रावधान किया जायेगा अथवा विश्व बैंक को रेलवे की सहायता करने के लिए कहा जा चुका है ताकि कम से कम रेलवे का बुनियादी ढांचा बना रखा जा सके ?

दूसरा प्रश्न दुर्घटनाओं के बारे में है। पश्चिमी देशों में सभी मार्गों पर स्वचालित सिगनल प्रणाली का होना अनिवार्य है। हमें मार्गों की रूप रेखा पर विचार नहीं करना चाहिए। जिन मार्गों पर अधिक भार है, जो दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास,तथा बम्बई जैसे महानगरों से जुड़े हैं और जिन पर यातायात का 75 प्रतिशत यातायात तथा यात्री यातायात का 55 प्रतिशत यातायात है ; कम से कम उन मार्गों पर स्वचालित सिगनल प्रणाली लागू की जानी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोका जा सके।

अभी हावडा-बर्दवान तथा गया- मुगलसराय मार्ग पर ही स्वचालित सिगनल प्रणाली लागू की गई है। भारत में यह स्वचालित प्रणाली ठीक ढग से काम नहीं कर रही है। अत: मैं सुझाव दूंगा कि इसे नया रूप दिया जाये और स्वचालित सिगनल प्रणाली और अधिक मार्गों में लागू की जानी चाहिए साथ ही मानवीय असफलता का भी प्रश्न है। लोको स्टाफ के हर सदस्य के लिए 10 घंटे की डियूटी का नियम है। लेकिन कई स्थानों पर जैसे कि मेरे एक मित्र कह रहे थे, न केवल ड्राईवर बल्कि मैकेनिक तथा क्लर्क भी गाड़ी को चला रहे थे क्योंकि दस घंटे के नियम का पालन हर जगह नहीं हो रहा है। अत: वे थक जाते हैं। लोको स्टाफ के बीच असंतोष है। मंत्री महोदय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये।

अब मैं मालगाड़ियों में गार्डो की अनुपस्थिति की बात को लेता हूं यह सब सांठ-गांठ से होता है। गार्डों की अनुपस्थिति कई स्थानों पर मार्क होती है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चहिये।

आगरा में कुछ दिन पहले एक दुर्घजना हुई थी। साधारणत: धुंध अथवा किसी अन्य कारण से ड्राईवर की नजर प्रभावित होती है तो डेटोनेटर का विस्फोट होना जरूरी होता है। लेकिन आगरा दुर्घटना के मामले में टेटोनेटर का विस्फोट नहीं किया गया। क्या यह दोष ड्राइवर का था अथवा किसी अन्य व्यक्ति का था इसकी जांच की जानी चाहिए।

डकैती और राहागिरी के बारे में मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि केन्द्रीय सुरक्षा पालिसी

रेलवे सुरक्षा बल तथा राज्य सरकार की सामान्य सुरक्षा पुलिस की संख्या में वृद्धि की गयी है। लेकिन कई गाड़ियों में इसकी संख्या में वृद्धि नहीं की गयी है जैसे कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस में नहीं की गई है। संख्या में बल्कि कमी हुई है वृद्धि नहीं हुई है इससे प्रभावित होने वाले कुछ राज्य तथा क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा बल के व्यक्ति बहुत ही सीमित है। वे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वे केवल रेलवे सम्पत्ति सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। वे यात्रियों की सपत्ति की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये जिम्मेवार नहीं है। अत: रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को अधिक शक्तियां देने के लिये कुछ संशोधन किये जाने चाहिये ताकि राज्य पुलिस की सहायता लिये बिना वे कुछ सीधी कार्यवाही कर सकें। जैसा कि श्री पासवान ने कहा कि बिहार में वे स्थानीय पुलिस की सहायता लेने जा रहे है।

डकैती के बारे में एक दूसरी बात यह हैं: पश्चिमी देशों में एक प्रक्रिया लागू की गयी है अर्थात बाकी-टाकी प्रणाली। इसे ड्राईवर अथवा गार्ड के कमरे में रखा जा सकता है। किसी यात्री द्वारा खतरे की सूचना दिये जाने के बारे में ड्राईवर अथवा गार्ड को स्वत: ही सूचित किया जायेगा, और वे तुरन्त ही सशस्त्र लोगों को डाकुओं के हमले से लोगो को बचाने के लिये सूचित करेंगे।

वाद-विवाद के दौरान कई सदस्यों ने शिकायत की है और सुझाव भी दिये है। उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिये हमें उन देशों के अनुसंधान तथा विकास प्रौद्योगीकियों को लागू करना चाहिये जहां रेलवे कार्यकरण की आधुनिक प्रणाली अपनायी गयी है क्योंकि हमारे जैसे देश की रेलवे प्रणाली के अच्छे कार्य करण के लिये सुरक्षा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अन्त में, मैं मन्त्री महोदय से यही अनुरोध करूंगा कि जिन प्रश्नों को मैंने उठाया है तथा जो सुझाव दिये हैं उन्हें वे उत्तर देते समय ध्यान में रखें,

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कलकत्ता, दिल्ली, दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-मद्रास तथा मद्रास-बम्बई जैसे चतुष्कोण शहरों के बीच विद्युतीकरण कार्य प्रगति में है और जहां कहीं विद्युतीकरण हुआ है, सिगनल का काम बिजली प्रणाली में परिवर्तित किया गया है। जो कि अधिक विश्वासनीय है। माननीय सदस्य स्वचालित सिगनल का जिक्र कर रहे थे, लेकिन यह स्वचालित चेतावनी प्रणाली है, लेकिन यह ट्रेक मेावेट की चोरी के कारण सफल न हो सकी अब आर० डी० एस० ओ० को इसके लिये कोई और यंत्र तैयार करने के लिये कहा गया है और वे इस काम में लगे है और आर० डी० एस० ओ० की रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम नई स्वचालित चेतावनी प्रणाली ला सकेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा० (गुंटूर) : कितने वर्षों में।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इसमें कई वर्ष नहीं लगेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे जितनी जल्दी भी हो सके किया जायेगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक मार्गों नवीकरण का सम्बन्ध है यह काम तीव्र गति

से किया जा रहा है 1980-81 के दौरान 1250 किलोमीटर लम्बी पटरी बदली गयी। 1980-81 की तुलना में यह कार्य 45 प्रतिशत अधिक था। अभी हाल में योजना आयोग मार्ग नवीकरण के लिये और 30 करोड़ रुपये देने के लिये सहमत हो गया है और हमें आशा है कि मध्यावधि योजना के मूल्यांकन के दौरान हम अधिक राशि प्राप्त कर सकेंगे। अतः हम आवंटित राशि को ध्यान में रखते हुये ही मार्ग नवीकरण कार्य को हाथ में ले रहे हैं इसके अतिरिक्त जहां भी जरुरी हो हम मार्ग नवीकरण का काम करेंगे। जहां तक जी० आर० पी० तथा आर० पी० एफ० की जिम्मेवारियों के क्षेत्र के सीमांकन का संबंध हैं, रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को इस समस्या का समाधान मालूम करने के लिये लिखा है। उन्हें राज्य सरकारों की सलाहा लेनी पड़ेगी। राज्य सरकारें उन शक्तियों को छोड़ने में संकोच करती है जो जी० आर० पी० में नीहित है। तथापि हमने इस प्रश्न को रेलवे सुधार समिति को भेजा है जिसकी बैठक इस समय हो रही है और गृह मंत्रालय तथा रेलवे सुधार समिति से उत्तर आने के बाद हम कुछ ऐसे उपाय करने की कोशिश करेंगे जिसके द्वारा आर० पी० एफ० को कुछ अधिक अधिकार मिलेंगे जिससे वे रेलवे सम्पत्ति की नहीं बल्कि यात्रियों की तथा उनकी सम्पत्ति की रक्षा करने के सम्बन्ध में भी उनकी जिम्मेवारियां बढ़े।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेन्ट में रेलों में होने वाली दुर्घटनाओं तथा चोरी-डकैतियों की वारदातों के विषय में जो दुःख प्रकट किया है, अपनी भावना व्यक्त की है वास्तव में हम सब लोग उनकी भावनाओं से सहमत हैं। हर बार जब हम यहां एकत्र होते हैं, हर सत्र में रेलवे एक्सीडेन्ट्स तथा चोरी-डकैतियों के मामले यहां उठते हैं और शायद पिछला इन्टर-सेशन पीरियड ऐसा था जिनमें सबसे अधिक रेल-दुर्घटनायें हुई हैं, जो बहुत ज्यादा चिन्ताजनक थीं और जिन्होंने सारे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

जैसा यह सदन जानता है, रेलवे बहुत बड़ा एम्पायर है। इस में आज कुछ ऐसा मिस-मैनेजमेन्ट हो रहा है, कुछ ऐसी कमियां आ गई हैं जिन को दुरुस्त करना बहुत जरुरी है। रेल मंत्री जी ने भी अपने स्टेटमेन्ट में इस बात को स्वीकार किया है। 1974 से ले कर 1977 के बीच में जो सुधार रेलवे के फंक्शनिंग में आया था उस में 1977 के बाद गिरावट आई है और जिस को रेलवे अभी तक चैक नहीं कर पाई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं इस का कारण क्या है कि 1974 से 1977 —तक जो बुराइयां रेलवे में चैक हो गई थीं, वे 1977 के बाद बराबर बढ़ रही है और हम उन को चेक नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि हमारा जो रेलवे बोर्ड है, इसमें आपस में कोई पालिटिक्स है और वहां पर आपस में लैग पुलिंग तो नहीं है ? वहां पर वैस्टेड इन्ट्रेस्ट्स तो नही आ गये हैं, रेलवे बोर्ड में जो बड़े अधिकारी हैं, रेलवे के जो हाई-अप्स हैं, उनमें वैस्टेड इन्ट्रेस्ट्स तो नहीं आ गये हैं जिसके कारण रेलवे फंक्शनिंग बिगड़ रही है। एक आम धारणा बन गई हैं कि रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान चैअरमैन हैं उन्होंने अपना एक गुट बना लिया है, जिसको ट्रैफिक ग्रुप कहा जाता है। वे बराबर ट्रैफिक के लोगों को प्रमोट करते हैं और उन्हीं को मेजर पोस्टें दी जाती हैं जिसके कारण मिकेनीकल साइड और दूसरी साइड के लोगों में बड़ा रिजेन्टमेंट है। मैं माननीय मन्त्री जी से

यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य हैं और इस बात को लेकर रेलवे में दूसरे सैक्शनों के लोगों में जो रिजेन्टमेंट है, उसको दूर करने के लिए वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

मन्त्री महोदय ने भी यह कहा है कि कई एरियाज ऐसे हैं रेलवेज में, जिनमें बराबर गड़बड़ी होती रहती है और उन एरियाज के विषय में इस सदन में बार-बार यह बात उठाई है कि वहां पर बहुत से कर्मचारी हैं जो 20-20 और 25-25 साल से उसी जोन में काम कर रहे हैं और उनको डिसटर्ब नहीं किया जा सकता। जब उनको डिस्टर्ब किया जाता है, तब वे किसी न किसी प्रकार अपने ट्रांसफर को रुकवा लेते हैं। मैं समझता हूं कि इस का अनुभव हमारे माननीय डिप्टी रेलवे मिनिस्टर साहब को भी है। जब उन्होंने ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग को डिस्टर्ब किया, जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें थीं तो उनको प्रेसराइज्ड किया गया कि उन का ट्रांसफर न किया जाए। संसद सदस्यों से भी कहलवाया गया और ट्रेड यूनियनों के लोगों से कहलवाया गया। इस स्थिति को सुधारने के लिए, जो ऐसे गड़बड़ी वाले एरियाज हैं और विशेष कर हमारे बिहार के अन्दर, मध्य प्रदेश के अन्दर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन्होंने वहां पर अपने वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स क्रीयेट कर लिये हैं, जिन की वजह से कई प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको शिफ्ट करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं। मेरा कहना तो यह है कि किसी भी जोन में एक कर्मचारी अधिक से अधिक पांच साल तक ही रह सके, ऐसी व्यवस्था आप कर।

ऐसा देखने में आता है कि रेलवे के अन्दर जो गड़बड़िया होती हैं, उनमें जो लोअर स्टाफ है, उसका भी सहयोग रहता है और उनकी तरफ बड़े अधिकारी पिनप्वाइन्ट करते हैं, तो वे यूनियनों का सहारा लेकर बड़े अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं, जिनके कारण उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि इस प्रकार का जो ब्लैकमेलिंग कर्मचारी करते हैं, वे ऐसा न कर सकें और जो दोषी कर्मचारी है, उनको सजा मिले और वे बच न पाएं। मैं तो समझता हूं कि हमारे विपक्ष के लोगों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। हमारे माननीय डिप्टी रेलवे मिनिस्टर ने जब बिना चलने वाले पैसन्जरों की ट्रेन को रोक कर चैकिंग की थी, तो उन्हीं को मारने के लिए लोग दौड़े और वे किसी प्रकार से बचकर निकल आए। ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्यवाही की बात मन्त्री ने की, तो उन्हीं के खिलाफ इस सदन में विपक्ष के लोगों ने हल्ला-गुल्ला किया। एक अच्छा काम करने के लिए रोका नहीं जाना चाहिए और इसमें विपक्ष को भी अपना सहयोग देना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : (हिसार) मंत्री को टी० टी० ई० नहीं बनना चाहिए।

श्री हरीश रावत : मैं माननीय मन्त्री जी की इस बात से सहमत हूं कि रेलवेज में इस बीच जो उन्होंने कारगर कदम उठाए हैं, उससे दुघटनाएं घटी हैं लेकिन जहां टोटल दुर्घटनाएं घटी हैं, वहां जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनका प्रतिशत बढ़ा है। मेनुअल फेल्योर के कारण, मानवीय भूलों के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं, वे बड़ी भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं। इस प्रकार दुर्घटनाओं का प्रतिशत पहले की अपेक्षा बढ़ा है। इन बड़ी दुघटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसको माननीय मन्त्री जी बतलाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे ड्राइवर्स, जिनकी

उम्र 50 और 60 के बीच में इस समय है, उनकी ज्यादा ड्यूटी होने के कारण तो ये घटनाएं नहीं घटी हैं। बहुत से ड्राइवर्स ऐसे हैं, जिनका ड्यूटी का पीरियड बड़ा लम्बा रखा है। इसके अलावा कुछ ऐसे रूट्स हैं, कुछ ऐसे खास एरियाज हैं, जहां पर ये दुर्घनाएं होती हैं कुछ ऐसे एरियाज हैं, जहां पर लोग ट्रेनों क छतों पर ट्रवल करते हैं। बिहार के अन्दर और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर लोग छतों पर सफर करते है और ऐसे एरियाज में जब साधारण सी भी दुर्घटना हो जाती है, तो भी वह एक बडी दुर्घटना बन जाती है, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे एरियाज के लिए, जहाँ पर रेलवे के अलावा दूसरे मोड्स आफ ट्रैफिक हैं, आप और मन्त्रालयों से बात करके क्यों नहीं एक ओवरआल ट्रैफिक पालिसी बनाते हैं और जो वर्तमान पैसेन्जर ट्रैफिक पालिसी है, उसको क्यों नहीं रिव्यू किया जाता है। क्यों नहीं आप यहां बसें चला कर और दूसरी चीजें चला कर रेलवे के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ? मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर इसके साथ-साथ आर० पी० एफ० और सी० आर० पी० के सवाल पर आपको काफी गौर करना चाहिए। जबसे यह सुनते आ रहे हैं कि सी० आर पी० और आर० पी० एफ० का एकीकरण हो। क्योंकि यह न होने से क्राइम्स के डिटेक्शल में ज्यादारर बाधा आ रही है। आप भी इस भावना से सहमत हैं तो फिर क्यों नहीं राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से बातचीत करके कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे कि एक बहुत लम्बी मांग को पूरा किया जा सके ?

श्री प्रकाश धन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रेलवे बोर्ड में मनमुटाव का सवाल है, मैंने जो कुछ देखा है उसमें यह पाया है कि वहां कोई मन-मुटाव नहीं है।

मिकेनिकल इन्जीनियर्स की सीनियोरिटी के सम्बन्ध में एक सवाल उठा था जिसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मन्त्री जी से आदेश प्राप्त करके उनकी सीनियोरिटी को डिस्टर्ब किया था। उसके पश्चात लोग मेरे पास आये और साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी गए। चूंकि मामला हाई कोर्ट में जा चुका था इसलिए मैंने कोई इन्टरफीयरेंस नहीं किया। अब इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसने कह दिया है कि जो सीनियोरिटी पहले डिस्टर्ब की गयी थी उसको डिस्टर्ब न किया जाए। उस समय यह प्रश्न यू० पी० एस० सी० को नारमल्ली रेफर नहीं किया गया था, अब हम इस प्रश्न को यू० पी० एस० सी० को रेफर कर रहे हैं। मेरी अब यही कोशिश होगी कि इस मामले में अपील में जाने का जो एक प्रश्न है, उसको हम दूर रखें ताकि यह मामला आगे बढ़े। हमारे यहां मिकेनिकल इन्जीनियर्स बहुत पुराने वक्त से काम कर रहे हैं। उनकी सीनियोरिटी डिस्टर्ब हो गयी थी, वह डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।

जहाँ तक आर० पी० एफ० और सी० आर० पी० के एकीकरण का प्रश्न है, यह मैंने अभी बताया था कि यह मामला केवल हमारे अधीन नहीं है। इस मामले में हमने रिफार्म कमीशन और होम मिनिस्ट्री से भी सलाह की है और मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्ट्री का मशविरा हमें जल्दी मिल जाएगा। जहां तक इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट चाहिए, मुझे उम्मीद है कि अगर होम मिनिस्ट्री उनको लिखेगी तो अधिकांश स्टेट्स जरूर एग्री कर जाएंगी।

रेलों में ओवर क्राउडिंग और छतों पर चलने का जो सवाल है, उसके लिए हमने गाड़ियों

में एक की बजाय दो अनरिजवर्ड बोगियाँ लगाना शुरु किया है ताकि जो यात्री बिना रिजर्वेशन के जाना चाहते हैं उनको जाने में तकलीफ न हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ रिजर्वेशन अवेलेबल होने पर भी लोग इन्जिन पर और बोगियों की छतों पर चलते है और अगर उनको उतारने की नौबत आती है तो काफी झगड़ा-फिसाद होता है। ऐसी खराब परिस्थितियां कुछ राज्यों में हैं जिन पर कि हम काबू नहीं पा रहे हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को छतों पर नहीं चलने दिया जाए ताकि दुर्घटनाओं का नम्बर न बढ़े और लोगों द्वारा अनसेफ ट्रेवल भी न किया जा सके।

जहाँ तक कर्मचारियों और अधिकारियों के एक जोन में बने रहने का प्रश्न हैं, एक जोन से दूसरे जोन में हर पाँच साल के बाद पीरियोडिकल ट्रांसफर किये जाते हैं। यदि किसी अफसर में कोई कमजोरी पाते हैं या उसको खराब पाते हैं तो पांच साल के दरम्यान में भी ट्रांसफर कर देते हैं। यदि माननीय सदस्य को किसी अफसर से शिकायत है जो पांच या दस वर्ष से एक ही ठिकान पर बने हुए हैं और जिन्होंने अपना स्थान बना कर कोई गुट बना लिया है तो उसको वे रेलवे मन्त्रालय के ध्यान में लाए हम जरूर कदम उठायेंगे।

———

समिति के लिए निर्वाचन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं प्रस्ताव करती हूं।

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 14 के खंड (1) के उप-खंड (चौबीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य अध्यक्ष द्वारा यथानिर्दिष्ट रीति से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए कार्य करने हेतु अपने में से छः सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 14 के खंड (1) के उप-खंड (चौबीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य अध्यक्ष द्वारा यथानिर्दिष्ट रीति से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए करने हेतु अपने में से छः सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महात्मा गांधी और सरदार भगतसिंह की प्रतिमाओं की स्थापना

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : इन्डिया गेट से जार्ज पांच के बुत को हमने हटाया था और हमारी मांग थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थापित की जाए। तीन बार कमेटी नियुक्त हुई और उन्होंने फैसला किया कि राष्ट्रपिता जी की मूर्ति वहां लगाई जाए। परन्तु व्यर्थ देरी की जा रही है। इन्डिया गेट पर राष्ट्रपिता की मूर्ति वहां लगाई जाए, ताकि वहां से विदेशी व भारतीयों को प्रेरणा मिले। जिस तरह से हमने लार्ड इरविन की मूर्ति जो संसद भवन के सामने थी को तोड़ा, क्योंकि इसी लार्ड के समय शहीदे-आजम भगतसिंह को फांसी दी गई थी। हमारी माँग है कि यहाँ शहीदे-आजम भगत सिंह की मूर्ति लगाई जाए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रपिता की मूर्ति लगाने में देरी और शहीदे आजम की मूर्ति लगाना राष्ट्रहित की बात नहीं है। मै चाहूंगा कि तुरन्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति इन्डिया गेट पर और शहीदे-आजम भगतसिंह की मूर्ति लार्ड इरविन का बुत था, स्थापित की जाए।

(दो) उड़ीसा के तूफान पीड़ित लोगों की राहत के लिए वस्तुओं के वितरण में हुई कथित अनियमितताएं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उड़ीसा में आये हाल के तूफान से राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुंचा है जिससे तूफान जिलों के 17 सब डिविजनों के लाखों लोग प्रभावित हुये है, जान माल की हानि हुई है और हजारों पशु मरे हैं।

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुये)

इस स्थिति का सामना मानवीय सहानुभूति तथा समर्पित सेवा की भावना से किया जा सकता है लेकिन मुझे खेद है कि अधिकारियों द्वारा अभी तक किये गये राहत उपाय अपर्याप्त है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अभी तक राहत नहीं मिली है। लेकिन उजड़े और अनाथ लोगों को जितना भी चावल अथवा आटा मिला वह भी घटिया किस्म का और मनुष्य के खाने योग्य नहीं है। मेरे नेता श्री समर मुखर्जी तथा हमारे दल के उड़ीसा राज्य समिति के सचिव उस स्थान पर गये थे और उन्होंने बताया कि बहुत से गरीब लोगों, जिनके घर तथा सब कुछ नष्ट हो गया है को अभी तक भी राहत नहीं मिली है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित क्षेत्रो को तुरन्त पर्याप्त मात्रा मे चावल और आटा भेजा जाये और यह ध्यान रखा जाये कि चावल खाने योग्य हो और तूफान पीड़ित लोगों तक पहुंचे।

महोदय आप उड़ीसा के रहने वाले है। यह चावल की किस्म है···

सभापति महोदय : नहीं नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह चावल की किस्म है। सारी सभा को देखना चाहिये। **(व्यवधान)** आप उड़ीसा के रहने वाले है।

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर जायें। **(व्यवधान)** यह तरीका सही नहीं है।

श्री भीखा भाई।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह चावल की किस्म है। सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। मन्त्री भी यहां है। यह उस चावल की किस्म है जो ये सप्लाई की जा रही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब श्री भीखा भाई।

(तीन) **"जन्म दिन वृक्ष" योजना का नारा देकर देश की वन सम्पदा में वृद्धि करना**

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक संसाधनों की अतुल संपदा मानव के उपयोग के लिये बनी है। परन्तु इन संसाधनों का उपयोग इतना अविवेकी एवं अत्यधिक नहीं हो कि मानव एवं जीवन संपदा की आस्था ही खतरे में पड़ जाये। इस दृष्टि से वन संपदा का आज के युग में अत्यन्त महत्व है। परन्तु यह खेद का विषय है कि आज संपदा के बारे में हम इतने जागरुक नहीं हैं।

अभी हाल ही के वर्षों में जनसंख्या की शहरी बढ़ोत्तरी के कारण हमने बहुत सी जगहों पर अपनी इस वन संपदा को नष्ट किया है। यह विषय कितना आस्यस्पद हो गया है कि जहां एक ओर बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने की हमें सख्त आवश्यक है वहां दूसरी ओर इस संपदा को कोनष्ट किया जाय। इस बारे में तुरन्त ही हमें एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी।

वैसे तो वनों के बहुत से लाभ कालान्तर से ही सर्वविदित हैं तथापि आज के प्रदूषणयुक्त वातावरण में इनका अधिक महत्व है। अगर हमें मानव या अन्य जीवों को इस धरती पर फलते फूलते देखना है तो हमें वनों का विकास एवं रख-रखाव अवश्य ही करना होगा।

अभी हाल में इन बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व के कई देशों में अधिवेशन आदि हुए हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी में 20 मई से 2 जून तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू० एन० आई० पी०) का वार्षिक अधिवेशन हुआ और उसमें वन संपदा की निरन्तर वृद्धि में जोर दिया गया। इस विशेष अधिवेशन के साथ ही आरम्भ हुई एक अनोखी परियोजना जिसका नाम है हर बच्चे के लिये एक एक पेड़। नये वृक्ष रोपने एवं पालन पोषण के काम में लोगों को निजी दिलचस्पी और निष्ठा पैदा करने का सुन्दर उपाय है। इसके लिये अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा कि बच्चे के जन्म दिन के साथ-साथ एक वृक्ष रोपा जाय और फिर उसको पाला जाय। इस तरह से ये "जन्म दिन वृक्ष" योजना फलीभूत होगी।

मेरा विचार है कि भारत में भी इस योजना को क्रियान्वित करना चाहिये। इस बारे में एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य वांछनीय है पोस्टर आदि का इन्तजाम किया जाना चाहिये और लोगों को जंगलात के बारे में अधिकतम जानकारी देनी चाहिये।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस ओर तुरन्त ध्यान देवे।

(चार) **पश्चिम महाराष्ट्र और अहमदाबाद में रंग आदि बनाने के बहुत से कारखानों के बन्द होने का समाचार**

श्री संयोगिता राणे (पणजी) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य दे रही हूं।

यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि पश्चिमी महाराष्ट्र और अहमदाबाद में अलाभकारी कार्यचालन के कारण लगभग 300 रंग आदि बनाने के एकक बन्द हो गए हैं इन एककों के बन्द होने के कारण हजारों मजदूर बेकार हो गए है। इन सभी एककों के सामूहिक रूप से बन्द होने का कारण केन्द्र सरकार की पांच लाख रुपये से ऊपर बिक्री वाले रंग आदि बनाने वाले सभी एककों को उत्पादन-शुल्क से छूट देने की नीति है वर्ष 1981-82 के बजट में लघु क्षेत्र के लिए इस उत्पाद-शुल्क की छूट को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये की बिक्री तक कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद-शुल्क छूट का लाभ उठाने के लिए रंग आदि बनाने के बहुत से एकक अपने उत्पादन और बिक्री को 7.5 लाख रुपए तक सीमित करके इस सीमा में आ गया।

एककों ने संगठित क्षेत्र से अपने उत्पादों को 40 से 50 प्रतिशत तक सस्ता बेचकर बाजार के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया है। रंग आदि बनाने के एककों के इस विकास ने बृहत क्षेत्र के उद्योगों और उन प्रगतिशील उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित किया है जिनकी बिक्री 15 लाख रुपये से ऊपर है। बड़े पैमाने के उद्योगों के क्षमता-उपयोग में निरन्तर गिरावट आ रही है जिससे उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ना जरूरी है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि लघु पैमाने के उन सभी एककों के मामले में जिनकी बिक्री 7 5 लाख रुपये से अधिक है, उत्पादन-शुल्क छूटों को युक्ति-मुक्ति बनाया जाए और उन एककों पर 50 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया जाए जो इस सीमा से ऊपर जाते हैं ताकि इस उद्योग को वर्तमान संकट से बचाया जा सके। इससे बड़े पैमाने के निर्माण एककों की रक्षा की जा सकेगी।

(पांच) मनमाड-मुडखेड रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए उपलब्ध कराये गए सामान को अन्यत्र भेजे जाने का समाचार।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ता हूं।

कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने मनमाड-मुडखेड रेल लाइन को बदलने का काम आरम्भ करने का आश्वासन दिया था। तदनुसार इस भाग का सर्वेक्षण किया गया और कुछ वर्ष पूर्व काम आरम्भ किया गया था। परन्तु बजट में थोड़ा प्रावधान होने के कारण इस काम को शीघ्र पूरा नहीं किया जा सका। इस मामले को दोनों सभाओं में अनेक अवसरों पर उठाया गया है परन्तु सरकार ने मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तन करने के काम को पूरा करने के लिए कोई कार्य वाही नहीं की।

विश्वस्त सूत्रों से अब ज्ञात हुआ है कि इस परिवर्तन के काम को देखने वाले कार्यालयों को स्थानांतरित कर दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए जिस सामान का उपयोग किया

जाना था उसे भी अन्य किसी स्थान पर भेज दिया गया है। रेलवे बोर्ड के इन सब कार्यों से मराठावाडा क्षेत्र के लोगों में बहुत रोष हैं। अब वे इस महीने की 16 तारीख से आन्दोलन चलाने की सोच रहे हैं और यह आन्दोलन हिंसात्मक रूप भी धारण कर सकता है क्योंकि इस क्षेत्र की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपेक्षा की गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा सरकार के वायदे को भी पूरा नहीं किया गया है जिससे प्रत्येक वर्ग के लोग क्षुब्ध हैं।

सरकार से अनुरोध है कि इस रेलवे लाइन के परिवर्तन के काम को देखने वाले कार्यालय और सामान को स्थानांतरित होने से तत्काल रोके और इस काम को जोर-शोर से आरम्भ करे ताकि काम जल्दी समाप्त किया जा सके और मराठवाड़ा क्षेत्र के प्रस्तावित आन्दोलन को न होने दिया जाये।

(छः) **रतनगिरी जिले में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि के लिए प्रतिभूति जमा करने सबन्धी आदेशो को वापस लेने की मांग**

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि): महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :

संचार मत्रालय के दूर-संचार विभाग ने टेलीफोनों के मालिकों को टेलीफोन बिलों के लिए 500 रुपये की प्रतिभूति राशि जमा कराने के नोटिस दिए हैं। इन नोटिसों में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि यदि उपभोक्ता की अदायगी करने की आदत में सुधार हो गया तो इस धन राशि को तीन वर्षों के अन्दर अथवा टेलीफोन न रहने पर, जो भी पहले हो, लौटा दिया जाएगा। हम जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस प्रकार सरकार द्वारा करोड़ों रुपये एकत्रित कर लिये जाएंगे और सरकार वर्षों तक बिना कोई ब्याज दिए इसका प्रयोग करेगी।

स्थानीय कालों, ट्रंक कालों के प्रभारों तथा अन्य जमा राशियों में काफी वृद्धि हुई है। उसके अतिरिक्त विभाग उपभोक्ताओं को सन्तोष जनक सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा है। कई बार टेलीफोनों की बकाया राशि की अदायगी न करने के कारण काट दिया जाता है। इससे भी बढ़कर अब विभाग बकाया राशि के नाम पर उपभोक्ताओं को प्रतिभूति जमा कराने को कह रहा है ताकि उपभोक्ताओं की अदायगी आदत में सुधार लाया जा सके। ऐसे नोटिस उन लोगों को भी दिये गए हैं जो लगातार बकाया राशि का भुगतान कर रहे हैं। यह बहुत ही अपमान-जनक और रोष पैदा करने वाली बात है।

महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के चिपलूण कस्बे में ऐसे नोटिस 50 प्रतिशत से अधिक टेलीफोन उपभोक्ताओं को जारी किए गए हैं।

अतः मैं संचार मंत्री से यह अनुरोध तथा आग्रह करता हूं कि मामले पर पुनः विचार करें तथा संबंधित अधिकारों को इन आदेशों को वापस लेने तथा बकाया राशि के नाम पर प्रतिभूति जमा करने का काम बन्द करने का आदेश दें तथा टेलीफोन उपभोक्ताओं को परेशान न करने के लिए कहें।

(सात) भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण के लिए निश्चित कोटे की प्रगति पर निगरानी रखने की आवश्यकता

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : इससे पूर्व कि मैं अपने अविलम्बनीय मामले को आपके विचारार्थ रखूं मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि संसद सदस्यों ने सरकार के ध्यान में जितने भी अविलम्बनीय महत्व के विषय उठाये हैं उन पर सरकार बहुत देर से कार्यवाही करती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं इनकी बात का समर्थन कर रहा हूं. नियम 377 एक मजाक बनकर रह गया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : यह बिल्कुल सही कह रहे हैं।

श्री राजेश पाइलट : जब हम मामले अन्य किसी नियम के अन्तर्गत नहीं उठा सकते तो हम नियम 377 के आधीन उस मामले को उठाते हैं। मैं आपके विचारार्थ कुछ बातें रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप कृपया वक्तव्य को पढ़िए।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बहुत महत्व की बात है. आवास मंत्री सामने बैठे है, ये ससदीय कार्य मंत्री हैं, इनको निर्देश दिया जाये कि यह हर बात का जवाब दिलवायें। मैंने अब तक 14, 15 नोनिस दिये है और अभी तक एक पर भी कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय : क्या इन सभी बातों को कहने का यह अवसर है।

(नौ) उज्जैन की विनोद और विमल कपड़ा मिलों का प्रबन्ध ग्रहण करने की आवश्यकता

श्री राजेश पाइलट : महोदय, में नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामले को रखना चाहता हूं।

कई बार यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण के रूप मे दी गई छूट तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है यद्यपि सरकार की नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र को भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह आरक्षण निर्धारित करना था। अधिकांश राज्यों का दौरा करने के पश्चात तथा सम्पूर्क देश में भूतपूर्व सैनिकों को मिलने के पश्चात मैं केन्द्र सरकार के माध्यम से संबधित राज्य अधिकारियों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया पर तत्काल नगरानी रखने की आवश्यकता है तथा जिला सनिक बोर्ड के अध्यक्षों का नामित करके देश के सभी भागों में इस प्रणाली को सुचारू बनाने की आवश्यकता है। सभी राज्य सरकारों को कृपया प्रत्येक जिले से ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के आकड़े मंगवाने के लिए कहा जाये जिनका अभी पुनर्वास नही हुआ है और उन्हीं आंकड़ों को राष्ट्रकी सूचनार्थ तथा उन लोगों के हित में केन्द्र सरकार पास भेजा जाए जिन्होंने आज के लिए अपने कल को कुर्बान किया है।

(आठ) पूर्वोत्तर रेल सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सेदपुर) : सभापति महोदय, मैं आप केमाध्यक्ष से माननीय रेल मन्त्री का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे की ओर ले जाना चाहता हूं। पूर्वोत्तर रेलवे देश के पूर्व और उत्तर नारी वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर बलिया से लेकर गोहाटी, आसाम तक का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार की करोड़ों जन-संख्या के लिए यह एक मात्र यात्रा का साधन है।

किसी गाड़ी का समय पर आना एकदम ऐतिहासिक बात है। एक घंटे से लेकर आठ घंटे तक लेट चलना इस रूट की रेलगाड़ी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। । किसी स्टेशन पर एक गाड़ी खड़ी है। आप दो चार मील जाइए, जरूरी काम करके लौट आइए गाड़ी खड़ी है आप दो चार मील जाइए, जरूरी काम करके लौट आइए गाड़ी खड़ी की ड़ी मिलेगी। वाराणसी छपरा शाखा की एक गाड़ी वर्षों से सदा पांच से आठ घंटे लेट चलती हैं। इन्दारा दोहरी घाट, इन्दारा बलिया शाखा की गाड़ियां जब स्टेशन पर पहुंच जाएं तभी समय है, सरकारी समय सारिणी की कोई आवश्यकता नहीं।

डब्बों की दशा का कोई ठिकाना नहीं। मूंगफली के छिलके पूरे डब्बे में बिराजमान हैं। टायलैट में घुसते ही उल्टी हो जायेगी। सफाई ठीक से नहीं होती। वल्ब और पंखा इन गाड़ियों में काम नहीं करते। पानी महीने में एक दिन भरा जाता हो। ये बातें अतियोक्ति प्रायः हर व्यक्ति के लिए लगेंगी किन्तु उस क्षेत्र के निवासी या रेल यात्री को लगेगा जैसे बहुत कम ही ही कहा गया है।

मान्यवर, बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा है कि वाराणसी भटनी के बीच छोटी रेल लाइन हटाकर बड़ी रेल लाइन होगी। पूर्ववर्त्ती रेल मन्त्री ने काम हुत गति से चलवाया। एक आशा बंधी लेकिन फिर काम ढीला हो गया।

मैं अत्यन्त विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि माननीय रेल मन्त्री जी इस ओर अपना ध्यान ले जाए। शीघ्र इस क्षेत्र की जनता पर मेहरबानी कर यहां की रेलों में सुधार करवायें ताकि रेलों के प्रति इधर के लोगों विश्वास पैदा हो।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

देश में कपड़ा उद्योग की स्थिति दिन-दिन बिगड़ती जा रही है। अच्छे प्रबन्ध के अभाव में एक के बाद एक मिल घाटे में जा रही है। और इन मिलों में काम करने वाले हजारों मजदूरों का भविष्य अन्धकार में है। कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरी का वेतन और मजदूरी, उनको दी जाने वाली सुविधाएं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की अपेक्षा काफी कम है। बावजूद इस के कपड़ा मिलों की स्थिति ठीक नही है। इन्दौर और उज्जैन की कपड़ा मिलों की प्रायः घाटे की स्थिति चिन्ताजनक है। पिछले

नौ महिनों से अधिक समय से बन्द उज्जैन की विनोद और विमल मिलको पूरी तौर पर नहीं चलाया जा सका है और इसके कारण हजारों मजदूर बेकार और बेरोजगार है। इन मिलों के नहीं चलने के कारण इन पर आश्रित परिवार तबाही के कगार पर हैं। इन मिलों को चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर अनेक वार घोषणाएं की गई किन्तु अब तक इन्हें सुचारु रूप से नहीं चलाया गया है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उज्जैन की विनोद और विमल मिलों का प्रबन्ध केन्द्र सरकार अपने अधीन लेकर इन्हें पूरी तौर पर चलाए जिस से उत्पादन वर्ष में उत्पादन भी बढ़े और मजदूरों को, बेकारी, बेरोजगारी खोर बेबस जिन्दगी से बचाया जा सके।

———

कर्ण पटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक——जारी

सभापति महोदय : अब आप कर्णपटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक पर आगे विचार आरम्भ करेंगे।

श्री रामसिंह यादव बोल रहे थे। वह अनुपस्थित हैं। श्री चतुर्भज-अनुपस्थित, डा० बसंत कुमार पंडित—अनुपस्थित ; श्री कमलामिश्र मधुकर।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय, इस बिल का समर्थन करने से पहले मैं देश के डाक्टरों, सर्जनों और वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनको उपलब्धियों के कारण मानव-अंगों के प्रत्यारोपण के सफल प्रयोग हुए हैं। उनकी उपलब्धियों के बगैर शायद मन्त्री महोदय इस बिल को लाने में सक्षम न होते।

यह बिल मानवीय मूल्यों पर आधारित है, क्योंकि यह कर्ण पटह और कर्ण अस्थि के प्रत्यारोपण का उपबन्ध करने के लिए लाया गया है। इसलिए यह बिल किसी विवाद का विषय नहीं है। मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि देर आयद दुरूस्त, वह इस बिल को लाए हैं।

आज हमारे देश में आंख और कान के दान की जो बात की जा रही है, वह वैज्ञानिक आधार पर है। लेकिन हमारे देश में दान की परम्परा बहुत पुरानी है। हमारे यहां दधीचि जैसे राजा हुए है, जिन्होंने अपनी हड्डियों को भी दान कर दिया था। ययाति के पुत्रों ने अपने पिता के लिए अपनी जवानी का दान कर दिया था। राजा हर्ष कुंभ के मेले के समय अपनी सारी सम्पत्ति दान कर देते थे। उस दान के पीछे उस युग की परिस्थितियां थीं, जबकि आज दान की बात वैज्ञानिक आधार पर की जा रही है। यह बहुत उत्साहजनक बात है।

मैं इस बिल का तहे-दिन से समर्थन करता हूं, लेकिन कुछ शंकाओं को मन्त्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं, जो आखों सम्बन्धी बिल के बारे में भी जाहिर की गई थीं और प्रो०

अजीत कुमार मेहता ने इस बिल के बारे में भी उठाई हैं। मृत्यु की परिभाषा और स्पष्ट होनी चाहिए। मन्त्री महोदय जानत हैं कि योग की ऐसी क्रियाएं हैं, जिनके द्वारा कई मिनटों तक हार्ट-बीट बन्द किया जा सकता है। मृत्यु की वर्तमान परिभाषा के अनुसार ऐसा करने पर कोई व्यक्ति मरा हुआ माना जाएगा। किन्तु क्या वह मरा हुआ माना जाना चाहिए ? कदापि नहीं इस लिए मृत्यु की परिभाषा में जो त्रुटियां रह गई है, उन्हें दूर करना चाहिए, ताकि कई प्रकार की खींच-तान और विवादों से बचा जा सके।

माननीय सदस्य, श्री मूलचन्द डागा, ने जो शंका व्यक्त की है, लगता है कि वह गलत नहीं है सरकार ने जो बहुत से कानून बनाए हैं, उनके पीछे उसकी मन्शा कुछ भी रही हो, मगर उसके अनुसार काम नहीं हुआ है। लोकसभा का सदस्य होने के नाते मैंने जनता के जीवन में यही बात देखी है। जेल और अस्पताल में छोटे अधिकारियों को शव के बारे मे जो अधिकार दिया गया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे कई तरह के गलत काम और कदाचार हो सकते हैं। मन्त्री महोदय को अपने उत्तर में इस शका का निराकरण करना चाहिए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद गरीब जनता को इससे कितना लाभ होगा। धनी और पूंजीपति लोग तो अमरीका और इग्लैंड जाकर आंखों या कर्ण पटह का प्रत्यारोपण करवा लेते हैं लेकिन गरीब और मजदूर वर्ग के लिए यह संभव नहीं है। उनके सम्बन्ध में इस कानून के अधीन बनाये जाने वाले नियमों में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

पिछले बिल के सम्बन्ध मे बोलते हुए मन्त्री महोदय ने बताया था कि इतनी आखों का प्रत्यारोपण हुआ। लेकिन इसमें कितनी सफलता मिली और वैज्ञानिक, टेकनिकल तथा अन्य प्रकार की क्या कठिनाइया पैदा हुई, इस बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। मैं चाहूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद सरकार एक कमेटी बनाए, जो समय-समय सर आखों और कानों के प्रत्यारोपण की प्रगति की समीक्षा करे और रास्ते में आन वाले व्यवधानों को दूर करने की दिशा में कदम उठाए।

इसके अलावा में यह कहना चाहता हूं कि जिस किसी भी व्यक्ति के कर्ण लिए जायेंगे, उसको कितने वर्ष तक रख पायेंगे और इसकी क्या व्यवस्था करने जा रहे है। इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। छठी बात, जैसा कि शास्त्री जी ने भी कहा था कि मरने के बाद आप आंख निकाल लीजिए या कान निकाल लीजिए, लेकिन उसको आप इनसैन्टिव दीजिए अभी अपने देश में अन्ध विश्वास है और बहुत सी पुरानी परम्परायें हैं और उन परम्पराओं से जो समाज में एकदृढ़ता है, उस दृढता के चलते अच्छे-अच्छे काम नहीं हो पाते हैं। किसी भी अच्छे काम को करने में सरकार असफल हो जाती है, यदि ऐसी स्थिति में इनसैन्टिव दिया, जाए और लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, तो काम अच्छे तरीके से हो सकते हैं।

अन्तिम बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाए, प्रचार के विभिन्न साधनों के जरिये से, जैसे कि आप फैमिली प्लानिंग के प्रचार के लिए सड़कों

पर त्रिकोण का निशान जगह-जगह प्रचारित किया गया है, उसी तरह से आंख के विषय में और कान के विषय में तथा विज्ञान जो प्रगति कर रहा है उसके विषय में भी प्रचार किया जाए। इससे लोगों के अन्दर चेतना पैदा होगी और सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों को सफलता मिलेगी।

इस बिल का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और जो शंकायें आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है, उनको दूर किया जाना चाहिए चाहे इसके लिए आपको कानून में संशोधन क्यों न करना पड़े। मन्त्री जी आप शंकरानन्द है, तो शंकरादन्द के रूप में काम में आइए।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) सभापति महोदय, मन्त्री महोदय द्वारा जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, वह सामाजिक लाभ के लिए लगाया गया है, वह सामाजिक लाभ के लिए लाया गया है। इस देश के अन्दर हार्ट का आपरेशन होता है, उसमें कई वाल्वज खराब हो जाते हैं और मैं तो यह कहूंगा कि इसके अन्दर दशमलव एक प्रतिशत भी व्यक्ति गरीब नही है, इसमें केवल बड़े लोग ही लाभ उठाते हैं। यह कानून जो लाया जा रहा है, वह सामाजिक रूप में लाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी खास व्यक्ति के हितों के लिए है। आप देखिए, इस के अन्दर जितने भी अन्धे, लंगड़े और लूले व्यक्ति हैं, वे सब छोटे व्यक्ति मिलेंगे, इस देश के गरीब व्यक्ति मिलेंगे, बड़ा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा। यह कानून वास्तव में गरीबों के लिए आना चाहिए था। ···(व्यवधान)···मैं तो डागा साहब से कहूंगा कि वे अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ताकि कम से कम यह तो हो कि लोकसभा के एक सदस्य ने अपना कान दे दिया है।

मेरा निवेदन है कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में, और केवल एक दिल्ली राज्य के लिए, लेकिन आपको इसको व्यापक बनाना चाहिए। जो केन्द्र प्रशासित प्रदेश हैं, उन क्षेत्रों में भी इसको व्यापक रूप से लेना चाहिए।

यह तो आपके हाथ की बात थी और साथ ही आपको स्टेट्स को भी परामर्श देना चाहिए था कि आज दुनिया मे विज्ञान बहुत बढ़ चुका है, इसलिए यदि किसी मृत व्यक्ति का कोई अंग काम आ सकता है तो यह सबसे बड़ी देन है। मेरे पूर्व वक्ता बतला रहे थे कि ऋषि मुनियों के समय से यह परम्परा चली आ रही है, परन्तु बीच मे कुछ रूढ़िवाद आ गया, जिसमें यह कहा जाने लगा कि यदि किसी मृत व्यक्ति का स्वर्ग का नर्क से कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल अन्धविश्वास की बात है।

मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसमें दो-तीन आवश्यक संशोधन अवश्य कर लें। पहला तो यही कि इस बिल के अनुसार इस का उपयोग दिल्ली क्षेत्र में ही होगा, मैं चाहता हूं कि सभी संघीय राज्यों में इसका उपयोग किया जाय। दूसरे आप अन्य राज्यों को भी इस तरह का कानून बनाने का परामर्श दीजिए। तीसरे-ऐसे गरीब व्यक्ति जो टैकनीकल-हैण्ड हैं लेकिन कान के रोग से पीडित हैं या उनको ऐसे कान की जरूरत है, परन्तु धन के अभाव में कान उनको नहीं मिल सकता है, ऐसे व्यक्तियों की सहायता की जानी चाहिए। जिस विभाग में वह व्यक्ति काम करता है उस विभाग की ओर से इस प्रकार की रिकमेण्डेशन

की जानी चाहिये कि उस व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधा देना राष्ट्र के हित में है तथा ऐसे व्यक्ति के लिये कान का उपयोग किया जाय । इस तरह का संशोधन आप इसमें अवश्य कीजिये ।

आप जो विधेयक लाये हैं - वह बहुत अच्छी शुरुआत है । सभी जगहों के लिए इसका क्षेत्र बढ़ाया जाय, गरीब लोगों के लिए इस कानून में व्यवस्था होनी चाहिये । ऐसा न हो कि जो लोग अपने कान के आपरेशन के लिये अमरिका जाते हैं, पैसे वाले लोग हैं, वे इस का लाभ उठा और गरीब इसका लाभ न उठा सके । धन्यवाद ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : (पीलीभीत) सभापति महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान हमारी आँख और कान की ओर गया । चाहे बाद इनका प्लांटेशन हो सके, लेकिन इस समय यदि इन दोनों बिलों को पढ़ें तो आप ने आंख की जगह कान का खूब प्लांटेशन किया है । दोनों की भाषा में कोई अन्तर नही है, केवल आंख की जगह कान रख दिया है, एक धारा इसमें जरूर कम हो गई है जो बम्बई के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है । अन्यथा उसमें 11 धारायें थी और इसमें 10 धारायें हैं । एक-एक शब्द वही हैं, केवल आंख की जगह कान रख देने के अलावा इसमें कोई अन्तर नही है···

सभापति महोदय : आंख की जगह आप क्या रखेंगे ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : मेरा तात्पर्य यह है कि जो उत्तर माननीय मन्त्री जी ने आंख के बिल की बहस पर दिया था, वह उत्तर कान के बिल की बहस का देगें । इस लिए मैं उन बातों को नही कहना चाहता क्योंकि ये एक ऐसे मन्त्री हैं, भगवान इनका स्वास्थ्य अच्छा रखे ये कभी किसी बात को मानकर नहीं देते चाहे वह आल इण्डिया मैडिकल इन्स्टीच्यूट के सम्बन्ध में हो या कोई अन्य मामला हो ।

अब सबसे पहली बात में यह कहना चाहता हूं । पहले आप जो बिल लाये थे उसमें नियमों के बनाने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब आपने आंख वाले बिल में भी प्रावधान कर दिया है और इस कान वाले बिल में भी नियम बनाने वाला प्रावधान कर दिया है . इस इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जब में अधिनस्थ विधान समिति का सदस्य था और डागा जी उसके चेयरमेन थे, तो हमारे सामने कई ऐसे विधेयक आए कि जो सन् 1948 में पास हो चुके थे लेकिन आज तक उनके नियम नहीं बने । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन नियमों को जल्द से जल्द बनाने के लिए कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए । आप यह रख दें कि 6 महीने के अन्दर ये नियम बना लिये जाने चाहिए । नही तो होता क्या है कि हमारे सेकेट्री हमारी ब्योरोक्रेसी हमारे डाइरेक्टर लोग, जिनके ऊपर इन नियमों को बनाने की जिम्मेदारी होती है, वे कई-कई साल तक, दो-दो साल तक को इनको नहीं बनाते हैं और वे फायदा उठाते हैं जैसे प्रोविजन का, जो आपने अन्तिम धारा 10 में किया है कि जो कोई भी कार्य इस बीच में किया जाएगा इस एक्ट के मुताबिक, वह वैलिड माना जाएगा चाहे रुल्स बाद में बने हो । एक तो मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

दूसरा मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं और यह आपके लिए ही नहीं है बल्कि सारी सरकार के लिए है कि जितने भी बिल यहां पर लाए जाएं, उनको जब आप लाएं, तो उनके साथ नियमों को भी यहां लाएं, तो अच्छा होगा। इससे सदन सारे मसले पर बहस कर सकेगा उसका कार्यान्वयम आप कैसे करेंगे, उसकी सारी शक्ल सदन के सामने आ जाएगी। 10 धाराएं आपने इसमें दी हैं और उनको इम्पलीमेंट करने के लिए कम से कम 101 रूल्स की किताब इतने सारे रूल्स क्या एडमिनिस्ट्रेटर बना सकेगा सही तरीके से और क्या हाऊस के सामने चीजें जल्दी से रखी जा सकेंगी। बाद में जब हाऊस के सामने वे रखी जाती हैं, तो कौन उनको पढ़ेगा इसलिए मेरा यह सुझाव है और यह आपके लिए ही नहीं है बल्कि सब कानूनों के लिए है कि जब भी कोई बिल लाया जाए, तो उसके साथ उसके रूल्स भी लाएं जाएं और दोनों पर एक साथ विचार हो जाए।

दूसरी बात यह है कि आप जानते है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ऐसा रोज हम किताबों में पढ़ते है। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, उन सब पर समाज का अधिकार है : बिना समाज के हम पैदा नहीं हो सकते और समाज के बिना हम बढ़ नहीं सकते और समाज के बिना हम उन्नति नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमारा यह शरीर जो है, वह इस समाज का है, एक-एक अंग इस समाज का है। इसलिए इस बात का प्रचार भी उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे कि हम परिवार नियोजन के लिए करते हैं। परिवार नियोजन के लिए हम इसेंटिव देने के लिए लोगों में काफी प्रचार करते हैं। इसलिए जैसे आप आंखों के लिए और कानों के सम्बन्ध में यह बिल लाए हैं, और अंगो के लिए भी हम उनको दान देने का प्रचार करें। किडनीज की जरूरत लोगों को होती है और शरीर के सब अंगों की जरूरत होती है। एक सामाजिक रूप से इसका अगर हम प्रचार करें और लोगों के मन में यह बैठाएं कि इनको देना हमारा धर्म है, अखबारों में प्रचार करें, न्यूजरील में निकलवाएं और दूसरे जो प्रचार के साधन हैं जैसे टी० वी० और रेडियो हैं, उनके जरिये से प्रचार करांए, तो मैं समझता हूं कि ये चीजें अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें वसीयत करने का कोई अधिकारी नहीं है। इस बिल के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी चीजों पर प्रकाश डाला है और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप अखबार में निकलवाएं, समाचार पत्रों में निकलवाएं और दूसरे साधनों से इसका प्रचार करें कि जो लोग अपने अंग देना चाहते हैं चाहे वह आंख हो या कान हो या कोई और अंग हो, वह अपना नाम रजिस्टर करवाए। हर डिस्ट्रिक्ट होस्पीटल में या लोकल होस्पीटल में रजिस्ट्री हो जाने के बाद समाचार-पत्रों में इसको निकलवा दें और अंग देने वाले के यहां एक चिट्ठी जारी करके दें या सर्टीफिकेट जारी कर दें। उसके घर वाले जिनके नाम मरने वाले ने वसीयत की है, जिससे कि वे अंग लेने के समय कोई झगड़ा पैदा नहीं कर सके। मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने इसमें लिखा है कि दो गवाहों के सामने वह कह देगा, इससे काम चल जाएगा इस व्यवस्था से काम चलने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि प्रचार करके एक लिस्ट तैयार हो,

पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको बनवा लिया जाए। जैसे ही किसी की मृत्यु की सूचना मिले तो तुरन्त उस पर कार्यवाही हो जाए।

एक बहुत छोटी-सी बात यह है कि हमारे बहुत से बच्चे आंख और कान से महरूम होते हैं। उनके लिए भी इसमें कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अभी उनके बारे में मुझे कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। बहुत से हमारे बच्चे जन्म से ही अंधे और बहरे होते हैं। इसलिए उनके बारे में भी इस बिल में कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

श्रीमन् मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे शरीर के अंगों का उपयोग समाज के लिए होना चाहिए। इस बात को व्यापक बनाने के लिए, इसके बारे में प्रेरणा देने, उत्तेजना देने के लिए कुछ-न-कुछ धन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि श्री रामावतार शास्त्री जी ने भी कल कहा था, मैं भी चाहता हूं कि लोगों को इसके लिए इन्सेन्टिव देना बहुत अच्छी बात होगी। जिन गरीब लोगों के अंग लिये जायेंगे, उनके पोषण की भी इससे व्यवस्था हो सकेगी।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने बहुत ही स्लीपिंग वे में दंड की व्यवस्था की बात कह दी है। आपने धारा 8 ए (2) में कहा है।

"भारतीय दंड संहिता की धारा 297 के अधीन दंडनीय अपराध नहीं समझे जायेंगे।"

जो भी कर्मचारी गुड फेथ में काम करते हैं, वे दंड के भागी नहीं होते हैं। हमारे यहां तो दूसरा हिसाब है। भागलपुर में 50 से ऊपर कैदियों की जेल में आंखे निकाल ली गयीं और आपने फिर जेल वालों को यह अधिकार दे दिया है। छोटा-सा अफसर कह देगा कि किसी की भी आंख निकाल ली जाएगी। अगर इसके उल्टे हो गया तथा किसी को मार दिया गया और उसकी आंख निकाल ली गयी तो उसके विरुद्ध इसमें दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। आई० पी० सी० की धारा 307 के अधीन इसमें कम से कम दस साल का दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए जब तक आप इसका प्रोविजन नहीं करेंगे तब तक मुझे डर है कि इसका दुरुपयोग न होने लगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : सभापति महोदय, में माननीय मन्त्री महोदय का इस उपयोगी और अनावश्यक विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं यद्यपि यह बहुत बिलम्ब से लाया गया है क्योंकि कई अन्य विकासशील देशों में इस प्रकार का विधान पहले से मौजूद है। महोदय, मैं उस मुद्दे को जिसे मेरे माननीय मित्र पहले कह चुके हैं, पुनः दोहराता हूं कि इसे सम्पूर्ण भारत पर लागू किया जाए। मैं समवर्ती या राज्य सूची की बात नहीं कर रहा हूं परन्तु यह तजुर्वा है कि यदि इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाए तो भिन्न-भिन्न प्रकार की शब्दावली से युक्त अनेक प्रकार के अधिनियम सामने आएंगे जिससे भ्रम उत्पन्न होगा। अतः मैं माननीय सदस्यों द्वारा इस मुद्दे पर व्यक्त किए गये विचारों को स्वीकार कर लेने का अनुरोध करता हूं।

खण्ड 2 की उपधारा (ड. में पंजीकृत मैडीकल प्रैक्टीशनर की परिभाषा इस प्रकार

की गई है, वह व्यक्ति जिसके पास ऐसी कोई भी मान्यता प्राप्त चिकित्सीय योग्यता हो, जिसकी परिभाषा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में की गई है तथा जिसका नाम राज्य चिकित्सा पंजी में दर्ज हो। लगभग सभी राज्यों ने राज्य चिकित्सा पंजी में अधिक प्रकार के डाक्टरों जैसा कि आयुर्वेदिक डाक्टरों समेकित कोर्स वाले डाक्टरों आदि को रखने की मांग की है। वे भी पंजीकृत मैडिकल प्रेक्टीशनर बन जाएंगे। अब, कर्ण या नेत्र को निकालने का काम प्रौद्योगिकीविदों का है अर्थात शल्य चिकित्सकों का है। आपको इस वर्ग को स्पष्ट करना चाहिए। अन्यथा इसके कई अन्य प्रभाव या बुरे प्रभाव होंगे। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास नेत्र विज्ञान ई० एन० टी० तथा विज्ञान के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा का ज्ञान हो। कोई भी डाक्टर अथवा कोई भी मैडीकल प्रेक्टीशनर यह आपरेशन नहीं कर सकेगा क्योंकि यह एक तकनीकी आपरेशन है। यदि एक अस्थि अथवा पटह अथवा रेटिना को निकालते समय कोई क्षति पहुंचती है तो क्या होगा ? यह प्रत्यारोपण के प्रयोजन से बेकार हो जाएगा।

तीसरी बात, जो मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि उन्हें अंगों को सुरक्षित रखने के काम की जानकारी हासिल करने चाहिए। धारा 7 कहती है कि 'मृत व्यक्ति के शव से कर्ण निकाले जाने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी इस प्रकार निकाले गये कर्णों के परिरक्षण के लिए ऐसी कार्यवाही करेगा जो विहित की जाए।' अब आपने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि ये कदम क्या होने चाहिए। मैं अपने कर्णों या नेत्रों का दान करना चाहता हूं और मैं अपने दान देने वाले वक्तव्य में यह कह सकता हूं कि मेरे अंग मेरे पारिवारिक डाक्टर द्वारा निकाले जाएं। इससे कई जटिलताएं उत्पन्न होंगी। साथ ही एक बार निकाले जाने के बाद कौन इसकी परवाह करता है ? विश्व के सभी विकसित देशों में 'आई० बाल बैंक, स्किन बैंक, इयरड्रम बैंक आदि-आदि होते हैं। मैं भी यह अनुभव करता हूं कि हमारे नियमों में भी इसी प्रकार का प्रावधान होना चाहिए।

मैं अब आपका ध्यान इस प्रकार के कई मामलों की ओर आकर्षित करता हूं जो बम्बई में होते रहे हैं। जे० जे० अस्पताल में एक शल्य चिकित्सक ने शवों से नेत्र पुतली, रेटिना आदि निकाले और उन्हें वह अपने निजी उपचर्या गृह में ले गया जहां वह निजी रोगियों का इलाज किया करता था मैं यह अनुभव करता हूं कि त्रुटि को दूर किया जाए। सभी सरकारी अस्पतालों और जिला अस्पतालों से सम्बन्ध रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को ही मृत व्यक्ति के अंगों को निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए। खण्ड 7 से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कर्ण और अन्य अंगों को कहां ले जाया जाएगा। इन्हें कहां सुरक्षित रखा जा सकेगा ? इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। इस त्रुटि की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा यही सविनय अनुरोध है।

परन्तु अन्त में यही कहना चाहता हूं कि सरकार को प्रत्येक अंग के लिए अलग-अलग समय पर इतने अधिक विधेयक लाने की बजाए मानव शरीर के सभी अगों के बारें में सम्मिलित रूप से एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए। आजकल गुर्दों का प्रत्यारोपण सम्भव हो गया है। यहां तक कि हृदय वाल्व का भी प्रत्यारोपण किया जा रहा है। अतक विज्ञान ने बहुत उन्नति

की है। मानव शरीर के बहुत से अंगों का प्रयोग किया जा सकता है बम्बई में प्रत्यारोपण के लिए त्वचा की बहुत मांग है। त्वचा को प्रत्यारोपण के प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है बहुत से लोग, विशेषरुप से लड़कियां बहुत अधिक संख्या में आग दुर्घटना में फंस जाती हैं उनके मामलों में त्वचा प्रत्यारोपण का प्रयोग किया जा सकता। आजकल आग दर्घटनाएं बहुत हो रही है और आप त्वचा प्रत्यारोपण कर सकते हैं। यहां तक कि कैदी भी अपनी त्वचा दे सकता है और सजा से छुटकारा पा सकता है। त्वचा दान के लिए भी उपबन्ध करने की आवश्यकता है। सरकार को बार-बार पृथक-पृथक विधेयक लाने की बजाए मानव शरीर के सभी अंगों के सम्बन्ध में सम्मिलित रूप से एक व्यापक विधेयक लाने के बारे में सोचना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय, का ध्यान एक और मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनकाआपरेशन कौन करेगा और कौन अंग निकालेगा? चाहे यह जेल हो या अस्पताल या सरकारी संस्थान हो, आपरेशन सरकारी डाक्टर द्वारा अर्थात सरकारी अस्पताल से सम्बन्ध किसी विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक द्वारा किया जाना है विधेयक में कहीं भी यह बात उल्लिखित नहीं है कि चिकित्सा व्यवसायी को किसी निजी अस्पताल का न होकर सरकारी अस्पताल से सम्बद्ध व्यवसायी डाक्टर आंख, तथा नाक, गला विज्ञान का दक्ष शल्य चिकित्सक होना चाहिए सभी चिकित्सा व्यवसायियों को या सभी डाक्टरों को यह शक्ति प्रदान करने के सरकार के आशय से मृत व्यक्ति के अंगों के लिए छीना-झपटी मचने लगेगी। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के कुछ विशिष्ट उपबन्धों की आवश्यकता है। मेरा मन्त्री महोदय से हार्दिक निवेदन है कि वे विधेयक की इन समस्त कमियों को दूर करने के लिए एक बार फिर से विचार करें। मैं वास्तव में इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है और इसे तो बहुत देर हो चुकी है और इसे तो बहुत पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये था।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए कानों की उपलब्धता में कुशलता लाने के लिए यह विधेयक नेक भावनाओं पर आधारित है। अतः इस पर विधेयक में प्रतिरोपण के लिये लोगों द्वारा कानों को दान में देने प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसा प्रावधान भी है कि जो व्यक्ति कानूनी रूप में मृत शरीर का प्रभारी है वह उसे प्रतिरोपण के लिए कानों को निकालने का प्राधिकार दे। इस मामले में इस प्रकार अच्छे सुरक्षात्मक प्रावधान भी किये गये हैं कि शरीर के अंग उस दशा में नहीं निकाले जा सकते हैं जब कि मृतक ने जीवित रहते इसकी आपत्ति की हो या उसके किसी निकट सम्बन्धी को ऐसा करने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति है। यहां तक तो ठीक है परन्तु विधेयक में कुछ ऐसे भी उपबन्ध हैं जिनमें ऐसे संरक्षण नहीं हैं मैं आपका ध्यान विशेषरूप से विधेयक के खण्ड 6 की ओर आकृष्ट करूंगा जिसमें कहा गया है ;

"6 जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटनावश या अन्य किसी अप्राकृतिक कारण से हुई हो और उसकी मृत देह शव परीक्षण के लिए भेज दी गयी हो।" साथ ही जो एक मात्र संरक्षण का प्रावधान किया गया है वह यह है कि यदि मृतक ने अपने जीवन काल में कानों के निकाले

जाने पर आपत्ति की हो और जब तक इस प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई जाती है। वह व्यक्ति जो शव का कानूनी अधिकारी है वह कानों को निकालने का अधिकार प्रदान कर सकता है।

सभापति मदोदय, आप तो जानते ही हैं कि मुश्किल से ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने जीवन काल में मृत्यु पश्चात अपने शरीर के विभिन्न अंगों के प्रति आपत्ति प्रकट करे या न करे।

यह कहना वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अपने पीछे इस प्रकार की आपत्तियां होने के बारे में कुछ छोड़ा हो। इसके अतिरिक्त, जानना इतना सरल नहीं है कि आपत्तियां हैं उन मामलों में जिनमे शव-परीक्षा की जानी है किसी प्रकार की आपत्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है जो कि किसी निकट के सम्बन्धी द्वारा की जा सकती है। कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है निकट-सम्बन्धी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है और मेरे विचार से सक्षम प्राधिकारी वह व्यक्ति है जो कि शव-परीक्षा के समय मृतक शरीर का विधिवत प्रभारी है। वह स्वयमेव यह आदेश दे सकता है कि इसके सामने लिखित आपत्तियों के बावजूद भी कानों को निकला जा सकता है। मैं इस विशिष्ट उपबन्ध का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। इसमें स्वाभाविक और अस्वभाविक मौत मरने वाले व्यक्ति के बीच भी भेद-भाव रखा गया है। इस प्रकार के भेद-भाव की क्या आवश्यकता है? मृतक के मामले में भी सरकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेदभाव करना चाहती है।

मैं सरकार से यह प्रजोर अनुरोध करता हूं कि इन मामलों में भी सम्बन्धियों को आपत्ति उठाने का प्रावधान अवश्य होना चाहिए और वे आपत्तियां स्वीकार की जानी चाहिए।

साथ ही खण्ड 5 में लावारिश शव की बात की गई है। यहां पर निकट सम्बन्धियों का प्रश्न न भी उठे क्योंकि कोई भी निकट सम्बन्धी उस पर दावा नहीं करता है। इसमें एकमात्र संरक्षण यह है कि मृतक हैं व्यक्ति में ही अपने जीवन-काल में शरीर के उन अंगों को निकालने पर आपत्ति की हो। लावारिश लाश के मामले में यह तो सामान्य ज्ञान की बात है कि ये सभी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत कम मालूम होता है। अतः यह उपबन्ध बिल्कुल ही अनावश्यक है। मैं तो कहूंगा ऐसे मामलों में या प्रत्येक मामले में यदि सम्बन्धियों को कोई आपत्ति हो या यदि मृतक व्यक्ति को अपने जीवन-काल में कोई आपत्ति हो तो जैसा कि पहले के विधेयक में दिया गया है दोनों कानों या नेत्रों को निकालने का कोई प्रावधान या उपबन्ध नहीं होना चाहिये।

ऐसे विश्वास भी है और मैं इस विशिष्ट पहलू पर जोर देना चाहता हूं कि लोग मृतक शरीर को अति-पाक मानते हैं और उसे पवित्र समझते हैं, यहां तक वे इसे नष्ट भी नहीं करते हैं और वे इसे पूर्ण पवित्रता के साथ दफनाते हैं। इस प्रकार का सामान्य उपबन्ध कि लावारिश शवों के अंगों को निकाला जा सकता है निश्चय ही लोगों के इन विश्वासों के विपरीत होगा। अतः खन्ड 5 और 6 उपबन्धों पर मुझे तीव्र आपत्ति है। मेरा सरकार से आग्रह है और जैसा

कि मैं कह चुका हूं, सरकार को इन विशिष्ट तथ्यों पर ध्यान देना चाहिये कि ऐसे भी धर्म हैं जिन में इस प्रकार से अंग निकालने की अनुमति नहीं है। अत: प्रत्येक मामले में हमें सावधान रहना होगा और हमें इस बात पर बल देना चाहिये कि सम्बन्धियों अथवा निकट -सम्बन्धियों को आपत्ति उठाने के अधिकार मिलें और यदि कोई निकट सम्बन्धी आगे नहीं आता है तो शव को उस ढंग से दस्तंदाजी नहीं करनी चाहिए जैसी कि खण्ड 5 उल्लिखित है। मुझे विधेयक के 5 और 6 में दी गई व्यापक शक्तियों पर घोर आपत्ति है और मैं उनका विरोध करता हूं। मुझे विश्वास है। मन्त्री महोदय इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और इस बारे में भविष्य में आक्रोश न होने दें।

केवल एक शब्द और कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। शव-परीक्षा के मामले में भी भावनात्मक आधारों पर काफ़ी आक्रोप है। निकट सम्बन्धियों की आपत्तियों पर ध्यान दिए बिना और उनके बावजूद मृतक व्यक्ति की आंखों या कानों को निकालने की इस अतिरिक्त शक्ति की जहां तक बात है इससे पर्याप्त असंतोष और व्यहुवायत फैलेगी और मृतक के धर्म के विरुद्ध भी हो सकता है। अत: मैं चेतावनी देता हूं और विरोध करता हूं तथा सरकार से जोरदार शब्दों में अनुरोध करता हूं कि वह खण्ड 5 और 6 के उपबन्धों पर पुनर्विचार करे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : सभापति महोदय, मैं सर्व प्रथम सभी सदस्यों को इस विधेयक को दिए गये उनके सुस्पष्ट समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : उन्होंने आपकी बात भी कान दे कर सुनी है।

श्री बी० शंकरानन्द : निस्सन्देह, उन्होंने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी है और मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल बाहर नहीं की है।

महोदय, इस अर्थ में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है कि यह कल नेत्र विधेयक के पारित किए जाने के पश्चात लाया गया है।

महोदय प्राकृतिक इतनी विचित्र है कि उसने नेत्र तो चेहरे में सामने लगाए हैं और कान एकतरफ जिससे मानवता मे प्रगति की आशा की गई है और प्रगति की सीधे-सीधे देखने की भी और फिर भी प्रगति के मार्ग में आने वाले खतरों, कमियों और समस्यों की बात भी वह सुनता रहे, इसलिए कान लगाए गये हैं।

मैंने बड़े ही ध्यानपूर्वक कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी तर्कों, सुझावों और विरोधों को सुना। नेत्रों के बारे में कल अन्तिम विधेयक में मुख्य आपत्ति यह की गई थी कि यह दिल्ली प्रशासन क्षेत्र के लिए ही क्यों है ? समस्त देश के लिए क्यों नहीं ? कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई यही मुख्य आपत्ति थी। यद्यपि मैं यह कल ही कह चुका हूं फिर भी रिकार्ड के निमित्त में दोहराता हूं कि मुख्य रूप से विधेयक संबिधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के इन्दराज (ख) 26 लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल तथा औषधालय से सम्बद्ध है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या यह मृतकों के लिए है ?

श्री बी० शंकरानन्द : विधेयक मृतकों के लिए नहीं है यह जीवित लोगों के लिए है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु प्रतिरोपण के लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। इसमें केवल निकालने का ही प्रावधान है।

श्री बी० शंकरा नन्द : मेरे मित्र ने इसके उपबन्धों को नहीं पढ़ा है. मैं बताता हूं विधेयक जीवितों के लिए है मृतकों के लिए नहीं है। विधेयक इसके अन्तर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के खण्ड 4 के अधीन यह विधेयक केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू होता है जिसके अनुसार संसद केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए इस विधेयक के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। जब तक अनुच्छेद 252 के अधीन इस आशय का प्रस्ताव राज्य विधान सभाएं पास नहीं कर देती है कि उपरोक्त मामले पर संसद को कानून बनाना चाहिए केवल तभी संसद इस उद्देश्यार्थ ऐसा कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारतवर्ष पर लागू होगा।

माननीय सदस्य जो यह समझ बैठें हैं कि यह विधेयक केवल शवों से सम्बद्ध है। यह बिल्कुल गलत बात है यह तो जीवित व्यक्तियों क स्वास्थ्य से सम्बद्ध विधेयक है जिसके लिए हमने इसमें उपबन्ध रखे हैं जिससे मृतक शरीर के अगों और इन्द्रियों को जीवित व्यक्तियों के लिए आयोग में लाया जा सके और उनकी श्रवण शक्ति में सुधार किया जा सके।

निस्सन्देह मेरी आकांक्षा है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को संसद के इस अधिनियम का जिसे हम पास करने जा रहे हैं अनुकरण करना चाहिए और सारे देश में उन लोगों के लाभार्थ प्रावधान करना चाहिये जिन्हें इस प्रकार की चिकित्सा सहायता चाहिये।

कुछ लोगों का कहना है कि विधेयक के दुरुपयोग को रोकने का उपबन्ध कहा है कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि कर्ण-अस्थि या कर्ण पटह किसी रखने या रीढ़ की हड्डी या अन्य किसी काम में लाया जा सकता है। वह तो केवल कर्ण-पटह और कर्ण-अस्थि के ही काम आ सकता है। इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस अंग के दुरुपयोग की बात सोचता है तो मैं इस पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के बारे मे भी एक आपत्ति उठाई गई है निस्सन्देह, मैंने स्नातकोत्तरों और अनुभवी व्यक्तियों के लिए कल पारित किए गये नेत्र विधेयक में विशिष्ट रूप से एक उपबन्ध रखा था अब इस मामलें में मुझें चिकित्सीय सलाह यह दी गई है कि इस प्रक्रिया के अर्न्तगत नेत्र निकालने जैसी कोई जटिलता नहीं है क्योंकि नेत्र के मामलें में यह एक ऐसी नाजुक, पारदर्शी झिल्ली होती है जो कि आंख को सामने से सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक ऐसा नाजुक अंग है और केवल वही व्यक्ति इसमें हाथ डाल सकता है जिसे आंख निकालने का अनुभव हो। कर्ण-पटह और कर्ण-अस्थि को निकालने के लिए इस प्रकार के अनुभव की आवश्य-

कता नहीं होती है। मुझे तो यही बताया गया है। इसीलिए हमने कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया है।

अस्पताल के अन्दर या जहां कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका जीवन समाप्त प्रायः हो चाहे दुर्घटनावश या अन्यथा और यदि वह अस्पताल में हो तो मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति जो कर्ण-पटह और कर्ण-अस्थि को निकालना नहीं जानता है वह इस झमेले में पड़ेगा क्योंकि वह अस्पताल में है। मेरे विचार से अस्पताल का कोई भी प्राधिकारी इसकी अनुमति नहीं देगा। और यदि मृत्यु अस्पताल से बाहर होती है और शव को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। तो निस्सन्देह शल्य चिकित्सक उसकी शव-परीक्षा करते हैं। यहां तक कि जो व्यक्ति शव-परीक्षा करता है उसे शव की चीरफाड़ का पता होना चाहिए और वह शव-परीक्षा तभी करता है जब उसे शरीर का काटना तथा अंगों के प्रत्येक भाग को काटना आता हो। अतः ऐसी बात नहीं है कि कोई कर्ण-परह और कर्ण-अस्थि को निकालेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सदस्यगण यह सोच सकते हैं कि किन परिस्थितियों में कर्ण पटह और कर्ण-अस्थि को निकाला जाता है और इस प्रकार की आपत्ति क्यों की जाती है। निस्सन्देह, हम किसी गम्भीर मामले की कल्पना कर सकते हैं। परन्तु मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा। कुछ भी हो हम इस पर विचार करेंगे। यह पहली बार हुआ है कि हम इस विधेयक को लेकर आए हैं और हम इसकी कार्यन्विती पर ध्यान रखेंगे और इसकी प्रगति पर निगरानी रखी जायेगी। मेरे विचार से विधेयक के कुछ उपबन्धों में कुछ उधार लाने में हमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

आजकल देश में केवल एक ही कर्ण-बैंक हैं और वह है लोकनायक जय प्रकाश नारायण, अस्पताल दिल्ली में। मुझे आशा है कि ऐसे कर्ण-बैंक उन सभी आयुर्विज्ञान संस्थानों में चालू किए जायेंगे जहां इस प्रकार के बैंक स्थापित किए जा सकते हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रतिरोपणार्थ कानों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

जब से, 1975 में दिल्ली में इस बैंक की स्थापना की गई है, अभी तक 80 मामलों में कर्ण-प्रतिरोपण किया गया है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : इन सात वर्षों की कुल संख्या क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं आपको बता रहा हूं। कृपया अपने कान मेरी ओर लगाइये।

एक माननीय सदस्य : वह उन्हें अग्रिमत दान दे रहे हैं।

श्री बी शंकरानन्द : मुझे तो कान और उन्हें दान करने वाले चाहिए। वे कान जो हृदय तक ध्वनि पहुंचा सके और ऐसे कान जिनकी समाज की आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति हो मैं इस प्रकार के कान चाहता हूं। मैं ऐसे कान नहीं चाहता जो समाज की तीव्र आवश्यकताओं पर कोई ध्यान न दें। मैं इस प्रकार के कानों को नहीं चाहता। (व्यवधान) जो कान आवाज को गहण कर शोर का रूप धारण करे तथा हृदय जिसे अस्वीकार करे ऐसे कान नहीं चाहिए।

निःसन्देह प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं। हम इस विधेयक की

तुलना परिवार नियोजन कार्यक्रम से नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें हमें परिवार तथा उसके सदस्यों की संख्या को कम करना होता है अब हमें जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए अधिक कर्ण अस्थियों की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में यदि प्रोत्साहन के रूप मे कुछ दिया जाता है तो उससे निश्चय रूप से ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा गरीब लोगों का शोषण होगा, तथा मैं यह नहीं चाहता कि ऐसा हो।

डा० बसन्त कुमार पण्डित : किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा।

श्री मूल चन्द डागा : ऐसा करने से गरीब लोगों का किस प्रकार शोषण होगा?

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने पहले ही बताया है कि मैं उनकी बात सुन सकता हूं। मैं श्री डागा से कानों को देने के लिए कह सकता हूं। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि मुझको अपने कान देंगे अथवा नहीं। मैं यह जानता हूं कि वह मुझको अपने कान नहीं देंगे क्योंकि कान देने का तात्पर्य है त्याग करना है और मैं यह जानता हूं कि वह ऐसा नहीं करेंगे।

श्री मूल चन्द डागा : दोनों ही मन्त्रियों को पहले इस बारे में उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए।

श्री बी० शंकरनन्द : जहां तक खण्ड 5 तथा 6 के सन्दर्भ में आपत्ति का सम्बन्ध है खण्ड 5 अस्पतालों में दावा न किये गये मृतक शरीरों से कानों को निकालने के अधिकार से ही पूर्णतः सम्बन्धित है। श्री बनातवाला ने इसे उठाया है और वास्तव में इस प्रावधान का विरोध किया है क्योंकि उनका कहना है कि कुछ मृतक शरीरो को लोगों द्वारा भी लाया जाता है। मैं यह नहीं जानता कि मैंने उनकी बात सही रूप में सुनी है अथवा नहीं मुझे इसके बारे में पूरा पता नहीं है क्योंकि यह एक धार्मिक भावना है।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या मैं अपने भाषण को पुनः दोहराऊ? मैंने कहा है कि ऐसे बहुत से धार्मिक मत हैं जो मृत्यु के पश्चात मृतक शरीर को पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार के बहुत से मत हैं। मान लीजिए कोई मृतक शरीर है और यदि इस प्रकार को मत वाला कोई व्यक्ति वहां मौजूद है। ऐसी स्थिति में उस मृतक शरीर का कोई भी अंग निकालना निश्चय रूप से ही अनुचित होगा।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं सभी धार्मिक मतों का आदर करता हूं। फिर भी, यदि मृतक शरीर पर दावा करने वाला कोई न आये तो क्या किया जा सकता है? यह एक धार्मिक प्रश्न ही नहीं बल्कि मृतक शरीर का दावा करने का प्रश्न भी है अतः मेरा यह विचार है कि इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। खण्ड 6 में उस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत करने को सक्षम हो। इस खण्ड में किसी ऐसे व्यक्ति अथवा किसी सक्षम व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है जो किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य अधिनियम के किसी उपबन्ध के अन्तर्गत ही सक्षम माना जायेगा। तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत कौन सक्षम व्यक्ति है। केवल उसके निकट सम्बन्धियों के अलावा और कोई नहीं है? कोई भी सदस्य यह बताये कि इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत निकट सम्बन्धियों के द्वारा

प्राधिकृत किये जाने के सिवाय क्या कोई अन्य व्यक्ति भी प्राधिकृत कर सकता है। प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति का तात्पर्य यह नहीं है कि कर्ण पट हो तथा कर्ण अस्थियों को निकालने की अनुमति है। अतः इस खण्ड में आपत्ति उठाने के प्रश्न अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो यह प्राधिकृत करने के लिये सक्षम हो, स्वीकृति देने का प्रश्न ही नही उठता है। क्योंकि इस अधिनिम के उपाबन्धों के अन्तर्गत केवल निकट सम्बन्धी ही सक्षम व्यक्ति हो सकता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत जो सक्षम व्यक्ति है वह निकट सम्बन्धी के ही समान है। यदि आप यही कहना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से कहिए। इसमें संदिग्धता की क्या बात है ?

श्री बी० शंकरानन्द : इसमें संदिग्धता की कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों को समग्र रूप से अधिनियम का अध्यक्ष करना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : सूराख।

श्री बी० शंकरानन्द : आवाज तथा ध्वनि के बीच यही अन्तर है। क्योंकि मैंने कहा है उसका समग्र रूप से जबकि वह इसको कानों के के सन्दर्भ में ले रहे हैं। डा० वसन्त कुमार पण्डित ने एक व्यापक विधेयक को लाने का सुझाव दिया है। मेरे विचार से इस पर विचार किया जा सकता है। क्योंकि विज्ञान के तरक्की करने के साथ-साथ एक ऐसा समय आ सकता है जबकि शरी के बहुत से भाग, हिस्सों तथा अंगों को एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात एक अन्य जीवित व्यक्ति के प्रत्यारोपण के लिए उपलन्ध कराया जा सकता है। जो कि उपयोगी होगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई भी उपबन्ध नहीं किया जा सकता। इसके अलावा महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि (व्यवधान)।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : निकाले गये अंगों को कहांपर सुरक्षित रखा जायेगा ?

श्री बी० शंकरानन्द : कानों के बैंक में इसको किसी अन्य स्थान पर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। मैंने ऐसा ही कहा है हम कान बैंक तथा नेत्र बैंक स्थापित करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनको अन्य प्रकार से भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

अब खण्ड 7 के अन्तर्गत···(व्यवधान)

डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या कोई भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी इस कार्य को कर सकता है ?

श्री बी० शंकरानन्द : किसी कर्ण अस्थि तथा कर्ण पटह के प्रत्यारोपण का कार्य केवल एक विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है। कोई अन्य इसको नहीं कर सकता है मैं यह नहीं समझता कि कोई रोगी अथवा रोगो का कोई सम्बन्धी अपने मन में यह भय रखेगा कि कर्ण अथवा कर्ण पटह को किसी साधारण व्यक्ति द्वारा प्रत्यारोपित किया जायेगा।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : इनको निकालने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बी० शंकरानन्द : इस कार्य को एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी कर सकेगा ।

डा० वसन्त कुमार पण्डित: इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी चिकित्सक, कोई भी बी० ए० एम० एस० इस कार्य को कर सकेगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : मानव व्यवहार को ध्यान में रखते हुए में यह नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कर्ण अस्थि अथवा कर्ण पटह को निकालने की अनुमति देगा ।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : इसमें एक त्रुटि है ।

श्री बी० शंकरानन्द : दसमें कोई भी त्रुटि नही है ।

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : प्रत्येक स्थान पर नेत्र आपरेशन किये जा रहे हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : नीम.हकीमों द्वारा ।

श्री बी० शंकरानन्द : संसद सदस्य के रूप में हम हम सभी को प्रत्येक विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है । तथा यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाए । जहां तक चर्चा के दौरान संसद सदस्यों का सम्बन्ध है, मैं केवल यह कह सकता हूं कि यदि हमें यह सुविधा प्राप्त होती अथवा ईश्वर का ऐसा आर्शीवाद होता कि हम अपने कानों को आसानी से बन्द कर ले- जैसा कि हम किसी व्यक्ति को न देखने की इच्छा पर तुरन्त अपनी आंखों को बन्द कर लेते हैं । नहीं सुनते तब शायद स्थिति ही भिन्न होती । लेकिन ऐसी बात नहीं है । सुनने की प्रक्रिया हमारी बुद्धि के क्रियाशील नियंत्रण के नहीं आती है । हम अपनी आंखों को बन्द कर सकते हैं तथा देखन से उपेक्षा कर सकते हैं । लेकिन सुनने से इन्कार नही किया जा सकता और हमे सुनना पड़ता है । इस बात को ध्यान में रखकर कि मुझको उत्तर देना है । इस पर कोई अपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या भावात्मक स्पष्टीकरण है !

श्री बी० शंकरानन्द : मैं इस विधेयक की सराहना करता हूं मेरे विचार से इस विधेयक का समर्थन करने पर सदन में मत विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि मृत व्यक्तियों के कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सदन में विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा । खन्ड 2 प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड-2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड-2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री मूल चन्द डागा : आपने मेरा नाम नहीं पुकारा ह। मैंने एक संशोधन दिया है।

खण्ड-3

सभापति महोदय : आपका संशोधन खण्ड-3 में है. मन्त्री महोदय ने यही कहा है आप इसकी अनसुनी तो नहीं कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ट 2, पंक्ति 21,—

"या मौखिक रूप मे" का 'लोप कर दिया जाये। (6)

पृष्ट 2,—

पंक्ति 41 'के पश्चात' निम्नलिखित 'अन्तःस्थापित किया जाये—

"(4) जो कोई भी उपधारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई कान निकालेगा, वह तीन वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा।" (7)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : (रत्नागिरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 23-24—

"के शव का विधिपूर्वक से कब्जा रखने वाला व्यक्ति" के स्थान पर "का निकट सम्बन्धी" प्रतिस्थापित किया जाए। (18)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 28 से 35 का लोप कर दिया जाए। (19)

पृष्ठ 2, पक्ति 36,—

"(3)" के स्थान पर (2) प्रतिस्थापित किया जाए। (20)

पृष्ठ 2, पंक्ति 36,—

"यथास्थिति उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2)" के स्थान पर "उपधारा (1)" प्रतिस्थापित किया जाए। (21)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 41 के पश्चात निम्नलिखित स्थापित किया जाए।

"स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चिकित्सीय प्रयोजन" से कर्ण

पटह और कर्ण अस्थि की निःशुल्क प्राप्टिग से संबन्धित को प्रयोजन अभिप्रेत है ।" (22)

प्रो अजीत कुमार मेहता : (समस्तीपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 22,—

"किया जाये" 'के पश्चात'

"या अपने जीवन काल में ऐसे उपयोग के बारे में कम से कम कोई आपत्ति नहीं की थी" 'अन्तःस्थापित किया जाये ।, (30)

पृष्ठ 2,—

(i) पंक्ति 31,—

"रखने वाला व्यक्ति" 'के पश्चात'

"ऐसी युक्तियुक्त जांच, जो व्यवहारिक होकर लेने पर," 'अन्तःस्थापित किया जाये ।

(ii) पंक्ति 32,—

"निकट" 'के स्थान पर'

"निकटतम 'प्रतिस्थापित किया जाये' । (31)

पृष्ठ 2, पंक्ति 41,—

कि वह निष्प्राण है" 'के स्थान पर'

"कि दाता की प्रमिस्तिकीय मृत्यु हो चुकी है" 'प्रतिस्थापित किया जाये । (32)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 41 'के पश्चात' निम्नलिखित 'अन्तःस्थापित किया जाये —

"(4) दाता की मृत्यु की पुष्टि दो चिकित्सक करेंगे जिनमें से एक चिकित्सक को कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होगा । ये चिकित्सक प्रतिरोपण दल के सदस्य नहीं होंगे ।"

(5) यदि दाता को कृत्रिम श्वसन या आक्सीजन दी जा रही हो, तो संवातक को बन्द करने का निर्णय करने के लिए प्रतिरोपण की अपेक्षाओं का कोई सम्बन्ध नहीं होगा परन्तु वह निर्णय, यथास्थिति, रोगी (दाता) की क्षति या उसके रोग का उपचार करने वाले चिकित्सकों के दृष्टिकोण से पूर्णतया निष्पक्ष आधारों पर किया जायेगा और कर्ण पटह और कर्ण अस्थि के सम्भावी प्रतिरोपण के मामले पर पर दाता के नातेदारों से विचार.विमर्श केवल तभी किया जायेगा जब संचालन बन्द करने का निर्णय किया जा चुका हो ।

(6) प्रतिरोपण के लिए कर्ण पटह और कर्ण अस्थि निकालने वाले शल्य-चिकित्सक की एक ओर जिम्मेवारी यह होगी कि वह इसकी पुष्टि कर ले कि मृत्यु शल्यक्रिया आरम्भ करने से पूर्व हो चुकी है और कि यह अवधारित करने के लिए सही प्रक्रिया अपनाई गई है कि नातेदारों ने मंजूरी दे दी है और मृतक को अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति नहीं थी।

(7) जहां मृतक ने अपना कर्ण पटह और अस्थि दान करने की निश्चित इच्छा व्यक्त की हो, वहां निकट नातेदारों की घोर आपत्ति होने पर इस पर और कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।" (32)

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 3 के सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।" प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 के अधिनियम में जोड़ दिया गया।

(खण्ड 4)

सभापति महोदय : श्री परुलेकर क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : (रत्नगिरि) नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(खण्ड 5)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 14 और 15,—

"या ऐसे अस्पताल या कारागार के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जिसे उसके प्रबन्ध या नियन्त्रण के भारसाधक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है," का 'लोप कर दिया जाये'। (4)

पृष्ठ 3,पंक्ति 22 और 23,—

"परिचर्यागृह" का 'लोप कर दिया जाये,। (9)

सभापति महोदय : श्री परुलेकर क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : नहीं ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मूलचन्द डागा द्वारा पेश किए गये संशोधन सं० 8 तथा 9 को मतदान के लिए सभा में रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

(खण्ड 6)

*खण्ड-6 चिकित्सा-विधेयक या विकृति विज्ञान सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए शव परीक्षा के लिए भेजे गए शवों से कर्ण निकालने का प्राधिकार ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 25 से 30 'के स्थान पर' निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"6. जहां किसी व्यक्ति का शव,

(क) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु.दुर्घटना से या किसी अन्य अप्राकृतिक कारण से हो जाने के कारण, चिकित्साविधिपरक प्रयोजनों के लिए, या

(ख) विकृति विज्ञान सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए, शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है, वहां ऐसे से कर्ण निकाले जाने का प्राधिकार देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण है कि कर्णों की उस प्रयोजन के लिए अपेक्षा नहीं होगी, तो वह ऐसे मृत व्यक्ति के कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाला जाना प्राधिकृत कर सकेगा : परन्तु यह" । (3)

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 3,—

खण्ड 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"6. जहां किसी व्यक्ति का शव,

*सभा द्वारा स्वीकृत खण्ड 6 के संशोधन को ध्यान में रखते हुए खण्ड 6 के सामने उपान्तीय शीर्षक में आने वाले अथवा विकृति विज्ञान सम्बन्धी को अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में अन्त:स्थापित किया गया ।

(क) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से या किसी अन्य अप्राकृतिक कारण से हो जाने के कारण चिकित्साविधिपरक प्रयोजनों के लिए, या

(ख) विकृति विज्ञान सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए,

शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है वहां ऐसे शव से कर्ण निकाले जाने का प्राधिकार देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति, यदि उसे यह विश्वास का कारण है कि कर्णों की उस प्रयोजन के लिए अपेक्षा नहीं होगी, जिसके लिए ऐसा शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है, तो वह ऐसे मृत व्यक्ति के कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाला जाना प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु यदि ऐसे सक्षम प्राधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा प्राधिकार नहीं दिया था या यदि मृतक के निकट सम्बन्धी उसके कर्ण निकाले जाने पर आपत्ति करते हैं, तो ऐसा प्राधिकार नहीं दिया जाएगा" (25)

मैं माननीय मन्त्री से उनके अपने संशोधन को दोबारा पढ़ने का निवेदन करुंगा ।

इसमें कहा गया है ।

"जहां किसी व्यक्ति का शवचिकित्सा विधिपरक प्रयोजनों के लिए, या विकृति विज्ञान सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए, शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है, वहां ऐसे शव से कर्ण निकाले जाने का प्राधिकार देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण है कि कर्णों की उस प्रयोजन के लिए अपेक्षा नहीं होगी, जिसके लिए ऐसा शव शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है,तो वह ऐसे मृत व्यक्ति के कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाला जाना प्राधिकृत कर सकेगा : परन्तु यह" ।

मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया ऐसी स्थिति को देखें जहां पर कोई निकट नातेदार उस पर आपत्ति करता है क्योंकि यह मामला ऐसा है जहां तक मृतक की सहमति नहीं ली गयी है । आप उस मामले पर विचार भी नही कर रहे जहांउसने मना किया है । अत: आपने यह प्राधिकार हस्पताल केप्रभारी को दे दिया है जो शव परीक्षा कर रहा है·····

श्री बी० शंकरानन्द : कृपया खण्ड को पढिये । प्राधिकार उस व्यक्ति को दिया गया है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम है । यह अधिनियम उस व्यक्ति को प्राधिकार नहीं देता है जो शव-परीक्षा कर रहा है ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : यहां एक ऐसा मामला है जहां पर मृतक ने अपनी इच्छा या अनिच्छा नहीं दी है। अत: आप निकट नातेदार की आपत्ति के बावजूद भी इसका प्राधिकार सक्षम प्राधिकारी को देते हैं जो कोई भी वह हो । क्या यह उचित है ?

श्री बी० शंकरानन्द: वह व्यक्ति जो प्राधिकार देने के लिए सक्षम है स्वयं निकट नाते दार ही है।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभापति महोदय आप भी माननीय मन्त्री को समझाने का प्रयत्न करें 'निकट सम्बन्धी' शब्द का प्रयोग करने में क्या हानि है ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मुझे नहीं मालूम कि आपने मेरे सशोधन पर बिचार किया या नहीं

श्री बी० शंकरानन्द : आप कृपा विधेयक को पढें। यदि आपने जीवन काल में किसी व्यक्ति ने अपनी सहमति नहीं दी है तो फिर भी कोई निकट सम्बन्धी सहमति दे सकता है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री शंकरानन्द द्वारा पेश किए गये संशोधन संख्या 3 को मत-दान के लिए सभा में रखता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 25 से 30 'के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जाए—

"6. जहां किसी व्यक्ति का शव,

(क) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से या किसी अन्य अप्राकृतिक कारण से से हो जाने के कारण चिकित्सा विधिपरक प्रयोलनो के लिए, या

(ख) विकृति विज्ञान सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए, शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है, वहां ऐसे शब से कर्ण निकाले जाने का प्राधिकार देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति, यदि उसे यह बिश्वास करने का कारण है कि कर्णों की उस प्रयोजन के लिए अपेक्षा नहीं होगी, जिसके लिए ऐसा शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है ,तो वह ऐसे मत व्यक्ति के कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाला जाना प्राधिकृत कर सकेगा : परन्तु यह"। (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं श्री परुलेकर द्वारा पेश किए गये संशोधन संख्या 25 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 संशोधन रुप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 6, संशोधित रूप में बिधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 से 9 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(खण्ठ 1)

श्री बी० शंकरानन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं

पंक्ति 1, पंक्ति 4,—

"1980" 'के स्थान पर' "1982" 'प्रतिस्थापित। (2)

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,—

"सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र" 'के स्थान पर'

"जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत'

'प्रतिस्थापित किया जाये'। (4)

पृष्ठ 1' पंक्ति 6,—

"प्रशासक" 'के स्थान पर'

"केन्द्रीय सरकार" प्रतिस्थापन किया जाये। (5)

प्रो० अजीत कुमार मेहता : (पुरुलिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5,—

"दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" 'के स्थान पर'

"भारत" प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"प्रशासक" 'के स्थान पर'

"यथास्थिति, प्रशासक या जिला मजिस्ट्रेट" प्रतिस्थापित किया जाये। (27)

सभापति महोदय : अब मैं श्री बी० शकरानन्द द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 2- को मतदान के लिए सभा में रखता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1 पंक्ति 4—

"2980" के स्थान पर '1982' प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब में खण्ड 1 में अन्य सभी संशोधनों को मतदान के लिए सभा रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया —

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"इकतीसवें" 'के स्थान पर' "तेतीसवें 'प्रतिस्थापित किया जाये । (1) सूत्र ।

(श्री बी० शंकरानन्द)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में. विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में,विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया है ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई दक्षिण पूर्व) : महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री जेलसिंह राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं । सत्ता धारी दल को मिठाई बांटनी चाहिए ।

सभापति महोदय : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सभी को मालूम है कि डा० स्वामी को विशेष रात्रि भोजन मिलेगा ।

———

चिट फंड विधेयक

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चिट फंड के विनियमय और उससे संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में विचार किया जाये ।"

इस विधेयक में चिट फंड के विनियमन तथा उससे संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने का प्रयास किया गया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि पुरस्कार चिट तथा मुद्रा परिचालन स्कीम (प्रतिबन्ध) विधेयक संसद द्वारा 1978 में पारित किया गया था। अधिनियम पुरस्कार चिटों पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बन्धित था जबकि वर्तमान विधेयक द्वारा चिटों को गतिविधियों का विनिमय करने का प्रस्ताव किया गया है जिन्हें पारम्परिक चिट' के नाम से जाना जाता है

यह विधेयक सभा में 20 नवम्बर 1980 को पुनःस्थापित किया गया था और 23 दिसम्बर 1980 को लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 25 नवम्बर 1981 को प्रस्तुत की है। समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक अब सभा के विचार हेतु प्रस्तुत है।

इन दो प्रकार की चिटों के अन्तर को स्पष्ट करना संगत होगा। "पुरस्कार चिट' का कार्य तरीका यह है कि उत्प्रेरक या तो एक मुश्त या मासिक किश्तों में चन्दा एकत्र करता है। टिकट वाले सदस्यों को आवंटित की गयी संख्याओं को आवधिक रूप से ड्रा निकाले जाते हैं तथा निकलने वाले टिकटों वाले सदस्यों को नकदी में या वस्तुओं जैसे कार स्कुटर आदि के रुप में पुरस्कार को जीतने वालों की स्कीम के अन्त तक चन्दा देने की आवश्यकता नहीं होती है।

वितरित की गई राशि भी प्रवर्तक द्वारा एकत्रित की गई कुल राशि से बहुत कम होती है। इन पुरस्कार चिटों का लाभ मुख्यतः प्रवर्त्तकों को ही होता है और ये किसी लाभकारी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते इसके विपरीत, लोकहित के लिए हानिकर होने के कारण, ये वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी नीति पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसीलिए इन पुरस्कार चिटों अथवा मुद्रा परिचालन सम्बन्धी योजनाओं के संचालन पर, लोग हित को देखते हुए, संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

'परम्परागत चिट, एक पुरानी देशी वित्तीय संस्था है जिसमें व्यक्तियों के एक दल द्वारा नियमित रूप से नियतकालिक अंशदान किया जाता है कानून के अनुसार यह अंशदाताओं का एक विशिष्ठ संख्या तथा प्रधान के बीच समझौता है जिसमें यह शर्त रखी गई है कि अंशदाता को कतिपय निश्चित रकम सामयिक किश्तों में एक निश्चित अवधि तक प्रधान को देनी होगी। ड्रा अथवा नीलामी अथवा ऐसे ही किसी अन्य तरीके के आधार पर प्रत्येक अंशदाता पुरस्कार की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। जितने सदस्य होंगे उतनी ही सामायिक के किश्तें होगी उसके बाद पुरस्कार विजेता आगे पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा यद्यपि उसे नियमित रूप से चिटों की निश्चित अवधि तक निश्चत किश्तें अदा करनी पड़ेगी चूंकि प्रत्येक चिट फंड के थोड़े से अंशदाताओं के बीच पारस्परिक हित बद्धता होगी है इसलिए इससे तथा ऋणों की सुविधाजनक व्यवस्था होती है।

चिट फंड प्रधानों द्वारा इसका दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है जो अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीकों का आश्रय ले सकते हैं। ये अनुचित तरीके हैं फर्जी सदस्यों का पंजीकरण पुरस्कार राशि के वितरण में देरी, जमानत स्वीकार न करना आदि।

बैंकिंग आयोग (1972) ने अन्य बातों के साथ यह सुझाव दिया था कि पूरे देश पर

लागू होने वाला एक समान चिट कानून बनाया जाना चाहिए अतः या तो अखिल भारतीय अधिनियम बनाया जाना चाहिए अथवा एक ऐसा आदर्श कानून बनाया जाए जिसे सभी राज्य अपनाएं रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा 1974 में गठित राज्य अध्ययन दल की सिफारिशों के प्रकाश में मामले की सावधानी पूर्वक जाँच की गई अध्ययन दल की यह समम्त राय थी कि विधेयक एक केन्द्रीय कानून के रूप बनाया जाना चाहिए तथा कानून का परिपालन सम्बन्धित राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए । जो कि नीति सम्बन्धी मामलों पर रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से सुझाव और उसकी सहायता प्राप्त कर सकें ।

सदन के समक्ष इस समय जिस विधेयक पर बिचार किया जा रहा है उसमें राज्य अध्ययन दल द्वारा व्यक्त विचारों ओर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य अध्ययन दल द्वारा की टिप्पणिया जिसके लिए यह इन्हें परिचालित किया गया था तथा समय-समय पर सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों में उल्लिखित मुद्दों पर भी विचार किया गया है प्रवर समिति को विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए, ज्ञापनों और शिफारिशों को ध्यान में रखते हुए,प्रवर समिति ने विधेयक में कुछ परिवर्तन किए हैं सभा के सक्षम प्रस्तुत विधेयक में प्रवर समिति द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया गया है ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन विधेयक में दिए गए कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपबन्धों का उल्लेख करना चाहूंगा ?

वे इस प्रकार हैं :

(1) चिट आरम्भ करने सेपूर्व संबंधित राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना तथा चिट पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा ।

(2) चिट कारोबार चलाने वाले किसी व्यक्ति के लिए अपने नाम के भाग के रूप में "चिट" 'चिट फंड, चिट्टी अथवा कुरी शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग करना आवश्यक होगा । इन शर्तों को पूरा करने के लिए समबद्ध दलों को कम से कम एक बर्ष का समय देने का प्रस्ताव है ।

(3) कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित चिट फंड कम्पनी चाहे वह सरकारी हो अथवा निजी की न्यूनतम चुकता पूजी 1 लाख रुपए होगी । जिन कम्पनियों की चुकता पूंजी यह अधिनियम लागू होने की तिथी के समय 1 लाख रूपए से कम होगी, उन्हेंअपनी चुकता पूंजी के उपर्युक्त न्यूनतम स्तर तक बढाने के लिए 3 वर्ष तक का समय दिया जायेगा ।

(4) चिटों की समग्र चिट राशि की अधिकतम सीमा की गयी है जिसे किसी भी समय चिट संस्थानों द्वारा संचालित किया जा सकता है

(5) चिट के उचित संचालन के लिए, प्रत्येक प्रधान को सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए आवेदन करने से पूर्व, प्रतिभूति नकद रुप में अथवा सरकारी या अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में जमा करनी होगी ।

(6) आम तौर पर चिट की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । यह निष्टि करने का प्रस्ताव है कि छूट की राशि चिट राशि के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(7) चिर चलाने वाली प्रत्येक कम्पनी एक आरक्षित विधि बनायेगी अपने शेयरों पर कोई लाभांश घोषित करने से पूर्व इस आरक्षित निधि अपने शुद्ध काम का 10 प्रतिशत से अन्यून राशि अन्तरित करेगी ।

(8) चिट कारोबार चलाने वाली कोई भी कम्पनी राज्य सरकार को सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना किसी अन्य प्रकार का व्यापार नहीं चलाएगी ।

(9) चिट फंड संस्थान अपनी फालतू राशि का उपयोग केवल गैर-इनामी व्यक्तियों चिट व्यापार चलाने, ऋण अथवा अग्रिम राशि देने, व्यासी प्रतिभूतियों में पूंजी निवेश करके अथवा मान्य बैंकों में धनराशि जमा कराना, के लिए ही करेंगे ।

(10) चिट फड संस्थानों को नया करोवार खोलने के लिए चिटों के रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है जिसके अधिकार क्षेत्र में, उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है ।

(11) यह उपबन्ध किया गया है कि प्रधान तथा चिट से सम्बन्धित सभी अभिदाताओं की लिखित सहमति के बिना चिट करार में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा उसे रद्द नही किया जाएगा ।

प्रधान की किसी कठिनाई को दूर करने के लिए विधेयक में प्रधान को यह अनुमति दिये जाने की व्यवस्था की गई है कि यदि इनामी अभिदाता द्वारा इनाम निकालने को तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर इनाम की राशि न ली जाये तो वह दूसरा ड्रा निकाल सकता है ।

(13) विधेयक में प्रधान तथा अभिदाता के बीच चिट व्यापार सम्बन्धी होने वाले झगड़ों को निपटाने के लिए एक अपने आपमें पूर्णएक तंत्र की भी व्यवस्था की गई है ।

(14) विधेयक में, विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत किए गए अपराधों के लिए कतिपय दंड की भी व्यवस्था है । दूसरे प्रधान द्वारा किए गए दूसरे तथा उत्तर-वर्ती अपराध के लिए भी उपर्युक्त दंड की व्यवस्था की गई है ।

(15) प्रस्तावित कानून का भावी प्रभाव होगा तथा उसका प्रशासन संबंधित राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र करेंगे । अधिनियम लागू करने होने से पूर्व शुरु की गई चिटें इसके उपबन्धों के अधीन नहीं आयंगी ।

(16) सरकार को आशा है कि प्रवर समिति ने जिस रूप में विधेयक को लागू करने की सिफारिश की है उससे परम्परागत चिट फंडों को स्वस्थ एवं उचित तरीकों से ही चलाया जा सकेगा और उनके संचालकों द्वारा कम से कम भ्रष्टाचार किया

जा सकेगा। जिससे पैसा लगाने वाले अभिदाताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

"कि चिट फंड के विनियमन और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए।"

श्री कृष्ण कुमार गोयल यहां नहीं हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : स्वयं मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि इस तरह के व्यापार में कई गलत तरीके अपनाये जाते हैं जिनका विनियमन इस विधेयक द्वारा करने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह कानून दिखावटी है। देश तथा भोले भाले लोगों को तंग किया जा रहा है।

यह विधेयक केवल इन गैर-बैंकिंग और गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों को लोगों को इनाम का प्रलोभन देकर उनकी आंखों में धुल झोंकने के लिए और प्रोत्साहत करेगा। सीधे-लोग बदकिस्मत ही रहेंगे तथा इस तरह की गतिविधियों के जाल में फंसते रहेंगे और उनकी रक्षा करना बहुत कठिन है।

ये चिट फंड केवल बेईमान लोगों द्वारा काला धन निवेश करने के संस्थान है तथा इससे होने वाले लाभ को गैर उत्पादक प्रयोजनों में लगाने के माध्यम है जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीरता से प्रभाव पड़ता है। ये सौदे बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। यह देखा गया है कि इन सोदों का देश की अर्थ-व्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और देश के हित के लिए शीघ्र ही इन सस्थानों द्वारा किए जा रहे इन सौदों को समाप्त करना होगा।

प्रश्न है कि, यदि कोई बुराई है, तो क्या हमें उसे समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा इसे विनियमित करने के नाम पर कोई कानून बनाना चाहिए। यदि कानून परिचालन का उचित तरीका नहीं होता है तो उनके अधीन कानून सुरक्षा के नाम पर इस तरह की गति-विधियों होती रहेंगीं जिनका देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि हम ऐसा महसूस करते है कि इसके विनियमन केवल अव्यवस्था ही होगी। अन्य बहुत सी बातों के अलावा, सरकार को प्रशासनिक तथा राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए कि वह इसे गभीरता से देखे तथा इन बेईमान सस्थाओं तथा इनके द्वारा किए जा रहे सौदों को प्रभावशाली ढंग से विनियमित करे।

हम सबको तथा स्वयं सरकार को यह जानकारी है कि यहां काला धन, समानान्तर अर्थ-व्यवस्था है तथा धारक बांड को इसी आधार पर जारी करने का औचित्य है कि आप देश में काले धन पर नियन्त्रण नहीं कर सकते और हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि काले धन का कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में आ सके। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम उस धन पर नियंत्रण कर पाऐंगे। और यदि हम देश में इसी तरह की संस्थाओं को पनपते रहने की अनुमति देते हैं तो इसका अर्थ है कि हम काले धन के प्रयोग को और अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा

आरोप यह है कि सरकार काले धन पर नियन्त्रण करने और उसे समाप्त करने की वजाय उन्हें चिट फंडों और गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जा रहे सौदों को प्रोत्साहन दे रही है जो इस देश में काले धन की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं।

महोदय, मन्त्री महोदय ने स्वयं बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। 1972 में इन वित्तीय संस्थानों के कार्यों की, जिनमें चिट फंड भी शामिल थे, बारीकी से जांच की गई थी। वे दक्षिण भारत तथा देश के कुछ अन्य भागों में बहुत प्रमुख है जहां लोग इस तरह की संस्थानों से आकर्षित हो रहे हैं। इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मैं बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहा हूं। उसमें कहा गया है :—

"बेईमान प्रधान अवैध रूप से आय अर्जित करने के लिए कुछ अनुचित तरीकों का आश्रय लेते हैं।"

मेरे पास समय नहीं है और इसीलिए मैं कुछ संगत उद्धृत पढ़ रहा हूं वे पैरा संख्या 17.38, 1739, तथा 17,41 में हैं।

"पूर्व पैराग्राफ में चिट फड की बेईमानियों के उदाहरण से पता चलता है कि चिट फंड के अभिदाता को क्या जोखिम उठाना पड़ता है..."

"वास्तव में ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिनमें प्रधान तथा उसके साथी बहुत बड़ी राशि एकत्र करने के बाद गायब हो गए हैं।"

जब आप विधेयक का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में इस विधेयक में किसी की रक्षा नहीं गई है।

अब मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा और मुझे विश्वास है कि वह पहली बार विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं ; कि वह बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान पूर्वक पढ़े। पैरा 17.41 में कहा गया है ;

"ऐसा प्रतीत होता है कि पुरस्कार राशि का उत्पादन उपयोग कम होने का संभावना है...सामान्यत: चिट फंड के पुरस्कार विजेता के लिए ब्याज की दर इतनी अधिक होती है कि उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकतर पुरस्कर राशि का उपयोग उपभोग अथवा सहे के उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। यह भी सम्भव है कि कुछ लोग चिट फंड में दुर्लभ वस्तुओं को जमा करने के उद्देश्य से भारी कटौती अधिक ब्याज दर देने के लिए तैयार होते हैं।"

आगे पैरा 17.42 में कहा गया है।

"उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होगा कि चिट फंड बचत संस्थान अपने सभी बचतकर्त्ताओं के लिए उतनी अच्छी योजनाएं प्रस्तुत नहीं करते जैसी कमर्शियल बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। ना ही चिट फंड अर्थ-व्यवस्था में उत्पादक उद्यमों के लिए प्रत्यक्षत: ऋण देते हैं।"

ये मेरे निष्कर्ष नहीं हैं। मैं एक बैंकिंग आयोग है जो एक विशेषज्ञ समिति है की रिपोर्ट से यह पढ़ रहा हूं।

पुन: पैरा 17.48 में कहा गया है। "आयोग का विचार है कि रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गए संरक्षणों के अध्यधीन उचित चलाना वाणिज्यिक बैंकों के लिए चिट फंड चलाना लाभकारी होगा ? ये कुछ निष्कर्ष हैं जो मैंने पढ़े हैं। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि बैंकिंग उपयोग ने तथाकथित वित्तीय बचत योजनाओं को गम्भीर माना है। कुछ समय से अनेक प्रकार के चिट फंड योजनायें शुरु हुई जिन्हें वे अपनी इच्छा के अनुसार चलाते थे। अतिरिक्त पैसे की आश्य रखने वाले लोग इस प्रकार की योजनाओं के शिकार बनते रहे।

1978 के अधिनियम ने जिसका मंत्री महोदय ने जिक्र किया है, उन चिटों पर पाबंदी लगायी है जिन्हें इनामी चिट घोषित किया गया है जहां इनामी चिटों के सभी ग्राहकों को लाभ नहीं मिलता है। कुछ को मिलता है। कुछ को नहीं। उसने उस योजना पर भी पाबंदी लगा दी है जिसे लाटरी के रूप में धन परिचालन योजना कहा गया है। इन पर पूर्णत: पाबंदी लगा दी गयी है। लेकिन राज्य सरकार के प्रयत्नों को कैसे धक्का लग रहा है। मैं तुरन्त उसकी चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आप 'चिट फंड' की बात कर रहे हैं फिर आप 'चिट फंड' पर आयेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 'चीट' कहना यहां अधिक उचित है।

अब 1978 के अधिनियम से क्या बचा था, विशेषकर परम्परागत चिटें। उन्हें विनयमित किया जाना है। 1972 के बैंकिंग आयोग के बाद डा० जेम्स राज की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन किया गया था। उन्होंने विशेषतौर पर इस पर विचार किया और ईनामी चिटों तथा धन परिचालन योजनाओं पर पूरी पाबंदी लगाने की सिफारिश की लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी समय परम्परागत चिटों, उनके संगठनों में अत्यधिक बृद्धि होने के कारण उस समय तक उन्हें उखाड़ फैंकना कठिन हो जायेगा जब तक बैंकिंग प्रणाली तथा बैंक ऐसी योजनाओं को अपने हाथ में नहीं ले लेगा और जब आप ऐसा नहीं करते तब तक आप लोगों की ऐसी योजनाओं में राशि लगाने की कोशिश की प्रवत्ति को रोक नहीं सकते। अत: आप के पास एक सख्त विनियमित करने वाला नियन्त्रण होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि सरकार को इन परम्परागत चिटों पर तथाकथित विनियामक नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाने में कई वर्ष लगे हैं। विधेयक में 87 खंड हैं। इसे प्रवर समिति को भेजा जाना था प्रवर समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। लेकिन हमारा अनुभव यह है कि आप इन संगटनों को नियन्त्रित नहीं कर सकते। आप उनकी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप देखें कि ढांचा कहां है, मशीनरी कहां है, तो आपको इनका पता नहीं चल सकेगा। इसलिये जितनी जल्दी इन संगठनों को समाप्त किया जायेगा उतनी ही अच्छी बात देश के लिये होगी।

अब हमारे पास राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। राष्ट्रीकृत बैंकों के अधीन जो पूंजीनिवेशकों की धन राशि की रक्षा करेंगे, ऐसी किस्म की ऐसी योजनायें शुरू की जा सकती है जो लोगों के लिये आकर्षक हों, जो पूंजीनिवेशकों की राशि की रक्षा करेगी और राष्ट्रीकृत बैंकों तथा इस देश के बैंकिंग क्षेत्र को भी लाभ पहुंचायेगी। उन्हें ऐसी योजनायें बनानी चाहिये।

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस कानून, इस प्रस्तावित विधेयक में सभी बैंकों को चिटों का काम करने के लिये शामिल नहीं किया गया है और इसीलिये मैंने यह संशोधन दिया है कि न केवल उन्हें शामिल किया जाये बल्कि केवल बैंकों को ही इस परम्परागत चिट कार्य कार्य को करने दिया जाये। आप जिसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं ? यदि हम पूंजी-निवेशकों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा राष्ट्रीकृत बैंक ही सर्वोत्तम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं।

इस कम्पनी के प्रबन्धकों अथवा फोरमनों अथवा आयोजकों की रक्षा के लिये हमें ये विनियम नहीं बनाने चाहिये। हमें इस विधेयक को नहीं लाना चाहिये, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है। उनकी यहां समर्थक है। यह बहुत शक्तिशाली क्षेत्र है। ये इन अधिकारियों को असीम संसाधनों के साथ कई बार खरीद सकते हैं।

अत: आप इसे प्रभावशाली ढंग से विनियमित नहीं कर सकते। हमें आशंका है कि विनियम प्रभावशाली नहीं होगा।

मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक संचिवता इनवेस्टमेंट नाम की एक संस्था है। 1975 में यह पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। आप इसे जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि डा० स्वामी इस संस्था के लाभग्राही रहे हैं। इनकी गतिविधियां इतनी अविश्वसनीय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसका विरोध करना चाहिए।

डा० सुब्रण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : यदि मार्क्सवादी मुझे अविश्वासनीय कहते है तो मैं इसे अपनी प्रशन्सा समझता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह सरकारी मान्यता की आशा रख रहे हैं। इसके लिये गैर-सरकारी मान्यता तो है ही इस संचिता संस्था को तीन व्यक्तियों ने भागीदारी के आधार पर 1975 में 7000 रुपये की राशि के साथ शुरू किया गया था। जब ईनामी चिट तथा मुद्रा परिचालन अधिनियम 1970 में इसके पास होने के दो साल बाद प्रभावशाली ढंग से लागू हुआ तो पश्चिम बंगाल सरकार कार्यान्वियन करने वाली एजेन्सी थी। सारी राज्य सरकारें कार्यान्वियन ऐजेन्सियां है। यह मुद्रा परिचालन योजना के अन्तर्गत आयी, जिस पर पाबन्दी लगायी गयी तथा कार्यवाही की गयी। कुछ गिरफ्तारियां भी की गयी। इन भागीदारों के घरों से बिना लाइसेन्स की बन्दूक सहित लगभग 52 लाख रुपये नकद पाया गया तथा जब्त किया गया मामला अन्तत: उच्च तम न्यायालय में आया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुद्रा परिचालन योजना की परि-

भाषा को ध्यान में रखते हुये, यह संख्या मुद्रा परिचालन योजना के अन्तर्गत नहीं आती। लेकिन उच्चतम न्यायालय को क्या कहना है ? आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में ऐसा कहा है :

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपके पिछले बजट भाषण के बाद है। आपने अन्य प्रश्नों की चर्चा अपने बजट भाषण में कर दी है। इसका जिक्र आपने नहीं किया है :

श्री सोमनाथ चटर्जी :

"1 सितम्बर, 1980 को फर्म के कार्यालय की तलाशी के फलस्वरूप एक चकित करने वाली बात प्रकाश में आयी :

फर्म ने 73,51, 23,500 रुपये जमा खाते में रखे थे।"

7000 रुपये की पूंजी से।

यह तो इसका अंश मात्र है। ये निक्षेप फर्म को देश के सभी भागों से प्राप्त हुये थे। इसके कार्यालय कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास तथा हैदराबाद में हैं।

"प्रतीत होता है कि यह राशि फर्म ने समुद्र पार ग्राहकों से भी प्राप्त की थी। न्यायालय के अन्तरिम आदेश का पालन करके राज्य के अधिकारियों द्वारा संग्रहित आंकड़ों से सिद्ध होता है कि जिन लोगों में से प्रत्येक ने 10,000 रुपये अथवा कम राशि जमा की, वह राशि कुल मिलाकर 11,49, 40,950 रुपये बनती है।

"अपकार अवे टून नामक" नकली नाम के खाते से दस्तावेजों से सिद्ध होता है कि उस नाम के कथित व्यक्ति का परिचय फर्म के भागीदारी शम्भु प्रणव मुखर्जी ने कलकत्ता स्थित सिंडीकेट बैंक की गरियाहाट ब्रांच से करवाया था। खाता सम्बन्ध पास बुक (चालू खाता संख्या 210) से सिद्ध होता है कि खाता नकद 28 लाख रुपये जमा करके खोला गया था। 7 दिसम्बर, 1980 तक उस खाते में कुल 27,97,86000 रुपये की राशि जमा की गयी थी और सारी राशि नकदी में जमा की गयी। ऐसी नकदी जमाराशि कभी-कभी एक ही समय में 50 से 80 लाख रुपये तक भी होती थी। लगभग 28 करोड़ रुपये की राशि 11 नवम्बर, 1980 के बाद धीरे-धीरे निकाली गयी।"

इसके बाद कुछ और भी बातों का जिक्र किया गया है। फिर यह कहा गया :

"इन तथ्यों से संदेहजनक स्थिति का पता चलता है।"

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा है :

"7000 रुपये की आंशिक पूंजी से पांच वर्षों के अन्दर करोड़ों रुपये की संपत्ति बनायी गयी। फर्म ने जाली नाम से जो बैंक खाता खोला था, उसमें 28 करोड़ रुपये थे जिसे एफ० आई० आर० दायर करने से पहले एक सप्ताह के अन्दर निकाला

गया। जमाकर्ता के 48 प्रतिशत प्रतिवर्ष के अविश्वसनीय दर पर ब्याज दिया रहा जाता।"

रिकार्ड में 12 प्रतिशत दिखाया गया लेकिन वे 48 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देते रहे।

"फर्म का कोई प्रत्यक्ष आय का स्रोत नहीं था जिसमें से इतनी अधिक राशि अदा की जा सकती थी और इसकी लेखा पुस्तकों, जिन्हें इसके मुख्य कार्यालय से जब्त किया गया था से इसकी आय तथा परिसंपत्तियों का कोई पता चलता है फर्म के भागीदार रातों-रात करोड़पति बन गये। 1975 में उनके ऐजेन्ट जो क्लर्क या केमिस्ट हुआ करते थे। आज इतनी संपति के मालिक हैं जिससे एक राजकुमार भी शर्मिन्दा होता है। 'रंक से राजा' कहावत जल्दी और आसानी से समृद्धि प्राप्त करने की इस कहानी पर चरितार्थ होती है। इस बात का कोई भी प्रश्न नहीं है कि यह अपार संपत्ति फर्म ने कालाधन पैदा करके तथा परिचालित करके बनायी है। सिस्सदेह फर्म के पक्ष में बोलते हुये श्री अशोक सेन ठीक ही..."

माननीय सदस्य श्री अशोक सेन ने फर्म के पक्ष में वकालत की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : एक अभिवक्ता के रूप में।

श्री सोमनाथ चटर्जी :

"निस्संदेह, फर्म के पक्ष में वकालत करते हुये श्री अशोक सेन ने हमें ठीक ही कहा है कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ब्याज की एक बड़ी राशि बेहिसाब धन में से दी जा रही थी..."

निश्चय ही बेहिसाब धन।

"इन परिस्थितियों में यद्यपि, एफ० आई० आर० के आधार पर सारी जांच करने के सिवाय कोई विकल्प नजर नहीं आता। अधिनियम की धारा 4 के अधीन इसका कोई अपराध प्रकट नहीं किया, इसलिये मैं अशोक सेन की यह धारणा स्वीकार करने में असमथ हूं कि जांच के दौरान अब तक किये गये सभी दस्तावेज, किताबें कागजात तथा नकदी राशि तुरन्त फर्म तथा इसके भागीदारों को वापिस की जाये। प्रतीत होता है कि फर्म आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। जैस कि इस किस्म की किसी भी योजना का ऐसी परिस्थिति में पहुंचना स्वाभाविक हो है। जिस ढंग से फर्म ने अपने लेखे खोले तथा काम चलाये, उन्हें ध्यान में रखते हुये मुझे इस बात में कोई संदेश नहीं कि वे बहुत सी राशि को छिपा लेगी तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट कर देगी यदि ये सब दस्तावेज इन्हें वापिस किये जायेंगे। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को यह देखने का प्रर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये कि क्या कानून के अनुसार फर्म के कार्य की जांच करवायी जा सकती है तथा साथ-साथ इसके कार्यों को विनियमित किया जा सकता

है। मैं समझता हूं कि यह कदम अनगिनत छोटे जमकर्ताओं के हित में होगी जो अपना जीवनकाल की बचत से वंचित होकर बर्बाद हो जायेंगे। काले धन वाले बड़े बड़े लोग नुकसान सह सकते हैं लेकिन छोटे लोगों को राज्य का संरक्षण प्राप्त होना चाहिये, जिसे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि छोटे जमाकर्ताओं को यथाशीघ्र धन्य ब्याज के साथ उनकी जमाराशि की अदायगी की जाये।''

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस तरह की बातें बंगाल में हर समय होती हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल बंगाल में ही नहीं। यदि ये विकृत आनन्द लेना चाहते हैं, तो लें, मुझे मंजूर है। यह एक विकृत है। इसके लिए मैं इनकी ओर ध्यानन हीं देता। (व्यवधान)।

स्थिति उस समय से खराब है। भूतपूर्व वित्तमन्त्री मुझसे सहमत होंगे कि संविधान के अन्तंगत राज्य सरकार के पास कोई भी विधायी शक्तियां नहीं हैं ···

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल जारी रख सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं केवल दो मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राज्य सरकार ने विश्वास भंग होने के कारण धारा 420, 406 तथा 408 के अधीन गिरफ्तारियां की हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय के एक निषेधाज्ञा जारी की है। हम बार-बार अनुरोध करते आये हैं, हमारे भूतपूर्व वित्तमन्त्री श्री अशोक मित्र बार-बार केन्द्र से कुछ कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करते आये हैं। रिजर्व बैंक कहता है, हमारा इस फर्म पर कोई नियन्त्रण नहीं है क्योंकि पूंजी। लाख रुपये से कम है ···

उपाध्यक्ष महोदय : एक व्यक्ति के नाते आप केन्द्रीय सरकार के क्या सुझाव देते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने तुरन्त ही केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है···

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ कानूनी राय दीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आयकर अधिकारी इन लोगों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नही लेना चाहता। इस मामले में वकालत करने वाले वकील ने आपसे कहा है, मैं जानता हूं कि आयकर विभाग कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है कारण यह है कि आयकर अधिकारी ने पूंजी निवेश किया है। उन्होंने कहा, रिजर्व बैंक क्यों कार्यवाही नहीं कर रहा है ?

मैंने यह कहा है कि संभवत: रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा भी पूंजी निवेश किया है। मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि कटु आलोचना किये जाने पर भी वे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे 4 से 5 महीने समाप्त हो चुके हैं। अत: कृपया इस पर कार्यवाही करें। वित्त मन्त्रालय में माननीय उप मन्त्री भी यहां मौजूद हैं। शायद उन्हें काम चलाने के लिए यहां लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि वह कागजातों, पत्र-व्यवहार तथा फाइलों का अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे

कि राज्य सरकार द्वारा कितनी बार यह अनुरोध किया गया है कि आप इस सबन्ध में कुछ करें। राज्य सरकार ने एक जाँच आयोग का गठन करने अथवा कुछ विनियमों के अन्तर्गत काले धन को पकड़ने के लिए प्रयत्न करने का अनुरोध किया है लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।

अतः वर्तमान विनायक विधेयक जैसे विधेयक में मुझे कोई विश्वास नहीं है। आपको इस प्रकार के कुकुमटमुत्त संगठनों की पूर्णत समाप्त कर देना चाहिये। इससे देश, साधारण व्यक्ति तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं हो सकता। वे किसी विशेष सामाजिक दायित्व को पूरा नहीं करते है। इसका उद्देश्य केवल कुछ वर्ग के लोगों के काले धन को उपयोग करना है। अत: कृपया आप मेरे संशोधन को स्वीकार कीजिये तथा इस प्रकार के व्यापार को समाप्त कीजिये। इस प्रकार के व्यापारों को राष्ट्रीकृत बैंकों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायक कम्पनियों अथवा ऐसे वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से होने दीजिये, जिनको कि राष्ट्रीयकृत बैंको के द्वारा गठित किया जा सकता है यदि इसी प्रकार से व्यापार में पूंजो निवेश करने की लोगों की प्रवृत्ति है तो इसको सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से होने दीजिये

अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा मैं यह आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे तथा सदन द्वारा भी इस पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा— यह एक गैर विवादास्पद विषय होना चाहिए—इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा साधारण छोटे जमाकर्त्ताओं का संरक्षण होगा। अत: मैं सम्पूर्ण सदन से यह अनुरोध करता हूं कि कृपया इस विषय पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करें। पिछले अनुभव से हमें यह पता चलता है कि इस प्रकार के नियम केवल पत्र पर ही नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध लगाते हैं, तथा इनको उचित ढ़ग से कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया है अत: इससे लोगों को तथा अधिक व्यवस्था को हानि होती रहेगी तथा काला धन बढ़ता रहेगा, जिसके हम सभी खिलाफ हैं। धन्यवाद।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम): क्या एक सदस्य एक सवसम्मत पर आपत्ति उठा सकता है?

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैंने अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है। क्या मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर सकता?

महिलाओं पर किये गये बलात्कार तथा अत्याचारों, जिनमें दहेज के कारण होने वाली मृत्यु भी शामिल हैं की घटनाओं के बारे में चर्चा

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, आज फिर एक बार सदन में एक बहुत गंभीर और दर्दनाक बातों के बारे में हम बहस करने जा रहे हैं। मैं कल आठ

महिलाओं को लेकर प्रधान मंत्री जी से मिली थी । वे महलियें रो रही थी आंसू बहा रही थी । मुझे नहीं लगता है कि उन आठ महिलाओं ने अपने-आंसू बहाए थे, वे आँसू थे इस देश की महिलाओं की हालत को देखकर । उनको दर्द था, वह दर्द सिर्फ उनके लिए नहीं था, वह दर्द सारे देश की प्रीड़ित महिलाओं के लिए था जिन पर रोज अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस के जरिए बलात्कार हो रहे हैं । उनको देखकर मुझे भी दुःख हुआ और मुझे महसूस हुआ कि मैं भी आंसू बहाऊ और आपके सामने रोऊ, लेकिन रोने से कुछ नहीं बनेगा । प्रधान मन्त्री जी से जब मैं मिली, तो पहली बार मेरा अनुभव है, उन्होंने कहा कि मैं कुछ करूगी, क्योंकि उसी दिन अखबार में उन महिलाओं का फोटों आया था । उन्होंने क्या कहा ? उन्होंने कहा कि मैं जरूर इसमें कुछ करूंगी, यह बहुत खतरनाक बात है । लेकिन उन्होंने क्या किया ? ता० 14 को यानी कल वहाँ के जो डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० हैं उनका ट्रांसफर कर दिया । ट्रांसफर करना बहुत बड़ी सजा हो गई । मेरा यह अनुभव रहा है कि इस सरकार में पुलिस अफसर का ट्रांसफर कर देना बहुत बड़ी सजा है । माया त्यागी के मामले में तो पुलिस अफसर का ट्रांसफर भी नहीं किया था । डबावली केस में ट्रांसफर कर दिया था ।

मैं इस समय आप के सामने इन महिलाओं के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं । इन महिलाओं के साथ**

इन तीन जवानों के कैसा व्यवहार किया, उसकी कहानी आपको सुनानी चाहिये । आज इस प्रकार का वातावरण गांव में फैला हुआ है कि इन महिलाओं के लिये वहां से आते समय बड़ा खतरा था, लेकिन फिर भी आठ महिलायें यहां आई । 50 साल की आयु से 25 साल की आयु तक की ऐसी अनेक बहनें हैं जिनके साथ पुलिस और उनके गुण्डों ने बलात्कार किया । उन का गुनाह क्या था ? गुनाह सिर्फ इतना ही था कि 10 अप्रैल, 1982 को वहां जो प्रधान थे हीरा उपाध्याय—जो बहुत सालों से प्रधान थे और जिनके बारे में बहुत सी बातें कही जाती थी, उनके खिलाफ एक इण्डीपेण्डेंट श्री पांडे को चुना । इसलिये चुन-चुन कर उन लोगों को जिन्होंने पांडे की मदद की है सजा दी जा रही है, उनके घरों पर हमला किया गया । पुलिस जीप में आई, ट्राली लेकर आई, पुरुषों को घर से भगा दिया और बहनों के साथ बलात्कार किया । उनमें कई प्रेगनेंट थी, किसी के बच्चे को कैरोसीन डालकर जला दिया इस तरह का भयानक काण्ड वहाँ हुआ । यह 23 अप्रैल की घटना है, इसको हुए आज कितने महीने हो गये, लेकिन कोई बात बाहर नहीं आई । जार्ज फर्नान्डीज जी ने खुद सारी बातों को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को लिख कर भेजा । श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को भी उन्होंने ता० 28 जून को खत लिखा था, लेकिन अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई । इन्दिरा जी वहां नहीं गई, देखने के लिये, कि वहां क्या हुआ है । सारा अनाज लूट लिया गया, घर के बर्तन लूट लिये गये, कपड़े लूट लिये गये । एक-दो स्त्रियां जो साड़िया पहने हुए थी उनको नंगा करके उनकी साड़िया जला दी गई, उसके बाद उनके साथ बलात्कार किया गया ऐसी बातें जहां हुई वहां इन्दिरा जी नहीं गई । ता० 14 को पता लगा कि हम सब लोग आ रहे हैं तब कार्यवाही हुई और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है उनके साथ यह

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

वायदा किया गया कि हम उनको कुछ न कुछ देंगे, लेकिन अभी तक उनके जाते का प्रबन्ध भी नहीं हुआ है। कल मैं फिर उन कोलेकर स्पीकर साहब के पास गई ताकि उनके वापस भेजने की व्यवस्था हो जाये, परन्तु अभी कुछ नहीं हुआ है। उनके खाने का इन्तजाम नहीं है, इनको राहत देने की व्यवस्था करनी चाहिये परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उनके लिये जो दुःख और दर्द बतलाया जाता हैं, जो कंसोलेशन दी जाती है, यह सब घड़ियाली आंसू है, प्रधान मन्त्री द्वारा बहाये गये कोकोडाइल टीयर्स हैं। मुझे तो सब ऐसा ही लगता है।

अगर कुछ करना है, तो हमारे गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे बहुत डीसेन्ट आदमी हैं, उनके मन को भी इस घटना से चोट लगी होगी, मेरी प्रार्थना है कि जो भी बहनें दिल्ली आई हैं उनके जाने का प्रबन्ध होना चाहिये और जाने से पहले उनको कुछ न कुछ राहत देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। सिसवा में प्रधान के चनाव के बाद जो हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है ? इसके लिये वहां की पुलिस जिम्मेदार है। वहां की पुलिस का जो दरोगा है, जिसका नाम ** है वह अपने को ** का रिश्तेदार या भतीजा कहता है और कहता है कि कोई मेरा बाल भी नहीं हिला सकता। उसको सस्पेण्ड किया गया है, लेकिन वह खुले-आम गांव में घूम रहा है और कहता है कि मेरे खिलाफ कौन शिकायत कर सकता है। मैं पूछना चाहती हूं उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया ? अगर कुछ करना है तो ऐसे खतरनाक आदमी को जो पुलिस में हो कर, वर्दी पहन कर, बहनों के साथ बलात्कार करते हैं, अपने साथ गुण्डों को लेकर वहां जाता है, ऐसे आदमी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्यों हो गया, चुनाव के लिए हो गया। जो लोग विरोधी दल के लोगों के लिए काम करेंगे, उन को सजा मिलेगी। यह हमारा लोक तन्त्र है ? लोकतन्त्र में हर एक को इस देश को प्यार करने का अधिकार है लेकिन आज हमारे देश में देश-निष्ठा नहीं है, आज उसूलों पर निष्ठा नहीं है। आज निष्ठा है, तो इन्दिरा निष्ठा है। अगर इन्दिरा-निष्ठा होती है, तो कुछ भी करो' कुछ नहीं हो सकता। हमारे कई इलाकों में ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी करो, तो कृष्णापर्णमस्तु। कुछ भी करो, कृष्ण के माथे पर पाप का बोझा लगाया जाता है और मुक्ति मिल जाती है। आज ऐसी खतरनाक बातें इस देश में चल रहीं हैं और इनके बारे में सोचना चाहिए। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। अगर राजनीति में काम करने वाले, गुंडों के सहारे कुर्सी पर बैठने की कोशिश करेंगे तो आज तो सत्ता पर बैठने वाले करते हैं लेकिन कल को आगे चल कर शायद विरोधी दल के लोग भी करेंगे और इस तरह से देश की बहनों के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज क्या हो रहा है ? आज महिलाओं पर जगह-जगह हमले किये जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए जिम्मेदारीज्यादा से ज्यादा सत्ता पर बैठने वाली पार्टी पर है और वह यह जो वातावरण बन रहा है, उसको ठीक करे। आज मुझे याद आती है माया त्यागी की, आज मुझे याद आती है देवली की शान्ति देवी की और आज मुझे याद आती है आध्र की शकीला बानु की और उन सारी बहनों की याद आती है, जिन पर पुलिस ने हमला किया और जिनकी पुलिस ने इज्जत लूटी और उस पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? हमें यह सोचना चाहिए कि आज जो पुलिस है, (हाउ दे हैव बिकम क्रिमिनल इन यूनीफार्म)। अगर वे क्रिमनल बन गये हैं, तो उसकी जिम्मेवारी किस पर है। अगर उसके गन्दे काम के लिए सजा दी जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि

कि पुलिस का जो इस प्रकार का मोरल हो गया है, वह वैसा ही चलता रहेगा। इसके बारे में सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहती हूं कि नारायणपुर में जब कांड हुआ था तब हमारी प्रधान मन्त्री उस समय देश की प्रधान मन्त्री नहीं थी और उस समय उनका लाडला बच्चा वहां दौड़ कर चला गया।

एक माननीय सदस्य : उस वक्त प्रधान मन्त्री थी।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : जी हां, उस समय प्रधान मन्त्री थी, वेलची के समय नहीं थीं। उस समय वे वहां गयी और पूरी दुनियां के सामने बताया कि नारायणपुर में कितना गन्दा काम हो गया, उसकी इनक्वारी होगी। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसका हमें पता नहीं लेकिन अभी जो 28 अप्रैल की बात होती है, तो उसके बारे में एक एम० पी० लिखती भी है लेकिन जाने के लिए समय नहीं है। उड़ीसा की लक्ष्मी प्रिया, जिसके साथ एक ** ने बलात्कार किया, ने ऐसी शिकायत लिखकर पत्र लिखा लेकिन उसको मिलने के लिए इनके पास समय नहीं है। सविता ने पत्र लिखा कि मैं मिलना चाहती हूं लेकिन इनके पास समय नहीं है। (**व्यवधान**) सविता के बारे में मैं यह कहना चाहती है कि उसने महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री जो हैं, उनको पत्र लिखा और अपनी कहानी बताई। मैंने भी खुद पत्र लिखा मिलने के लिए इनके पास जबाब के लिए भी समय नहीं है। नारायणपुर जाने के लिए इनके पास समय था और ये वहां गई।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री मैं उनको कहूंगी क्योंकि वे अभी केयर-टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, ने इस्तीफा दिया और यह कहा कि हमारी स्टेट में कानूनी व्यवहार खत्म हो गया है। वह अब सुधर नहीं सकता है और सुधार के बाहर हो गया है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया। मैं याद दिलाना चाहती हूं मोदी नगर की। मोदी नगर में जब महिलाओं पर हमला हुआ था, तब तक चिट्ठी लिखी थी और उसको लेकर मैं प्रधान मन्त्री के पास गई थी और उन महिलाओं से मिलने के लिए मैंने कहा था। हर समय यह जवाब दिया जाता हैं कि जनता पार्टी की वजह से यह होता है। जनता पार्टी की वजह से पुलिस कैसे हमले करती है, यह तो मुझे पता नहीं। पुलिस के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही होती है, वह यह है कि उनको ट्रान्सफर कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इन्दिरा जी लक्ष्मी प्रिया से मिलने के लिए तैयार हैं। क्या इनके दुःखों को दूर करने को तैयार हैं, उनको कुछ राहत देने के लिए, उनको इन्साफ देने के लिए वे कुछ कर रही हैं। अगर हमारी प्रधान मन्त्री एक स्त्रीहो कर भी हमारी बहनों को इन्साफ नहीं देंगी, तो मुझ ऐसा लगता है कि हमारे देश के पुरुष कभी भी उनको इन्साफ नहीं दे सकते। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि आज जो हमारी बहनें दिल्ली आई हुई है, उनको जाने से पहले कुछ राहत दी जाए, उनके जाने के लिए इन्तजाम किया जीए और वे जिस गाँव में ठहरी हुई हैं, वहाँ पर उनको नया जीवन शुरु करने के लिए कुछ मदद दी जाए और मै चाहती हूं कि आज हमारे होम मिनिस्टर साहब इस सदन में इस बात का एलान करें कि वे उन के लिए क्या करने जा रहे हैं।

मैं यह भी चाहती हूं कि ** को आज को गिरफ्तार करना चाहिए। उसका चार बार

** कार्यवाही वृतात में सम्मिलित नहीं किया गया।

पहले ससपेंशन हुआ है और बार बार वह कहीं न-कहीं जाकर गड़बड़ी करता है। मैं**का भतीजा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। इनकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूं।

एक बात मैं कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था पूरी ठप्प हो गयी है। अगर आप वहां कुछ करना चाहते हैं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि केअर टेकर मुख्य मन्त्री हैं, उनके बाद किसी मुख्य-मन्त्री की खोज मत कीजिए और वहां की विधान सभा को भंग कीजिए। वहां के लोगों से जाकर पूछिए कि वे उस राज्य में रह सकते हैं या नहीं।

जब नारायणपुर में घटना हुई थी तो आपने वहां की विधान सभा भंग कर दी थी। नारायणपुर में तो कुछ नहीं हुआ था। अब वहां इतना बड़ा काण्ड हो गया है और वहां के मुख्य मन्त्री यह कहते हैं कि कानून और व्यवसथा भंग हो गयो है तब भी आप वहां की विधान सभा भंग क्यों नहीं करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : जब नारायण पुर में घटना घटी तब प्रधान मन्त्री जी वहां गई उन्होंने उत्तर प्रदेश की विपक्षी दल की सरकार को बर्खास्त किया। आपनी पार्टी में मैं आपकी पार्टी पर आरोप लगाता हूं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री ईरा अनबारासु : (चिंगलमपट्टु) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है वह यह नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी ** । उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिये। वे यह नहीं कह सकते कि हमारी ने ** इनको वह बक्तव्य वापस लेना चाहिये (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय महिला सदस्य बोल रही हैं। वे खड़ी हैं।

श्री ईरा अनबारासु : हमारी पार्टी को यह ** कह कर नहीं पुकारना चाहिए। वह ऐसा कैसे कह सकते हैं ? उनको ये शब्द वापस लेने चाहिए। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : अनबारासु जी हम एक महत्वपूर्ण बिषय पर चर्चा कर रहे हैं कृपया सहयोग दें।

श्री ईरा अनबारासु : उनको अपना बक्तव्य बापस लेना चाहिये (व्यवधान) वह हमको ** नहीं कह सकते। उनको अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कायवाही वृतान्त को देखूँगा।

श्री ईरा अनबारासु : उनको यह वापस लेना चाहिये। (व्यवधान)।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुशार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा । श्री अनबारासु जी कृपया बैठ जाइये ।

श्री ईरा अनबारासु : यह सदन का अपमान है । यह कोई तरीका नहीं हैं । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा है मैंने नोट कर लिया है ।

श्री ईरा अनबारासु : सदन को एक सार्वजनक प्लेटफार्म बना दिया गया है । हम इसको सहन नहीं करेंगे । मैं इस प्रकार के व्यवहार को सहन नहीं कर सकता । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ बहुत ही महत्व पूर्ण चर्चा को जा रही है । यह कोई तरीका नहीं है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जायें । श्री मनीराम बागड़ी जी, कृपया बैठ जाइये । कृपया माननीय सदस्य को व्यवधान न पहुंचायें । आपका व्यवस्था का प्रश्न मान्य है अब श्रीमती दण्डवते जी । कृपया बाधा न डालें ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रही हूं कि मैं यह यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं जिनमें शर्म और लज्जा न हो कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जिनमें शर्म और लज्जा है और ऐसे लोगों को इस बात से दुःख होता है कि पुलिस गुण्डों के साथ मिलकर महिलाओं के साथ बलात्कार करे या अत्याचार करे मैं यह बात मानती हूं कि वे सबको सच मानते हैं और सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं । आप इस बात को क्यों नहीं मंजूर करते हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभी को अवसर दिया जायेगा । प्रत्येक सदस्य बोल सकता है ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : दहेज व अत्याचार दोनों पर कुछ बोलना कठिन है लेकिन मैं दहेज के बारे में जरूर बोलना चाहती हूं । आप राजधानी में देखिये कि पिछले साल से इस वर्ष दहेज और डावरी के कितने ज्यादा केसिज हुए हैं । मैं इनको डावरी केस नहीं मानती हूं बल्कि इन्हें डावरी मर्डर कहती हूं । ये डावरी मर्डर बहुत बढ़ते जा रहे हैं । यह क्यों हो रहा है ? अगर ऊंचे लोगों पर सरकार कार्यवाही करेगी,जो लोग सारे कानून तोड़कर बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं उन पर कार्यवाही करेगी तो आम आदमी के मन में भी यह भावना पैदा होगी कि यह गलत काम है और हमको नहीं करना चाहिए । इस संबंध में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने एक 377 के अन्तर्गत सूचना देनी चाही थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया । इसी सदन के एक सदस्य के घर पर 20 हजार लोगों ने शादी में दावत खाई । इतना ही नहीं शादी के लिए जो लॉज बनाया गया था, वहां पर जो मार्केट बन रहा था, वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको बुलडोजर द्वारा तोड़कर बनाया गया था और बुलडोजर भी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का था । गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था । "हिन्दुस्तान टाइम्स" और "स्टेट्समैन" में इसके बारे में आया था, इसके बावजूद शादी के समय कैबिनेट मिनिस्टर आए थे । पता नहीं हमारी प्रधान मंत्री वहां गई या नहीं-ऐसे काम में शरीक होने के लिए लोग गए । इस तरह से

डाउरी प्राहिबिशन एक्ट कैसे लागू होगा? हम जगह-जगह घूम रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह से जो डैथ्स होती हैं, उनको रोका जा सके।

पिछले साल 22 जुलाई को हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री श्री जैलसिंह जी ने एक ऐलान किया एक सर्कुलर भेजा कि जहां पर महिला शादी के 5 साल के अन्दर सदेहजनक स्थिति में मर जायेगी, उसकी जांच की जाए। उस पर क्या कार्यवाही हुई किसी को कुछ पता ही नहीं है।

दिल्ली शहर में भी उस पर कार्यवाही नहीं हुई, गुजरात के बारे में मैं आपको बताती हू कि जब मैं खुद वहां गई थी तो वहां एक "ज्योति संघ" करके महिलाओं का सगठन काम करता है। उन्होंने 66 केसेस सस्पीशियस डैथ्स आफ यंग हाउस वाइफ्स क सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजे थे, लेकिन उनके बारे में उनको जवाब तक नहीं दिया गया।

अगर आप सिसियरली चाहते हैं कि इस तरह के अपराध रुकें तो आपने जो निर्देश दिये हैंउन पर कार्यवाही करवाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए आज जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे स्थिति की गंभीरता का पता लगता है। सहारना की रमा देवी का मारन के बाद उसकी लाश दिल्ली प्लेटफार्म पर आ गई। आशा रानी. ऊषा रानी,कचन, इन सभी की हमें याद आती है। दिल्ली के आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इन सबके बारे में आपको पता है।

दिल्ली शहर में महिला आर्गनाइजेशन इकट्ठे होकर एक बात पर बहस चला रहे है, अमृतसर में दो डाक्टर्स हैं जो प्री प्रेगनेंसी टैस्ट, एंटीनेटाल टैस्ट करते हैं, जिसमें लड़की होने की संभावना होती है तो एबार्शन करवाया जा सकता है। क्योंकि यदि लड़की पैदा होगी तो दहेज देना पड़ेगा, इसलिए एबार्शन करवा लो। यह हमारी वैज्ञानिक उन्नति का काम हो गया है कि पैदा होने के पहले ही लड़की को मार दिया जाता है। यह बहुत ही खतरनाक बात है। इसकी वजह यह है कि इस देश में स्त्री का कुछ स्थान नहीं है। अगर स्त्री का जन्म होगा तो शादी के बाद उसको जलाया जाएगा। नहीं जलाया जाएगा तो बलात्कार होगा। अगर इस देश में महिलाएं पैदा नहीं होगी तो यह देश खत्म हो जाएगा। चाहे जितने पुरुष पैदा हों, जब तक स्त्री पैदा नहीं होगी तब तक देश और समाज नहीं चल सकता है। इसलिए इन सब घटनाओं का कारण हमको ढूढना चाहिए। आज माँ-बाप समझते हैं कि अगर लड़की पैदा होगी तो हमारे ऊपर मुसिबत आ जाएगी, इसलिए उसको पहले ही खत्म किया जाए।

आज का विषय बहुत खतरनाक है। एंटी डाउरी की हम कोशिश कर रहे हैं। ज्वाइंट कमेटी का बिल आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने रिपोर्ट पेश करेंगे— कब करेंगे यह हमारी चेयरमैन बता सकती हैं, लेकिन जब तक वह कानून नहीं बनता, तब तक क्या हम अपनी बहनों को इस तरह से मरने देंगे? उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? मैं सभी साथियों से प्रार्थना करती हूं कि दहेज और महिलाओं पर बलात्कार यह पार्टी के विषय नहीं हो सकते। 3 तारीख को दिल्ली शहर की कई महिला संगठनों ने इकट्ठा होकर यह सोचा है कि सिर्फ कानून से ही नहीं, जनजागरण से ही इस कुप्रथा को खत्म कर सकते

हैं। मेरी सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इसमें पार्टीबाजी न कीजिये और जन-जागरण के लिये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उनमें शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाइये। संसद में डावरी और महिलाओं के ऐसप्लायमेंट के बारे में जो सवाल पूछते हैं, उनका हमें उत्तर नहीं मिलता है, समय मांग लिया जाता है। अगर इन सवालों को हल करना है तो हमारे देश में नेशनल कमीशन आन वीमेन विद स्टेटयुटरी पावर्स बनाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा इस तरह के मामलात सामने आते रहेंगे। फैमिली कोर्ट की हम मांग कर रहे हैं, और कानून बनने से पहले सामाजिक सगठनों की सतकर्ता समितिया होनी चाहिए। जो अपराध का पता लगाने तथा उनको रोकने में सहायता करें। ऐसा अगर कर सके तो शायद हम लड़कियों को मारने से पहले बचा सकते है। मुझे पूरा भरोसा है कि डावरी डेथ्स के बारे में इस सदन के सारे लोग सहमत होंगे कि यह प्रथा खराब है, इससे हमारे देश की इज्जत सारी दुनिया में गिर रही हैं। इसलिये इस सवाल पर इकट्ठा होकर तय करें, अपने परिवार में भी इस प्रकार का काम नहीं होने देंगे। अगर किसी एम० पी० के घर में धूमधाम से शादी होगी उसमें हम शरीक नहीं होंगे तो हम कुछ न कुछ कर सकते हैं।

इसलिये हमारी प्रार्थना है आज इन दो सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं एक बाजू से हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा भंग की जाय, ** को अरेस्ट किया जाय और एस० पी० और डी० एम० को भी सस्पेंड करने के आदेश केन्द्रीय सरकार दे। और जो बहनें यहां आयी हुई हैं उनको जाने के लिये सहूलियत प्रदान की जाय, राहत उनको दी जाय। और डावरी डैथ रोकने के लिये हम सारे इकट्ठा होकर जो ठोस कदम उठाना चाहते हैं उसको उठाने के लिए एक दूसरे को सहयोग दें।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : डिप्टी स्पीकर साहब महोदय, अभी मैंने अपनी सदस्या श्रीमती प्रमिला दंडवते के विचार सुनें जिनका हम सब लोग बहुत आदर करते हैं। उन्होंने बहुत-सी बातें ठीक कहीं और अच्छी हैं उस पर अमल करना चाहिये। जो उनके भाव हैं उनको भी मैं समझता हूं। उन्होंने कहा इसको पार्टी का सवाल नहीं बनाना चाहिये। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने खुद इसको पार्टी का सवाल बना दिया। अपने भाषण में एक तरफ से, एक ऐसे सवाल को जिस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिये, जहां पर पार्टी का कोई सवाल नहीं है, जो केस हुआ दुखदाई है, सारे देश और सदन उससे दुखी है, उस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये, और जो कुछ हुई हैं उससे भी ज्यादा होनी चाहिये। और अभी स्वयं उन्होंने कहा जहां तक डावरी का मामला है उसके लिये जोइन्ट सेलेक्ट कमेटी सदन की बनी हुई है और उसकी रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिये। हमारी बहन बहुत योग्य हैं और उस समिति की मेंबर हैं, आशा करते हैं कि वह रिपोर्ट जल्दी आयेगी जिससे डावरी के बारे में सरकार कुछ कार्यवाही कर सकेगे। ऐसा सवाल नहीं हैं जिसको लेकर इस तरह की तस्वीर पेश करे सच्ची बातें कहनी चाहियें, लेकिन सच्ची बातें कहते हुए इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर तस्वीर पेश कर दें। जिससे मालूम हो कि देश में महिलाओं की इज्जत खतरे में है, यह ठीक नहीं है। ठीक

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है यह बहुत शाकिंग इन्सीडेंट है जिस पर सारे देश को दुख है। लेकिन उनकी बात से ऐसा लगा जैसा सभी महिलाओं की इज्जत इस देश में खतरे में है, क्या यह सही तस्वीर है ? मैं उनके इन्सीडेंस की सीरियसनेस को कम नहीं कर रहा हूं, मैं उनके साथ सहमत हूं कि सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये हालांकि मुझे ताज्जुब है कि वह हमारी लोक सभा की हैं मेंबर मैं सभी मेंबरस का आदर करता हूं और उन का आदर करता हूं। बड़ी समझदार और योग्य हैं दोनों हजबैंड और वाइफ उनकी मैं बड़ी कद्र करता हूं लेकिन मुझे अफसोस है हम संसद सदस्यों का काम यह होता है कि हम कोई बात करें तो किसी सबूत के साथ करें। यह नहीं है कि बाहर कोई यह कह रहा है, वह कह रहा है, उसने यह कह दिया, उसने यह कह दिया। हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिये। हमें लाखों आदमियों ने चुनकर भेजा है और बाजारी बातों के बेसिस पर बात नहीं कहनी चाहिये। उन्होंने जैसा नाम लेकर कह दिया कि कहा जाता है कि ** के वह आदमी थे। बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने किसी सबूत के ** के खिलाफ इल्जाम लगाया जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है, जिसका कोई सबूत नहीं हैं। हम जिम्मेदार लोग हैं, इस सदन के या दूसरे सदन के मेंबर हैं या गवर्नमेंट के मंत्री हैं, उनके खिलाफ इस तरह का इल्जाम लगाना यह पोलिटिक्स में लाना नहीं तो और क्या है ? मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि यह बहुत ही गलत राजनीतिक निरादर है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : वही कह रहे थे। मैं नहीं कह रही हूं। **(व्यवधान)**

मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, बहिन जी मैं आपका बहुत आदर करता हूं, मैंने आपको इन्ट्रप्ट नहीं किया, मुझे आप शांति से सुने। मुझे यह कहना है कि इससे ज्यादा पोलिटिकल एडल्ट्रेशन इस प्रकार के उग्रमानव समस्या पर क्या होगा? यह बात वास्तव में हृदय विदारक है।

और यह हमारी बहिन की तरफ से आ रहा है। मैंने तय किया था कि जब मैं बोलूंगा तो एक बात भी पोलिटिकल इसमें नहीं लाना चाहता था, जरा भी यह मेरे मन में नहीं था। मैं दूसरी टांन में बोलना चाहता था, लेकिन हमारी बहिन ने ऐसी बात कह दी वह प्रधान मन्त्री जी के पास उन औरतों को ले गई, यह बहुत अच्छा किया, उन औरतों के आंसू प्रधान मंत्री जी ने देखे, उन्होंने देखे, बहुत अच्छा काम किया। मैं प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि प्रधान मंत्री जी से मिलने के बाद वहां के डी० एम० और एस० पी० को ट्रांस्फर कर दिया गया। यह तो बहुत अच्छी बात हो गई, डी० एम० और एस० पी० ट्रान्सफर हो गये, वायकरियस रिस्पोसब्लिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पोसब्लिटी होती है, एक्शन हो गया; उनको वहां से हटा दिया गया, अच्छी बात है। इसके लिए कहना चाहिए कि प्रधान मन्त्री जी ने अच्छा किया लेकिन उसके बाद भी उनका क्रीटिसिज्म किया गया कि उनका ट्रांस्फर हो गया।

आप खुद कानून-कायदे समझाते हैं, इनक्वारी होनी चाहिए, सबूत होना चाहिये। डी०

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

एम० और एस० पी० तो मौके पर नहीं थे, उनका डायरेक्ट इन्वाल्वमैंट नहीं है, एलीगेशन भी नहीं हैं उनके खिलाफ, ट्रांस्फर करने के बाद क्या उनको सस्पैंड किया जा सकता है, बिना किसी बात के ? मेरा कहना है कि···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न करें। आपको भी अवसर मिलेगा। तब आप उसका उत्तर देना। आप उन सभी-मुद्दों को नोट कर लीजिये जिन पर आप सहमत नहीं हैं ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं उनका कोई डिफैन्स नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि जहां गड़बड़ होती है वहां हाई आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। यह बहुत अच्छा हुआ कि डी० एम० और एस० पी० को ट्रांस्फर कर दिया गया।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : महोदय, श्री एच० के० एल० भगत ने माननीय सदस्या श्रीमती प्रमिला दण्डवते द्वारा लगाये गये आरोप का जिक्र किया है ** तथा उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाये हैं। मैं यह निवेदन करता हूं कि किसी सदस्य को सूचित किये बिना आरोप लगाने की संसदीय प्रथा नहीं है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : महोदय, आप इस प्रकार की गई टिप्पणी को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को देखूंगा। श्री भगत

श्री नारायण चौबे : श्रीमन कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को देखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, केवल यह कहा गया था कि उस व्यक्ति ने यह कहा है कि वह उससे सम्बन्धित है। महोदय, यदि किसी प्रकार के सम्बन्धों को कायम रखना है—उदाहरण के तौर पर श्री भगत ने प्रमिला दण्डवते के प्रति होने के नाते मेरा नाम उल्लेख किया है। महोदय क्या मुझे इस पर आपत्ति करनी चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब आपको भी इस पर आपत्ति नहीं उठानी चाहिये।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : सौभाग्यवश वह एक आरोप नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस प्रकार आपत्ति कर सकते हैं ?

श्री वसंत साठे : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह एक आरोप है ?

** कार्यवाही वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत ने जो कुछ भी कहा वह तथ्यों का एक वक्तव्य था इस पर उन्हें कैसे आपत्ति हो सकती है ? आप अपनी बात जारी रखें । मैं रिकार्ड को देखूंगा ।

श्री एच० के० एल० भगत : लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह बचाव प्रभावशाली नहीं है । मैं आशा करता हूं कि वे पति तथा पत्नि के रूप में अपने सम्बन्धों से इन्कार नहीं करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय उन्होंने ऐसा नहीं कहा है । मैं आपका अनुशरण कर रहा हूं ।

श्री एच० के० एल० भगत : हमारी आदरणीय बहिन ने यह कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया, कम से कम एक तो निकला जसने इस्तोफा दे दिया ।

मैं बहन प्रमिला दण्डवते से पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी के जमाने में ऐसे बहुत से किस्से और बकाये हुए थे, क्या उन्होंमे उस वक्त किसी से इस्तीफा मांगा था ? क्या सैंटर के या नीचे के किसी मिनिस्टर ने कभी इस्तीफा दिया था ? (व्यवधान) जब दिल्ली में चौपड़ा चिल्ड्रेन का केस हुआ, विच सेंट शाक्वेव्ज थ्रु दि होल कन्ट्री, तब मेरी बहन लोक सभा की सदस्य थीं, लेकिन वह नहीं बोलीं ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मैं उस समय मेम्बर नहीं था ।

श्री एच० के० एल० भगत : अगर वह मेम्बर नहीं थीं तब भी वह बोल सकती थीं मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा । उस वक्त कोई विमेन्ज आगनाइजेशन भी नहीं बोली । अगर माननीय सदस्य बम्बई में थीं , तो वह वहां पर ही बोल सकती थीं । मैंने एक दफा प्रो० मधु दण्वते से कहा कि जब वह रेलवे मिनिस्टर थे, तब रेलवे एक्सिडेंट होने पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया । उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, मगर मोरारजी भाई ने मना कर दिया ।

मुझे ताज्जुब होता है, माननीय सदस्या कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा को भंग कर दिया जाये । यह पालिटिक्स नहीं तो और क्या है ?किसी ऐसे विषय का राजनीति-करण करने का यह सबसे घटिया तोराका है जो कि प्रमुख रूप से एक माननीय प्रश्न है ।

बहन जी ने कहा कि इनके पास सिर्फ इन्दिरा जी की प्रतिष्ठा है इनको इन्दिरा-फोबिया है मैं क्षमा-याचना के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस पसंपेक्टिव को नीचा कर दिया है, इसकी अहमियत कम कर दी है ।हम सब को इन बातों से ऊपर उठ कर सोचना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : आप बताइए कि क्या करना चाहिए ।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा काम है बताना और इनका काम सिर्फ आलोचना करना !

इस गवर्नमेंट के लोग बहुत सिम्पेथेटिक हैं । मैं कोई राज की बात नहीं कह रहा हूं और न ही मैं किसी पार्टिकुलर केस का जिक्र कर रहा हूं । कुछ दिन हुए एक केस मेरे नोटिस में आया । लोग मेरे पास आए और कहा कि यह डाउरी डेथ का केस है । मैंने रात के साढ़ बारह वजे होम मिनिस्टर, श्री वेंकटरामन, को रिंग किया । उन्होंने फोरन आफिसर्ज को इन्स्ट्रक्शन्ज

दीं। यह चार दिन पहले की बात है। इससे पहले जब कभी ज्ञानी जी के नोटिस में कोई केस लाया गया, तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया।

माननीय सदस्य ने आखिर में कहा कि विमेन्ज अर्गनाइजेशन्ज को जगाना चाहिए। अच्छा है, आज हुकूमत हमारी है, तो विमेन्ज आर्गनाइजेशन्ज को जगाने की बात तो दिमाग में आई। हम इस सवाल में राजनीति नहीं लाना चाहते हैं और न ही लाएंगे। कांग्रेस ने ऐसे कई सवाल उठाए हैं। उसने कई जगह ऐसी प्रावलम्ज का मुकाबला किया है। हमारे कई स्पेशल सेल काम कर रहे हैं।

इन मामलों में टाइम फैक्टर बहुत इम्पार्टेन्ट होता है। खास तौर से जो डाउरी डेथ्स होती हैं, महिलाएं मारी जाती हैं या जलाई जाती है, वे घर में होती हैं। तब कोई दवाई नहीं दी जाती है और बाहर का कोई आदमी भी नहीं होता है। डाइंग डिक्लेरेशन का चांस कम होता है, क्योंकि वे उससे पहले ही मर जाती है। इसलिए इन केसिज का कोरेबोरेटिव एविडेंस के आधार पर फौरन तय कर देना चाहिए।

हालांकि यह एक स्टेट सबजेक्ट है, लेकिन मैंने अखबारों में देखा है कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने इसका बहुत सीरियसली लिया है और फ्राम टाइम टु टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शन्ज, गाइडलाइन्ज और सुझाव दिए हैं। उन पर ज्यादा तेजी से अमल करने की जरूरत है। ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है, जिसमें ऐसे केसिज जल्दी हल हो, मुलजिमों को पकड़ा जाए और उन्हे सजा दी जाए। मास रेप और गैंग रेप के मामले में तो बहुत ज्यादा सख्त सजा होनी चाहिए रेप की सजा दस साल है। यह कम है। मेरी मांग है कि पास रेप और गैंग रेप के लिए मौत की सजा होनी चाहिए। मैं इससे भी आगे जाऊंगा कि जो पुलिस के आदमी या दूसरे सरकारी आदमी इस तरह का काम करते हैं, उनके लिए डेथ पेनाल्टी हो। सजा होनी चाहिए पूरी। जो पुराने कानून हैं जिनको वारबरिक लाज कहा जाता है, कई दफा ऐसे आफेन्स होते हैं जिनको देखकर मन में आता है कि उसी वक्त सजा होनी चाहिए उन कानूनों के अन्तर्गत। उसी वक्त देनी चाहिए। रेट्रिव्यूट्री सजा होनी चाहिए एकदम से। लेकिन कानून को इसमें सख्त किया जाय। समरी ट्रायल हो, जहां गैंग रेप होता है वहां फौरन उनको पकड़ कर उनका ट्रायल होना चाहिए। चार एक्यूज्ड नहीं मिलते हैं या दस नहीं मिलते हैं तो उनके लिए दो साल तक इन्तजार करने की जरूरत नहीं है। उनका ट्रायल सेपरेट करना चाहिए और देश में एक व्यापक चेतना लोगों के अन्दर लानी चाहिए।

हमारा देश एक बहुत ट्रेडीशनल वैल्यूज का देश है। हमारे देश में वीमेन की बराबरी का, ईक्वलिटी का स्टेट्स मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। समाज में नेशनल कमीशन आन वीमेन बनाएं ईक्वलिटी आफ स्टेट वीमेन को देने के लिए मैं उसका समर्थन करूंगा। जरूर देना चाहिए। लेकिन यह हम इम्प्रेशन दें कि हमारे देश में वीमेन का हाल सब खराब है, वीमेन की कोई हस्ती नहीं है इनसेक्वारिटी है, वीमेन की जिन्दगी खराब है, सारे देश की वीमन खतरे में है, हर जगह रेप हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, कुछ इंसीडेंट्स को लेकर

भारत की यह तस्वीर हम दुनियां के सामने प्रोजेक्ट करके हम कोई देश सेवा नहीं करते हैं। हमारा देश ट्रेडीशनल वैल्यूज का देश है जिसमें मां की कदर की जाती है, बहन की कदर की जाती हैं, नारी की कदर की जाती है। हमारी महिलाएं चाहे बेटी की हैसियत से, चाहे मां की हैसियत से, चाहे नानी की हैसियत से, चाहे दादी की हैसियत से सेवा करती हैं, चिता तक चढ़ते सेवा करती हैं। उनका घरों में आदर होता है, उनकी इज्जत होती है, हमारे देश के लोग उनकी इज्जत करते हैं। हमारा देश शरीफों का, भलेमानुषों का देश है। दस बीस पचास गुंडों की वजह से हम देश की ऐसी तस्वीर पेश करें यह देश के साथ न्याय नहीं है। देश की सही तस्वीर हमें लोगों के सामने देनी चाहिए और जो भी गुंडे हैं, बदमाश हैं उन को खत्म करना चाहिए।

अभी हमारी बहन जी ने दिल्ली की एक शादी का जिक्र कर दिया, कहा कि 20 हजार लोग बुलाए। मैं भी गया था शादी में। जिस तरह की आम शादियां होती हैं उसी तरह की शादी थी। न कोई बीस हजार को खाना दिया गया न कुछ और दिया गया, न वहां कोई देहज की बात थी। तम्बू सामियाने वगैरह पार्क में लगे थे। जैसे और शादियां पार्कों में होती हैं वैसे यह भी हुई थी। इसलिए बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना एन्क्वायरी के इस तरह की बात कहना उचित नही है। इस तरह से इस सदन के सदस्य का नाम लिए बिना भी इस तरह का इल्जाम लगाना किसी तरह मुनासिब नहीं है। कल को खड़े होकर मैं भी इस तरह कह सकता हूं।

मेरा कहना यह है कि इन सारी एट्रासिटीज को रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को अपोजीशन और सब लोगो को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन इसको पोलिटिसाइज करके हमें देश का नाश नहीं करना चाहिए, यह इसके साथ न्याय नहीं होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। इस बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करते समय काफी शोर-गुल हुआ है। राजनीतिकरण पर आरोप प्रत्यारोप लगाये गये है। चूंकि राजनीतिकरण एक विशेष बात है इसलिये इसके विस्तार में न जाकर मैं कुछ ही प्रश्न पूछना चाहूंगी जब आप राजनीतिकरण करते हैं तब मैं यह कहती हूं कि यह राजनीतिकरण है। जब मैं राजनीतिकरण करूंगी तब आप कहेंगे कि आप राजनीतिकरण कर रही हैं। यह तो जैसे को तैसा है। नारायणपुर तथा सिसवां की घटनायें भी इससे संबंधित है। अतः उन बातों का हमको जिक्र नहीं करना चाहिए। हमें इस बात पर विस्तार से चर्चा करने की बजाय संक्षिप्त रूप से विचार करना चाहिये।

महिलाओं पर अत्याचार का मामला एक बहुत ही शर्मनाक बात है। प्रत्येक वर्ष इस सदन में कभी न कभी इस विषय पर चर्चा की जाती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिये हमको बाध्य किया जाता है। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर सभी को विचार करना चाहिए। इसके पश्चात हम सिसवां की घटना को लेते है जो अभी हाल ही घटित हुई है। मेरे प्रिय मित्र श्रीमती प्रमिला दण्डवते ने पहले ही इस सारे विषय का संक्षिप्त ब्योरा दे दिया है।

मैं इसके विस्तार में नहीं जा रही हूं। लेकिन महोदय, मैं कुछ प्रश्नों को उठाना चाहती हूं। यह निन्दनीय घटना 23 अप्रैल को घटी। (व्यवधान) मैं आशा करती हूं कि माननीय सदस्य इस ओर ध्यान देंगे। 23 अप्रैल को यह घटना हुई। 27 जून को विभिन्न दलों के एक शिष्टमण्डल ने जिसमें मेरे दल के सदस्य भी सम्मिलित थे उस क्षेत्र का दौरा किया। आकर उन्होंने स्थिति का स्पष्ट विवरण दिया। दौरे के पश्चात 27 जून को वे लखनऊ गये। उस शिष्टमण्डल में बहुत से दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। अल्पावधि को ध्यान में रखते हुए मैं उनके नामों का उल्लेख नहीं कर रही हूं। महोदय वह रिपोर्ट अब हमारे दल के समाचार-पत्र "दी न्यू ऐज" में 11 जुलाई को प्रकाशित हो चुकी है। अतः जो कुछ घटना घटी उसका सम्पूर्ण ब्यौरा 11 जुलाई से राजधानी में उपलब्ध है। मुझे यह विश्वास है कि जून के अन्त तक संपूर्ण घटना का ब्यौरा लखनऊ में उपलब्ध था।

इस शिष्ट मण्डल के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा, मैं उसको उद्धृत करती हूं:—

"राजेन्द्र पाठक की 22 अथवा 23 वर्षीय युवा तथा सुन्दर पत्नि सावित्री ने पुलिस-कार्मियों तथा उनके एजेन्टों के एक समूह को जब अपने घर की ओर देखा तब उसने अपनी ननद कृष्णा शान्ति के पास स्वयं को अपने घर में तालाबन्द कर लिया। बाहर के कमरे का दरवाजा हटा कर वे घर में घुस गये। जब उसने वहां से भागने की कोशिश की तब चार पाजियों ने उसको पकड़ कर रखा, उसके कपड़े फाड़ दिये तथा उनको जला दिया।

"इसके बावजूद भी उसने प्रतिरोध किया तब उनमें से कुछ ने उसकी तीन वर्षीय बच्ची सरोज को पकड़ा तथा उनके ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया, जिसको कि वे अपने साथ लाये थे। तथा उसको जलाने की धमकी दी। आतंकित माँ ने अपना सारा प्रतिरोध छोड़ दिया तथा मिट्टी के तेल में लगी हुई अपनी बेटी की ओर गिर गई। इसके पश्चात उनमें से चार व्यक्तियों ने जिनमें से दो पुलिसकर्मी थे तथा दो अन्य थे। उनके साथ बलात्कार किया।"

महोदय इसके बाकि अंश को मैं उद्धृत नहीं कर सकती। उन्होंने सिसवां में 16 बलात्कार के मामलों की शिकायत की है। यह सारा ब्यौरा लखनऊ में सरकारी तौर पर जून के अन्त में मौजूद था। जबकि इससे पहले भी इसको छिपाया गया था।

मैं यह पूछना चाहती हूं कि जून से लेकर जुलाई के अन्त तक उन व्यक्तियों तथा पुलिस कार्मियों को निलम्बित करने में इसका अधिक समय क्यों लग गया है? अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं गई है। ऐसा ही नहीं है कि कल प्रमिला जी उनके साथ गई तथा कल को हम नेशनल फेडरेशन की ओर से प्रधान मन्त्री के पास जायें। यह शुरूआत नहीं है। मैं यह जानती हूं कि लखनऊ तथा बस्ती में भारतीय महिला के राष्ट्रीय संघ की यूनिट द्वारा इस विषय पर 'जेल भरो' का आह्वन किया गया है। उन्होंने इस सारे विषय की ओर वहाँ के प्रशासन का ध्यान

दिलाया है। केवल यही नहीं दल। सगठन तथा जेल भरने की धमकी के सम्बन्ध में उनक हाथ के लिखे हुए दस्तावेज हमारे पास पिछले सप्ताह ही आये हैं।

महोदय, राजनीतिकरण की बात भूल जाइये। दूसरे पक्ष के साथी जो शासक दल में हैं जो वहां पर शासन कर रहे है उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता उन्हें कहने दीजिये। इसके लिये वहाँ पर क्या स्पष्टीकरण हो सकता है ? इस संबध में मैं पिछले वर्ष की एक घटना का जिक्र करना चाहती हूं जिसमें सी० पी० आई० की एक कार्यकर्त्ता शान्ति देवी के साथ नन्दों में पुलिस स्टेशन के अन्दर बलात्कार किया गया था। हमने इस पर सदन में चर्चा की थी। और हमें केवल उस मामले को रजिस्ट्रर करवाने के लिये भूतपूर्व गृह मंत्री श्री जैलसिह के घर पर धरना देना पड़ा। अपराधी को निलम्बित भी नहीं किया गया। वह मामला अभी तक भी चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में उसी बस्ती जिले में ऐसा हुआ है। इन सब बातों से किन बातों का पता चलता है। क्या उससे किसी गभीर दृष्टिकोण का पता चलता है ? महिलाओं पर अत्याचर होते हैं। लेकिन उनका रूप भिन्न भिन्न होता है। लेकिन गंभीर बात पुलिस द्वारा बलात्कार की है। पुलिस रक्षक है। यदि उनके साथ वैसा ही होता हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रक्षक ही भक्षक बन रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां। मेरे पास दुर्घटनाओं का वर्णन करने के लिये समय नहीं है। ऐसी अनेक घटनायें हुई हैं। यदि आप अनुमति देंगे तो मैं एक-एक करके इन घटनाओं का वर्णन करूंगी। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आप पश्चिम वंगा की बात क्यों नहीं करती (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : एक घटना पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार संबंधी है अर्थात पुलिस द्वारा किया गया बलात्कार यह मेरे विचार में सभी अत्याचारों में से बुरा से बुरा अत्याचार है। इस पर भिन्न पहलू से विचार करना है।

मैं पश्चिम बंगाल की बात भी करती हूं। वे वामपंथी मोर्चा की सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान पुलिस द्वारा किये गये केवल एक बलात्कार का नाम लें।

श्री संतोष मोहन देव : बरनाली (व्यवधान) पुलिस बलात्कार (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : ऐसा न कहें। मैं अपनी संसद सदस्यता को छोड़ दूंगी यदि पश्चिम बगाल में पिछले पांच वर्षों में पुलिस द्वारा सामूहिक रूप से बलात्कार का कोई मामला हुआ हो।

एक दूसरा पहलु है, मैं भी इससे कम चिंतित नहीं हूं। दूसरा पहलू उन लोगों द्वारा बलात्कार का है। जो शक्ति का उपयोग किसी प्रकार अथवा धन, आर्थिक, सामजिक शक्ति द्वारा कर सकते है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : राज्य शक्ति ।

श्रीमती गीता मुखर्जी: हां यह भी ठीक है। यह उस स्थिति से होता है जब लोग औरतों को जमीदारों, कारखानों के मालिकों, वरिष्ट अधिकारियों आदि की तरह अपने वश में कर लेते हैं। इसे मैं शक्ति बलात्कार कहती हूं। यह एक अन्य प्रकार का अत्याचार है, जो हो रहा है।

एक तीसरे प्रकार का अत्याचार भी है जिसे राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। यदि वह प्रकाश में आयेगा तो सभी राजनैतिक दलों को इस बारे में बहुत सावधान होना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से कहूंगी कि यदि इस प्रकार के अत्याचार का कोई आरोप है, तो मैं अपने दल की ओर कहूंगी कि एक संयुक्त जांच हो। ये ऐसा कहें। यदि ये सहमत होते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

धमकी देने की घटनायें भी हैं। लेकिन इस किस्म की धमकियों को तभी रोका जा सकता है यदि एक संयुक्त जांच हो। मैं कहूंगी कि पिछले तीन वर्षों के दौरान समाचार पत्रों में कैसे समाचार छपते रहे हैं। हर दल विशेषकर सत्तारूढ़ दल के सदस्य अपने दिल पर हाथ रखकर पता लगायें कि इस प्रकार के अत्याचारों में बड़े बड़े अपराधी कौन हैं। मैं बहुत ही दुःखी मन के साथ कहती हूं कि ऐसे अपराधी सत्तारूढ़ दल के ही कार्यकर्ता हैं। फिर भी मैं कहती हूं कि यदि कोई व्यक्ति एक भी बलात्कार करता है मैं उन लोगों में से हूं जो एक संयुक्त जांच तथा अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग करती हूं।

पश्चिम बंगाल का बरनाली मामला एक शोचनीय मामला हैं। लेकिन वह मामला पुलिस द्वारा बलात्कार का नहीं है। कुछ युवकों की लिप्सा ने एक महिला का बलात्कार किया लेकिन वह बात भी बुरी है और ऐसी प्रवृति को रोकना चाहिए।

श्री के० राममूर्ति (कृष्ण गिरि) : चूंकि यह पश्चिम बंगाल में हुआ है, इसलिए आप इसे मामूली बात समझ रही हैं ऐसा न करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि कोई आरोप हो तो उसकी छानबीन संयुक्त जांच द्वारा की जानी चाहिए। मैं दहेज के कारण होने वाली मृत्यु के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। जहां तक दहेज के कारण हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों का सम्बन्ध हैं मैं इस बारे में कुछ भ्रम में हूं। कल ही गृह मंत्री ने दिल्ली में दहेज के कारण हुई मृत्यु सम्बन्धी दो उत्तर दिये। मेरे एक प्रश्न तथा कुछ अन्य सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है या स्वीकार किया गया है कि 1982 में राजधानी में दहेज के कारण मृत्यु मे वृद्धि हुई है। भाग(ग) में कहा गया है कि 1980 में जलने से हुई मौतों के 483 मामले हुये हैं, 1981 में 595 और 1982 के छः महीने में 294 मामले हुये हैं। जलने से हुई मौतों के 600 मामलों में से यदि अधिक नहीं तो कम से कम आधे, औरतों के सम्बन्ध में होंगे। अत कम से कम 300 औरतें जलने से मरी हैं। लेकिन यहां यह कहा गया है कि केवल 18 अथवा 19 मौतें दहेज के कारण होंगी। क्या यह सम्भव है? नहीं, यह सम्भव

नहीं। अत: मेरी यह निश्चित राय है कि दहेज के कारण मृत्यु के आंकड़ों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। आप कुछ भी कहें, हमारा यह विश्वास है कि केवल दिल्ली में प्रति-दिन दहेज के कारण एक मृत्यु होती है, देश के अन्त भागों की तो बात छोडिये।

समय की कमी के कारण और अधिक विस्तार में न जाते हुये मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं कि क्या किया जाये। जहां तक पुलिस द्वारा बलात्कार का सम्बन्ध है, ज्योंही कोई आरोप लगे तो सम्बन्धित कर्मचारी को तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिये। बाद में यदि आरोप सिद्ध हो जाये, तो उसे बर्खास्त किया जाये या नौकरी से निकाल दिया जाये। इसकी जिम्मेदारी उच्चाधिकारी पर होनी चाहिये। यह बहुत जरूरी है।

जहां तक कानून का सम्बन्ध है। अब जबकि गृह मत्री यहां हैं, मैं कहना चाहूंगी कि संयुक्त समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकती क्योंकि यह सरकार की ओर से नये संशोधन का इन्तजार कर रही है। इसके कारण समिति प्रतिवेदन रुका हुआ है। सरकार अभी तक वह नया संशोधन नहीं लायी है। मैं गृह मंत्री से इसे शीघ्र लाने का अनुरोध करती हूं ताकि समिति इस पर विचार कर सके और सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके।

हिरासत में किये गये बलात्कार के मामले में सरकार इससे सहमत है कि सबूत का दायित्व अपराधी पर होना चाहिये। मैं कहूंगी कि इसे शक्ति बलात्कार पर भी लागू किया जाये। शक्ति बलात्कार के इस विचार को स्वीकार किया जाना चाहिये।

यद्यपि दहेज सम्बन्धी कानून अभी बनाना है, फिर भी मैं कहूंगी कि कोई भी कानून उस समय तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि समाज की ओर से समस्या की गम्भीरता सम्बन्धी समाजिक जागरुकता न हो। मैं यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि 3 तारीख के दहेज विरोधी जिस प्रदर्शन का आयोजन हम कर रहे हैं, उसके लिये अपना सहयोग तथा उसमें भाग लें। साथ-साथ यदि किसी मामले में दहेज के कारण मृत्यु के बारेमें दें थोडा भी संदेह हो, तो सभी राजनैतिक दल उनका पर्दा फाश करने के लिये प्रतिस्पर्धा करें और उसे राजनैतिक रंग न दें। यदि एक भी औरत दहेज के कारण मरती है, तो जैसे के तैसे की भावना से काम लेना चाहिये। उसकी केवल उसी दशा में कुछ किया जा सकता है।

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, खास कर इसलिए भी कि यह मामला मेरी अपनी कांस्टीचूएन्सी का है .....

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर): तब तो गजब हो गया।

श्री काजी जलील अब्बासी: बहस के शुरु में हमारी लायक मेम्बर श्रीमती दण्डवते जी ने कहा है कि वह 8 महिलाओं का डेपुटेशन लेकर, जिनके कन्धों पर बच्चे थे, इन्दिरा जी के पास गई। इत्तिफाक से मैं वहां मौजूद था। अखबार में जो छपा है, कि मिसेज दंडवते ने कहा कि कि सी० बी० आई को जांच का आर्डर दे दिया है, इन्दिरा जी ने, तो क्या यह खबर अखबार

में गलत छपी है ? या तो यह खबर गलत छपी है या मिसेज इंदिरा ने बहुत ही नाइन्साफी की है कि उस मौके पर वहां जाने के बाद मिसेज इन्दिरा गांधी ने जो हमदर्दी का इजहार किया और सी० बी० आई को इन्क्वायरी के लिए जो कहा उसको यहां अपनी स्पीच में मेंशन नहीं किया। वे एक लायक मेम्बर है और हमें उन पर फख्र है और मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं ! लेकिन हम यह उम्मीद करते थे कि बजाए यह कहने के कि इन्दिरा जी ने क्या किया सिर्फ एस० पी और डी० एम को ट्रान्सफर कर दिया और इससे क्या होगा, वे इस मंजर बात को भी यहां कह देती। या तो इन्दिरा जी ने ऐसा कहा नहीं या अखबार में गलत छप गया, दोनों बातें हो सकती हैं। मैं नहीं कह सकता कि क्या सही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा कि 27 तारीख को सारे लोग जमा हुए और 11 तारीख को 'न्यू एज' में यह छपा और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और कांस्टेबिल का ससपेंशन किया। मैं आपके द्वारा अपनी लायक मेम्बर को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक्शन लिया है, वह किसी सरकार ने आज तक नहीं लिया है। हम कांग्रेस के लोग उससे मुत्तमईन नहीं हैं! एक्शन ज्यादा ले लिया और हम लोगों को खतरे में डाल दिया। हम लोगों की बात सुनी नहीं गई और सिर्फ अपोजीशन की बात सुन कर, अखबारों की रिपोर्ट को देख कर और उनमें मोटी सुर्खी दे कर यह एक्शन ले लिया है। 20 तारीख को दो कांस्टेबलों थाना इन्चार्ज को ससपेंड कर दिया और तीन को आऊट आफ डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर कर दिया।··· व्यवधान···

एक माननीय सदस्य : कब हुआ ?

काजी जलील अब्बासी : 20 जून को हुआ। ···(**व्यवधान**) ···में बिलकुल खामोशी से सुनता रहा, जब वे बोल रही थी। आप बाद में ठीक कर दीजिएगा, अगर गलत हुआ तो।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अब्बासी, आप मुझे सम्बोधित करेंगे तो ये बाधा नहीं डालेंगे। आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। फिर वे बाध्य नहीं डालेगें

काजी जलील अब्बासी : इतना ही नहीं कि तीन आदमियों को खाली ट्रान्सफर किया जो उसमें इन्वोल्व पाये गये थे, दो सिपाही एक दरोगा को ससपेंड कर दिया और थाने के बकिया सब लोगों को ट्रान्सफर किया। एक डी०एस०पी को भी ट्रान्सफर किया।···(व्यवधान)···आप कहते हैं कि एरेस्ट क्यों नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि इतनी मोटी सी बात भी नहीं जानते हमारे लायक वकील, हाई कोर्ट के बैठे हुए हैं और यह अफसोस की बात है, कि एरेस्ट बिना किसी इन्क्वायरी के नहीं कर सकते। एरेस्ट करने के लिए केस कोर्ट में जाएगा···(व्यवधान)···।

उपाध्यक्ष महोदय, 40 आदमी आऊटसाइडर्स थे और 10 -12 सिपाही जो हैं इनके, खिलाफ मुकदमे भी कायम कर दिये गये हैं और उनकी जमानत कोर्ट से हुई है अब किस-किस की जमानत हुई है, यह मुझे नहीं मालूम लेकिन जमानत कोर्ट से हुई है। जब मुकदमे कायम हो गये और कोर्ट से जमानत हुई है, तो यह एरेस्ट माना जायेगा। इसलिए जो आपकी यह ख्वाहिश थी, वह भी पूरी कर दी गई है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो घटना घटी है, यह 23 अप्रैल की है। 23 अप्रैल को पार्लियामेंट चल रही थी और 9 मई तक पार्लियामेंट चली। पार्लियामेंट के बाद हम लोग वहां पहुंचे हैं। जिले में कई एम० पी० हैं और किसी के पास इस बारे में कोई इत्तिला नहीं आई इतनी बड़ी घटना घट गई और किसी को मालूम नहीं हुआ। हम तो नालायक थे, जो हमारे लायक अपोजीशन के एम० पी० हैं, उनके पास भी कोई इत्तिला नहीं आई। इतना बड़ा रेप का केस हो गया और कोई इत्तिला नहीं। तीस जून तक यह रेप का मामला नहीं आया। फर्स्ट टाइम तीस जून को वहां के हारे हुए एम० एल० ए० श्री शिवराम मित्तल ने एक एप्लीकेशन दी जिसमें उन्होंने इस रेप के वाकये को लिखा। इमीडियेटली वहां के अफसरान वहां गए। उनका कहना है कि मौके पर जाने के बाद किसी ने भी उनके सामने कोई बयान इसके सम्बन्ध में नहीं दिया। वहां के जो एस० डी० एम० पांडे हैं उनके हवाले यह केस कर दिया गया और जुडीशियल इन्कवारी वाज आर्डर्ड।

23 अप्रैल से लेकर 3 जून तक करीब डेढ़ महीने में इस मामले का कोई तस्किरा नहीं कि कोई बलात्कार या रेप हुआ है। हम लोगों के सामने कोई मामला नहीं आया। जब पार्लियामेंट के बाद मैं वहां पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि वहां पर कोई इलेक्शन हुआ था। और दोनों गुटों में बराबर की टक्कर थी। उसमें एक हारा और एक जीता। उनमें आपस में लड़ाई और झगड़ा भी हुआ था इसके कारण वहां दो पुलिस वाले सम्मन वारन्ट लेकर तामील करने गए थे। वहां पर यह फैला दिया गया कि हारा हुआ फरीक यह लिवा कर आया है। लोगों में कुछ गलत फहमी हुई और पुलिस वालों का कहना है कि उनको बन्दूक छीन ली गयी; जब ऐसा हुआ तो हम फायर करके चले आये। दूसरे फरीक ने जब यह कहा तो मैं खुद एस० पी० के पास गया और उनसे मैंने कहा कि मुझे वारन्ट दिखाओ। उन्होंने मुझे वह दिखाया। उसे, आई हैव सीन विद माई ओन आईज। वह कोर्ट का वारट है और उस पर कोर्ट की सील मौजूद है। अब उसके बारे में कैसे वह दे कि पुलिस वाले किसी फरीक की तरफ से गए थे। अगर पुलिस वालों से बन्दूक छीनी जाएगी तो जाहिर बात है कि पुलिस वाले फूल तो बरसायेंगे नहीं।

ऐसा लगता है कि वहां छीना-झपटी हुई और पुलिस वालों ने ज्यादती की है। वहां कुछ ज्यादतियां हुई हैं। इसको मैंने भी सुना है। हम वहां पर मथुरा प्रसाद पांडे से मिले थे। हमने उनसे और बहुत लोगों से बात की थी। किसी ने भी बलात्कार या रेप की बात नहीं की। मथुरा प्रसाद पांडे बीमार है और अस्पताल में हैं। रमेशचन्द्र जी जो वहां बकाया के समय एस० पी० थे आये थे उनका भी ट्रांसफर हो गया है और अब जगीसिंह उनकी जगह हैं, जिनका कि इस वाके से कोई ताल्लुक नहीं था। जो कि इस वाके के बहुत बाद आये थे। इनके ट्रांसफर के भी आर्डर हो गए हैं। अब ऊपर से आर्डर हो गये और ट्रांसफर हो गया। न जाने वहां कितने लोगों का ट्रांसफर हो चुका है।

इस वाकये के बारे में मेरा कहना यह है कि बी० जे० पी० के श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी

जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे वे वहां गये थे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे लायक दोस्त नारायणपुर के बारे में कहते है, इन्दिरा गांधी के बारे में कहते है। नारायणपुर में तो इन्दिराजी गई थी, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ और यहां माधो प्रसाद जी और दूसरे विरोधी के कहने पर कड़ा एक्शन हो गया।

सिविल अधिकारी से लेकर कन्सटेबल तक सभी स्थानान्तरित किये गये और कुछ को निलम्बित किया गया और कुछ के स्थानान्तरित किया गया। जब शिकायत हुई तो फौरन एक्शन लिया गया। नारायणपुर के बारे में ऐसा एक्शन नहीं हुआ था। हम एक्शन लें फिर भी आप न मानें तो जाहिर है कि दिल टूटता है। कौन चाहता है कि महिलाओ की बेइज्जती हो। कौन-सी सरकार ऐसी है जो नहीं चाहती कि देश में अमन रहे। आप राई का पहाड़ बना देते हैं। सिसवा जाने के लिए वहां पर मैं 18 तारीख को पहुंचा। रास्ता बड़ा विकट है, पहले दरिया पार करना पड़ता है, फर पैदल, फिर रिक्शा, फिर पैदल इसके बाद पहुंचा शकरौली तो पानी बरस गया। वहाँ से तीन किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, मेरा पैरा ठीक नहीं है, इसलिए मैं वहां तक नहीं जा सका। पांच घंटे शकरौली वहाँ रुका और काफी लोग आए। मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ने भी गया। मुसलमानों और हिन्दुओं से अलग-अलग बात की, सबने बलात्कार की स्टोरी से इन्कार किया। अब मैं खुदा तो हूं नहीं, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि वहां पर दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि बलात्कार की बात कहो, नहीं तो दरोगा यहां से नहीं जाएगा और तुमको पीस देगा, एक ग्रुप कहता है कि बलात्कार नही हुआ है। बात सही थी या गलत, लेकिन सरकार ने मैक्सिमम एक्शन लिया, इसके लिए इस सदन में सरकार को जोरदार शब्दों में तारीफ करनी चाहिए, लेकिन आपने दिल तोड़ दिया और कहा कि कुछ भी नहीं किया। जबकि अभी बहुत कुछ होना है, अभी इन्क्वारी शुरू हुई।

एक दो बातें और बतानी हैं, मैं रोजे से हूं। आप कहते हैं कि उनकी वापसी का इन्तजाम कर दीजिए, लेकिन लाने वाले ले जाने का इन्तजाम करके ही लाए हैं। सरकार अगर करदे तो हमें खुशी है, लेकिन मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि वे बिना सहारे के नहीं आए हैं। जो पार्टियां उनको लाई हैं, ठहराया है, उनके पास वापिस ले जाने का भी इन्तजाम है। आप कर दें तो बहुत खुशी की बात होगी, मेरी कांस्टीट्वेंसी की हैं, हमें करवा देना चाहिए। चाहे काई बात न भी हो।

जहां तक प्रोटक्शन का सवाल है, प्रोटक्शन का पूरा इन्तजाम हमारी सरकार ने कर दिया है। एक भी कांस्टेबल गाँव के इर्दगिर्द नहीं जा सकता और आप कहते हैं कि दरोगा घूम रहा है। जिस दिन से उसका ट्रांसफर हुआ है, उस दिन से वह वहां नजर नहीं आया।

कई आरोप लगाए गए। मेरे ऊपर भी आरोप लगाए गए। अखबारों में मुझे बहुत खींचा गया। अखबारों की कटिंग्स ये मेरे पास हैं। मैंने जवाब भी दिए हैं, वह भी लोगों ने पढ़े होंगे। कहा गया कि मैंने बयान दिया है कि कुछ वाकया हुआ ही नहीं है। मैं कोई पागल तो हूं

नहीं कि ऐसा बयान दूं। 14 जून को मुझ को मेरे गाँव में फोन मिलता है, जो कि शहर से 50 किलोमीटर दूर है, वहां से एक सज्जन 'कौमी आवाज' के कहते हैं कि आपका क्या कहना है। उस वक्त तक जो इत्तिला मेरे पास थी, मैंने कहा कि रेप वहाँ नहीं हुआ है, मैं 18 तारीख को वहाँ जा रहा हूं। लेकिन छाप दिया गया कि मैंने कहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है "इन्डियन एक्सप्रैस" ने जो छापा है, उसका भी मैंने जवाब भेजा है। "टाइम्स आफ इन्डिया" ने जहां सारी खबरें छापी हैं, वहाँ आखिर में जोड़ दिया कि—

> "23 अप्रैल को जब यह घटना हुई, तो बस्ती के कांग्रेस (आई) सख्या सदस्य श्री अब्बसी तथा स्थानीय कांग्रेस (आई) विधायक श्री मथुरा प्रसाद पाँडे ने पुलिस की कार्यवाही का समर्थन करने के लिये एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया।"

और आगे लिखा है कि वहां सिपाही ने हमको टोका और उस सिपाही को दरोगा ने मारा और उस सिपाही ने दरोगा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। 23 तारीख को इन्सीडेंस हुआ। उस दिन मीटिंग करने का सवाल ही नहीं होता है। सिवाय 18 तारीख के आज तक वहाँ जाने का यह हमारी श्री मथुरा प्रसाद के साथ मीटिंग करने का कोई सवाल ही नहीं है। अखबार में टोटल लाई छाप दिया गया है। कांग्रेस के खिलाफ अखबार वाले बड़ी धूमधाम से छापते हैं। जनता पार्टी के समय में भी यही करते थे। अखबार चाहे मेरे खिलाफ चाहे कल फिर लम्बा चौड़ा छाप दें, उनकी मुझे प्रवाह नहीं, लेकिन में कहना चाहता हूं कि अखबार विरोधी लोगों की बातें बहुत ज्यादा छापते हैं और कांग्रेस को डाउन करने की हमेशा कोशिश करते हैं। यह अखबार पूंजीपतियों के हाथ में हैं। इसलिये 23 तारीख को जैसा कि छाप दिया कि मैंने और मथुरा प्रसाद ने मीटिंग करवाई और वहां पर सिपाही ने हम को रोका उस पर दरोगा ने उनको डांटा जिसकी वजह से उसने दरोगा के खिलाफ मुकदमा कर दिया यह सब गलत है। मैं चाहूंगी सी० बी० आई० की जांच अगर इन्दिरा जी करवाना चाहती हैं तो जरूर करवायें, मुझे खुशी होगी।

जब प्रमिला दंडवते जी प्रधान मंत्री के यहां से उन बदनसीब औरतों के लेकर चली आयीं तब मैंने सारी बात प्रधान मंत्री जी को बतायी। तो उन्होंने कहा आप उस समय क्यों नहीं बोलें ? मैंने कहा जहां बहन प्रमिला दंडवते जी फरयाद लेकर आयी हो वहां मेरा बोलना मुनासिब नहीं था, मैं हाऊस में बोलूंगा। मैं अपोजीशन के लोगों की बात इज्जत से सुनता हूं, और कद्र करता हूं। मैंने माननीय हरिकेश बहादुर से बात की, मैंने कहा जांच करालें, लेकिन जांच करालें, लेकिन जांच से पहले जो ऐक्शन लिया गया वह मुनासिब नहीं है क्योंकि अधिकारियों को सफाई का मौका मिलना चाहिये था। जो मुन्शी दो महीने से छट्टी पर था उसको भी ट्रांसफर कर दिया। आप इससे ज्यादा और क्या मतालबा करना चाहते हैं ? विश्वनाथ प्रताप सिंह चले गये तो कहा गया कि इन्दिरा जी भी इस्तीफा दें और असेम्बली भंग की जाय। इस सारे मामले को पोलिटिकलाइज आप करना चाहते हैं, कहीं कोई मौका मर मिल जाय। महिलाओं की इज्जत क्या इसी तरह से होती है कि अखबारों में उनकी फोटो छापी जायें ? क्या यह हमें अच्छा लगता है ? आप भले ही मुजरिमों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लेते, उस पर किसी

को भी कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन अखबारों में सुर्खी देकर तमाम दुनिया में उन औरतों को बदनाम करना अच्छा नहीं है ।

मैं कहना चाहता हूं कि जुर्म जो भी रहा हो या न रहा हो लेकिन हमारे यहां नारायणपुर से अधिक इसको महत्व दिया गया । वहां माननीय जार्जफर्नाडीस हो आये हैं, श्री महोन सिंह भी हो आये, और श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी, जो कि वहां से चुनाव हारे हैं, उनको तो मसाला मिल गया । मैं चाहूंगी कि इसकी जरूर जांच करायी जाय और अगर साबित हो तो कड़ी से कड़ी सजा वहां के लोगों को दी जाय, इससे मुझे खुशी होगी क्योंकि वह मेरी कांस्टीट्यूऐंसी है । अगर गलत हो तो उन बेचारों को जिनको सस्पेंड किया गया है उनको केवल बहाल न किया जाये बल्कि तरक्की दी जाय ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा जिक्र किया है, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने हमसे कहा जरूर था कि इसकी जांच करवा लीजिये । यह तो उन्होंने ठीक कहा । मैने कल इस हाउस में आपने 377 में मुझे एलाऊ किया था, मैंने इस बात की मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिये ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, आज हम जिस मामले पर बहस कर रहे हैं, यह ऐसा नहीं है कि हम इस पर कुछ खुशी महसूस करते हों । बल्कि इस वाके से हरेक का सिर शर्म से झूकता है । हमारे सामने यह मजबूरी है कि ऐसे मामलात जो हमारे मुल्क में होते हैं, जिनसे हमारे मुल्क की इज्जत, औरतों की इज्जत और जिन्दगी जुड़ी है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनकी बहस न करें, उनकी चर्चा न करें ।

मैं भगत जी की इस बात से मुताफ़क नहीं हूं कि यह बात बहुत गलत बात हुई है कि हम आज यहाँ बलात्कार पर डिस्कस कर रहे हैं । सवाल यहां पर सिर्फ बलात्कार का नहीं है, सिर्फ इस बात का नहीं है कि एक बार बलात्कार हो गया, या देहज न देने की वजह से किसी औरत ने एक दफा खुदकशी कर ली, बल्कि मुस्तकिल खुदकशी और बलात्कार हों और वह भी पुलिस और जिम्मेदार लोगों के द्वारा हो यह सोचने की बात है ।

सवाल रामा माहेश्वरी, निर्मला, रामेश्वरी, ऊषा रानी कौशल्या देवी और बहुत सी उन लड़कियों का नहीं है जिन्होंने देहज न देने की वजह से खुदकशी कर ली । सवाल इसका भी नहीं है कि रेप कहां-कहां हुआ है ? आज हमारे देश में रेल में, खेल में, हवाई जहाज में, बस में, हस्पताल मे, होस्टल में सब जगह रेप होता है, कोई जगह ऐसी बची हुई नहीं है जहाँ यह न होता है, थाने में रेप होता है । कोई जगह ऐसी बची हुई नहीं है जहां ऐसे वाक्यात न होते हों । सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है और इसको सोचना भी चाहिये कि आखिरकार रेप क्यों हो रहे हैं ? इन पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है ?

सन् 1980 के बाद से जब से हमारी इस पार्टी की सरकार आई है, आखिर यह क्या बात है जिसने हमें मजबूर किया कि हम लोग ऐसे वाकयात यहां पर बार-बार उठाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, मैं इसको सियासी रंग नहीं देना चाहता और न देना चाहिये, लेकिन मजबूरी है, सियासी रंग इसलिये देना पड़ेगा कि रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है किसी मामले को अगर अपोजिशन पार्टी उठाये, चाहे रेप हो, बलात्कार हो, बलात्कार हो, खुदकशी हो तो रूलिंग पार्टी को उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिये। अगर कांग्रेस पार्टी या रूलिंग पार्टी उसको बढ़ावा दे तो क्या हम उसका जिक्र न न करें ? यह तो वही बात होगी,

अगर हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
और अगर वह कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती।

जब अपोजिशन ने यह सवाल उठाया, यहां से 40 किलो मीटर दूर बागपत में एक औरत को पुलिस के जरिये नगा करके थाने में रेप किया गया, अगर उस वक्त हमारे जिम्मेदार लोग उस दीवार पर लिखे को पढ़ लेते और महसूस कर लेते हैं कि अगर हमने आज इन दरोगाओं, सिपाहियों और पुलिस वालों पर डिपेंड किया तो कल ऐसा न हो कि जो दरोगा और पुलिस वाले कानून के रखवाले है, उनका यह मुस्तकिल काम हो जाये, लेकिन हमसे उस वक्त कहा गया कि हम झूठ कहते हैं। हमने उस वक्त आवाज उठाई, एतराज किया, जलसे किये तो हमारे खिलाफ रूलिंग पार्टी के लोगों ने मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने पुलिस के हक में जलसे किये और धरना दिया और हमारे ऊपर पथराव किया, पुलिस के जरिये मारपीट कराई। लेकिन हम जानते थे कि हमारा यह अपोजिशन का फर्ज है और उसे पूरा करने के लिये हमने खामोशी अख्तयार नहीं की। हम जेलों में गये, 60 हजार आदमी माया त्यागी के सिलसिले में जेलों मे गये। जब हकूमत ने एक इन्क्वायरी कमीशन बैठाया, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, उस रिपोर्ट में पुलिसजनों को जिम्मेदार माना गया है, लेकिन आज तक मालूम नहीं कि उसका क्या हुआ ? यह एटीट्यूड हमारी जिम्मेदार सरकार का है। मैं नहीं समझता कि इससे हम वहां बलात्कार को या इन चीजों को रोक सकेंगे।

अभी काजीजी और श्री भगत ने कहा कि हम इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे मुअजिज मेम्बराने-पार्लियामेंट हैं, उनकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। वे नारायणपुर के वाकये को याद करें। मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वाकये के बाद अखबारी नुमाइन्दों को बयान देते हुए कहा था कि आपोजीशन का काम है रूलिंग पार्टी की कमजोरियां का फायदा उठाना। बताइए, सियासत का रंग हम दे रहे हैं या आ आप दे रहे हैं। मैं तो समझता था कि भगत जी अपनी लीडर के बहुत ज्यादा वफादार हैं, लेकिन आज की उनकी तकरीर सुन कर मैं सोचने लगा हूं कि उनकी वफादारी कैसी है कि वह अपनी लीडर की बात को नहीं मानते हैं और सियासी रंग देने पर एतराज करते हैं।

काजीजी ने कहा कि उनकी सरकार ने बहुत ज्यादा किया है, नारायणपुर में जनता पार्टी

की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं उन्हे बताना चाहता हूं कि जब नारायणपुर के वाकये की इत्तिला पहुंची, तो 23 आदमियो को फोरन ससपेंड कर दिया गया और एनक्वायरी कमीशन बिठाया गया। आपने क्या किया ? जब यहां पर आपकी सरकार आई, तो सबसे पहले उसने बनारसीदास की सरकार को इस बिना पर बर्खास्त किया कि उसने नारायणपुर के वाकये पर कोई एक्शन नहीं लिया।

आज उससे कहीं बड़ा वाकया सिसवा में हुआ है, लेकिन ये लोग इसी बात पर बहुत खुश हैं कि दो पुलिस के सिपाहियों को ससपेंड कर दिया गया है। वह भी कितने दिनों के बाद ? तीन, साढ़े तीन महीने के बाद, जब अपोजीशन के लोगों ने इतना शोर मचाया। काजीजी ने खुले अलफाज में एस० पी० और डी० एम० को सपोर्ट किया है, उनसे हमदर्दी दिखाई है और कहा है कि यह तो बहुत ज्यादा कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं काजीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या नारायणपुर और सिसवा में कोई पैरालल है। नारायणपुर के वाकये के बाद 23 आदमियों को ससपेंड किया गया और इनक्वायरी कमीशन बिठाया गया। इसके बावजूद हमारी सरकार को डिसमिस कर दिया गया। आज तो रोजाना कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हरिजन मारे जा रहे हैं, इज्जत लूटी जा रही है, पुलिस के जरिये लूटी जा रही है। आप तो यह मानने के लिये तैयार नही थे कि सिसवा में ऐसा कोई वाकया हुआ है। जब स्पेशल सी० आई० डी० ने रिपोर्ट दे दी कि पुलिस के लोग जिम्मेदार थे, उसके बाद उन्हें ससपेंड किया गया। चीफ मिनिस्टर ने माना है कि डी० एम० और एस० पी० ने वाकये को छिपाने की कोशिश की, इसलिए उन्हें ट्रांसफर किया गया है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि वे बेगुनाह हैं। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो गई है लोगों को प्रोटेक्ट करने में, उनकी इज्जत बचाने में और उनके जानो-माल की हिफाजत करने में, इसलिए उसको बर्खास्त कर दिया जाए।

आप लोग आपोजीशन वालों से कोआपरेशन मांगते हैं, लेकिन नारायणपुर के वाकये के बाद आपने क्या किया ? उस मामले के सिलसिले मे इतना जबर्दस्त हंगामा हुआ और बनारसी दास की मिनिस्ट्री को डिसमिस किया गया। लेकिन उसके बाद जब आपने चार्ज सम्भाला, तो सबसे पहले रीडनस्टेट किया। उस इन्स्पेक्टर को, जिसको हमने ससपेंड किया था। यह बात अखबार में आई थी कि शायद उसका कोई रिश्ता सेंटर के किसी मिनिस्टर से था, इसलिए उसका ससपेंशन खत्म कर दिया गया। जिस इस्यु को आपने एक नेशनल इस्यू बनाया था, जिसकी बिना पर आपने हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट की कानूनी सरकार को भंग कर दिया था, उसी मामले की रिपोर्ट को आप पबलिश नहीं करना चाहते हैं। आपने यही नही कि उस इन्सपेक्टर का सस्पेंशन खत्म किया, बाद में आपने उसको प्रोमोट करके डी० एस० पी० बना दिया। ऐसी सूरत मे आप हमको बताइए कि इस को सियासी रंग हम दे रहे हैं या वह लोग दे रहे हैं जो उस तरफ बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि जब हमारे सियासी लोग ऐसे मामलात में जहां कि बलात्कार हो रहा है और उन लोगों को जिनके जरिए बलात्कार हो रहा है—छोड़ दीजिए अवाम की बात, अवाम की बात मेरी समझ में आ सकती है कि अवाम मे हुआ है, उसमें आप को कोई

दिलचस्पी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, हुकूमत में होने के नाते आपको होनी चाहिए, उस को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हो सकता है, क्योंकि एक प्राइवेट आदमी बलात्कार कर रहा है तो उसको यह कह देंगे कि कानून अपने आप उसकी देखभाल करेगा, लेकिन आपके जिम्मेदार लोग, दरोगा, इन्सपेक्टर, आर० पी० एफ० के लोग, यहां तक कि मिलिट्री के लोग जब बलात्कार कर रहे हों उस वक्त आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। आप उनको सजा नही देंगे तो आप यह तवक्को नहीं कर सकते कि मुस्तकबिल में लोग बलात्कार नहीं करेंगे, मुस्तकबिल में लोग इसको देखेंगे। आपने यह देख लिया कि माया त्यागी के मामले में जब इतना जबदस्त हंगामा होने के बाद भी आप उसको सजा देने में नाकामयाब रहे तो नतीजा सामने आया।

आपका यही कोई मामला नहीं है कि आपने बलात्कार करने वाले लोगों को सजा नहीं दी बल्कि आपने महफूज किया है उन लोगों को जिन्होंने बलात्कार किया है। आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री एकाडेमी देहरादून मे जो है उसके एक आइ० ए० एस० प्रोबेशनर ने आइ० ए० एस० के एक दूसरे प्रोबेशनर के ऊपर बलात्कार करने की कोशिश की और क्या हुआ ? जब अप्पू साहब ने लिखा यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब को और आपके यहां तो बजाय इसके कि उसको सजा दी जाती उस प्रोबेशनर को आपने डिफेंड किया पूरी तरह से और जब यह अखबारों में आया, अपोजीशन वालों ने उठाया, जब इसके ऊपर एक हंगामा हुआ तब जाकर आपने इसके ऊपर कुछ सजा दी। लेकिन तब आपने सजा दी जब तक एक इतना काबिल और इतना अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर, इतना तालीमयाफ्ता आदमी आपने उस एकाडेमी से खो दिया जो वहां से इस्तीफा देकर चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन हालात में आप यह कैसे तवक्को करते हैं कि कोई भी इम्प्रूवमेंट हो।

अभी उन्होंने कहा है कि पुलिस वहां गई थी वारंट लेकर एक आदमी को पकड़ने के लिए उस आदमी का नाम श्यामसिंह बताया जाता है पुलिस वाले यह बताते हैं। लेकिन जो आपकी स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां गई थी जिसने आकर रिपोर्ट दी कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर वहां हुआ है, उसने यह कहा है कि श्यामसिंह वाला मामला बिलकुल झूठ है इसलिए कि श्यामसिंह उस दिन वहाँ मौजूद नहीं था। उनका कहना है कि श्यामसिंह के ऊपर हमने वारन्ट किया और वारन्ट लेकर उसको गिरफ्तार किया, उसमें झगडा हो गया, यह बिलकुल गलत है। वहां पर जो आदमी थे जो श्यामसिंह के रिश्तेदार थे वह बताते हैं कि उसकी वल्दियत और थी और जो श्यामसिंह उस गांव में रहता है उसकी वल्दियत दूसरी थी। लिहाजा यह बात बिलकुल गलत है किये लोग वारन्ट लेकर वहाँ पहुंचे। इस तरीके की बातें करने के बजाय हम सब लोग अगर ईमानदारी के साथ कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अगर हम यह चाहते हैं कि यहां से बलात्कार खत्म हो तो हम सबको मिल कर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए चाहे वह पुलिस आफिसर हो या कितनी भी बडी से बड़ी हैसियत रखता हो। लेकिन हो तो यह रहा है कि* के बलात्कार करते

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

है,* बलात्कार करते हैं,* आफिसर्स आपके बलात्कार करते हैं···(**व्यवधान**)···आपसे मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं कोई* लोगों के लिए कह रहा हूं···(**व्यवधान**)···

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : इस अतिश्योक्तिपूर्ण टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जायेगा—माननीय सदस्य बहुत अतिश्योक्तिपूर्ण टिप्पणियां कर रहे हैं ?

श्री रशीद मसूद : अखबारों में हैं ये सब चीजें !···(**व्यवधान**)···यह तो अखबारों में आया है ।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको लिमिटि नहीं क्रास करनी चाहिए । (भाषण की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप सीमाओं से बाहर ही हो जायें— बहुत ही अपमानजनक बात कही गयी है ।

श्री रशीद मसूद : यह पोजीशन आपकी है । तो इन हालात में···

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा :) आपने ऐसे मौके पर ऐसी नाजायज बात कह दी ।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : मैं यह मांग करता हूं कि इनका आरोप निराधार है,* चरित्र हनन के लिए जो बात इन्होंने कही है यह निराधार है और इस को हटाया जाय ।

श्री रशीद मसूद : देखिए, ये अगर यह कहते हैं तो मैं इनसिस्ट करूंगा, अखबारों में यह बात आई है ।

प्रो० सत्यदेव सिंह : नहीं, यह बिलकुल गलत बात है ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं जब सारी बातें कार्यवाही वृत्तान्त से निकल की गयी है, तो आप क्यों कह रहे हैं ?

श्री रशीद मसूद : इस सूरत में हम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं । अगर हमें कोई चीज वाकई ईमानदारी से करनी है । तो हमें आदमी की पोजीशन को देखकर नहीं बल्कि कोई भी हो उसको सजा देनी चाहिए चाहे वह किसी भी पार्टी को बिलांग करता हो ।

दूसरी बात यह है कि इस थोड़े से वक्त में आपने दो टापिक्स रख दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा वक्त कहां है ? आप ज्यादा टाइम लीजिए ।

श्री रशीद मसूद : जहां तक डाउरी डेथ्स का ताल्लुक है, इस सिलसिले में बहुत सारी प्राब्लम्स है आप जो डाउरी ऐक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें सिर्फ डाउरी देना और डाउरी लेना-इसको पनिशेबल करेंगे, उसके लिए सजा मुकर्रर करेंगे । लेकिन सवाल यह है कि जो इसकी वजह से मर रहे हैं उनके लिए भी कोई तरमीम इण्डियन पीनल कोड और एविडेन्स ऐक्ट में करनी पड़ेगी । अमूमन होता यह है कि लड़कियां ससुराल में ही होती हैं जहां उनको परेशान

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

किया जाता है, बाज दफा तो वे खुदकुशी कर लेती हैं और बाज दफा उनको मार दिया जाता हैं लेकिन दोनों ही सूरतों में पुलिस से पहला कांटेक्ट ससुराल वालों का ही होता है। ससुराल वाले पुलिस से मामला तय करके रफा-दफा करवा देते हैं। बाज दफा पुलिस को इन मामलात की इत्तला ही नहीं मिलती है, उनकी लाशों को जला या दफना दिया जाता है। और बाद में सबूत नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से कोर्ट से केसेज छूट जाते हैं।

अभी-अभी कोई डेढ़ महीने की ही बात है, इस तरह का निर्मला देवी के जलने का वाकया अखबार में आया था। जलने के वाकए की एफ० आई० आर० पुलिस में लाज कराई गई लेकिन पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा। जब इस सिलसिले में शोर मचा और हंगामा हुआ तो पुलिस ने एफ० आई० आर० दर्ज कर लिया। कोर्ट में मामला, पुलिस की कएटडी में मुल्जिमों को दे दिया गया लेकिन पुलिस ने कोई इन्क्वायरी नहीं की है और उनको जमानत पर छोड़ दिया दिया। जब इस तरह के वाकगात हो रहे हों तब मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा मद मौजूदा कानून में इस सिलसिले में हम पहुंचा सकते हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि इस पर सीरियसली सोचा जाए और इण्डियन पीनल कोड और एविडेंन्स एक्ट में माकूल तरमीमात की जायं या फिर इस तरह की डाउरी डेथ्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स का क्रियशन किया जाए और इस सिलसिले में स्पेशल प्रोसीजर को अपनाया जाए। अगर आप इस सिलसिले में स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल प्रोसीजर बना देते हैं तो मैं समझता हूं हमारी आधी मुश्किल उससे हल हो जाएगी।

इसके अलावा एक चीज और भी है। बहुत सी जगह ऐसी मौतें होती हैं जिनमें उनको मार दिया जाता है लेकिन बाज जगह मार देने की बात नहीं कही जा सकती है बल्कि उनकी जिन्दगी ऐसी कर दी जाती है जिसमें वह खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस सिलसिले में इन्डियन पीनल कोड का सेक्शन (306) लागू होता है लेकिन इसके तहत एक घ्र केसेज ही रजिस्टर हुए हैं। इसलिए इसमें भी तरमीम करने की जरूरत है। अभी इसके लिए जो पनिशमेन्ट है वह कम है, उसको भी बढ़ाने की बहुत जरूरत है।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जिस गम्भीर मसले को लेकर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन बहस का आरम्भ करते हुए हमारी माननीय सदस्या श्रीमती प्रमिला दंडवते' ने जिस तरह से इसको मोड़ दिया है, उससे मुझे थोड़ा अफसोस हुआ है विशेषकर जिस तरह से उन्होंने हमारी महान नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, के प्रति आक्षेप किया उससे मुझे तकलीफ हुई। जिस समय उन आठ महिलाओं को लेकर वे प्रधान मन्त्री जी के निवास स्थान पर गई थी, मैं भी वहा पर मौजद थी। मैंने देखा कि जिस समय प्रधान मन्त्री जी उन आठ महिलाओं से मिली तो उनको भी काफी तकलीफ हुई थी और उसके बाद ही उन्होंने जो भी कार्य होना चाहिए था, कदम उठाने चाहिए थे, उस पर कार्यवाही करने के लिए आदेश भी दिये होंगे इस बात को भी यहां पर स्वीकार किया गया है लेकिन हमारे देश के विरोधों दलों की एक आदत-सी बन गई है कि हर बात के लिए हर बात की जिम्मेदारी

हमारे ऊपर डाली जाती है; हमारे दल के ऊपर ही डाली जाती है, यह सुनकर मुझे यहां पर आश्चर्य हुआ ।

जो औरतें प्रधान मन्त्री जी से मिलाने के लिए यहां पर लाई गईं. वहां से लाने में उनका जो रेल का किराया लगा होगा, जो भी खर्च हुआ हो वह किया गया । यहां पर अखबारों में उनके चित्र खिचवाने, उनके बयान देने और उनके मैमोरेंडम देने यह सब चीजें राजनीतिक दृष्टि से की गई और यह विरोधी दलों के लोग कर रहे हैं । उनसे सहानुभूति की बात की जा रही है, लेकिन क्यों नहीं उनको वापिस भेजने का इन्तजाम किया जा रहा है । इसका दोष भी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी पर ही डाला जा रहा है । यह भी बड़े आश्चार्य की बात है । यदि उनको दिल्ली तक लाया जा सकता है तो कम से कम इतनी हिम्मत और सहानुभूति तो होनी चाहिए कि उनको दिल्ली के प्लेटफार्म पर लाकर न छोड़ दिया जाए । क्या इतनी ही सहानुभूति है कि केवल यहाँ पर लाकर और उनकी तस्वीर अखबारों में खिचवा कर उनको मझदार में छोड़ दिया जाए । हम तो इतनी हिम्मत रखते हैं और हम उनके जाने का भी इन्तजाम करेंगे । वैसे प्रधान मन्त्री जी के निवास स्थान पर प्रत्येक दिन हजारों नागरिक गरीब लोग सुबह आते हैं ; उनसे मिलने के लिए वे उनकी समस्याओं का हल निकालती हैं । और उनके लिए तुरन्त आदेश दिए जाते हैं । मैं यह जानती हूं कि आज हम जिस चीज को लेकर यहां पर बहस कर रहे हैं, वह एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही गम्भीर और बहुत ही शर्मनाक बात है । यह नहीं कि केवल महिलाओं का सवाल है, यह तो नारी जाति का सवाल है । भारत कभी भी इस रास्ते पर चलने वाला राष्ट्र नहीं रहा है, इसलिए पार्लियामेंट इस बात का फील कर रही है और हम इस बात से चिन्तित हैं । सामूहिक रूप से महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाए, यह भारतीयता नहीं है । हम ही नहीं हमारे माध्यम से हम समझते हैं कि हम राष्ट्र की जनता की भावनाओं को यहां पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना है । इस समस्या का हल निकालने के लिए केवल सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को देखना होगा कि इस चीज का अन्त हो । यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट में हो रही है, एक जगह हो रही है; इस प्रकार बातें हर जगह हो रही हैं । हमारा देश बहुत बड़ा देश है 60 करोड़ की जनसंख्या का देश है, वहां ऐसी घटनायें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो ? अगर कहीं भी किसी औरत के साथ ऐसी घटना होती है तो यह बड़े शर्म की बात है । कभी-कभी कुछ अजीब घटनायें सुनने में आती हैं, अभी हाल में अखबार में निकला कि एक जगह अस्पताल में एक रोगिणी के साथ इस तरह से बलात्कार किया गया ···

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : रोहतक में ।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : वेस्ट बंगाल के 24 परगने में एक टीचर की बाइफ के साथ, बरनाली दत्त नर्स के साथ, ऐसा हुआ । ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही ऐसा होता है । मिदनापुर जिले में एक 60 वर्ष की आदिवासी महिला के साथ ऐसा हुआ । हमारे पास जो आंकड़े है उनके अनुसार यू०पी० ही नहीं, बंगाल ही नहीं, हर जगह ऐसा हुआ है···

श्री मनीराम बागड़ी : सारे देश में हो रहा है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : सभी जगहों पर कुछ न कुछ होता ही रहता है। इसलिये इस पर गम्भीरता से बिचार करन की जरूरत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि केबल उत्तर प्रदेश में ही ऐसा होता है या दूसरी जगहों पर नहीं होता है, क्योंकि हम ने देखा है - रेप-केसेज वेस्ट बंगाल में भी हुए हैं। अभी हमारी बहन गीता मुखर्जी ऐसा कह रही थीं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। वेस्ट बंगाल में 1979 में जहां 500 रेप-केसेज हुए थे' 1980 में 521 हुए और 1981 में 463 हुए। यह कमी कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। होम मिनिस्ट्री के जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उनसे स्पष्ट होता है ···

एक माननीय सदस्य : अन्य प्रदेशों का भी बतलाइये।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : बिहार को लीजिये-1979 में 418, 1980 में 243 और 1981 में 357 रेप-केसज हुए।···

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा बलात्कार की चर्चा की थी सामान्य वलात्कार की नहीं। मैंने यह नहीं कहा कि ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने पुलिस द्वारा बलात्कार की चर्चा की थीं।

डा० राजेन्द्र कुमार वाजपेयी : मैं अपनी बहन गीता मुखर्जी की इस बात से सहमत हूं कि पुलिस के द्वारा किया गया रेप तो और भी ज्यादा अघन्य अपराध है, क्योंकि वे एडमिनिस्ट्रेशन के अंग हैं। लेकिन उस समय आपके कथन से यह लगता था कि वेस्ट बंगाल बिल्कुल अछूता है। इसलिए मैंने ये आंकड़े आपके सामने रखे।

अभी हमारे लोकदल के सदस्य भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा- 1980 के बाद जब से यह सरकार सत्ता में आई है उस बाद से रेप-केसेज बड़े हैं। मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि आंकड़े यह कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि जबसे हमारी सरकार आई है इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि जहां ऐसी गटनायें हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जांय। आज अखबार भी इन घटनाओं के प्रति सजग है उनमें तुरन्त छपी खबरें छपती हैं, पब्लिक आपीनियन भी बहुत ज्यादा सजग है, सब चाहते हैं कानूनी तरीके से सख्त से सख्त कदम उठा कर इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाय और इसी का यह नतीजा हैं कि आज आंकड़े हमें बतलाते हैं कि इस तरह की घटनाओं में कमी आई है इसका यह मतलब नहीं है कि हमें पूरी तरह से सन्तुष्ट हो जाना है, हमें देखना होगा कि कैसे इसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं।

आज दो तरह के रेप होते हैं। एक तो इण्डीविजुअल और दूसरे वे जो सामूहिक रेप होते हैं—सामूहिक रेप तो बहुत घिनौना चित्र हमारे सामन खींचते हैं आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? हमारी शिक्षा में कोई कमी आ गई है कि हमारे चरित्र का इस तरह से ह्रास हो रहा है, जिसको आज हमें उठाने की आवश्यकता है। उसकी जिम्मेदारी हम जो समाज के

अन्दर काम करने वाले लोग हैं, हम जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं, चाहे इधर बैठे हों और चाहे उधर बैठे हों, हम सभी पर आती है।

आज जो यह बहस रखी गई है कि हम स्त्रियों के ऊपर कैसे अत्याचार को रोका जाए, तो ये अत्याचार केवल रेप के रूप में ही आज भारत में औरतों पर नहीं हो रहे हैं बल्कि और दूसरे रूप में भी होते हैं। अखबारों में हमने उस दिन पढ़ा था कि कुछ बाहर के लोग आते हैं और यहां आकर पैसा देकर स्त्रियों को खरीद कर कुछ दिनों के लिए उनसे विवाह कर लेते हैं और उसके बाद छोड़कर, उन्हें तलाक देकर वापस चले जाते हैं। यह भी एक तरह की औरतों के ऊपर एट्रोसिटी है। मैं चाहूंगी कि हमारी होम मिनिस्ट्री इस चीज को देखे और टैम्पोरेरी तौर पर जो लोग बाहर से आते हैं और थोड़े समय के लिए औरतों से शादी कर लेते हैं और फिर पैसा देकर तलाक लेकर जो वापस चले जाते हैं, तो इस चीज को रोकना चाहिए। आज होटलों के अन्दर गरीब लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उनको खरीद कर उनका इस्तेमाल होता है। इससे जो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है, यह भी औरतों पर एक दूसरी तरह का अत्याचार है जोकि नहीं होना चाहिए। स्त्रियों पर जो अत्याचार होता है। उसमें केवल रेप ही नहीं है बल्कि उनको भगा कर दूसरी जगह ले जाया जाता है और एक से दूसरी जगह उनकी बिक्री कर दी जाती है। राजस्थान में धौलपुर में एक इस तरह की मंडी बनी हुई है जहां पर औरतों को बेचने का काम होता है और जो कानून इस विषय में बना हुआ है, उसका उल्लंघन होता है। धौलपुर के पास एक सब-सैन्टर बना हुआ है जहां पर आस-पास के विलेजेज की 4-5 स्त्रियों को डेली खरीद और बिक्री की जाती है और उनको खरीद कर या तो वेस्टर्न में भेज दिया जाता है या फिर दूसरी जगहों पर भेज दिया जाता है।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : सरकार को यह पता है।

डा० राजेन्द्र कुमार वाजपेयी : सरकार को पता है लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान दिलाना पड़ता है। सरकार इन सारी चीजों पर एक्शन लेती है लेकिन समाज के अन्दर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छिपकर ऐसा काम करते हैं। कानून तो होता है लेकिन कानून बनने के बाद भी उसका उल्लंघन किया जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम यह देखें कि ये जो एट्रोसिटीज की कई तरह की फार्म हैं, इनको कैसे रोका जाए।

डाउरी के कारण औरतों की डैथ हुई है। हमारी गवर्नमेंट ने इस संबंध में एक सैलेक्ट कमेटी बनाई हुई है और उस एन्टी-डाउरी कमेटी के साथ हम लोगों ने अलग अलग स्टेट्स का दौरा किया और वहां जाकर देखा है और लोगों से मालूम किया है कि किस-किस तरह से दहेज के कारण लड़कियों की जानें जाती हैं, किस तरह से लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते हैं और कितनी उनको परेशानी होती हैं। मुझे पूरी आशा है कि एन्टी डाउरी एक्ट, जिसको हम और ज्यादा सख्त बनाने जा रहे हैं और इसको रोकने का रास्ता यही है, कि उसको जब यहां पेश किया जाए, तो पार्लियामेंट उसको पास करे। जो पुराना एक्ट था, उसमें जो लेकूने रह गये हैं, उनको हम दूर करेंगे और ऐसे जुर्म को कागनी जेबिल अगर हम बनाते हैं तो यह सदन उसको मंजूर करेगा और इस तरह से हम डाउरी के मामले में लड़कियों की कुछ मदद कर सकेंगे।

आज होम मिनिस्ट्री ने जो कदम उठाए हैं और इस प्रेजेन्ट सिचुएशन में सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से दिल्ली में खासकर जो कदम उठाए गये हैं, जिसक द्वारा इस तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है और फौरन ही अगर किसी लड़की की डेथ की रिपोर्ट की जाती है, तो दो डाक्टर जाते है और उनके द्वारा पोस्टमार्टम का इन्तजाम किया जाता है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो की जा रही हैं। फिर भी हम यह देखते हैं और अखबारों के अन्दर पढ़ते हैं कि डायरो डेथ दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, उनमें ये ज्यादा हैं और देहातों में ये कम है। या तो उनकी रिपोर्टिंग वहाँ देहातों में नहीं होती है या फिर मिडिल क्लास के लोग जो अपनी लड़कियों की शादी में दहेज नहीं दे पाते हैं, इस बजह से यह यहां ज्यादा हो रही है। कहीं पर मर्डर को भी सूसाइड डेक्लेयर कर दिया जाता है।

कहीं जला दी गयी हैं। कहीं ऐक्सीडेंट से मर गयी हैं, अननेचुरल डेथ हो गयी हैं यह कह दिया जाता। इन सब चीजो के बारे में आप पुलिस को सचेत करें और यह देखें कि कहीं पर किसी तरह की ऐसे मामलों मे लापरवाही न बरती जाए।

प्रो० एन० जी० रगा (गुन्टूर) : अधिक महिला पुलिस भी।

डा० राजेन्द्र कुमार बाजपेयी : वीमेन पुलिस भी होना चाहिए। मैं समझती हूं कि जब डावरी बिल यहां आयेगा तब उस पर जब यहां बहस होगी तो सारी डिटेल में जाएंगे। आज तो हम संक्षेप में बात कर रहे हैं।

अब जो बात आयी है इस पर मुझ कहना है कि यह जो हमारा है इसमें बेसिकली स्त्रियों की मान-मर्यादा को बहुत महत्व दिया जाता है। यह उनकी मर्यादा को रख कर चलने वाला देश है। इसलिये बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की जो बातें होती हैं उसकी निन्दा तो हम करते हैं लेकिन उनके दोषियों को उसी तरह का पानिशमेंट होना चाहिए जिस तरह का पनिशमेंट हत्यारों को होता है। उन्हें भी केपिटल मनिशमेंट होना चाहिए, इससे कम पनिशमेंट नहीं होना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रगा (गुन्टूर) : जीवन कारावास, मृत्यु दंड नहीं।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात खेद की है कि हमे इस सभा में बहुत बार बलात्कार सामूहिक बलात्कार, देहज के कारण मृत्यु जैसे महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर चर्चा करनी पड़ी। वास्तव में देश भर में यह आम बात हो गयी है और बलात्कार, देहज के कारण मृत्यु जैसी घटनाओं ने एक भयानक रूप धारण कर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुये, यह हम सबके लिये चिन्ताजनक है और हमें इस बात पर बहुत गम्भीरता से विचार करना है कि इस किस्म की बुराईयों को समाज से कैसे दूर किया जाये।

यद्यपि हम इन बातों से इतने चिंतित है, फिर भी सतारुढ़ दल की हमारी अपेक्षा कुछ अधिक जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि उन्हें इन बुराईयों सम्बन्धी कानून को कार्यान्वित करना है। सभी आवश्यक कार्यवाही सतारुढ़ दल को करनी पड़ती है न कि बिरोधी दल को मुझे अब भी याद है

कि जब इस सभा में नारायणपुर की घटना की चर्चा हुई थी, तो दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों ने उसके लिये कितने जोरदार तर्क दिये थे, क्या हमें यहीं करना चाहिये ? मुझे यह भी याद है कि दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य पुलिस अधिकारियों का बचाव कैसे कर रहे थे । लेकिन जांच का परिणाम क्या निकला ? हम सबको पूरी जानकारी है कि नारायणपुर घटना के बाद कितने सामूहिक बलात्कार हुये हैं । पिछले दो वर्ष के दौरान हुई ऐसी घटनाओं सम्बन्धी प्रेस कतरनों की फायल को मैं देख रही थी और मैं इस प्रकार की घटनाओं के कई उदाहरण दे सकती हूं लेकिन मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहती । कई घटनाएं हो चुकी हैं । डबवाली गांव में क्या हुआ ? जब वहां काफी रोष प्रकार किया गया तो जांच का आदेश दिया गया । इस घटना के सम्बन्ध में दूसरी सभा में बहुत शोर मचाया गया । यह सामूहिक बलात्कार की घटना थी । इसी प्रकार गोण्डा गांव में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई । इस घटना में किसी शीला देवी की हत्या कर दी गई और इस बलात्कार की घटना के पश्चात गोली चलाई गई और लम्बे आन्दोलन के बाद न्यायिक जांच का आदेश दिया गया । इसी प्रकार की घटनाएं मोरेना गांव जमाता गांव और उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर हुई । इन सभी स्थानों पर वस्तुत: सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई थी और वह भी पुलिस के गठजोड़ से ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

कुछ मामलों में पुलिस कार्मिक उसमें सम्मिलित रहते हैं परन्तु अन्य मामलों में जमींदार सम्मिलित होते हैं । इनमें से अधिकांश शिकार हरिजन आदिवासी और निम्न वर्गों के लोग होते हैं । यह सब क्यों हो रहा है ? यह सब इसलिए हो रहा क्योंकि अपने 30 साल के शासन में आपने गांव में जमींदार की शक्ति को समाप्त नहीं किया है । और ये गरीब लोगों जमीदारों से सांठ-गांठ करती है । क्या आपने कुछ किया है ? अब भी 60 प्रतिशत भूमि 10 प्रतिशत उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में है । क्या आप इससे इन्कार कर सकते हैं ? आप आदिवासी, हरिजनों और अन्य वर्गों की रक्षा कैसे कर सकते हैं ? उनसे बलात्कार किया जाएगा । सिसवा गांव के ये लोग यहां क्यों आए हैं ? इसलिए कि तीन महीनों के बाद भी वे अपने गांव में नहीं रह सकते हैं । अपनी सुरक्षा के लिए वे वहां आए हैं । और श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिलने के बाद ही पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । क्या यह आपके दल के लिए, जो राज्य में शासन कर रहा है, अपमानजनक नहीं है ? मैं आपसे पूछती हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है ? वहां क्या हो रहा है ? आप प्रतिदिन समाचार पत्रों में ऐसी कई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं । मैं कई उदाहरण दे सकती हूं । क्या हो रहा है ? हमारे देश में आए एक विदेशी ने हिसाब लगाया है और कहा कि हमारे देश में प्रतिवर्ष बलात्कार की 20 लाख लगभग घटनायें हो रही है । मैं नहीं जानती कि यह ठीक है या नहीं ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर-मध्य) । ठीक है वह मेरी स्टोप फांउन्डेशन का है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : आपको इस सम्बन्ध में क्या कहना है । ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं और आप कहते हैं कि आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं । हम

इसलिए आप पर दोष लगा रहे हैं। शासन दल का प्रश्न भी इसलिए उठता है। इसलिए जो लोग वहां से आते हैं पुलिस कर्मचारियों अथवा जमीदारों को बचाने का प्रयत्न करते हैं। आपकी यही आदत है। इसीलिए हम दोषारोपण करते हैं। आपको इसकी गहराई में जाना होगा और इसके कारण का पता लगाना होगा। अन्यथा यह सब इसी प्रकार चलता रहेगा। और हम विधान प्रस्तुत कर रहे हैं। परन्तु विधान क्या करेगा जब आपने ही निश्चय न कर रखा हो। आप कहते हैं आपको लोगों को बहुमत प्राप्त है और आप अपराधियों से सांठ गांठ कर रहे है तो आप क्या कह सकते हैं ? आप लोग ही इसमें सम्मिलित रहते हैं ...* मैं किसी पर दोष नहीं लगा रही हूं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूं क्योंकि आप नाराज हो जाएंगे परन्तु बहुत से * तथा अन्य कई लोगों के विरुद्ध आरोप है।

मुझे श्री भगत और सम्मानित मित्र श्रीमती वाजपेयी को सुनकर प्रसन्नता हुई। वह कह रही थी कि इसके लिए मृत्यु दण्ड दिया जाना चाहिऐ। मैं आपसे कहती हूं कि मृत्यु दण्ड मत दीजिए परन्तु उन लोगों को जिन पर आरोप है कम से कम अपने दल से तो निकाल दीजिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : नहीं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : जब समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। क्या तब आप इसके लिए तैयार होते हैं। आपके दल के लोगों के विरुद्ध आरोप है। आप उन्हें मृत्यु दंड क्यों नहीं देते। कम से कम उन्हें अपने से निष्कासित कर दीजिए। क्या आप तैयार हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : निस्सन्देह हम तैयार हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : नहीं, मैं नहीं सोचती। आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप न्यूनतम सभव दण्ड की मांग कर रही हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : तब लोग समझ जाएंगे कि यह दल एक ईमानदार दल है। वे उन्हें निष्कासित कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम उन्हें कभी शरण नहीं देते।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यदि मेरे दल में कोई हुआ तो मैं उसके निष्कासन की मांग करूंगी।

श्री वसंत साठे : प्रश्न उन्हें शरण देने का नहीं है। परन्तु इसे सिद्ध किया जाना जरूरी है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मुझे व्यक्तियों के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। तब अध्यक्ष महोदय कहेंगे आप ये बातें नहीं कह सकती हैं। अत: मैं नहीं कह सकती। परन्तु

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

दल को इन सभी लोगों को दंड देने का अधिकार होना चाहिए अन्यथा आपका दल अधिक समय तक नहीं बना रहेगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : ऐसा मत कहिए ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अतः सर्वप्रथम बात यही है कि अपराधी चाहे कोई भी है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। आपको कार्यवाही करनी होगी । ग्रामीणों और आदिवासियों का सामूहिक बलात्कार एक बहुत ही दुःखद मामला है । आपने ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं किया है परन्तु वहां के जमींदरों की दया पर जीवित है । कुछ करिए । क्या कारण है कि अधिकांश घटनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ही होती हैं ? इसका कारण यही है कि वे अभी भी भूमि एकाधिपतियों की दया पर है । आपने उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया है आपको इसे समाप्त करना होगा ।

अब मैं दहेज के लिए हत्याओं को लेती हूं । हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ रही हैं । और रिकार्ड में उनको भी आत्महत्या आदि दिखाया जाता है । मामला सिद्ध हो जाने पर भी और यह साक्ष्य मिलने के पश्चात भी कि यह आत्महत्या नहीं महिला संगठनों को ऐसे मामलों को रजिस्टर कराने के लिए आन्दोलन करना पड़ता है ।

श्री भगत कह रहे थे कि उन्होंने लोगों को टेलीफोन करके तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहा । यह बहुत अच्छी बात है परन्तु कई मामलों में लोगों को धरना देना पड़ता है और प्रदर्शन करना पड़ता है । सभी महिला संगठन एक हो गई थी और तभी मामला रजिस्टर हो पाया था । परन्तु क्या सभी राज्यों में ऐसे मामले दर्ज किए जाते हैं ? श्रीमती दण्डवते ने इस सम्बन्ध में हमारे अनुभव आपको बताये । हम अहमदाबाद गईं और हम ज्योति संघ के सदस्यों से मिलीं । वे शिकायत कर रहे थे कि 66 मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है जब हमने महानिरीक्षक से पूछा, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी । उन्होंने स्वयं महानिरीक्षक को पत्र लिखे । परन्तु वह कहने लगे कि उसे कुछ पता नहीं है । यदि सभी दल मिलकर शिकायत करें कि आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ? आप कार्यवाही करने में काफी समय लगाते हैं । अतः हमें प्रदर्शन करना पड़ता है । हम प्रतिपक्षी दल और कर भी क्या सकते हैं । यदि हम सत्ता में होते हम कार्यवाही करते । पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी अन्यथा हम आन्दोलन करेंगे । परन्तु आप ऐसे लोगों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

दहेज के लिये हत्याओं की संख्या में वृद्धि हो रही है । पिछले वर्ष लगभग 2000 अस्वाभाविक मृत्यु हुई हैं । उससे पिछले वर्ष यह संख्या 1000 थी । प्रतिवर्ष इनमें वृद्धि हो रही है । श्रीमती बाजपेयी कह ही थी इनमें कमी हो रही है । परन्तु मुझे स्वयं गृह मन्त्रालय से पता चला है कि इनमें कमी नहीं हो रही है । अनुभव और भी बदतर है ।

कई राज्यों में कानून बनाए जा रहे हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में शासक दल की क्या भूमिका है ? दहेज के विरुद्ध एक कानून यहां भी पारित किया जाना है परन्तु क्या कम से कम आपके

दल के लोग उस कानून के अनुसार कार्य करेंगे ? आपको यह देखना होगा कि कितने मंत्री तथा अन्य लोग अपनी बेटियों का विवाह इसके अनुसार कर रहे हैं विधेयक को पारित करने का क्या लाभ है जब मन्त्री इन अधिकारियों का उल्लंघन कर रहे हों ? आप सभी विनियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको यह कहने का क्या अधिकार है कि प्रतिपक्षी दल इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं ?

मेरा मुद्दा यह है कि यदि शासक दल गम्भीर है तो इन्हीं दोनों कानूनों को लागू किया जा सकता है और उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। यदि आप गम्भीर हैं तो उन्हीं दोनों कानूनों को लागू किया जा सकता है और उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। यदि आप गम्भीर हैं तो हम आपको अधिकतम सहयोग देंगे क्योंकि यह एक सामाजिक बुराई है।

हिसार में जब हड़ताल हुई तब लोगों को मजदूरों के घरों में भेजा गया और उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार किया गया। अत: वे इसे 'वर्ग हथियार' के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अत: आपको उन निहित स्वार्थी तत्वों के विरुद्ध जिन्होंने आपसे सांठगाठ कर रखी है कार्यवाही करनी होगी। जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते तब तक आप देश के जनता को नहीं बचा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यदि आप अधिक समय लेते हैं और यदि प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है और उसके पश्चात मन्त्री महोदय उत्तर देंगे तो आप जानते हैं कि वह किसे उत्तर देंगे। मन्त्री महोदय का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है, इसीलिए मैं सभी दलों को समय देना चाहता हूं। अत: आप सब कम से कम मंत्री महोदय का उत्तर 7-30 बजे तक दिलाने के लिए मुझे सहयोग प्रदान करेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं जब मन्त्री महोदय उत्तर दें उस समय कम से कम श्रीमती प्रमिला दण्डवते यहां उपस्थित रहें क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव पेश किया है। अन्य सदस्य बोलें और चले जाएं। मैं प्रत्येक वक्ता को अनुमति दूंगा। अत: आप 7-8 मिनट लीजिये। श्री सुन्दर सिंह जी कृपया सभा का समय नष्ट न करें। आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है और भूतपूर्व मन्त्री हैं। दरअसल बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो मुझे आपके आधे भाषण को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना पड़ता है। यह-एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको अवश्य ही यहां उपस्थित रहना चाहिए। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हम यह तो नहीं कह सकते कि सब पर राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करें, किन्तु दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करना आवश्यक है। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, जो राजनीति से दूर रहे।

इसमें भी यह समस्या राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है और धार्मिक है। सभी स्थितियों से यह प्रभावित है। इसलिए अपने विचार हम सीमित ही दे सकें, यह सम्भव नहीं है।

जब हम इसे बड़ी गम्भीरता से देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जिस स्तर तक हमें गंभीर होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहे हैं। उसका प्रमाण यही है कि जिस घटना का ज्यादा से ज्यादा विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जो 3 महीने पहले की है, कुछ ही समय पहले जो प्रधान मंत्री के सामने लायी गयी है, यह इतनी दुर्भेदी घटना हो चुकी है, कि हम सभी राजनीतिक पार्टी के लोग उसके चारों तरफ मंडराते रहे हैं, उसको यहां प्रकट करने में, इस रूप में लाने में कितना समय लगता है, इसी से महसूस होता है कि हम सब कितने इस मामले में गम्भीर हैं ?

अगर हम इसे गंभीरता से देखें तो इसका रूप उतना पुराना है जिसे हम आज तक चला रहे हैं। इस पुराने रूप को हमें निकालना होगा। हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो क्या बहिनों को हमने वह अधिकार दिया है ? शुरू से अब तक हमने उनको एक वस्तु के रूप में प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। अभी हम उनको मान्यता क्या दे रहे हैं। अभी भी हर जगह वही चीज है। हमने बहिनों को समान अधिकार दिये, लेकिन हम ग्रन्थों में किस रूप में पूजा-पाठ कर रहे हैं, वहां हम बहिनों को नर्क के रूप में मार रहे हैं, हमें उन चित्रों को बदलना होगा, चाहे वह फिल्म में हों, चाहे किसी भी वस्तु में हों। आज खूबसूरती देखते हैं, बीड़ी के विज्ञापन होगा तो उसमें बहिन का चित्र होता है, धर्मग्रंथ होगा तो उसमें बहिन का चित्र और कोई दूसरी वस्तु लेंगे तो उसमें भी आज औरत का वस्त्र-हीन आप देखते हैं। हमारे धर्म-ग्रंथों में जो हमारे धर्म के आधार लोग हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनके द्वारा सती की इज्जत लूटने की बात कही जाती है। किसी धर्म के अनुसार व्यक्ति सात-सात, नौ-नौ पत्नियां कर सकता है। आज के युग में हमने बहनों को एक विज्ञापन बना दिया है। हम सब पिक्चर्ज में अश्लीलता और छुरा-मारी देखते हैं, फिर भी हम आशा करते हैं कि हमारी नई पीढ़ी इन चित्रों से प्रभावित न हो, उपन्यासों पुस्तकों और पत्रिकाओं से प्रभावित न हो। जब हम इस स्थिति को बदलेंगे, तभी समाज में बहनों को उनका सही दर्जा मिल सकेगा।

नारी को कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। जब वह मां-बाप के पास रहती है, तो उन्हीं की इच्छा के अनुसार पढ़ाई कर सकती है, वह अपनी मर्जी से शादी या नौकरी नहीं कर सकती। जब बड़ी होती है, तो अपने पति की गुलाम हो जाती है। उसे वोट देने के लिए भी अपने पति से पूछना पड़ता है। बूढ़ी होने पर उसे अपने बच्चों के सहारे रहना होता है। मेरी 70,75 साल की मां को हमारे चार साल के छोटे बच्चे को कहना पड़ता है कि मुझे उस घर तक पहुंचा दो।

इसके साथ ही बहनों को भी बदलना होगा। उन्हें धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक अत्याचार का मुकाबला करना होगा। हमारी क्रांतिकारी बहनों ने राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में कुर्बानी दी थी। इसमें केवल बंगाल की बहनें ही भागीदार नहीं हैं। इसमें हमारी राष्ट्रीय परम्परा भी भागीदार है, वह उपन्यास-सम्राट भी भागीदार हैं, जिन्होंने बहनों की बहादुरी, गौरव और गरिमा को सामने रखा। बहनों को अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। उन्हें अबला नहीं, सबला बनना है। तभी उनपर होने वाला अत्याचार और अन्याय मिट सकेगा। भाइयों का

दोहरा अत्याचार उनपर होता है। उनको भोग्या के रूप में देखा जाता है। भाइयों को दृष्टि में बदलना होगा।

मां का असर सारे परिवार और देश पर होता है। आज एक बहन के पास राज्य-सत्ता है, इसलिए हमारी बहनों को साहस है कि वे एक डेपूटेशन लेकर उसके पास जाएं और अपनी बातें उसके सामने रखें जिस बहन ने यह प्रस्ताव रखा है, उन्होंने भी इसीलिए आशा रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका न केवल समान नागरिक के रूप में सम्मान किया जाता है बल्कि भारत के मातृत्व के रूप में भी सम्मान किया जाता है। आपको अवश्य ही भारत की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए।

श्री केशूर भूषण : यह स्वाभाविक है। मेरी मान्यता है कि जब वह बहनों की संख्या देश में और दुनियां में 50 प्रतिशत है, तो राज्य-सत्ता और समाज-सेवा चलाने में उनका 50 प्रतिशत हिस्सा रहना चाहिए। जब तक उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं दी जायेगी, तब तक उन्हें गुलामी से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। जब एक बहन शिक्षित हो जाती है और किसी अच्छे स्थान पर, अधिकार के स्थान पर पहुंच जाती है, तो उसकी हैसियत बदल जाती है। किसी की ताकत नहीं होती कि उसपर अत्याचार कर सके। इसलिए राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में हमें उनको उचित स्थान देना होगा। उनमें करुणा, सत्य और प्रेम है और हम से अधिक है। इसलिए समाज की बागडोर उन्हें देनी होगी। वे सबसे अच्छी शिक्षक है। बच्चों के जीवन से उनका लगाव है। गर्भ में रखने से लेकर अच्छे और बुरे दिनों में वे सदा साथ रहती हैं। दुर्दैव में दूसरे भले ही छोड़ दें, लेकिन मां कभी नही छोड़तीं है। बच्चों को सिखाने पढ़ाने से लेकर आगे बढ़ाने मे कितना मां का हाथ होता है ? इसलिए आज समाज को वह अधिकार उन्हें दे देने चाहिए। आज अगर मान लीजिए पुलिस की शक्ति भी उनके हाथ में हो तो आज जैसी दयनीय स्थिति सामने नहीं आएगी जैसी कि लोगों ने यहां वर्णन की है। मैं तो चाहता हूं कि उनके हाथ में शक्ति रहे, राजनैतिक जीवन भी उनके हाथ में रहे, उनके अधिकार आगे बढ़ें। उसी तरह से शिक्षण के आधार पर भी उनका जो अधिकार हो वह भी उनको मिले।

इसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कल शादी के सम्बन्ध में भी जो दहेज की बात सामने आई है उसमें भी जैसेजैसे उनके अधिकार बढ़ेंगे वैसे वैसे दहेज की समाप्ति होगी। लेकिन मेरा एक यह निवेदन है कि शादी जो भी हो वह रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए। कोई भी शादी वगैर रजिस्ट्री के न हो और साथ ही साथ जैसे हम लोग अपने खर्च का ब्यौरा देते हैं उसी तरीके से हर व्यक्ति जो शादी करता है वह शादी के खर्च का अपना ब्यौरा दे और एक सीमित खर्च से अधिक न कर सके। जो भी सुधार आज की हालात मे होगा वह इसी आधार पर होगा और जैसे जैसे बहनें स्वावलम्बी बनेंगी सभी दृष्टि से वैसे वैसे ही इन चीजों का समाधान होगा।

ऐसे अत्याचारों के ऊपर दण्ड देने की जो बात है मेरा निवेदन है कि मृत्यु दण्ड के सामन ही दण्ड उनको दिया जाय। किसी के ऊपर जबर्दस्ती अत्याचार होता है तो अत्याचार करने

वाले को दण्ड मिलना चाहिए। आज के जीवन में अत्याचार के क्या पहलू हैं ? अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो वह भूल एक बहन जो है उसके लिए महा भूल के रूप में होगी। सामाजिक दण्ड उसको पहले ही मिल जाता है लेकिन पुरुष वर्ग को किसी तरह दण्ड नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर घोर दण्ड अत्यन्त आवश्यक है। चाहे वह जिस अधिकारी के रूप में भी हों, राजनैतिक सत्ता सम्पन्न अधिकारी हों, सामाजिक अधिकारी हों, धर्म-गुरु हों या पुलिस अथवा मिलिट्री के सत्ताधारी हों, उन सबको कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाय। मेरा निवेदन है कि मातृ शक्ति जागृत हो और हम सब उसी रूप में उनको देखें जिस तरीके से हमारी भारतीय परम्परा का दूसरा हिस्सा है। एक हिस्से में तो हमने पूरी तरह से गुलाम बना कर रखा। मगर दूसरा हिस्सा जो है जहां पर हम दुर्गा और भैरवी के रूप में या प्रेम, करुणा और श्रद्धा के रूप में उनको देखते हैं। उस रूप में हम उनको देखें और वही रूप हम अपना बनाएं, यही मेरा निवेदन हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : (रत्नगिरि) उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर मामले पर विचार कर रहे हैं। मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आरोपों-प्रत्यारोपों से हमारे लिए हल निकालना सम्भव नहीं होगा। हमें यह प्रयत्न करना होगा कि हम किस प्रकार इस प्रकार की चर्चा से इस सामाजिक बुराई को दूर कर सकते हैं।

प्रत्येक सुबह जब हम समाचार-पत्र खोलते हैं तो हम महिलाओं पर आक्रमण, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार अथवा दहेज के लिए हत्याओं के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। अतीत में बहुत से विधेयक पुर: स्थापित किए गए हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश अपराध बढ़ते जा रहे हैं।

मैं ग्रंथालय में इस सम्बन्ध में एक फाइल पढ़ रहा था। मैं उसमें दिल्ली का एक समाचार पाकर आश्चर्यचकित रह गया। उसमें यह लिखा था कि दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी की तीन पत्नियां थीं। पांच वर्षों में तीनों एक-एक करके चल बसीं। तीनों का बीमा किया गया था। यह पता नहीं चला कि वे कैसे मरी यद्यपि उनकी मृत्यु अस्वाभाविक थीं। परन्तु हमारी सरकार उसके विरुद्ध आरोप -पत्र दाखिल करने की स्थिति में नहीं थीं क्योंकि सरकार और पुलिस के अनुसार कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

वर्ष 1981 में दिल्ली में ही 82 दुलहनों के जलने की घटनाएं हुई। 453 अस्वाभाविक मौतें हुई। जहां तक बलात्कार की घटनाओं का सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि अपराधी कोई आयु सीमा नहीं मानते हैं। एक छ: वर्ष की बच्ची और 0 वर्ष की महिला के साथ बलात्कार किया जाता है नर्सों और स्कूल की लकड़ियों के साथ बलात्कार किया जाता है। मुझे पश्चिम बंगाल का एक मामला याद है जिसमें रात के बारह बजे एक अस्पताल में बन्द दरवाजों के पीछे से कोई चिल्ला रहा था 'सिस्टर, सिस्टर मैं मर रहा हूं।" सिस्टर ने दरवाजा खोला और "भाई साहब" उस पर गिर पड़े और उसके बाद और भी उस पर गिरने लगे उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या करदी। दुर्भाग्यवश आज तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। क्योंकि अपराधियों का पता नहीं लगा है। उड़ीसा में एक अठारह वर्षीय

रोगी के साथ जिसने दो दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, मेडीकल कालेज के विद्यार्थियों ने बलात्कार किया।

पिछले वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने सभा में एक उत्तर दिया था जिसे मैं यहां उद्घृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था:

> "औसतन प्रत्येक आठ घन्टों के पश्चात एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, प्रत्येक 12 घन्टों के पश्चात एक महिला आत्म हत्या करती है और मध्य प्रदेश में प्रति तीसरे दिन एक महिला को घरेलू कारणों से हत्या की जाती है।"

जो आंकड़े दिए गए थे वे ये हैं 1059 बलात्कार, 749 आत्म-हत्याएं। घरेलू झगड़ों में 123 हत्याएं। इन घटनाओं में वृद्धि हो सकती है परन्तु मैं उन मामलों का उल्लेख करके इस सम्मानित सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

मैं अपने माननीय सदस्य गृहमन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात का पता लगाए कि यह क्यों हो रहा है मैंने इस पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देश का उत्तरी भाग ऐसे अपराधों से अधिक प्रभावित है। क्यों? मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आध्रप्रदेश, केरल या कर्नाटक में ऐसे कोई मामले नहीं है। परन्तु यदि आप मामलों की संख्या पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि उत्तरी भाग अधिक प्रभावित है। क्या आपने इस पर बिचार किया है? क्या आपने सोचा है कि इस सम्बन्ध में कुछ अनुसधान किया जाये? क्या यह जलवायु सम्बन्धी या भौगोलिक करणों की बजह से है क्योकि यह प्रवृत्ति पिछले 5 या 10 वर्षों से नहीं बल्कि हमेशा से है।

एक माननीय सदस्य : संस्कृ।

श्री बापू साहिब पडलेकर : मैं संस्कृति नहीं कहूंगा क्योंकि यह पूरे देश की एक ही है। मेरे माननीय मित्र जो मेरे सामने बोले हैं और संस्कृति का संदर्भ दिया है और कहा है कि हम स्त्रियों का अपनी माताओं व वहनों के रूप से सम्मान करते हैं हममें से बहुत से लोग जो हिन्दुत्व में विश्वास करते हैं वे प्रातः काल अहिल्या, द्रोपदी, सीता, तारा और मन्दोदरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम महसूस करते हैं कि यदि प्रातःकाल उनके नामों का जाप कर लिया जाये तो हमारे सभी पाप दूर हो जायेंगे।

मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है। एक शिक्षित व्यक्ति ने मुझ बतलाया कि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अपराधों की वृद्धि चिन्ताजनक नहीं है। मुझे खेद है कि मैं इस विचारसे सहमत नहीं हो सकता। मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश में चाहे जनसंख्या में कितनी भी वृद्ध हो यदि एक भी ऐसी घटना होती है तो इससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता हैं। अतः हमे देखना है कि हम इससे किस प्रकार बच सकते हैं।

क्या यह केवल कानून द्वारा किया जा सकता? मैं कहता हूं "नहीं" हमें लोगों को शिक्षित

करना है, हमें अपने लड़कों को शिक्षित करना है। हमें जनता को शिक्षित करना है। अपना बीस सूत्रीय कार्यक्रम बनाते समय आपने इसको 21वां सूत्र क्यों नहीं बनाया। आपको जनता के पास जाकर पता करना पड़ेगा कि यह क्यों हो रहा है जैसा कि मैंने कहा कि केवल आरोप तथा प्रति-आरोप लगाकर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुच सकते। हमें मिलकर दिमाग लगाना होगा और यह पता करना होगा कि हम सबसे अच्छे तरीके से इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं।

महोदय यह सुझाव दिया गया हैं कि दो विधेयक प्रवर समिति के पास भेजे गये हैं। एक तो है दहेज निवारण विधेयक तथा दूसरा दंड विधि (संशोधन, विधेयक) मैं कह सकता हूं कि ये दोनों विधेयक पारित भी हो जायें तो भी अपराधों की संख्या कम नहीं होगी। क्योंकि ये दो अधिनियम प्रर्याप्त नहीं हैं ?

महोदय में दड विधि (संशोधन) विधेयक की प्रवर समिति का सदस्य रहा हूं मैंने कुछ सुझाव देने का प्रयास किया है। परन्तु प्रक्रिया के नियम मेरे रास्ते में आये और मुझे बताया गया कि आप केवल उन्हीं खण्डों के संशोधन पेश कर सकते हैं जिनको विधेयक में सम्मिलित किया गया हो। सरकार द्वारा ऐसे अपराधियों की जांच के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। कि किस प्रकार की अदालतें होनी चाहिए। इसका क्या स्वरूप होना चाहिए। इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया कि क्या दण्ड होना चाहिए। कुछ भी नहीं। मैं माननीय गृह मंत्री को एक बात का सुझाव देना चाहूंगा। यदि दंड प्रक्रिया संहिता में एक परिवर्तन कर दिया गया तो मुझे विश्वास है कि एक भी अपराधी रिहा नहीं किया जायेगा। हम रोम के कानूनो का अनुकरण कर रहे हैं क्योंकि हमें यह ब्रिटेन से विरासत में मिला है और उन्होंने इसे रोमनन्स से लिया यहां हमारी प्रणाली में अपराधी या दोषी कुछ नहीं कहना होता है। केवल अभियोग के दौरान सब कुछ साबित करना होता और अन्त में न्यायाधीश पूछता है "क्या आपने साक्ष्य को सुना है ? आपको क्या कहना ?" वह कहता है 'मैं दोषी नहीं हूं।' उससे आगे पूछ-ताछ नहीं की जाती। इसलिए मैं माननीय गृह मन्त्री को सुझाव देना चाहूंगा कि यदि वह फ्रांस की दंड विधि तथा अपराध विधिशास्त्र को देश में ले आयें तो एक भी अपराधी साफ बचकर नहीं निकल सकता। वहां पर जैसे ही किसी के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है उसे अपनी सफाई के लिए जो कुछ हो कहना पडता है। यहां पर वह कहता है कि मैं दोषी नही हूं जब तक पूरा मुकदमा खत्म नहीं हो जाता तब तक वह अन्यथता से लेकर आत्मा-सुरक्षा तक अपनी सफाई दे सकता है। उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अत: यदि आप अपराधी प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर सकते हैं अर्थात जैसे ही आरोप लगाया जाये दोषी को अपनी सफाई देनी चाहिए क्या सम्पर्क सहमति से है या वह अन्यत्र स्थिति बतलाता है तब अभियोग के दौरान ध्यान उस साक्ष्य के विशेष भाग पर केन्द्रीत किया जा सकता है परन्तु प्रक्रिया यह है जिसके बारे में मैं बहुत गंभीर हूं वह यह कि दोषी से अनिवार्य रूप से पूछताछ की जानी चाहिए महोदय मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि दोषी से जिरह की जाये तो दोषी को दोषी ठहराया जा सकेगा और सत्य सामने आ जायेगा। परन्तु हम कहते हैं कि सविधान में अनुच्छेद 20 (3) है

जिसकी वजह से किसी को भी स्वय के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। परन्तु यदि आप हमारी माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। तो यदि आवश्यकत, हो अनुच्छेद 20 (3) का सशोधन भी करें परन्तु दोषी व्यक्ति की प्रतिपृच्छा कराने का प्रयत्न कीजिए। मगर मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुच्छेद 20 (3) इसके लिए बाधा होगा क्योंकि किसी को भी स्वय के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। हम दोषी को स्वय के विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं कह रहे हैं।

इस सम्बन्ध में हम उसको बता देंगे साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के बाद आप परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण दे सकते हैं। महोदय यह हमारी दण्ड विधि में गलत प्रणाली है। मैंने दंड विधि (संशोधन) विधेयक में यह संशोधन देने का प्रयत्न किया था परन्तु मुझे बतलाया गया कि यह उस विशेष कानून के दायरे से बाहर है और इसलिए आप यह नहीं कर सकते।

यह अदालतों के बारे में है। यह सभा के बारे में है यह मुकदमें की प्रक्रिया के बारे में है। परन्तु जांच के बारे में क्या है? जहां तक दण्ड प्रक्रिया के जांच भाग का सम्बन्ध है उससे कोई परिवर्तन, कोई सशोधन करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। इन अपराधों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। यदि जांच का कार्य एक निरीक्षक के हाथों में सौंपा हुआ है तो मंत्री दौरे पर आ जाते हैं और जांच का काम एक सिपाही के हाथों में सौंप कर बन्दोबस्त के लिए चले जाते हैं और वह सारा काम खराब कर देता है। वह बलात्कार के शिकार व्यक्ति के कपड़ों को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी क्लिानकल विश्लेषक के पास ले जान के महत्व को नहीं समझता और दोषी को फायदा मिल जाता है, और संदेह का लाभ दोषी को होता है। सैकड़ों दोषी व्यक्ति बच सकते हैं परन्तु एक व्यक्ति को नुकसान नहीं। वह सिद्धांत को बदलने के लिए सिद्धांत हैं। जहां तक इस प्रकार के अपराधों का सम्बन्ध है हमें रोमन विधि सिद्धान्तों को नहीं अपनाना चाहिए और मैं महसूस करता हूं कि यदि आप इस प्रक्रिया को यौन अपराधों पर भी लागू करें तो इससे कोई भेद नहीं होगा। अब अदालतों के सम्बन्ध में भी यह सुझाव दिया गया है कि हमें परिवार अदालतें बनानी चाहिए। संतप्त गवाही देने की दशा में नहीं होती क्योंकि वे प्रतिपृच्छा के दौरान पूर्ण रूप से अपमानित महसूस करती है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मुझे ऐसा लगता 15 या 20 मामलों में पीड़ितों से पूछताछ करने का अवसर मिला है। मैं आपको बतला सकता हूं कि संत्पत्त जिस अपमान की भावना से ग्रस्त होती है उसकी वजह से वे अदालत में उत्तर देने में समर्थ नहीं होती जहां पर बहुत से लोग उपस्थित होते हैं। इसीलिए हमने सुझाव दिया है कि परिवार अदालतें होनी चाहिए मुकदमा बन्द कमरे में होना चाहिए और एकान्त में होना चाहिए उस गांव की कुछ महिलायें होनी चाहिए जो कि संत्पत्त महिला की गवाही के कमरे में जाते समय सहायता करे। जो विधेयक आपने प्रवर समिति के पास भेजा है उस पर कोई सुझाव नहीं दिया गया। यदि आप आवश्यक परिवर्तन कर दें और कानून भी बना दें तो मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार के अपराधों में कोई सुधार नहीं होगा। हमें इन सुझावों में से कुछ पर गम्भीरता से विचार करना है। बहुत से सुझाव दिये जा सकते हैं। दूसरी बात जो मैं इस सम्मति सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करूंगा वह यह है—सजा कितनी होनी

चाहिए। 6 वर्ष, 7 वर्ष 4 वर्ष, 5 वर्ष की सजा कोई सजा नहीं है यदि आप देश की माताओं बहनों के मान-सम्मान की रक्षा करना चाहते है तो लोगों का कहना दीजिए कि हम आदि काल में जी रहे है। हमें कोड़े मारना शुरू करना चाहिए। हमें आजीवन कारावास देना चाहिए। ईरान तथा ईराक में इस प्रकार की सजायें हैं मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। परन्तु पांच और छः वर्ष की सजा कोई सजा नहीं है। कठोर दण्ड दीजिए ताकि अन्य बलात्कार कर्ताओं का सबक मिल सके जो यह महसूस करेंगे कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे 30 कोड़े लगेंगे। और 30 कोड़े लगने के बाद आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार का कठोर कानून बनायेंगे केवल तभी इस बुराई पर रोक लग सकती है और कुछ हद तक समाप्त भी हो सकती है। अन्यथा यह संभव नहीं है।

हम सुधारात्मक अवस्था में जा रहे हैं हम महसूस करते हैं कि जेलों को आरामदायक आवासों में बदला जाना चाहिए लोग दिमाग में किसी कमी की वजह से अपराध करते हैं अतः उनका इलाज किया जाना चाहिए। रूस में सुधारात्मक अदालते हैं और मैं आपको एक मामला बता सकता हूं। एक महिला ने जो बैंक में काम करती थी कुछ रुबल चुरा लिए। इस मामले की सुधारात्मक अदालत द्वारा जांच की गयी और जांच के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस महिला ने चोरी इसलिए की। क्योंकि उसके पति फिजूल खर्ची थे। उसको अपने पति को सभी दुर्व्यसनों के लिए पैसा देना पड़ता था। उसको बच्चों की देखभाल करनी होती थी। उसको परिवार की देखभाल करनी होती थी। क्या आपको मालूम हैं कि सुधारात्मक अदालत ने क्या सजा दी ? सजा यह मिली कि बैंक को तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा गया। सरकार को बच्चों को निशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। क्या हम इस सिद्धान्त को बलात्कार करने वाले व्यक्ति पर भी लागू कर सकते हैं। उनको हमें क्या देना चाहिए ? यह सिद्धान्त विधिवेताओ का है और ये विधिवेता वातानुकूलित कार्यालयों में बैठते हैं। वे कहते हैं कि इसको हमने अंग्रेजों से लिया है। सैकड़ों वर्षों से हम इसी सिद्धान्त पर चल रहे हैं। इसलिए इस संदेह के लाभ का सिद्धांत हमें स्वीकार करना पड़ा और यह सिद्धांत भी स्वीकार करना पड़ेगा तो यह बुराई रोकी नहीं जा सकेगी। प्रवर समिति को बहुत से सुझाव दिए गये हैं। श्री वैंकट सुब्बैया समिति में है। दुर्भाग्य से हम उन पर जोर डालने में असमथ हैं। इसीलिए मैं कठोर कानून, शिक्षा प्रक्रिया, अदालतों तथा परिवार समझौते की कार्यवाही के बारे में सुझाव दूंगा। यदि इन सभी पर विचार किया जाये तो इस सम्बन्ध में प्रगति हो सकती है।

मैंने इस बात का पता लगाने के लिए पहले ही निवेदन किया है कि उत्तरी क्षेत्र में ही यह विशेष अपराध अधिक मात्रा में क्यों होता है। यदि ऐसा कुछ किया जाये और यदि हम इस पर कुछ विचार करें तो मैं महसूस करता हूं कि हम कुछ प्रगति कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तरी भारत से यह कुछ राज्यों में है पूरे उत्तरी भारत में नहीं। श्री राजेश पायलट

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) अपने भाषण के आरंभ में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता

हूं कि मैं विपक्ष के सदस्यों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वह काम सत्तारूढ़ दल ने किया है और वह उसमें सम्मिलित है। मैं समझता हूं, वर्ष 1981 में एक बहस हुई थी जबकि ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री थे और हम सबने एक आवाज से विरोध किया था और कहा था कि यह राष्ट्र-हित एवं राष्ट्र-प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। हमने कहा था कि इस प्रश्न पर हम सब एकमत हैं। मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिस पर आप हम पर आरोप लगा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पायलट, आज का सत्तारूढ़ दल आने वाले कल का विपक्ष है और आज का विपक्षी दल आने वाले कल का सत्तारूढ़ दल है। सरकार बदलती रहती है।

श्री राजेश पाइलट : हमें इस विषय में एकमत होना है। केवल तब ही हम इस दिशा में रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। कुछ माननीय सदस्य पहले ही काफी विस्तार से इसका उल्लेख कर चुके हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न है, अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं और दूसरा भाग सुझाव के बारे में है—कि हमें क्या करना चाहिए।

पहला कारण, जो मैं महसूस करता हूं वह यह है केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें सख्ती से पेश नहीं आ रही हैं। वे नियम और कानून बना देती है लेकिन उन नियमों और कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता मुझे याद है 1975 में जब आपात्तकाल जारी था, कोई कहीं भी जा सकता था और अपराध तथा अन्य बातों को स्पष्ट रूप से देख सकता था यह समाप्त हो गया है। (**व्यवधान**) इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आपात्तकाल की स्थिति चाहता हूं। लेकिन वैसी सख्ती लायी जानी चाहिए। आप ने कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की ? मैं समझता हूं, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को इस तरह की घटनाओं में अपना रुख और कटोर करना होगा। केवल तब ही कुछ परिणाम हासिल किया जा सकेगा।

दसरी बात जो मैं महसूस करता हूं वह है विद्यमान प्रणाली के कारण पुलिस की निष्क्रियता हमारे मन में पुलिस की जो धारणा है उसे खराब करने वाली तथा पुलिस को निष्प्रभावी बनाने की एक पद्धति राजनैतिक उलझाव है। आज एक अपराधी पकड़ा जाता है कोई विपक्षी नेता मन्त्री महोदय को टेलीफोन करता है। मंत्री महोदय मामले की परवाह नहीं करते। वह विपक्ष को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करते कि क्या यह ठीक है या गलत। सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्य भी ऐसा करते हैं। मैं जो कहने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह कि वह गहराई से नहीं सोचते। लेकिन अपराधी तो अपराधी है चाहे उसका समर्थन मैं करूं या विपक्ष करें। सरकार को कार्रवाही करनी ही चाहिए। उन्हें किसी को तो नाराज करना ही पड़ेगा। कभी तो किसी को नाराज करना पड़ेगा। जीवन में सभी को खुश नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए।

जहां तक स्थानांतरण की बात है। यदि विधान सभा के 10 सदस्य एस० पी० के स्थानांतरण की सिफारिश करें तो उसका स्थानांतरण कर दिया जायेगा चाहे वह कितना ही सख्त कुशल अथवा प्रतिभाशाली क्यों न हो। लेकिन चूंकि विधान सभा के 10 सदस्यों ने उसके स्थानांतरण की सिफारिश की है, इसलिए उसका स्थानांतरण किया ही जाना चाहिए, क्या आप

इस व्यवस्था को सुधार सकते है ? क्या आप इस व्यवस्था में कुछ कर सकते हैं ? अन्ततः क्या होता है हर अधिकारी अच्छे संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं और नागरिकों को सब तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है ।

तीसरा कारण जो मैं महसूस करता हूं वह पुलिस कर्मिकों की प्रशिक्षण प्रणाली का है । हमारी व्यवस्था बहुत पुरानी हैं । हमें बदलती हुई स्थितियों तथा आज की आवश्यकताओं को देखते हुए इस प्रणाली में परिवर्तन लाना चाहिए। लेकिन हमारी आज की प्रशिक्षण प्रणाली घिसीपिटी है । चौथा कारण सुविधाओं के बारे में है। आज हम सिपाहियों से काम लेना चाहते हैं। लेकिन आप उन्हें पूरी सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं। मैं एक पुलिस स्टेशन गया था। मुझे किसी अन्य व्यक्ति से भी यह पता चला है कि वहां क्राइम किट तथा अन्य वस्तुएं भी हैं। जब मै पुलिस स्टेशन गया मैंने क्राइम किट के बारे में पूछा । पुलिस आफिसर को नहीं पता था कि क्राइम किट' क्या होता है । उसने कभी नहीं देखी थी । लेकिन एक पुस्तिका में सूची दी गई थी और उसका उल्लेख वस्तु सूची में किया गया था । लेकिन वस्तुतः उनके पास कोई 'क्राइम किट' नहीं होती । कुछ पुलिस वालों को यह भी नहीं पता कि क्राइम किट' क्या होती । जब आप अपराध विज्ञान की बात तथा उन्नत शिक्षा की बात करते हैं तो अधिकतर अधिकारी उस विषय को टालने का प्रयास करते हैं । जिन अधिकारियों ने इस कोर्स में प्रशिक्षा लिया है, उन्हें किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है और उस अधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण व्यर्थ जाता है । ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन सुधार के समय इनका बहुत प्रभाव पड़ता है ।

हमारे कानून भी बहुत दुसाध्य है । यदि आप बलात्कारी को पकड़ना चाहते हैं, तो आपको डाक्टर के पास जाना होगा और उसे प्रमाणित कराना होगा और उसे प्रमाणित कराना होगा कि इस स्त्री के साथ बलात्कार किया गया है। तब पुलिस कार्यवाही कर सकती है। जब हम जानते हैं कि आरंभ से ही हमें सख्ती से काम लेना होगा तो हमें इन कानूनों को सरल बनाना होगा तथा पुलिस को और अधिक अधिकार देने होंगे। पुलिस को कुछ व्यवहारिक शक्तियां दीजिए ताकि वे इन बातों पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण कर सकें । पाचवां कारण प्रेस है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रेस के विरुद्ध हूं लेकिन इन बातों पर नियन्त्रण करने और इन्हें अत्याधिक फैलाने में प्रेस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । बलात्कार का मामला मुख्य शीर्षक में दिया जाता है । वे उसे सिद्ध करने की परवाह नहीं करते, वे यह पता लगाने का कष्ट नहीं करते कि क्या वास्तव में ही यह बलात्कार की घटना है या नहीं, क्या यह कहानी सच है अथवा नहीं । लेकिन वह समाचार मुख्य शीर्षक में दे दिया जाता है । मुझे याद है 1980 । जब बागपत का मामला हुआ, सभी समाचार पत्रों में यह समाचार मुख्य पृष्ठ पर दिया गया था । यह समाचार पत्रों के लिए उन्माद की घटना बन गई थी । जब आप पहला पृष्ठ खोलें तो आपको मध्यप्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में केरल आदि में बलात्कार की घटना के समाचार मिलेंगे गृह मंत्री के बजट भाषण पर चर्चा में हमने जिन आंकड़ों का जिक्र किया था वे भी गलत थे । यह पता चला कि कुछ घटनाएं सच नहीं थी । लेकिन अभी भी यह समाचार आपको मुख्य पृष्ठ पर मिलेंगे । प्रेस की विश्वसनीय भूमिका अदा

करनी चाहिए। यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रश्न है। उन्हें इसका ज्ञान होना चाहिए कि वे ठीक बात प्रकाशित कर रहे हैं या नहीं। उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो बात वह छाप रहे हैं, वह ठीक है। उन्हें यह देखना ही चाहिए कि वे समाचार पत्रों में सच्ची बात ही प्रकाशित करने जा रहे है। मैं उसके लिए प्रेस को भी दोषी मानता हूं। मैं उन्हें इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है मानता हूं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए।

हमारा राष्ट्रीय चरित्र दिनप्रतिदिन गिरता जा रहा है। हमें इसे ऊंचा उठाना होगा। उसके लिए सरकार को शिक्षा देनी चाहिए जिससे लोग यह जान सकें कि राष्ट्र के चरित्र को किस तरह ऊंचा उठाया जा सकता है।

मैं जो सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जहां बलात्कार की घटनाएं अधिक होती हैं। पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं नहीं होती। हम जानते है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि कुछ ऐसे राज्य और क्षेत्र हैं जहां इस तरह की घटनाएं घटती हैं। हमें उनका राज्यों की सूची बनानी होगी और देखना होगा इन क्षेत्रों में बलात्कार के अपराधों पर किस तरह से नियन्त्रण किया जा सकता है और उस दिशा में कार्यवाही तेजी से की जानी चाहिए।

दूसरे, इन अपराधों के लिएदिये जाने वाले दंड का उचित रूप से प्रचार किया जाना चाहिए। हम जो कोई भी सख्त कदम उठाते हैं, हमें देश में, लोगों में यह प्रचारित करना होगा कि 'यदि आप यह अपराध करेंगे। तो उसके लिए आपको भी यही दंड दिया जायेगा। "यदि आप उस बलात्कार के मामले में पकड़े जाते हैं। तो आपको इतनी सजा दी जाएगी।" इस तरह का प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोग मनोविज्ञानिक रूप से इसके लिए तैयार रहें। इसका उन पर रोधक प्रभाव पड़ेगा।

इस तरह के मामलों के लिए प्रबोधन प्रणाली होनी चाहिए। हमें मामलों का जिलावार प्रबोधन करना चाहिए और देखना चाहिए कि राज्यों द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। हमें देखना चाहिए कि इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं और सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है। इस प्रबोधन प्रणाली को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए ताकि इच्छित परिणाम हासिल किए जा सकें। हमें सरसरी तौर पर दिए गए आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें नियमित रूप उन पर निगरानी रखनी चाहिए। यदि ऐसा नही किया गया, तो हम सही जानकारी नहीं मिल पाएगी।

दूसरी बात यह है कि न्यायालयों द्वारा मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। बलात्कार के मामले में फंसा हुआ व्यक्ति जानता है कि उसे इस मामले में 10 बर्ष तक इस न्यायालय से उस न्यायालय में घसीटा जायेगा। हम ऐसे मामलों के निपटाने का कुछ समय निश्चित क्यों नहीं कर देते जैसा कि चुनाव के मामले में हैं। उसके लिए समय सीमित रखा गया है कि इतने समय में इसे निपटा दिया जाना चाहिए। इसी तरह बलात्कार के मामलों

के लिए भी, निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि इतने समय के अन्दर न्यायालय को अपना निर्णय देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय बनाए जा सकते हैं।

श्री राजेश पायलट : हमें ऐसे मामलों को निपटाने में प्राथमिकता देनी चाहिए जिन व्यक्तियों को इन मामलों में सजा दी गई है वे उसे महसूस कर सकें। मान लीजिए हम सजा आज देते हैं और इस सजा को लागू 10 वर्ष के बाद करते हैं तो इसका सारा प्रभाव समाप्त हो जायेगा। अत: इन मामलों का निपटारा जल्दी किया जाना चाहिए।

इन अपराधों के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाना चाहिए। हम सभी राजनीतिज्ञों को जन मत तैयार करने के सभी प्रयास करने चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि इन बातों पर राजनीति का रंग न चढ़े। मुझे दुख है यह बताते हुए दु:ख होता है कि बहुत से दल इसका लाभ उठाते हैं। जब विपक्ष दल कहता है कि बलात्कार की 20 घटनाएं हुई हैं लेकिन वास्तव में जब यह सिद्ध हो जाता है कि बलात्कार के केवल 5 या 10 मामले हुए हैं तो सत्तारूढ़ दल को भी संदेह हो जाता है कि वे इस तरह के मूल्यांकन में बढ़ा-चढ़ाकर बताने का लाभ उठाते हैं और कार्रवाही करने में देरी की जाती है। दोनों पक्ष इसका लाभ उठाते हैं। इसे दूर करने के लिए हमें इसका मूल्यांकन करते समय पूरा पता लगा लेना चाहिए। इन अपराधों पर राजनीति का रंग नहीं चढ़ाना चाहिए।

राजनीतिज्ञों का राष्ट्र का चरित्र बनाने में अगुआई करनी चाहिए। जीवन में सभी क्षेत्रों में हम लोगों के लिए आदर्श हैं। मैं यहां बोलने के लिए खड़ा हूं तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के 7 लाख या 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं हम राजनीतिज्ञों को यह पता होना चाहिए कि हमारा प्रत्येक प्रस्ताव उन लोगों के लिए आदर्श हैं जिनका हम प्रतिनिधत्व करते हैं जैसा कि श्रीमती प्रमिला दंडवते ने कहा कि ···यदि कोई शादी की पार्टी होती है जहां 20,000 लोगों को निमंत्रित किया गया है तो हमें वहां जाने से बचना चाहिए। हमें ऐसी बातों में भी नेतृत्व करना चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि वह व्यक्ति उन 20.000 लोगों के लिए धन कहाँ से खर्च कर रहा है। जब कभी कोई राजनीतिज्ञ गलती से किसी समाज विरोधी तत्व के घर चला जाता है तो वह बदनाम व्यक्ति भी प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। जब अधिकारी' कलेक्टर अथवा पुलिस का सुपरिटेंडेंट मन्त्रियों अथवा राजनीतिज्ञों को वहाँ देखता है तो वह बेपरवाह हो जाते हैं। इन सब बातों से बचना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, राजनीति बढ़ती जा रही है और वह देश के लिए हानिकर है।

अन्त में राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करने के लिए हमें लोगों में धार्मिक भावना पैदा करनी चाहिए और उन्हें धार्मिक-विचारों वाला व्यक्ति बनाना चाहिए। आज किसी को भी ईश्वर का डर नहीं कि कल हमें उससे क्या दंड मिलेगा। किसी को इसकी चिन्ता नहीं है।

भगवान का कोई डर नहीं रह गया। भगवान का डर होना आवश्यक है। हमें धार्मिक भावना पैदा करनी होगी। हमारे में यह धार्मिक भावना होनी चाहिए कि संसार में ईश्वर भी है जो हमें दंड दे सकता है।

ये कुछ सुझाव हैं जो मैं देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या है। यह समस्या प्रत्येक व्यक्ति की है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमें इस पर निगरानी रखनी होगी और इसके विरुद्ध कार्यवाही करनी आरम्भ करनी होगी।

हमने एक दहेज-विरोधी कानून बनाया लेकिन दहेज का पता लगाने में असफल रहे आप दहेज में एक नया पैसा भी न दें लेकिन दिल्ली में उपहारों से भरा ट्रक भेजा जाता है हमें ऐसा समाधान खोजना होगा जिसके द्वारा हम दहेज का पता लगा सकें और जल्दी से जल्दी दंड दे सकें। केवल तब ही इन बातोंपर कोई प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) सदन···बहस कर रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह अन्तिम वक्ता हैं। वह मन्त्री महोदय को उत्तर देने में मदद देंगे। इसलिए वह अन्तिम वक्ता है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : सरकार को निश्चय रूप से इस तरह के अत्याचारों को रोक सकती है और आम जनता के मन में जागरूकता पैदा कर सकती है।

भारत अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। हमारा साहित्य और दर्शनशास्त्र हमें महान नैतिक मूल्यों के बारे में शिक्षा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से नारी पर इस तरह के अत्याचार होते जा रहे हैं।

मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने उन घटनाओं का उल्लेख किया है जो सभी क्षेत्रों में घट रहीं हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। यहां तक कि हमारी महिला सदस्य ने भी कहा है कि वैयक्तिक अहं भी कभी-कभी किसी तरह की समस्या पैदा कर देता है।

जहां तक सामूहिक बलात्कार का सम्बन्ध है विशेषकर जब पुलिस कार्मिकों, डाक्टरों, छात्रों शिक्षित लोगों द्वारा यह दुष्कृत्य किया जाता है चाहे वह पुलिस कार्मिकों द्वारा सिसवा गांव में हो अथवा छात्रों द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हो — ये ऐसी घटनायें हैं जिनसे वास्तव में कमजोर वर्ग के लोगों में अत्याधिक डर पैदा हो रहा है विशेशकर कमजोर वर्ग की महिलाएं अत्याधिक भयभीत हैं अतः रोकने के लिए सरकार को तत्काल कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है अगरतला में 30 वर्ष की अन्जली नामक एक महिला को उसके पति द्वारा त्याग दिया गया। वह सहायता के लिए अपने बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन गई। उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने यह सोचकर कि उसके लिए जेल

सुरक्षित स्थान रहेगा, उसको जेल चले जाने को कहा। अन्जली को इस बात पूर्वानुमान नहीं था कि जेल अधिकारियों को मिलने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। जेल अधिकारों द्वारा सामूहिक रूपसे उसके साथ बलात्कार किया गया। वह जेल अधीक्षक आदि के पास गई। जेल अधिकारियों से कोई न्याय नहीं मिला। ऐसी घटनाए हो रही हैं।

तमिलनाडु में भी वालाम्बल नाम की महिला को करागपुडी से अपने गांव जाना था। उसको बस नहीं मिली उस समय रात्रि के आठ बजे थे। वह पुलिस स्टेशन गई वह पुलिस स्टेशन में ठहरना चाहती थी। पुलिस विभाग द्वारा उसको आश्रय दिया गया। पुलिस कार्मिकों द्वारा जिसमें उप-निरीक्षक भी सम्मिलित था उसके साथ बलात्कार किया गया। अगले दिन शासक दल को छोड़कर सभी राजनैतिक दलों द्वारा इस कार्य की निन्दा की गई तथा एक जलूस निकाला तथा पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की माँग की गई तथा एक सार्वजनिक सभा भी की गई। शासक दल द्वारा सार्यजनिक सभा में गड़बड़ मचाई गई। उसी शाम को उसको अस्पताल में भर्ती किया। अगले दिन प्रातःकाल वालाम्बल नाम की उसी महिला को एक जलाशय में पाया गया। इस मामले से जो पुलिस अधिकारी सम्बन्धित थे उन्हें तीन महीने के पश्चात तरक्की दी गई। इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों को इस चुनौती के रूप मे स्वीकार करना चाहिए।

हाल ही में स्काटलैण्ड में एक घटना हुई है तीन किशोरों द्वारा एक 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया तथा उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। इसके बाद उस महिला को प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। लेकिन वह महिला न्यायालय में नहीं आई न्यायालय ने कहा कि प्रमाण की अनुपस्थिति में किशोरों को सजा नहीं दी जा सकती तथा उनको बरी कर दिया गया इसके तुरन्त बाद इस विषय पर वहाँ की सम्पूर्ण संसद द्वारा आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया। उनकी माँग थी कि उस कानून को बदला जाये। संसद-सदस्यों द्वारा महा-न्यायावादी को बुलाया गया वह संसद के समक्ष आये। एक समाचार में यह कहा गया है —

> "स्काटलैण्ड महा-न्ययावादी श्री निकोलस फेयर बाईरन स्काटलैण्ड के विधि अधिकारी द्वारा ग्लासगो की एक 30 वर्षीय महिला के साथ किये गये कथित बलात्कार तथा हत्या के प्रयास केसम्बन्ध में तीन किशोरो पर अभियोग न चलाने के विवादास्पद निर्णय के सम्बन्ध में आज कामन्स में स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे।"

यह उस देश की मामूली सी घटना है। लेकिन सरकार तथा विधि विभाग के अधिकारियों ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया तथा उन्होंने कानूनों को भी बदलने की कोशिश की। मैं यह अनुरोध करता हूं कि जब इस प्रकार की घटनायें हो तब सरकार को भी इसी प्रकार कदम उठाने चाहिए।

श्री परुलेकर तथा दूसरे सदस्यों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं। वे सभी अच्छे सुझाव हैं।

हाल ही में मैंने दण्ड विधि पर अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में एक समाचार पढ़ा था। उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था। हमारे कानून मे जिनमें भारतीय दण्ड संहिता भी शामिल है बहुत सी खामियां है। हमको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या इनको बदला जा सकता है। उस सम्मेलन में उन्होंने यह कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता में "बलात्कार" की एक उपयुक्त परिभाषा होनी चाहिए। में एक कानून विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह जानता हूं एक प्रतिनिधि द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है उसमें कुछ सच्चाई है। उन्होंने कहा —

"यह इसके अन्तर्गत "बलात्कार" की परिभाषा नहीं आती है।"

"इसके अन्तर्गत वे मामले नहीं आते है जिनमें कि हानि पहुंचाने अथवा व्यक्ति सम्पति अथवा प्रतिष्टा को क्षति पहुंचाने जैसी अन्य प्रकार की धमकियों के द्वारा सहमति प्राप्त की गई हो यहकम आंयु अथवा नाजुक स्थिति से घिरी म हलाओं के कामुक व्यक्तित्व को चोट पहुंचाने से बचाव करने मे भी असफल रहा हैस्वयं अपनी ही पत्नी के साथ बलात्कार करने की धारणा का भी इसमें अलाव है।"

दण्ड विधि पर यह टिप्पणियां अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई हैं। अत: मन्त्री महोदय से मैं यह अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय की ओर ध्यान दें।

कुछ सदस्यों ने राजनैतिक हस्तक्षेप के बारेमें कहा है। इस विषय पर यहां सदन में चर्चा करने के लिए मैं श्रीमती प्रमिला दण्डदते की सराहना करता हूं मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय को राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। ऐसा कह कर मैं प्रधान मंत्री जी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं अपने स्वयं के अनुभव बतलाऊंगा। तमिलनाडू के तिरुनलवेली जिले में तीन महिलाओं के साथ बलात्कार किया। वे तीनों महिलाओं सीधी दिल्ली आई तथा प्रधान मन्त्री जी को आपबीती बताई। प्राधन मन्त्री जी ने तमिलनाडु के सभी संसद सदस्यों को बुलाया और यह कहा कि "यह स्थिति है, आप इस मामले को क्यों नहीं सुलझाते हो ?" स्वयं प्रधान मन्त्री जी ने हमसे ऐसा कहा है उन्होंने इस पर काफी ध्यान दिया। उन्होंने प्रभावित महिलाओं की सहायता की तथा स्वयं प्रधान मन्त्री जी के प्रत्यक्ष रूप से इस ओर ध्यान दिये जाने पर उनको कुछ राहत मिली। मदुरान्तकम में शासक दल के लोगों द्वारा एक गण सुन्दरी की हत्या की गई।

श्रीमती गांधी ने 5000 रु० स्वीकृत किये। तत्कालीन गृह मन्त्री ज्ञानी जैलसिंह मदुर गये तथा मृतक की मां को वह थैली प्रदान की। श्रीमती गांधी द्वारा इस प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं। मेरे मित्र ईरा अनबारासु जो यहां मौजूद नहीं है उनको इसकी भली-भांति जानकारी है कि इसी तरीके से पूनामल्ली क्षेत्र में भी 14 तथा 15 वर्ष की दो लड़कियों क साथ बलात्कार किया गया तथा उनकी हत्या की गई। माननीय मंत्री श्री वेंकटसुब्बैया जी ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया है। हमारे माननीय मन्त्री श्री वेंकटसुब्बैया द्वारा प्रत्येक परिवार को 2500 रु० दिये गये। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में सुस्ती दिखा रही है। वे इन बातों के बारे में पूर्णत:

अनभिज्ञ नहीं हैं । वे कुछ कदम उठाते हैं तथा इसके बारे अत्याधिक चिंतित हैं ।

बलात्कार करने तथा अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है । हमें तथा सरकार को विशेषतया इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सिनेमाओं में बलात्कार के दृश्यों को प्रदर्शित न करने के लिये हमारे सेन्सर बोर्ड को और सख्ती तथा कठोरता से काम लेना चाहिए ।

दहेज प्रथा के बारे में···

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : आप अपने मुख्य मन्त्री के माध्यम से यह काम करा सकते हैं ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : तमिलनाडू में दो अभिनेता हैं । एक श्री एम० जी० रामचन्द्रन तथा दूसरे शिवाजी गणेशन हैं । शिवाजी गणेशन एक चरित्र अभिनेता हैं । श्री दण्डवते साहब को हिन्दी सिनेमाओं में भी नैतिक मूल्यों का अधिक प्रचार करने की ओर ध्यान देना चाहिए । श्री शिवाजी गणेशन ने भरतियर के रूप में तथा चिदम्बरम पिल्लै के रूप में अभिनय किया। जो साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़े थे । हमारे मुख्य मन्त्री पूर्णत: भिन्न व्यक्ति हैं । इसलिए मैं इसके सम्बन्ध और अधिक कहना नहीं चाहता ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इन मामलों में वह गैर राजनीतिक हैं ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं दहेज प्रथा के बारे में बोल रहा था । हमारे समाज में यह प्रथा एक रोग के रूप में है ।मैं यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडू में पहली बार थन्थई पेरियार ई० वी० रामास्वामी ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रचार किया । तमिलनाडु में पहली बार इसका प्रचार किया गया । जैसा कि श्री राजेश पाइलट तथा अन्य सदस्यों के द्वारा कहा गया है । निसंदेह रूप से इसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन है । विधि विशेषज्ञों का भी यह कहना है कि बहुत से मामलों में उचित रूप से आरोप भी नहीं लगा पाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि न्यायालय में ऐसे मामले प्रमाणित नहीं हो पाते हैं तथा बहुत से लोग दण्ड से बच जाते हैं । इसी तरीके से हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 27 को भी संशोधित किया जाना चाहिए । इन सभी बातों को स्पस्ट करने के लिए मेरे पास समय कम है··· ।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सत्र में इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है ।

श्री सी० टी० दण्डापाणि : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अपराधियों को भय-भीत करने के लिये कुछ करना चाहिए । बहुत-सी घटनायें होती हैं और वे विभिन्न कारणों से सजा से बच जाते हैं । जैसा कि श्री परुलेकर ने बताया है कि कड़ी सजा दी जानी चाहिए तथा इस प्रकार के अपराधों की सुनवाई के लिये विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिये ।

समाप्त करने से पहले मैं संपूर्ण सदन से यह अनुरोध करता हूं कि इसको एक दलगत विषय के रूप में न लिया जाय । यह एक सामाजिक समस्या है । चाहे कांग्रेस जन हों अथवा

जनता अथवा डी० एम० के० के लोग जो भी ऐसा करता है यह एक अपराध है। अत: न केवल सरकार बल्कि विपक्ष तथा संपूर्ण सदन को इसकी जागरूकता की ओर ध्यान देना चाहिये तथा लोगों के मन में ऐसी जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए ताकि लोग भी इसमें भाग ले सकें तथा इस प्रकार के अत्याचारो में संलग्न अपराधियों का बहिष्कार कर सकें।

इसके साथ ही इस संकल्प को सदन में लाने के लिये मैं श्रीमती दण्डवते का भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब केवल दो वक्ता ही बाकि है। प्रत्येक को तीन मिनट का समय दिया जा सकता है। श्री सिदनाल।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : उपाध्यक्ष महोदय, बलात्कार के विषय पर सदन में चर्चा करले की अनुमति देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नियोजित ढंग से बलात्कार किये जाते हैं। संयोगवश कभी-कभी यह एक महिला के साथ सामूहिक रूप से किया जाता है तथा कभी-कभी बहुत से लोगों द्वारा बहुत सी महिलाओं के साथ किया जाता है।

जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, तब यह बहुत सदेहास्पद हो जाता है। यहां पर कुछ मामले बनावटी हैं तथा कुछ वास्तविक बनावटी मामलों में दंड दिया जा सकता है। लेकिन वास्तविक मामलों में अपराधी बच जाते हैं अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि बलात्कार एक अपराध है जो कि एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कई बार यह बदले की भावना से किया जाता है जिनका संबंध किसी पूर्व घटना से होता है। गांव अथवा कस्बे में जो सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है वह राजनीतिक आधारों पर न होकर व्यक्तिगत आधारों पर होता है। बड़े शहरों में आर्थिक असमानतायें भी बलात्कार का कारण होती है। हम इस समस्या से कैसे छूटकारा प्राप्त कर सकते हैं ? श्री परुलेकर तथा अन्य साथियों द्वारा अधिक सजा देने का प्रस्ताव किया गया है क्या ऐसा विधान बनाने से इससे मुक्ति पाई जा सकती है ? मेरे विचार से किसी भी प्रकार की सजा का विधान बनाने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिये हमारे समाज को मूल रूप से परिवर्तित किया जाना चाहिए। समाज के ढांचे को बदला जाना चाहिए। हम यह जानते है कि जो व्यक्ति हत्या करता है उसको मृत्यु दंड दिया जाता है उसको फांसी पर लटकाया जाता है। ऐसा करने से अपने देश तथा विश्व के किसी अन्य भाग में हत्याओं को नियंत्रित करने में कितनी सफलता मिली है ? अत: इसके लिये समाज को बदलने की आवश्यकता है। कानूनों में कमियां है। उदाहरण के लिये भारतीय दंड संहिता को ही लीजिये। इसके अधीन जो दड दिया जाता है, वह बहुत ही अपर्याप्त समझा जाता है. यदि कठोर दंड दिया भी जाता है तो उसकी जांच पड़ताल प्रक्रिया बहुत ही त्रुटिपूर्ण रहती है। साक्ष्य अधिनियम में एक युक्ति है कि दो बदमाश कानूनों के हाथों से बचा निकले किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दी गई। जब हम एक ओर मानवीय सभ्यता को तथा दूसरी ओर अपराधों को देखते हैं तब हम किसी भी व्यक्ति को अपराध प्रमाणित हुए बिना सजा नहीं दे सकते। जसा कि श्री पाइलट जी मे बताया है कि पहले अपराध की खोज बीन की जाती है उसके पश्चात सजा दी जाती है।

मेरे विचार से जब हम साक्ष्य अधिनियम का अध्ययन करते है तब हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया है उसको सजा देना सभव नहीं है। यह एक दल अथवा दूसरे दल की समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय तथा आर्थिक समस्या है। यह एक सापेक्षिक समस्या है। अमेरिका में भी जो कि सबसे अधिक धनाढ्य अथवा सपन्न देश है, नियमित तथा नियोजित ढग से बलात्कार किये जाते हैं। वहाँ पर भी प्रमाण के अभाव में अपराधी बच जाते हैं। अत: प्रत्येक सस्था, रोटरी कलब तथा समाज से मैं यह अपील करता हूं। इस देश म बहुत-सी संस्थायें हैं तथा उनको इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिये मदद करन का कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी स्थान पर कोई हत्या अथवा बलात्कार अथवा डकैती की घटना होती तब ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देन को तैयार नहीं होता है। पुलिस इसकी जानकारी प्राप्त करके क्या कर सकती है ? इसके लिये हम पूणत: पुलिस अधिकारियों अथवा किसी सरकारी तन्त्र को दोषी नहीं ठहरा सकते। कोई भी व्यक्ति दोषी व्यक्ति को संरक्षण देना नहीं चाहता है। प्रमाण के अभाव मे उनका बचाव कोई नहीं कर सकता है ? प्रमाण की कमी के कारण ही अपराधी बच जाता है अत: हमे अपने कानूनों का संशोधन करते समय अथवा विधान बनाते समय बड़ी गभीरता से विचार करना होगा। उदाहरण के लिए जार-कर्म को ही लीजिये। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें केवल मामूली सा दंड ही दिया जाता है। जबकि अपराधी वास्तविक रूप में हजारों लोगों को मारता है। यह संख्या गुणात्मक रूप लेती जाती है जब एक अथवा दो साथियों द्वारा पुराने बैर में कारण अथवा पूर्व-वृत्त के सदर्भ में हत्या की जाती है तो हो सकता है कि हत्या करन के पश्चात वे साधु पुरुष बन जाय, लेकिन जो अपराधी नियमित रूप स हत्यायें करते हैं उनको कठोर सजा दी जानी चाहिए।

अत: मेरा सदन से यही आग्रह है कि सामाजिक रूप बदलना होगा और समाज को शिक्षित करना होगा। पाठ्य पुस्तकों, प्रचार और सिनमा के माध्यम से राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना होगा। फिल्मों का हालों में दिखाने के लिए अनुमति देने से पूर्व उसका सख्ती से परीक्षण किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसका आने वाली पीढ़ियों पर स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा और कम से कम 10 वर्षों के लिए ऐसे चलचित्रों के दिखाने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए जिनका लोगों के दिमागों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

महोदय, जहाँ तक दहेज समस्या का प्रश्न है, हमारे स्वर्गीय नेता श्री संजय गांधीने इस समस्या को एक चनौती के रूप में लिया था। यह दहेज की बुराई हमारी व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से बनी हुई है और इसका हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों पर प्रभाव पड़ता है। समाज की इस प्रथा को एकदम नहीं बदला जा सकता। समाज में इस बुराई की सुनियोजित और सगठित ढग से निन्दा की जानी चाहिए। महोदय यह दहेज की बुराई उद्योगपतियों या डाक्टर अथवा इन्जीनियर या ए॰ एस॰ अधिकारी की समस्या नहीं है लेकिन इसने समस्या का रूप इसलिए धारण कर लिया है क्योंकि यह निम्न मध्य वर्ग के लोगों तक भी पहुंच गई है। यह प्रतिष्ठा का मामला बन गया है और अशिक्षित लोग भी इसी का अनुसरण कर रहे हैं इसके उन्मूलन में कानून

अधिक सहायक नहीं हो पाएगा । हमें इस बुराई की सामाजिक रूप से निन्दा करनी होगी। महोदय, इस देश में हमेशा नारी का आदर किया जाता रहा है। वह मां होती है और माँ ईश्वर से बड़ी होती है। मुझे एक कहावत अच्छी तरह याद है कि नारी जन्म न तो पुरुष पर नियन्त्रण करने के लिए हुआ और न ही उसके द्वारा तिरस्कृत किए जाने के लिए बल्कि उसका जन्म पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने, प्यार किए जाने के लिए पुरुष के मन में वास करने तथा अपनी रक्षा के लिए उसकी बाहों का सहारा लेने के लिए हुआ है।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बहस हो रही है यह महत्वपूर्ण किन्तु साथ ही एक चिन्ता का कारण भी है। इसमें हमें कोई गौरवान्वित होने की जरूरत नहीं है। कोई हमने इस प्रकार का अच्छा काम किया हो जिसके बारे में हम यह गौरव गाथा गा रहे हों, ऐसी बात नहीं है। यह अपमान की एवं मानवता के ह्रास की व्यथा-कथा है जिसकी शुरुआत हमारी बहन प्रमिला दण्डवते जी ने की।

हमारे देश में नारी का महत्व शास्त्रों के अन्दर है। हमारे धर्म ग्रन्थों के अन्दर भी हो सकता है। परन्तु व्यवहार में कितना है, यदि हम इतिहास की जानकारी रखते हैं तो हमें इसका पता होगा। नारी सुरक्षित नहीं है चाहे वह घर के अन्दर हो, घर के बाहर हो, सड़क पर चल रही हो, रेल में यात्रा कर रही हो या हवाई जहाज में सफर कर रही हो। नारी नहीं सुरक्षित जल थल अम्बर में। कहीं रक्षा का या संरक्षण का उसको एहसास नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जो शोषण का शिकन्जा है उस पर शिकार नारी को भी बनाया गया है और मैं सोचता हूं कि इसका सारा जो कारण है वह हमारी नैतिकता का अधःपतन है। हमारी नैतिकता चाहे राजनैतिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे अन्य प्रकार से हो, इन सारी बातों में हम न्याय नहीं कर रहे हैं, यह बात एहसास होती है। इन सारी दुर्घटनाओं के अधिकतम शिकार पिछड़े हुए वर्ग के लोग ही हुए हैं। गरीबों के साथ ही अन्याय और अत्याचार ही किया जाता है। उनके श्रम के साथ और उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है यह बड़े ही शर्म की बात है। चाहे बागपत का काण्ड हो, चाहे ग्वालियर हो, झाबुआ हो, केसरा हो या अन्य घटनायें हों या फिर सिसवा काण्ड हो, जो कि अभी भी सिसक रहा है, जिसकी आवाज प्रधान मन्त्री के घर पर भी सुनाई दी है, यदि इसके मर्म को हम समझ पाए तो निश्चित रूप से कुछ सुधार होने की आशा है। यदि गृह मन्त्रालय ने इस उद्देश्य से कानूनों को बदलने का प्रयास किया तो इस आजाद देश में हम अपने को आजाद कहने लायक हो सकेंगे। हिन्दुस्तान की नारी का महत्व हम सभी जानते हैं। यदि नारी न होती तो राम, कृष्ण, महावीर, गौतम और गांधी भी न होते। यदि नारी न होती तो बिस्मिल, भगतसिंह, आजाद और सुभाष न होते। और यदि ये लोग न होते तो यह देश आजाद कैसे होता ? इस देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसमें दुर्गावती, लक्ष्मीबाई जैसी क्रान्तिकारियों का भी पूरा योगदान रहा है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।

आज इस देश की नारी पर जो बलात्कार हो रहा है वह उसी प्रकार से हो रहा है जैसे

कि सब्जी बाजार में सब्जी बिकती है यानी नारी पर बलात्कार की घटनायें एक साधारण सी बात हो गई है। आजादी के बाद हम इस देश की नारी को सम्मान नहीं दे पाए जबकि संविधान में हम नारी के लिए समानता की बातें करते हैं। हमने महिला वर्ष भी मनाया है लेकिन महिलाओं के प्रति कितना सम्मान हमारे दिल में है या मन में जो छिपा हुआ चोर है वह इस प्रकार से कभी कभी प्रकट होता है। आज किसी अस्पताल में भी नारी सुरक्षित नहीं है। अभी रोहतक अस्पताल में जो काण्ड हुआ उसका वर्णन आया है। इसी प्रकार से अभी बंगाल की एक युवा बालिका को अलीगढ यूनिवर्सिटी में ले जाया गया और सुबह से शाम तक 20 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। शिक्षा संस्थायें भी आज इस प्रकार के कुकृत्यों का केन्द्र बन गई है। आज नारी कहाँ पर सुरक्षित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी बातें जो आपने अभी कहीं है, हम सब उसे पहले ही समाचार पत्रों में पढ़ चुके है। समस्या का हल क्या है कृपया यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो बताइये। हम इन सब बातों के बारे में चाहे वह ठीक हैं या गलत, समाचारपत्रों में पढ़ चुके हैं। कृपया आप अपना कोई सुझाव दीजिए।

श्री सत्य नारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई हल्की बात नहीं है जिसको आसानी से उड़ाया जा सके। शायद आप मेरी भाषा नहीं समझ पाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समझ लिया है। जो कुछ आपने कहा है वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है। मैंने आपकी बात समझ ली है।

श्री सत्यनारायण जटिया : आज नारी पर जो बलात्कार और अत्याचार हो रहा है उसको दूर करने के उपायों पर विचार के लिए हम बहस चला रहे हैं। इसके लिए यह सारी बात यहां पर कहनी आवश्यक है ताकि हम अपने दोषों को ढूंढे, उनका विश्लेषण करें और उसमें सुधार करें। इस देश की सर्वोच्च संस्था जो पार्लमेन्ट है इसमें जो बहस चल रही है इसका बहुत महत्व है और इसको प्रतिपादित करने के लिए हम अपने विषय को अपने प्रकार से रख रहे हैं।

यह सिसवा काण्ड जो हुआ है, आपको मालूम होगा, यह मामला प्रकाश में ही नहीं आता, इस सम्बन्ध में "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" में छपा है :

> "ग्रामीणों ने बताया कि ये सिपाही इस बार अकेले नहीं आये थे बल्कि इनके साथ मोहाना थाने के थानाध्यक्ष***उपनिरीक्षक**सहित पांच पुलिसकर्मी तथा आस-पास के गावों के असामाजिक तत्व थे। ये लोग गांव में दो ट्रैक्टरों तथा एक जीप से गए थे। रात भर इन पुलिसकर्मियों ने गुण्डों के साथ चुन-चुन करके 12 महिलाओं के साथ व्यभिचार लूट-पाट की और मारा-पीटा। इस सामूहिक बलात्कार में 5 अविवाहित महिलायें भी थीं।···

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख पहले ही श्रीमती प्रमिला दंडवते द्वारा किया जा चुका है। आप इन्हें दोहरा क्यों रहे हैं ?

श्री सत्य नारायण जटिया : इतना ही नहीं, उन्होंने सारे लोगों को डराया धमकाया। आज भी वे लोग आतक की स्थिति में हैं।

> "इस काण्ड का पर्दाफाश शायद कभी नहीं होता यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक अध्यक्ष श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने लखनऊ में पत्रकारों को न बताया होता··· श्री त्रिपाठी ने इस सम्बन्ध में 12 जून को लखनऊ में पत्रकार सम्मेलन कर उक्त सूचना दी। पत्रकार सम्मेलन से पूर्व 10 जून को श्री त्रिपाठी स्वयं अपने कार्यकर्त्ताओं के साथ सिसवा ग्राम गए थे और घटना की जानकारी एकत्रित की थी।"

उपाध्यक्ष महोदय : वे इन बातों का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। आपको उन बातों को यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप विषय पर आइए। यदि आप मामला पढ़ना ही चाहते थे तो आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। आपने उनका उल्लेख पहले ही कर दिया है। आप कृपया विषय पर बोलिए। मैं समझता हूं प्रत्येक सदस्य ने यह बात सुनी है आप विषय पर आइए। सारी बातों को मत पढ़िए। जो कुछ आप कहना चाहते हैं, आपको उन बातों की एक प्रति मुझे देनी चाहिए थी। अब मैं आपको वे बातें कहने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सत्य नारायण जटिया : यदि आप मुझे बात कहने नहीं देते, तो मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया विषय पर बोलिए। मुझे सदन की कार्यवाही का सुचारु प्रदर्शन तथा संचालन करना है।

श्री सत्यनारायण जटिया : पूरा तो करने दीजिए।

श्री सत्यनारायण जटिया : वैसे पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने इस बात की पूरी कोशिश की थी कि·····*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए। आपको मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। (व्यवधान)*

श्री सत्य नारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का हक मिला है। यह मजाक नहीं है। मैं सारी बात को गम्भीरता से कहना चाहता हूं और इस बात को कहने के लिए जो तथ्य कहने होंगे, मैं कहूंगा। मेरी आवाज को आप बन्द नहीं कर सकते हैं। मैं उन गरीबों की आवाज उठा रहा हूं, उन अत्याचारों व महिलाओं के बारे में कहना चाहता हूं, जिनकी आवाज को आज तक सुना नहीं गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

इन सारी बातों को आप गम्भीर रूप से लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन का पथ-प्रदर्शन एवं संचालन करना है।

श्री सत्य नारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, यदि गलत बात है, तो बताइए । मुझे बोलने नहीं देंगे, तो इसका मतलब नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया विषय पर आइए।

श्री सत्य नारायण जटिया : मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे बार-बार रोक रहे हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपने कहा कि आप सदन की कार्यवाही का निर्देशन और और संचालन कर सकते हैं। लेकिन महोदय, क्या आप उन्हें आदेश दे सकते हैं विशिष्ट समय में वह अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन का निर्देशन कर सकता हूं। मैं सदस्य का निर्देशन कर सकता हूं मैं सदन की कार्यवाही का निर्देशन कर सकता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय आप उन्हें अपना भाषण छोटा करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि इन बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन उन्हें इसकी अनुमति लेनी चाहिए थी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : लेकिन अन्य सदस्यों ने भी ये बातें कहीं। उन्होंने भी कही हैं। आप यहां सदस्यों के बीच पक्षपात नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्षी दल इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे तथा अध्यक्ष महोदय ने बड़ी उदारता से उन्हें मौका दिया और अब आप कितने देर बोलेंगे ? मन्त्री महोदय को उत्तर देना है। अतः आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा। मन्त्री महोदय को उत्तर देना है। अन्यथा यदि सरकार बाद-विवाद का उत्तर नहीं देती तो चर्चा करने का क्या लाभ है। इसलिए, क्या मुझे आपका पथ-प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ?

श्री सत्य नारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप सुनने का यन्त्र कान में लगा लेंगे, तो मेरी बात सुनने में आपको सुविधा हो जायेगी। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं, जो असंगत हैं। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो शिलसिला चल रहा है, इससे सभी लोग चिन्तित हैं और इस विषय में चिन्ता प्रकट करने के लिए हम लोग यहां अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आपको पता होगा, जैसा कि अभी बताया गया है कि इस देश

के अन्दर प्रतिवर्ष बीस लाख महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। इग्लैण्ड के एक डाक्टर यहां पर आए थे, उन्होंने यह प्रकट किया कि बीस लाख महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। यह सत्य है, इसको आप छिपा नहीं सकते हैं। इसको बोलने के लिए आप मुझे अवसर दे रहे हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। अब मैं कुछ सजैशन्स आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

सुझाव यह है कि जब तक हम सारे समाज के अन्दर, सारे कानून के अन्दर जो सुधार जरूरी हैं, उनको नहीं करेंगे, तब तक सम्भव नहीं हो सकता है। भारतीय दंड विधान संहिता के अन्दर बलात्कार के अपराधी को यह सिद्ध करना होता है, कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। उसके साथ जो क्रास एग्जामिन होता है, वह इतना शर्मनाक होता है जिसके कारण महिलायें सारी बातें कहने में शर्म महसूस करती है। इसलिए कहा गया है कि कैमरा बन्द होना चाहिए इसके लिए सारी बातें अलग से कहने के लिए अवसर मिलना चाहिए। जिसके साथ बलात्कार होता है, उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है। समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ घोर अन्याय हुआ है। उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, यह समाज की स्थिति है। इसलिए उसको हर तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है। हमें भारतीय दण्ड विधान संहिता में जहां-जहां सुधार की आवश्यकता है, उसको करना चाहिए। हम समता और समानता की बात करते हैं, यदि नारी के लिए कुछ कर सके तो वास्तव में हम उसकी सहायता कर सकेंगे, नारी को उसका वास्तविक रूप मिल सकेगा।

दहेज के सम्बन्ध में 1962 का जो कानून बनाया गया, वह लुंज-पुंज कानून है। उसमें डाउरी की जो डेफिनीशन है और जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, दोनों में विरोधाभास से जो करना चाहते हैं वह सब अन-डन हो जाता है। इसलिए उस दहेज कानून में काफी सुधार की आवश्यकता है। दहेज से सम्बन्धित नये से नये प्रकरण रोज हमारे सामने आ रहे हैं। दिल्ली शहर के अन्दर पिछले साल 500 हत्यायें केवल दहेज के कारण हुई। एक तरह से खरीद-फरोख्त का धन्धा हो गया है, जब कि महिलायें खरीद-फरोख्त की वस्तु नहीं हैं, ट्रांस्फरेबिल आर्टीकल नहीं है। इस लिए नारी के साथ आज जो अत्याचार हो रहा है उसको हर तरह से रोका जाना चाहिए। यह न समझो नारी अबला है, वह फूल नहीं, चिंगारी है। एक लड़की अपने मां-बाप का घर छोड़कर दूसरे घर में जाती है और जीवन भर साथ देने का वचन निभाती है। यदि उस के साथ कुछ पैसा कम गया, या नई सुविधाए नहीं पहुची तो उसका मर्डर कर दिया जाय, उस पर मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया जाय—यह नहीं चलना चाहिए।

मां की ममता छोड़ तुम्हारे घर आई है
और कहते हो वह अपनी पराई है।
सर्वस्व समर्पण को तत्पर सुकोमल सुकुमारी,
क्यों तोल रहे चंदी के तोल उसकी लाचारी।

इन्दौर में अभी दो-तीन दिन पहले एक घटना हुई है उसमें एक नवविवाहित वधू को मार

डाला गया। ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो बहुत शर्मनाक हैं और जिनको रोकने के लिए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री रामलाल राही (मिसरिख): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी विरोध पक्ष ने नियम 193 के अन्तर्गत महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार और दहेज प्रथा के कारण महिलाओं की जो हत्यायें होती हैं, उनके सम्बन्ध मे विचार करने के लिए जो सवाल रखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर जितना अधिक विचार होना चाहिए, जितना अधिक समय दिया जाना चाहिए, वह कम ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम लोग बोलने खड़े होते हैं तो आप जल्दी-जल्दी घंटी बजाने लगते हैं जिससे सारी बातें कह नहीं पाते हैं। तमाम सदस्यों ने महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटनायें हुई है या दहेज के कारण जिनकी मौतें हुई हैं उनके उदाहरण दिये हैं। मैं इस समय कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं जिनमें जनता ने यह अन्याय नहीं किया है, खद प्रशासन में बैठे लोगों ने यह अत्याचार और अन्याय किया है। आप देखें कि इस तरह की घटनायें किसी खास प्रदेश में नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में हो रही हैं। बांदा जिले के करवी थाने के अन्तर्गत कोरियन गांव में पुलिसवालों ने बलात्कार किया। बिहार के किशनगंज स्टेशन पर जी० आर० पी० के जवानों द्वारा रेलवे स्टेशन पर ही महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उन्नाव जिले के किशोर गंज मे दो सब-इंस्पैक्टरों ने महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। तनसुखिया मेल में एक डिब्बे में सैनिक बैठे हुए थे उसमें कुछ छात्राये चढ़ी तो उनके साथ छेढ़ छाड़ और बलात्कार करने की साजिश सैनिकों ने की। इस तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। यहां पर केवल दो तीन उदाहरण देकर मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी पक्ष का जो अंग हमारी सुरक्षा के लिये है, जो कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये हैं, याद वही अपराध करेगा, वही बलात्कार करेगा, तो आप बतलाइये हमारी रक्षा कौन करेगा, कैसे हमारी रक्षा हो सकेगी ?

जब आम पब्लिक के लोग, गुण्डे, बदमाश लोग ऐसे अपराध करेंगे, तो कौन इनकी रक्षा करेगा।

अब सिसवा की घटना को लेकर के सत्ता पक्ष के कई सामान्य सदस्य बोले। जिनके क्षेत्र मे यह घटना हुई है, वे भी बोल गये। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब श्रीमती प्रमिला जी यहां पर बोलने खड़ी हुई और उन्होंने अपने भाषण में यह कह दिया कि वहां के लोग कह रहे है कि इसमें मंत्री जी के रिश्तेदार भी हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हल्ला यहां पर मच गया। कौन सा जार्च उन्होंने लगा दिया और यह कह कर कौन सा अपराध कर दिया। उन्होंने तो इतनी सी बात कही लेकिन जो मैंने यहां पर भाषण सुना सत्ता पक्ष के सदस्यों के और खास-कर उस क्षेत्र के सम्मानित सदस्य के, उनके आधार मैं यह कह सकता हूं कि जो अपराधी हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी के लोग बचाने की साजिश कर रहे हैं। मैं यह चार्ज लगाना चाहता हूं। यह

सिसवा की घटना 23 अप्रैल को हुई और यह मेरे पास अखबार है, जिसमें यह सारा दिया हुआ है हमारी माननीय सदस्य, कांग्रेस (आई) की जो महा मंत्री हैं, वे भी बोल गई और उन्होंने स्वीकार किया कि जो अपराध हो रहे हैं वे बड़े बुरे हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फोटो छपवाने के लिए उनको सिसवा से लाने का सहारा दिया गया और अब उन्हें वापस भेजने का कोई सहारा नहीं दिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक लोकदल अखबार मेरे पास है और इसमें पूरी गाथा है। यह 21 जून का अखबार है और 20 तारीख को एक संवाददाता दल वहां गया और वहां घटनास्थल पर जाकर वे पूरी जानकारी लेते हैं। मौके पर उन्हें बताया गया कि किस तरीके से 9 घंटे तक पुलिस गुन्डों से मिलकर के करीब-करीब 20- 2 घरों के अन्दर लूटपाट की और बलात्कार हुआ। 9 घंटों तक लगातार बलात्कार हुआ है।

दूसरी बात मैं यह बताऊं कि उस क्षेत्र के माननीय सदस्य ने यह कहा था कि उन लोगों ने अपने ब्यानों में यह कहा कि उस गांव में ब्राह्मण लोगों के दो गुट हैं और इन गुटों में आपस में झगड़ा है। एक को रेप्रेजेन्ट करता है सत्ता पक्ष और जो सताया गया है, उसकी मदद कर रहा है वहां का कमजोर वर्ग और विरोधी पक्ष के लोग। अन्याय से उनको बचाने के लिए उन की मदद कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इसी कारण बदमाश, गुन्डे लोग जो हैं उनको सत्ता पक्ष की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है। अगर नहीं दिया गया, तो मान लीजिए कि 23 अप्रैल को यह घटना हुई और 31 जून, को अलबार में आई, तो 23 अप्रैल के बाद वहां के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और अगर कार्यवाही नहीं की, तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। मैं तो यह कहूंगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से एस० पी० पर दबाव डाला जा रहा है कि अगर अपराधी को पकड़ा गया और पुलिस न उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया है उनके साथ मिलकर दुर्व्यवहार किया है, बलात्कार किया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई, तो उनकी खैरियत नहीं रहेगी। इसी डर से वहां के एस० पी० और डी० एम० ने कोई फैसला नहीं लिया और वे कोई निर्णय नहीं ले पाए और महिलाएं यहां आकर चिल्ला रही हैं, रो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि फोटो छपवाने के लिए उनको यहां लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सुझाव क्या हैं आप इसे बंद करिए और अपने मूल्यवान सुझाव देकर मंत्री जी की मदद कीजिए।

श्री रामलाल राही : मैं सजेश्चन्स ही दे रहा हूं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि नारायणपुर की घटना हुई और प्रधान मंत्री जो आज हैं, माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी, वे उस वक्त नारायणपुर गई। वे वहां पर गई, बड़ा अच्छा काम किया, मैं इसको बुरा नहीं मानता। प्रधान मन्त्री वहां गई, बड़ा अच्छा काम किया था। क्या यह घटना उनकी नजर में नहीं है। यह घटना गृहमंत्री की नजर में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश का कोई मन्त्री वहां नहीं जा सकता था? क्या वे सारे के सारे मर गए? मैं कहना चाहता हूं कि जब इन्दिरा गांधी बनारसीदास सरकार को खत्म कर सकती है तो उनको चाहिए कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा को भी भंग करें और वहां दुबारा चुनाव कराए। आपको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा कि आपकी

क्या हैसियत रह गयी है, किस तरह का अपने शासन चलाया है, किस तरह का लोगों का आप में विश्वास रह गया है।

आप कह रहे हैं कि बलात्कार हो रहे हैं, इनको दूर करना चाहिए। हंस रहे थे, अध्यक्षजी, हम भी हंस दिये। अच्छी बात है हंसना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर बदमाशों को, गुण्डों को सत्तापक्ष की तरफ से संरक्षण नहीं मिले तो वे नहीं पनप सकते हैं। हम किसको बचायेंगे ? क्या कोई आई० जी०, एस० पी०, या गृह सचिव हमारी बात को मान सकता है ? अगर कोई युवा कांग्रेस (आई) का कार्यकर्त्ता चीफ सेक्रटरी के पास पहुंच जाय तो क्या उसकी मजाल है कि चीफ सेक्रेटरी किसी बदमाश या गुण्डे को पकड़ ले। अपराध बढ़न का यही कारण है।

आप अपने लोगों के बारे में माया पत्रिका पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश से लेकर केन्द्र तक के मंत्रियों के फोटो छपे है कि कौन मत्री क्या करता है, कौन मन्त्री क्या गुनाह करता है। गृह मन्त्री जी आप यहां बैठे हैं, क्या प्रधान मंत्री जी ने किसी एक को बुलाकर पूछा है कि श्रीमान् लोगों, माननीय लोगों या आपकी फोटो छपी, है आपकी नेकानामी का इसमें बखान किया गया है ? क्या उन्होंने किसी से पूछा है और उन्होंने अपना कोई जवाब दिया है ? कोई स्टेटमेंट नहीं आया।

मैं कहना चाहता हूं कि उनका गुनाह नहीं है जो ऐसे गुण्डों की मदद कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि गुनाहगारों को पालने वाले, केन्द्र में सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उन्हीं की वजह से ये गुनाह पनप रहे हैं, ये अपराध पनप रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था, आज फिर इस सदन में कहना चाहता हूं कि समाज में अच्छाई या बुराई हमेशा ऊपर से आती है। अगर ऊपर के लोग सत्ता में बैठे हुए लोग ईमानदार, चरित्रवान, नेकनीयत होंगे तो नीचे के लोग की मजाल नहीं कि कोई गलत काम कर जाए। ऊपर के लोग गंदे होंगे तो नीचे के लोगों तक गन्दगी चली जाएगी।

इस देश में परिवावाद की राजनीति से लोगों को अवसर मिला है। इन्दिरा जी समझती हैं कि भइया को प्रधान मंत्री बनाना है, इसीलिए वे जानकर भी जबान नहीं खोलती हैं। इसी-लिए यह सब हो रहा है। इसके चलते वे किसी अपराध को रोकने में सफल नहीं हो सकती हैं। इसी के चलते न दहेज काण्ड, न बलात्कार, न लूट-मार, न घूसखोरी कुछ नहीं रूक सकता। हर चीज में यह सरकार फैल हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से कहना चाहूंगा कि वे अपने को सुधारें। तब जाकर के उनके चेले लोग सुधरेंगे।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो ख्याल केयूर भूषण जी ने रखे वे बड़े शानदार थे। अभी राही साहब बहुत बढ़-चढ़ कर बोल रहे थे कि महिलाओं के साथ यह

हो गया, वह हो गया। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था ? महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई आपकी औरतों के साथ इस प्रकार का सुलूक करे तो आपको मर जाना चाहिए। इसमें प्रधान मंत्री क्या करेंगी ? क्या स्त्री प्रधान मंत्री की है ? प्रधान मंत्री क्या करेगी ? मैं एम० एल० ए० रहा हूं। मेरे पास एक आदमी आया कि मेरी औरत को कोई ले गया है। मैंने उसको कहा कि * *

तुम क्यों नहीं लडाई करते। लोगों को स्वयं लड़ाई करनी चाहिए। एम० एल० ए० बन गए, एम० पी० बन गये, सब कुछ बन गए, फिर क्यों डरते हैं। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं हो सकता।

एक बात बिल्कुल ठीक कही गई कि महिलाओं को बराबर की शक्ति मिलनी चाहिए। 50 फीसदी महिलाओं को मिनिस्टर बना दो और 25 प्रतिशत हरिजनों को मिनिस्टर बना दो, अपने आप ठीक कर देंगे। अगर आप महिलाओं को और हरिजनों की बेहतरी चाहते हैं तो यह काम करना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमेशा की भांति, मैं रिकार्ड पढ़ूंगा।

श्री सुन्दर सिंह : दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ऋषि-मुनि हैं,लोग गुरू द्वारे और मन्दिर बना रहे हैं, परमात्मा को तलाश करते हैं ईश्वर की अनुभूति वह बन नहीं कर सकता जो पाखडी है, स्वार्थी है और विवादी है। व्यक्ति में विश्वास और ईमानदारी होनी चाहिए ईश्वर ईमानदार के एकदम करीब है और पाखंडियों से बहुत दूर।

गुरुद्वारे, मन्दिर बना रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जो सुलूक हो रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोर्ट मैरिज और लव मैरिज शुरू हो जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। यू० के० में कोई परवाह नहीं करता जब मर्जी शादी हो जाती है। यहां यह सब होता है। दहेज में यह नहीं मिला वह नहीं मिला और वह चीज हिन्दुओं में ही ज्यादा है। हिन्दू बहुत लालची होते हैं। जितनी औरत मरी हैं सब हिन्दुओं की मरती हैं और दूसरों की नहीं मरती हैं। (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि सोसायटी इनको ठीक कर सकती है। बाकी कितना ही प्रचार करते रहो कुछ फायदा नहीं होगा। लाखों रुपया शादियों पर खर्च किया जाता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका समाधान केवल समाजवाद है।

श्री सुन्दर सिंह : क्या इससे समस्या हल हो सकती है। जहां-जहां ज्यादती होती है, वहां आपको लड़ाई करनी चाहिए। जो मारता है, उसको मारना चाहिए तब समस्या हल हो सकती है। सरकार चाहे अपोजीशन की हो और चाहे इनकी हो, कुछ हल होने वाला नहीं है।

हमारे गांव से एक लड़की चली गई थी। हमने उसी वक्त शराब पीकर जो लोग लड़की ले गए थे उनकी लड़की लाने की तैयारी कर ली। उसी समय लड़की वापिस कर दी गई। इसलिए जब तक जैसे को तैसा नहीं मिलेगा तब तक कुछ होगा।

**अध्यक्षापीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

जो उदाहरण यहां पर रखे हुए हैं, उन्हें सुनकर तो हमारा हार्ड-अटैक होता है। क्या ये भेड़-बकरियां हैं जो इस तरह से मारी जाती हैं ? सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार और पुलिस के भरोसे समस्या का हल नहीं हो सकता जब तक आप अपनी हिफाजत स्वयं नहीं करेंगे। इसको आप खुद दूर करेंगे तभी होगा। सरकार पर डिपेंड नहीं करना चाहिये। इतनी रिश्वत है आपके यहां जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। हमारे पंजाब में देख लो, एक एक एस० एच० ओ० 4, 4 हजार रू० कमाता है। लैंड रिफार्म आपने किया नहीं है और हरिजनों में प्रचार करके उनके वोट लेते रहे, दिया उनको कुछ नहीं। सीधी बात यह है कि अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो हमें अख्तियार दो। यह काम आप हरिजनों को दो, और वहां ओन दी स्टोप जाकर हम प्रचार करें कि तगड़े हो जाओ और जो तुमको मारता है तुम उसको मारो। तब जाकर यह काम ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इससे सिद्ध होता है कि विविधता ही जीवन का मूल्यमन्त्र है।

रक्षा और गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरमण) : इससे जीवन बिगड़ भी सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम अपने अवगुणों को भी खोलकर बता सकते हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं, यह एक ऐसी पद्धति है जिससे हम गलतियों, अवगुणों अथवा असफलताओं को छुपा नहीं सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि मैं इस वाद-विवाद को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि इसमें सरकार को तथा देश के लोगों दोनों को ही अवसर दिया जाता है कि वह हमारे देश में फैली हुई सामाजिक बुराइयों पर नजर डाल सकें।

यह सच है कि केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में नारी पर अत्याचारों में वृद्धि हो रही है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण है। लेकिन इसे केवल सार्वभौमिक दृष्टिकोण मानकर ही हम यह नहीं कह सकते और न ही हमें कहना चाहिए, कि हम इसे सहन करते रहेंगे। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम इस समस्या का सामना करें, इन अत्याचारों रूपी लहरों में बहने की बजाय उनका सामना करे और सफलता प्राप्त करें। यह एक तरह का संकल्प है जो हमें लेना ही चाहिए।

नारियां अनेक प्रकार के अपराधों और अत्याचारों की आसानी से शिकार हो जाती हैं। कण उत्पीड़न, बलात्कार, अपहरण, दहेज के कारण होने वाली मृत्यु आदि। मानव मात्र उन अपराधों के शिकार होते हैं परन्तु नारियों पर ये अपराध आसानी से किए जा सकते हैं। इसलिए समाज की यही विशेष जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अत्याचारों से नारी को बचाने के पर्याप्त और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करे।

महोदय, जहाँ तक हमारे समाज का प्रश्न है इसने हमेशा नारी की अत्याचारों से रक्षा

करने के प्रयत्न किये हैं विशेषकर सिहापरक अत्याचारों से उसे हमने हमेशा यह देखने का प्रयत्न किया है कि हम नारियों की विशेषरूप से सुरक्षा करें, और अन्य मामलों की आवेदन उन्हें अधिक संरक्षण प्रदान करें ।

अपराध की दो घटनाएं, बलात्कार और दहेज के कारण होने वाली मृत्यु, पिछले दो वर्षों से हमारे मन को आंदोलित कर रही हैं । मैं इन आंकड़ों पर नाराज नहीं होने जा रहा और विवाद करन के लिए यह नहीं कहूंगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इन आंकड़ों में कमी आई है । मैंने हमेशा ही ऐसा करने का प्रयत्न किया है लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए यह समाज की चिरस्थायी बुराई है अत: हमें अपने वर्तमान कानूनों और पद्धतियों का ऐसा ढांचा तैयार करने का प्रयत्न करना होगा जिससे हम नारियों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दे सकें । मैं इसका विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि मैं परुलेकर के सुझाव पर विचार करने जा रहा हूं।

यदि आप हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों की ओर देखें तो आपको पता चलेगा कि बलात्कार के संबध मे हमने संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष एक विधेयक रखा है । मैं सब बातें विस्तार से नहीं बताऊ गा । मै केवल उन सिद्धांतों की रूपरेखा का उल्लेख करूंगा जिन्हें हम उसमें शामिल करना चाहते हैं ।

सबसे पहले कानून सरल होना चाहिए । बलात्कार की परिभाषा इस तरह से की जानी चाहिए कि उसमें कोई कमी न रहे । विशेषकर वकील सदस्यों को 'हाऊस आफ लार्डस' का वह मामला याद होगा जिसमें अपराधी ने बताया था कि उसने उस व्यक्ति की सहमति से बलात्कार किया और न्यायालय न उस व्यक्ति को निर्दोष माना था उसके विरुद्ध ब्रिटेन की नारी ने जलूस निकाले और इसका विरोध किया । सहमति बलात्कार जैसे अपराध का बचाव है तथा शब्द 'सहमति' की व्याख्या को समय समय पर और विस्तृत किया गया है । और अन्तिम निर्णय यह लिया गया कि यदि दोषी व्यक्ति यह सोचे और बड़ी निस्कपटता से विश्वास यह करे कि उसने यह काम सबंधित महिला की सहमति से किया है फिर भी वह उस आरोप के लिए उत्तरदायी है ! यह निश्चय ही ऐसा कानून है जिसे न मैं ठीक कर सकता हूं व भारत कर सकता है । अत: परिभाषा को हमें इतना कठोर बनाना होगा कि सहमति का प्रमाण दोषी व्यक्तियों को देना पड़े । और तब निर्णय लेते समय दवाव म अथवा अन्य सभी परिस्थितियों में प्राप्त की गई सहमति को जो उस संपर्क को गलत करार करती है, ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि क्या यहउस महिला की सहमति से हुआ या नहीं । परिभाषा से बिल्कुल सुस्पष्ट होनी चाहिए । मुझे विश्वास है कि सयुक्त प्रवर समिति के सदस्य इसमें हमारी सहायता करेंगे ।

तीसरा प्रश्न कड़ी सजा देने के बारे में है। इस समय कानून इस मामले में अधिकतत दस वर्ष की कड़ी सथा देता है । लेकिन मैंने ऐसा कभी नही देखा है कि कभी भी न्यायालय ने अधिकतम सजा दी हो । कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसके लिए आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए । इसकी क्या सजा दी जानी चाहिए, यह निर्णय सदस्यों को लेना होगा । लेकिन ऐसा कानून बनाया जाना

चाहिए कि जिसमें न्यूनतम अवधि का प्रावधान हो जो लोगों को ऐसा अपराध करने से रोक सके जब कानून में 'दस वर्ष से अनाधिक अवधि की सजा' जैसे वाक्य सामाविष्ट किए जाते है तो यह वे भी कह सकते है न्यायालय के उठ' तक का कारावास है, चाहें व्यवस्था दस वष के कारावास की हो। इसलि ए इसके लिए न्यूनतम दण्ड निर्धारित किया जा सकता है। इस विचार को भी ध्यान में रखेंगे।

दूसरा कार्य जो हमे करने का प्रयत्न करना चाहिए वह यह है कि पीड़ित को अनावश्यक प्रचार से संरक्षण मिलना चाहिए। इनमें से बहुत से मामले क्यों असफल रह जाते हैं। उसका एक कारण यह है कि पीड़ित महिला अदालत में नहीं जाती और जिरह का सामना करने में असमर्थ रहती हैं। जैसा कि श्री परुलेकर ने कहा एक महिला के लिए जिरह का उत्तर देना बहुत कठिन होता है। बन्द कमरे की कार्यवाहियों या परिवार अदालतें या इस प्रकार की बातों पर विचार किया जा सकता है। परन्तु यह आवश्यक है कि हमें पीड़ित के बारे में अनावश्यक रूप से प्रचार नही करना चाहिए ताकि उसकी भावी जिन्दगी खराब न होने पाये।

फिर प्रश्न आता है कि प्रमाण का भार मुजरिमपर किस अवस्था में डाला जाना चाहिए। श्री परुलेकर ने कहा कि हमें फ्रांस विधिशास्त्र या यूरोपीयन विधिशास्त्र का अनुकरण करना चाहिए जिसमें मुजरिम गवाही देने के लिए बाध्य होता है। मुझे नहीं मालूम कि उनके साथी जो अदालत में है, इस सुझाव से सहमत होंगे या नहीं या भारत के विधिवेता इस सुझाव को मानेंगे या नहीं क्योंकि हमने अपने विधिशास्त्र को इस सिद्धान्त पर आधारित किया है कि व्यक्ति तब तक निर्दोष होता है जब तक उसे दोषी साबित न कर दिया जाये और हम सिद्धन्त को काटने वाली कोई बात हमारे देश के अधिकांश लोगों द्वारा मान्य नहीं होगी।

साथ ही साथ ऐसे मौके भी आते हैं जहां प्रमाण का भार अभियोग पक्ष से बचाव पक्ष पर आ सकता है। उदाहणार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत यदि यह स्थापित हो जाता है कि किसी आदमी ने कोई वस्तु नियन्त्रण मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची है तो बचावपक्ष को उसकी कार्यवाही को साबित करना या उचित ठहराना पड़ता है। ऐसे अवसर भी आते हैं जब स्थिति इसके विपरीत होती है। जिनमें प्रमाण की भार दोषी पर चला जाता है। अत: ऐसे मातलों में यह सम्भव है कि प्रमाण का भार दोषी पर डाला जाये। यह प्रमाण भार दोषी पर किस अवस्था में डाला जाये इस पर बहुत अधिक ध्यान देने विचार करने तथा विवेचनात्मक जांच की आवश्यकता है। तथापि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि लोग इस विधान को बनाते समय इसको ध्यान में रखेंगे।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : आपने उसका जिक्र नहीं किया जिसकी हम मांग कर रहे हैं।

श्री आर० वैंकटरामन : मैं उस पर आ रहा हूं मैं केवल एक वाक्य बोलूगां और आप सबको आश्चर्य होगा। अत: मैं उस पर आऊंगा। ये सब कहीं पर हुई घटना से अधिक महत्वपूर्ण है।

जहां तक दहेज के कारण हुई मौतों का सम्बन्ध है सरकार ने पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं कि विवाहित युवतियो के विवाह के पांच वर्ष के अन्दर-अन्दर संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई सभी आत्महत्याओं व मौतों के मामलों की जांच की जानी चाहिए। हमने यह अनुदेश जारी किया है कि जब भी कोई आत्म हत्या करने के प्रयास का या इस प्रकार का कोई मामला हो और संदेहास्पद परिस्थितिया हों विशेष रूप से उन विवाहित स्त्रियों के विषय में जिनकी शादी के पाच वर्ष की अवधि में ऐसी घटनाए होती है, ऐसे मामलों की जाँच की जानी चाहिए ।

दूसरे हमने अनुदेश दिये हैं कि ऐसी जांच एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो पुलिस उपाधीक्षक के स्तर से कम स्तर का न हो। श्री पारुलेकर ने भी सुझाव दिया था और कहा था कि ऐसे मामलों जी जांच एक अधीनस्थ अधिकारी या बहुत छोटे व्यक्ति द्वारा कराने का क्या फायदा। हमने इस बारे में पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं।

फिर हमने ऐसे अनुदेश कि शव परीक्षा एक डाक्टर द्वारा नहीं की जानी चाहिए बल्कि दो डाक्टरों द्वारा की जानी चाहिए ताकि कार्यवाही को गुप्त रखने की कम सम्भावना रहे। और फिर हमने कहा है कि शव परीक्षा के प्रमाण पत्र के नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ ऐसे सुझाव हैं कि दहेज के अपराध को संज्ञेय अपराध मानना चाहिए। अब यदि आप एक अपराध को सज्ञेय बना देते हैं तो इसका एक लाभ है और एक हानि है। यह लाभ है कि पुलिस अधिकारी जाकर तुरन्त कार्यवाही कर सकता है उसको किसी की शिकायत दर्ज कराने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और कानून का अधिक कुशल कार्यान्वयन होगा। हानि यह है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। बहुत से मामलों में अधिकारी जाकर डराने सताने या और कुछ करने का प्रयत्न कर सकता है और कुछ लोगों के मामलों, में सीमान्त मामले, या संदेहास्पद मामले भी दर्ज कर सकता है और निर्दोष व्यक्तियों को परेशान भी कर सकता है यह संभव है। इसीलिए क्योंकि विधिवेत्ता तथा संसद सदस्य निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा करना तथा दोषियों को सजा देना चाहते हैं। हमें इस मामले मे बहुत ही सजग निर्णय लेना पड़ेगा कि इसको संज्ञेय अपराध माना जाये अथवा नहीं। ये कुछ विचार हैं जिन्हें लागू करने पर दहेज-मौतों व बलात्कार के अपराधों को कम किया जा सकेगा।

दुर्भाग्य से दहेज के ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। परन्तु आदमी का लोभ जनसख्या से भी से बढ़ रही है क्योंकि दहेज –मौतों में अपराध की दर मे वृद्धि जनसंख्या की दर में अधिक तेजी वृद्धि से अधिक है। मैं मद्रास में एक महिला कालिज से सम्बन्धित हूं। मैंने छात्रों को यह सुझाव दिया। ऐसे युवक से शादी मत करो जो आपसे दहेज मांगता हो जो आदमी आपसे दहेज चाहता है उससे शादी करने से कुवांरी रहना अच्छा है। साथ ही समाज को भी ऐसे आदमी से घृणा करनी चाहिए जो अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता नहीं रखता है बल्कि अपनी पत्नी पर पत्नी के मां - बाप से प्राप्त धन पर निर्भर रहना चाहता है। जब तक आप ऐसी भावना पैदा नहीं करेंगे कि जो युवक ऐसे आदमी से धन स्वीकार करता है जो किसी भी प्रकार उससे अच्छी हालत मे नहीं है ऐसा करना उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत है तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो

सकता ऐसी भावना उसमें पैदा की जानी चाहिए और यह कार्य केवल समाज ही कर सकता है और जब तक ऐसी भावना पैदा नहीं होती मुझे लगता है यह सामाजिक बुराई दूर नहीं की जा सकती। हम कितने भी कानून बनायें। जैसा कि अधिकांश सदस्यों ने कहा है। उनका इस मामले में कोई विशेष महत्व नहीं होगा।

इन मामलों में श्रीमती प्रमिला दण्डवते, श्रीमती गोपालन्, डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी तथा अन्य साथियों द्वारा जो तथ्य सामने लाये गये हैं और जो उनके द्वारा किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं उन्होंने तदर्थ आधार की बजाय स्थायी आधार पर हम समस्याओं का समाधान निकालने की बात कही है।

अब मैं सिसवा में हुई घटना पर आता हूं। मैं होने वाली विचारण कार्यवाही को प्रभावित नहीं करना चाहता उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से सूचना मिली है उसी क्षण से इस मामले में सराहनीय कदम उठाये हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है। उन्होंने पुलिस अधिक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण कर दिया है ताकि···(व्यवधान)···

श्रीमती सुशीला गोपालन :— उनका स्थानान्तरण कब किया गया ?

श्री आर० वेंकटरामन :— मामले की जांच की जा रही है। अब उन्होंने उनको हटा दिया है ताकि जांच ठीकप्रकार से की जा सके।

परन्तु मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस घटना की पहली सूचना एक व्यक्ति श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा भेजी गई जो सावित्री का पति बताया गया है और सावित्री उनमें से एक है जिन्होंने बलात्कार की शिकायत की थी।

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) : कब ?

श्री आर० वेंकटरामन : 24 अप्रैल को अर्थात घटना के अगले दिन ही।

शिकायत पुलिस उपमहानिरीक्षक को सम्बोधित की गई थी और उसकी प्रतियां बस्ती के पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस संघ निरीक्षक लखनऊ, ग्रह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को भेजी गयी है इस पत्र मे लिखा है —मेरे पास इसका अंग्रेजी अनुवाद है।

"इसके बाद दोनों पुलिस सिपाही आवेदक के घर में घुस गये और अपमान करने के उद्देश्य से उसकी पत्नी को पकड़ लिया। इस समय आवेदक की पत्नी सहायता के लिए चिल्लायी। बालिका, रामनाथ, नासपत गोकरन तथा गांव के अन्य बहुत से लोग वहां पहुंच गये। शोर-शराबा सुनकर आवेदक भी वहां पहुंच गया और आवेदक के गाँव के लोगों ने दोषी सिपाहियों को पकड़ने का प्रयत्न किया और इससे सिपाहियों को मामूली चोटें भी आयी परन्तु वे पकड़े नहीं जा सके और भाग गये। यदि आवेदक की पत्नी का चीत्कार सुनकर गाँव के लोग घटना स्थल पर न पहुंचे तो अभियुक्त सिपाहियों ने उनके साथ बलात्कार किया होता।

जो पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रसाद ने भेजी उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया। इसलिए समाचार पत्रों में जो छपे वो कहानियां दी गयी हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं। मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता क्योंकि यह पहली सूचना के विपरीत है जो कि उसने स्वयं दी थी। इसलिए यह फैसला देना कि क्या सत्य है और क्या नहीं, मैं अदालत पर छोड़ देता हूं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वे जो कुछ समाचार पत्रों में छपा उसके आधार पर कोई निष्कर्ष न निकाले।

श्रीमती सुशीला गोपालन : डराने पर वह ऐसा कह सकता है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह घटना 23 तारीख को हुई। 24 तारीख को उन्होंने अपनी इच्छा से पत्र लिख दिया। उसने इन पत्रों को विभिन्न लोगों को रजिस्टर्ड डाक से भेजा। मुझे समझ नहीं आता इसमें डराने की बात कहा आ गई। पहली रिपोर्ट में ही उसने ऐसा कहा है। और आप इस बड़ी घटना की कहानी बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि सारी दुनिया इसे मान ले।

मैं कोई सी भी बात नहीं मानता। मैं अब भी कहता हूं। कि मैं न तो इस कहानी को मानता और न उसको इस पर अदालत में फैसला होगा। मैं केवल सभा से निवेदन करता हूं कि जब तक अदालत में फैसला न हो जाये वे दोषी या पीड़ित के पक्ष या विपक्ष में कोई फैसला न करें क्योंकि अभी जांच जारी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कृपया मुझे एक सैकेन्ड के लिए हस्तक्षेप करने की इजाजत दीजिए। क्या मुझे एक सैकेन्ड की अनुमति देंगे। वे स्त्रियां जिनके साथ सामुहिक बलात्कार किया गया स्वयं प्रधान मंत्री निवास गयी और उनके सामने अपनी कहानी सुनाई और लगता कि वे भी उनकी व्यथा से आस्वस्त हो गई थी। यह वाद विवाद की बात है। हमें भी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए जैसा कि आपने निकाला है। मैंने अपना दिमाग खुला रखा है।

श्री आर० वेंकटरामन : इसमें एक विरोधाभास है। जिसके साथ बलात्कार किया गया उसका पति बाद में नहीं, अगले दिन ही, किसी दबाव से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से रजिस्टर्ड पत्र विभिन्न लोगों को भेजता है जिनमें मैं भी सम्मिलित हूं और गृह मंत्रालय में मुझे दिनांक 24-4-82 को सिसवा ग्राम जिला बस्ती के श्री राजेन्द्र प्रसाद का पत्र, जो गृहमंत्री के कार्यालय में 3-5-82 को प्राप्त हुआ, मिला जिसमें पुलिस के विरुद्ध शिकायत की गयी थी और उसी दिन मैंने उ० प्र० के मुख्य सचिव को भेज दिया। इसलिए जब वह स्वंय रजिस्टर्ड पत्र भेजता है तो किसी के द्वारा उस पर प्रभाव डालने का कोई प्रश्न नहीं है। आप यह कैसे कहते हैं? मुझे समझ नहीं आता।

फिर मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। मैं केवल यही कह रहा हूं कि किसी निष्कर्ष पर

पहुंचचना सम्भव नहीं है क्योंकि सी० आई डी० इसकी जांच कर रही है। वे इस पत्र को भी देखेगें और अन्य कागजातों को भी और वे उन सभी बातों पर ध्यान देगें और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगें। केवल यही बात है। आपने जो निष्कर्ष निकाला है। उसकी पुष्टि नहीं होती धन्यवाद।

———

21-12

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 16 जुलाई, 1982/25 आषाढ़, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई

———

प्रबन्धक आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पण्डित रामचन्द्र दहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।

P. L. S.—48/29/5/82 (एन०)

210

© 1982 लोक सभा सचिवालय को प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक, आर०आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग,
दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।